सप्तम माला, खण्ड 37 अंक 36, बुधवार, 20 अप्रैल, 1983/30 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवाँ सत्र)

(खंड 37 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 36, बुधवार, 20 अप्रैल, 1983/30 चैत्र, 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 704 से 708 और 710 से 712 — 1-22

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 709, 713 से 717 और 719 से 724 — 22-35

अतारांकित प्रश्न संख्या : 8044 से 8051, 8053 से 8110, 8112 से 8163, 8165 से 8190 और 8192 से 8277 — 36-216

सभापटल पर रखे गये पत्र — 216-218

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

35वां प्रतिवेदन — 281

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति — 219

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 के बारे में याचिका — 219

नियम 377 के अधीन मामले — 219-226

(एक) उड़ीसा में ओरियन्ट पेपर मिल्स, भास्कर टैक्सटाइल मिल तथा कलिंग ट्यूब्स को पुनः चालू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही — 219-220

(दो) इलाहाबाद और लखनऊ के बीच एक तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी — 220

(तीन) केन्द्रीय मधु शहद विकास बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस — 221

(चार) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कुछ डाकघरों में बढ़ रही अनियमिततायें

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री — 221-222

(पांच) ब्रिटिश एयरवेज द्वारा उसके कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय को बेमौका बंद किए जाने से रोकने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा — 222-223

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(छः) छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास स्थित इस्पात संयंत्रों के अपशिष्ट पानी के कारण उस क्षेत्र में फैल रही "सिल्कोसिस" बीमारी को रोकने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा ... 223-224

(सात) गोरखपुर-सुरौली तथा गोरखपुर ठूठीबारा सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री अशफाक हुसैन ... 224

(आठ) अन्नामलाई विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) में सभी डिग्री पाठ्यक्रमों को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री के० मायातेवर ... 224-227

(नौ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत ... 227-228

अनुदानों की मांगें, 1983-84 ... 228-311

उद्योग मंत्रालय

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर ... 229

श्री के० लकप्पा ... 242

श्री सत्यनारायण जटिया ... 250

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे ... 255

श्री मयूर अली खां ... 257

श्री एस० मुरुगैयन ... 261

श्री एन० डेनिस ... 263

श्री सी० डी० पटेल ... 267

श्री रामावतार शास्त्री ... 270

श्री ईरा अनबारासु ... 273

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार ... 277

श्री उमाकांत मिश्र ... 281

श्री के० टी० कोसलराम ... 285

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा ... 287

श्रीमती जयन्ती पटनायक ... 289

श्री गंगाधर एस० कुचन ... 293

श्री ए० के० राय ... 296

श्री भुवनेश्वर भूयन ... 301

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी ... 303

श्री बिरदा राम फुलवारिया ... 306

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति ... 307

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ... 309

लोक सभा

बुधवार, 20 अप्रैल 1983/30 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न। श्री लकप्पा। आज भी हम श्री लकप्पा से ही आरम्भ कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है, इसमें अवश्य कोई राज है। इसके अतिरिक्त, श्री गुलशेर अहमद यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरे विचार में उन्होंने अपने मित्र को राजी करके अपना काम बना लिया है।

पालम हवाई अड्डे पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर कातिलाना हमले तथा अपहरण करने के प्रयास

*704. †**श्री के० लकप्पा** :

श्री गुलशेर अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों पर पालम हवाई अड्डे पर कुछ कातिलाना हमले/अपहरण करने के प्रयास किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न समाचार पत्र की एक रिपोर्ट पर आधारित है जो 6 मार्च, 1983 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'ड्रामा एट पालम' (पालम पर नाटक) शीर्षक के अधीन प्रकाशित हुई है : समाचारपत्र की रिपोर्ट में कहा गया है :

आज प्रातःकाल बड़ा तनावपूर्ण नाटक देखा गया जब एक ईरानी मालवाहक विमान पालम हवाई अड्डे पर बिना सूचना उतरा। हवाई अड्डे के प्राधिकारियों ने खतरे की चेतावनी दी क्योंकि विमान कर्मचारियों ने कंट्रोल टावर द्वारा बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी अपना परिचय देने से इन्कार कर दिया था।

मालूम हुआ है कि विमान अमरीका में निर्मित सी-130 था और इसमें 14 सैनिक कर्मचारी थे। इस विमान में एक गोली अभेद्धकार, तीन मोटर साइकिलें और कुछ हथियार लाये गए।"

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है? क्या उग्रवादी तत्वों ने सफल गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में गड़बड़ करने का यत्न किया था, जो इस देश में एक जन्मजात नेता के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई सच्चाई है और, यदि नहीं है…

अध्यक्ष महोदय : यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वह श्री मोरारजी देसाई का हवाला दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री इन्कार करते हैं, तो भी वह इस पर विश्वास नहीं करेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या इस कथित समाचार की कोई जांच की गई थी ? क्या सचाई का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने से पहले, मैं यह अभिलिखित करना चाहूंगा कि सुरक्षा कर्मचारियों ने देश में पहली बार हुए सबसे बड़े सम्मेलन में सुरक्षा प्रबन्ध और उसकी निर्विघ्न सम्पन्नता सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय कार्य किया है और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तथा एशियाड को सफल बनाया है।

मेरे माननीय मित्र द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न वास्तव में सही नहीं है। यह ठीक है कि एक विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा था। इसका उद्देश्य उन देशों के अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए हमारे सुरक्षा प्रबन्धों में और वृद्धि करना था। यदि राज्याध्यक्ष दूसरे देश में जाते हैं, तो कुछ देशों में यह प्रथा है कि वे अपने साथ सुरक्षा कर्मचारी भी लाते हैं।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं यह और बताना चाहूंगा कि यह मामला सम्बधिन्त दूतावास से सम्पर्क स्थापित करके वहीं पालम हवाई अड्डे पर ही सुलझा लिया गया था और केवल 30 सुरक्षा कर्मचारियों को उतरने दिया गया था और लगभग 200 को वापस भेज दिया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उस देश का नाम क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बता दिया है।

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, क्या यह सही है…

अध्यक्ष महोदय : श्री अनबारासु, इसमें और क्या है ?

श्री ईरा अनबारासु : श्रीमन्, क्या यह सही है कि खोमैनी विरोधी या ईराक के लड़ाकू सैनिकों के आक्रमण को रोकने के लिए खोमैनी समर्थक छात्र गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के समय आधुनिकतम हथियारों से लैस थे ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्रीजी यह बताएंगे कि क्या भारत सरकार ने…

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से नहीं उठता है।

श्री ईरा अनबारासु : गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के समय पर आधुनिकतम हथियार…

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ईरा अनबारासु : श्रीमन्, उन्होंने हथियारों की तस्करी की है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अब प्रश्न संख्या 705—श्री गिरिधर गोमांगो।

उड़ीसा में "नाल्को" द्वारा रोलिंग मिल तथा फैब्रिकेशन यूनिट को चालू करना

*705. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने उड़ीसा में अंगुल स्मेल्टर द्वारा उत्पादन किए जाने वाले एल्यूमिनियम पर आधारित "रोलिंग मिल तथा फैब्रिकेशन यूनिट" पर कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की यूनिटें किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी और इनके लिए कुल कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है;

(ग) इन यूनिटों में एल्यूमिनियम अंत्योत्पाद की किन मदों को तैयार किया जाएगा; और

(घ) इन यूनिटों के चालू होने की सम्भावित तारीख क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) उड़ीसा कम्पलैक्स से उत्पादित होने वाले एल्यूमिनियम से निर्मित होने वाले परवर्ती उत्पादों के बाजार-सर्वेक्षण के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नालको) ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० (एन० आई० डी० सी०) को अनुबन्धित किया है। एन० आई० डी० सी० ने विद्युत सेक्टर की मांग पर एक आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सभी उत्पादों के बारे में अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर ही कम्पनी तथा सरकार के लिए एल्यूमिनियम से निर्मित होने वाले परवर्ती उत्पादों की प्रवृत्ति का निर्धारण करना सम्भव हो सकेगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का पहला भाग रोलिंग मिल और फैब्रिकेशन यूनिटों के बारे में है। परन्तु मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक समिति गठित की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने निश्चय कर लिया है कि रोलिंग मिल सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी और भारत सरकार अर्थात् नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा परवर्ती उत्पाद निर्मित किए जायेंगे और समिति गठित करने के अतिरिक्त उन्होंने क्या कार्यवाही की है जिससे एल्यूमिना कम्पलैक्स के अंत्योत्पादों तथा दमनजोड़ी स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के अंत्योत्पादों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र पर दबाव डाला जा सके?

श्री एन० के० पी० साल्वे : महोदय, जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हमें अर्द्ध-निर्मित तथा निर्मित परवर्ती उत्पादों के लिए रोलिंग मिलें स्थापित करने का निश्चय करना है। पूंजी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी धातु शोधक संयंत्र तक ही सीमित होती है। परन्तु हमने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कारपोरेशन लि० के माध्यम से बाजार का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया

है और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० की रिपोर्ट के आधार पर परवर्ती उत्पादों, जिनके अन्तर्गत रोलिंग मिलें और फैब्रिकेशन एकक भी हैं, के निर्माण के लिए सम्भाव्यता अध्ययन किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० रोलिंग मिलें स्थापित करेगी परन्तु इसके लिए हमें बाजार-अध्ययन रिपोर्ट पर निर्भर करना होगा।

जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, अंत्योत्पादों के बारे में रोलिंग मिलें सामान्यतया चादरें ही तैयार करती हैं। हम एल्यूमिनियम पत्ती का भी निर्माण करने जा रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : आपने दमनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र के बारे में उत्तर नहीं दिया है। आपने एल्यूमिनियम के सम्बन्ध में तो उत्तर दे दिया है, परन्तु एल्यूमिना संयंत्र के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : वे दमनजोड़ी तथा अंगुल स्थित धातु शोधक संयन्त्र पर एल्यूमिना का निर्माण करने जा रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। उत्पाद के लिए कई संघटक हैं और बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न दमनजोड़ी से अंगुल धातु शोधक संयन्त्र तक एल्यूमिना लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार ने क्षेत्रीय विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं, जिनके अन्तर्गत कोरापुट से रायगोडा तक रेल लाइन भी है, की व्यवस्था कर दी है, जो संयन्त्र के लिए आवश्यक हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 1985 में चालू की जाने वाली परियोजनाओं के सभी संघटकों को पूरा करने तथा उड़ीसा में स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिए उड़ीसा में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा एल्यूमिनियम शोधक संयन्त्र में निर्मित एल्यूमिनियम के अंत्योत्पादों का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस परियोजना के मुख्य चार संघटक हैं :

1. पंचपतमली में 24 लाख टी० पी० ए० बाक्साइट खान।
2. दमनजोड़ी में 8,00,000 टी० पी० ए० एल्यूमिना संयन्त्र।
3. अंगुल में 218,000 टी० पी० ए० एल्यूमिनियम शोधक यूनिट।
4. अंगुल में धातु शोधक संयन्त्र को 400 मेगावाट बिजली उपलब्ध करने के लिए एक विद्युत संयन्त्र।

इस समूह के निर्माण के लिए जो प्रबन्ध किए जाने हैं उनमें सैंट्रल कोल फील्ड्स लि० द्वारा स्थापित की जाने वाली कोयला खान। धुलाईशाला और रेल मंत्रालय द्वारा कोरापुट तथा रायगोडा के बीच स्थापित किया जाने वाला रेल सम्पर्क शामिल हैं। हमने परियोजना का निर्माण आरम्भ कर दिया है और आशा है कि इसका प्रथम चरण दिसम्बर, 1985 में और दूसरा चरण सितम्बर, 1986 में पूरा हो जायेगा तथा पूर्ण उत्पादन 1986-87 तक होने लगेगा।

यूरेनियम उत्पादन में आत्म-निर्भरता

*706. †**प्रो० अजित कुमार मेहता**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश को यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) देश को यूरेनियम में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उसका कुल कितना वार्षिक उत्पादन किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) हम प्राकृतिक यूरेनियम के मामले में आत्म-निर्भर हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आणविक सुरक्षा ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रमाण चाहिए आपको ?

श्री राम विलास पासवान : बाडी गार्ड इनको दिया जाए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : एक प्रश्न के जवाब में मैंने यह कहा था कि जब प्रश्न हिन्दी में किया जाए और उत्तरदाता अगर हिन्दी जानते हों तो इतनी शिष्टता तो होनी चाहिए कि उसका जवाब हिन्दी में दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी इच्छानुसार हम दोबारा कह देते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरा कोई दुराग्रह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन्सिस्टेंस कोई नहीं है, सिर्फ आग्रह है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम प्राकृतिक यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप प्रश्न देखेंगे तो मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि सरकार देश को यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो आत्मनिर्भर है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : *हम प्राकृतिक यूरेनियम के मामले में आत्म-निर्भर हैं।* हमने सिर्फ यूरेनियम पूछा। उसका अर्थ था कि प्राकृतिक हो या समृद्ध यूरेनियम हो, लेकिन शब्द जाल में उलझा-कर, जितनी सूचना देनी चाहिए थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप शब्द जाल से निकलवाकर पूछ लीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यदि मंत्रालय को हमारा प्रश्न स्पष्ट नहीं था तो मुझ से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था। प्रश्न में मैंने यूरेनियम का पूछा। आपने जवाब दिया प्राकृतिक यूरेनियम। अगर सब यूरेनियम में आप आत्मनिर्भर हैं तो सारे संसार में हाथ क्यों पसार रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने और कभी फ्रांस के सामने और उनकी शर्तों को स्वीकार करते हैं?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हाथ किसी के सामने पसारा नहीं है, बहुत आत्म-सम्मान से मांगा है, जैसे हरेक देश के बीच सम्बन्ध रहते हैं।

श्री जगपाल सिंह : जब आत्म-निर्भर हैं तो मांगने की जरूरत ही क्या है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप ठीक से जवाब सुनिए तो आपको मालूम हो जायेगा।

दूसरी समस्या पर आप इतने प्रश्न कर चुके हैं, इतनी चर्चा कर चुके हैं, फिर उसी को जानना चाहते हैं तो कह देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बोल दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बोलिए पाटिल साहब, आत्मनिर्भर हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, अनाधिकार चेष्टा मैं नहीं चलने दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अनुपूरक प्रश्न में भी विखण्डन है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मुझे बड़ा संतोष है प्रधान मंत्री के जवाब से कि उन्होंने हाथ नहीं पसारा है, पूरी प्रनिष्ठा के साथ जो मिला है, वह लिया है। यूरेनियम के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन समृद्ध यूरेनियम के मामले में हमें दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती है। जब तारापुर में ईंधन का संकट उपस्थित हुआ था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एम ओ एक्स, मिक्स्ड आक्साइड फ्युअल, विकसित किया था। किन्तु 1983 तक हमें ईंधन की सुविधा मिल गई है, इसलिए हमने अपने वैज्ञानिकों को कितना निरुत्साहित किया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारे वैज्ञानिक निरुत्साहित नहीं हुए हैं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, प्रश्न सिर्फ यूरेनियम के सम्बन्ध में था और यूरेनियम का जो मतलब यहां पैदा होता है, वह हमने लिया और उसका जवाब दिया। अब पूछा गया है कि समृद्ध यूरेनियम के सम्बन्ध में हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी नीति यह है कि प्राकृतिक यूरेनियम उपयोग में लाकर हम एटामिक एनर्जी निर्माण करने का प्लान बना रहे हैं। हमारे पास एक हां प्लांट है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम का उपयोग होता है और उसके लिए हमको जितना समृद्ध यूरेनियम चाहिए, उतना हमको मिल रहा है और उससे हम काम चला रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रकार के यूरेनियम, एम ओ एक्स फ्युअल, बनाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में कुछ दूसरे स्टेप्स लेना जरूरी होता है। वह अलग बात हो जाती है। मगर आज हमारी नीति नैचरल यूरेनियम और हैवी वाटर की मदद से एटामिक एनर्जी तैयार करने की वजह से हम उसी दिशा में जा रहे हैं। जो प्लांट हमारे पास है, उसके लिए जो आवश्यक है, अपने देश की प्रतिष्ठा

को कायम रखते हुए, जैसे दूसरे देश एक दूसरे की मदद करते हैं, लेते देते हैं, उसी प्रकार से उसको लेने और प्लांट को चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं जानना चाहता था कि क्या हमारे वैज्ञानिकों को निरुत्साहित किया गया है या नहीं और उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय इसका जवाब भी दे देंगे।

अभी हाल में हमारे वैज्ञानिकों का एक दल एनटार्किटका या तथा, जिसके मुख्य उद्देश्यों में एक यह था कि अगर वहां पर यूरेनियम का डिपाजिट हो, तो वह उसका भी पता लगाएगा। उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि थोरियम से यू-33 निकालनें के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदन और सारे देश को विदित है कि आज की सरकार किस प्रकार से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देती है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की वजह से ही हम एस० एल० वी०-3 भेज सके हैं। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की वजह से ही हम एटामिक एनर्जी निर्माण में 80 प्रतिशत तक काम अपने बल-बूते पर कर चुके हैं। जो भी सुझाव हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से आते हैं, अगर उनको उस परिस्थिति में मान्य करना सम्भव होता है, तो उन्हें मान्य किया जाता है।

जहां तक एनटार्क्टिका में यूरेनियम की खोज का प्रश्न है, हमारे देश में यूरेनियम इतना है कि हम अपनी जरूरत उससे पूरी कर सकते हैं। दूसरी जगह यूरेनियम की खोज करने की हमें जरूरत नहीं है। वहां पर हमारी एक्सपीडीशन दूसरे प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गई थी, यूरेनियम के लिए नहीं गई थी। मैंने कहा है कि नैसर्गिक यूरेनियम में हम आत्मनिर्भर हैं और 2000 तक ही नहीं, उससे आगे के लिए भी हमारे पास यूरेनियम है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन्, चूंकि मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

जब से जनता सरकार सत्ता में नहीं रही, तब से परमाणु वैज्ञानिक बहुत अप्रसन्न हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन्, अनुमति नहीं है!

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ बताइए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता के शासन काल में वैज्ञानिक प्रसन्न थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : गलत कार्य करने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से और वह भी दूसरे देश में डांटा जाता था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं।

श्री के० मायातेवर : किस देश का हवाला देने के लिए पूर्व सूचना ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीन मंत्री ने पहले ही सभा को एक गलत बात बताई है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग केवल तारापुर रिएक्टर के लिए कर रहे हैं। वास्तव में उन्हें दो रिएक्टरों के लिए समृद्ध यूरेनियम चाहिए : एक तारापुर के लिए और दूसरा कलपक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के लिए। यदि आपको मालूम नहीं है, तो आप इसका पता लगाइए। हमें उसके लिए अति समृद्ध यूरेनियम और तारापुर के लिए कम समृद्ध यूरेनियम चाहिए। उन्हें पूरी बातें नहीं बताई गई हैं।

में एक सीधा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। चूंकि भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, अतः मुझे मालूम है वहां जो कुछ हो रहा है। वैज्ञानिकों में निराशा व्याप्त है क्योंकि सरकार कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान नहीं करने दे रही है। अभी उन्होंने बताया कि उन्हें समृद्ध यूरेनियम में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यहां केवल एक ही रिएक्टर है। परन्तु यहां दो रिएक्टर हैं जिनके लिए समृद्ध यूरेनियम की जरूरत है। वैज्ञानिक महसूस करते हैं कि जो दो नई विधियों का विकास हुआ है सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित्र जो पाकिस्तान के पास भी है, और लेसर विधियों द्वारा समृद्ध यूरेनियम शीघ्र और कम लागत पर तैयार किया जा सकता है और सरकार वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में कार्य करने से रोक रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समृद्ध यूरेनियम का विकास करने के प्रयोजनार्थ लेसर या अपकेन्द्रित्र का उपयोग करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि स्वामी जी इसलिए निराश हैं कि वैज्ञानिक निराश नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां तक मेरे उत्तर का सम्बन्ध है, मैं विद्यमान संयन्त्र के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे रहा था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भी तो है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं भविष्य में स्थापित किए जाने वाले संयन्त्रों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह भी गलत है। कृपया अपने उत्तर को सही कीजिए। अन्यथा मैं नियम 117 के अधीन सूचना दूंगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारी योजना प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का प्रयोग करके परमाणु ऊर्जा तैयार करने की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसी बारे में तो निराशा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम महसूस करते हैं कि इसी से देश को लाभ होगा। जहां तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सम्बन्ध है, क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने यह नहीं पूछा है। मैंने पूछा है कि क्या आपके पास अपकेंद्रित्र या लेसर का उपयोग करके समृद्ध यूरेनियम तैयार करने की कोई योजना है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यूरेनियम को समृद्ध बनाने की विधि है और जब यह विधि मालूम हो तब भी जापान जैसे उन्नत देशों को ऊर्जा तैयार करने में लगभग 20, 21 वर्ष लगे हैं । यह तो बिल्कुल ही एक अलग प्रश्न है ।

मैं परिकल्पित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं । मैं वर्तमान परिस्थितियों तथा तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्नों के ही उत्तर दे रहा हूं । मैं उस चीज के बारे में उत्तर नहीं दे सकता हूं जो वर्ष 2000 या इसके पश्चात् होने वाली है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप अपकेंद्रित्र या लेसर का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं बैठ जाता हूं । आप प्रश्न फिर बना लीजिए । मैं आपके सभी प्रश्नो का उत्तर दे सकता हूं ।

इस समय, प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल से परमाणु ऊर्जा तैयार करने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है ।

वर्ष 2000 के पश्चात स्थापित किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के रिएक्टर के लिए किसी अन्य प्रकार की परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के बारे में प्रश्न ऐसा है जिसका अभी सुगमता से उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । क्या आपने यूरेनियम को समृद्ध बनाने के लिए लैसरों और अपकेंद्रित्रों के प्रयोग और उनके बारे में अनुसंधान करने पर रोक लगा रखी है ? मैं तो यह प्रश्न पूछ रहा हूं और वह यह कहकर गलत जानकारी दे रहे हैं कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्थापित नहीं किया गया है । यह पहले ही स्थापित किया जा चुका है । हम इसके लिए फ्रांस से यूरेनियम ले रहे हैं । जब तक वह इसका उत्तर नहीं देते तब तक मेरी समझ में नहीं आ सकता कि क्या हो रहा है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि यह दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी है । वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई योजनायें हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल यही अनुपूरक प्रश्न है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रश्न बहुत बड़ा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेसर विशिष्ट है । अपकेंद्रित्र भी विशिष्ट है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, जहां उत्पादन आरम्भ हो गया है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अनुसंधान के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं बैठ जाता हूं और वह अपना प्रश्न फिर से बना लें।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : प्रश्न तो बहुत ही साधारण है, क्या हम समृद्ध यूरेनियम तैयार कर सकते हैं और कब तक ?

अध्यक्ष महोदय : विज्ञान अनुसंधान के लिए है। यह तो कभी न समाप्त होने वाला प्रश्न है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या प्रश्न बना लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो बहुत साधारण है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं जो कह रहा हूं वह यह है। प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय में कोई प्राध्यापक अध्ययन कर रहा है या कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, यह एक भिन्न प्रश्न है। बात यह है कि क्या हमारा अभी इसका उत्पादन करने का इरादा है। हमने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए 200 वर्षों तक का आयोजन कर लिया है। हमारा प्रयास इसी दिशा में है। यदि आप समृद्ध यूरेनियम तैयार करने के लिए विद्या सम्बन्धी प्रयास करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह एक अलग बात है। (व्यवधान) हमारे देश में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित ज्ञान की वृद्धि करने के लिए अपकेंद्रित्र या किसी अन्य तरीके के प्रयोग किए जाने पर कोई रोक नहीं है। हम इस पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। (व्यवधान) मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं विद्या सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए कह रहा हूं। विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्थानों पर अध्ययन होता रहेगा। परन्तु क्या यह हमारा उद्देश्य है ? हमारा उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इसे तैयार करने का है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए। क्या आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विश्व में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दिया जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपका नि:संदेह उस वर्ग में नहीं आता है।

तथ्य यह है, जैसा कि मेरे साथी ने सभा में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कि इस समय हमारे पास परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की योजना है और तारापुर को छोड़कर इस योजना के लिए हमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम की आवश्यकता है जैसा कि उसने स्पष्ट किया है। जहां तक अनुसंधान और अन्य मामलों का सम्बन्ध है, रेमे विचार में हमने अनुसंधान बन्द नहीं किया। अनुसंधान का उसके साथ सम्बन्ध होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। यदि ऐसा है, जैसा कि श्री पाटिल ने कहा है, तो अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वैज्ञानिकों को तब प्राय: विश्वास में लिया जाता है तब ये योजनाएं भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों में तैयार की जाती हैं।

सीमित साधनों से हमें योजना बनानी पड़ती है तब हम देखते हैं कि योजना के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। इस समय तारापुर को छोड़कर हमें समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : हमें बहुत चिंताजनक रिपोर्ट मिली है कि बिहार में जादूगुडा यूरेनियम खान से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह जो चोरी हो रही है वह बहुत समय से हो रही है और क्या इसे चोरी छिपे उन पड़ौसी देशों में ले जाया जा रहा है जो हमारे शत्रु हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस समय इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे और इसे रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही करनी आवश्यक हुई तो हम ऐसी कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे।

श्री ए० के० राय : उत्तर से निःसन्देह प्रश्न का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि यह बात कोई राजनैतिक सन्देह के बारे में नहीं है। उद्योग विज्ञान सम्बन्धी डर जरूर है क्योंकि भारत में कच्चे यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है, केवल 35,000 मीट्री टन, और उसकी किस्म भी घटिया है। आज भी प्राकृतिक यूरेनियम निकालने पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अधिक लागत आती है। भारतीय प्राकृतिक यूरेनियम के मामले में ये उद्योग विज्ञान सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां है। प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग राजस्थान संयन्त्र में किया जाता है और आपको मालूम होगा कि यह संयन्त्र निरन्तर घाटे पर चल रहा है। इसका कारण क्या है कि तारापुर संयन्त्र मुनाफा कमा रहा है परन्तु आपके राजस्थान विद्युत संयन्त्र में, जो प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है, घाटा हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं…

अध्यक्ष महोदय : ये संयन्त्रों के कार्यकरण के बारे में नहीं है।

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप राजस्थान विद्युत संयन्त्र में देशी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं या इसके लिए प्राकृतिक यूरेनियम का आयात कर रहे हैं? कृपया हमें इन सब बातों से तथा देश में और विदेशों में प्राकृतिक यूरेनियम का उत्पादन लागत से भी अवगत करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : तारापुर में हम देशी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं और हम इसका आयात नहीं कर रहे हैं…

श्री ए० के० राय : यह गलत है। वास्तव में आप…उपयोग कर रहे हैं…(**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे खेद है—मैं तो राजस्थान में कोटा स्थित संयन्त्र के बारे में कह रहा हूं। हम आयातित यूरेनियम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम देशी यूरेनियम का ही उपयोग कर रहे हैं।

श्री ए० के० राय : जादूगुडा से।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यही एक खान है जहां से अब हम यूरेनियम निकाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल संयन्त्र के खराब संचालन के बारे में चिंतित हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस पर यहां चर्चा की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारा यूरेनियम महंगा है और इसीलिए विद्युत पर अधिक लागत आती है, तो यह सही नहीं है । कुछ अन्य भी कठिनाइयां हैं । यह कहना सही नहीं होगा कि प्राकृतिक यूरेनियम पर अधिक लागत आने से विद्युत की उत्पादन लागत भी बढ़ गई है ।

दिल्ली के लिए खनन निगम की स्थापना

***707. †श्री राम विलास पासवान**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए एक खनन निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख रूपरेखा क्या है; और

(ग) निगम कब तक स्थापित किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) पृथक खनिज विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। विस्तृत विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की माइन्ज तथा उनमें हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पिछले दिनों सदन में काफी चर्चा हुई थी । उस दिन साल्वे साहब नहीं थे, लेबर मिनिस्टर थे । उन्होंने बतलाया था कि दिल्ली स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवैलपमेन्ट कारपोरेशन ने 1975 में इन माइन्ज को अपने हाथ में लिया था, इसलिए कि प्राइवेट कान्ट्रैक्टर्स मजदूरों का शोषण करते थे तथा सेफ्टी आदि पर ध्यान नहीं देते थे । लेकिन कारपोरेशन के अपने हाथ में लेने के बावजूद इल्लीगल माइनिंग चलती रही, सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया गया, और मजदूर मरते गये । इस सम्बन्ध में डायरेक्टोरेट आफ माइन्ज ने आरोप लगाया है कि वहां सेफ्टी रूल्ज की खुल कर अवहेलना की जाती है ।

मैं जानना चाहता हूं—जब ये सारी घटनायें घट रही हैं, मजदूर मर रहे हैं, सेफ्टी रूल्ज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, रात को लालटेन जला कर माइन्ज खोदी जा रही हैं, ऐसी स्थिति में जब तक माइन्ज कारपोरेशन नहीं बन जाती, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? आपने कहा है कि यह मामला अण्डर-कन्सीड्रेशन है—मैं जानना चाहता हूं यह कब से अण्डर-कन्सीड्रेशन है ? क्या खान-कन्ट्रैक्ट सिस्टम आपने टोटली एबालिश कर दिया है या अभी भी चल रहा है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मान्यवर, जो सवालात किये गए हैं दरअसल मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध उनसे बहुत सीमित है, क्योंकि ये जो खदानें चलाई जाती हैं, दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं। वहां पर क्लेन्डेस्टाइन-माइनिंग होती है या नहीं, यह दिल्ली प्रशासन, जो गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है, बतलायेगा। जहां तक सेफ्टी मैजर्स के डिस-रिगार्ड का सवाल है, उसके बारे में लेबर मंत्रालय बतला पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बतलाइये कि माइनिंग कारपोरेशन कब बनायेंगे।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य का यह कहना वाजिब है कि यहां पर एक्सीडेन्ट्स होते आये हैं, जनवरी में तीन हुए हैं, फरवरी में एक हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : इस पर कालिंग-अटेन्शन करवाया था।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इसी वजह से यह खदानें बन्द कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप माइनिंग कारपोरेशन बनवा दीजिये।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माइनिंग कारपोरेशन सेठी साहब बनवायेंगे, दिल्ली प्रशासन बनवायेगा। मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है, लेकिन यह एक अहम मसला है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसे खनन विभाग द्वारा बनाया जायेगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बच्चे के बाप को तलाश करने के लिए कोई सहारा लेना पड़ेगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि लेबर मिनिस्टर ने भी उस दिन कालिंग-अटेन्शन के समय कहा था कि यह मेरी ड्यूटी नहीं है, खान मंत्री की ड्यूटी है। खान मंत्री कहते हैं कि मेरी ड्यूटी नहीं है, होम मिनिस्टर की ड्यूटी है, होम मिनिस्टर कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, प्लानिंग मिनिस्टर का काम है, प्लानिंग मिनिस्टर कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम है और प्राइम मिनिस्टर कहेंगी कि मैं तो चली गई। ···*(व्यवधान)*···इस बात को सीरियसली लीजिए। यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वे इसका जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सीरियसली लिया है, तभी बाप की तलाश शुरू की है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा। जब सवालों का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर सवाल करने का क्या फायदा है।

अध्यक्ष महोदय : इन सवालों के करने से ही यह होगा कि असली बाप की तलाश हो जाएगी आप बैठिये।

श्री मनीराम बागड़ी : किसी का सिर, किसी का धड़, किसी का पैर और आदमी बना दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जैसा आप आदेश दें। आपका आदेश सिर-आंखों पर। अगर आप कहें कि सब बातों का जवाब दूं, तो मैं दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब दे दीजिए।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य ने जो मसला उठाया है, वह गम्भीर है। काफी लोग इस खदान में मर चुके हैं। इस वजह से खदान की वर्किंग पूरी बन्द कर दी गई है। मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है···

श्री मनीराम बागड़ी : कब तक विचाराधीन रहेगा और कब से विचाराधीन है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : सवाल यह है कि जनवरी में ये दुर्घटनाएं हुईं, फरवरी में भी हुईं और उसके बाद खदान बन्द कर दी गई ।

श्री राम विलास पासवान : उसके पहले भी हुई हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : उसके पहले भी हुई थी। डी० एस० आई० डी० सी० का वर्किंग अनसेटिस्फेक्टरी बताया गया है। इस वजह से यह सुझाव विचाराधीन है कि दिल्ली मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन को ये खदानें सौंप दी जाएं और जिन बातों की वजह से सेफ्टी मेजर्स का डिसरिगार्ड हो रहा था और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही थीं, उन बातों पर विचार किया है और पूरा ख्याल करके, डेवलपमेंट आफ माइन्स का तौर-तरीका क्या हो, यह सब किया जाएगा। कितना समय लग जाएगा, अगर मेरे पास इसकी सूचना होती, तो मैं देखकर बता पाता। हम लोगों की मीटिंगें जल्दी-जल्दी हो रही हैं क्योंकि हम वहां पर मजदूरों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देना चाहते और जल्दी से जल्दी नया डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं। मंत्री जी ने अभी कहा है कि यह मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री से यह सम्बन्धित नहीं है और कहा कि होम मिनिस्ट्री से इसका सम्बन्ध है। मंत्री महोदय इस पोजीशन में नहीं हैं जो यह कह सकें कि इसे जल्दी से जल्दी करवाएंगे। यह वही मिनिस्टर कह सकता है, जिसकी मिनिस्ट्री के अन्दर में यह आता है। उस मिनिस्ट्री की यह फुल रेस्पोंसीबिलिटी होगी। तो होम मिनिस्टर कह सकते हैं कि हम इसको करवा रहे हैं, दिल्ली प्रशासन मेरे जिम्मे हैं और अगर होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, तो प्लानिंग मिनिस्ट्री के बिहाफ पर कलेक्टिव रेस्पोंसीबिलिटी लेकर आपको जवाब देना चाहिए और आप सदन को यह बताएं कि कितने दिनों के अन्दर इसको करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया है । आप दूसरा प्रश्न पूछें ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि डी० एस० आई० डी० सी० बिल्कुल फेल्योर रही है, आप इस बात को कबूल करते हैं कि प्रशासन और ठेकेदारों की तालमेल और सांठगांठ से सारा करप्शन हो रहा है और आप इस बात को मान रहे हैं कि इल्लीगल माईनिंग चल रही है। ···(**व्यवधान**)···श्री टाइटलर ने भी यह आरोप लगाया था।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए, बहस मत कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब तक कारपोरेशन नहीं बन जाता है, तब तक क्या आप खान और कोयला मंत्रालय के अधीन इसको करके, उसके रूलस एण्ड रेगुलेशन्स के मुताबिक इसको गवर्न करेंगे और तमाम करप्शन जो चल रहा है, उसको चलने नहीं देंगे।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है क्योंकि में भी मीटिंग मैं जाता रहा हूं, इस वजह से यह कह सकता हूं कि हम लोग इस बात के लिए बहुत एन्कसस हैं कि जल्दी से जल्दी कारपोरेशन बन जाए। मेरी जानकारी में क्योंकि यह है, इसलिए मैंने यह निवेदन किया है। दूसरे मैंने यह नहीं कहा कि मैं जानता हूं कि इल्लीगल माईनिंग हो रही है। आपने कहा था कि रात को क्लेडेस्टाइनली माईनिंग हो रही है। अगर ऐसी बात है, तो इसकी जानकारी दिल्ली प्रशासन को और पुलिस को दें।

श्री राम विलास पासवान : श्रम मंत्री ने कहा है कि…

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं नहीं जानता…

श्री राम विलास पासवान : आपको जानना चाहिए।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं केवल इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि खनन कार्य अवैध रूप से चल रहा है और न ही यह कहा है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम की साठगांठ से सब सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके खनन काय किया जा रहा है। तीसरे, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि सुरक्षा नियमों और विनियमों को पूर्ण महत्व दिया जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम खनन कार्य की अनुमति नहीं देंगे।

श्री नीरेन घोष : इन अवैध खानों को बन्द कर देना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मिनिस्टर कहते हैं आई विल नोट अलाऊ। लेकिन यह अलाऊड है और चल रहा है, अभी तक बन्द नहीं किया है। यह रोज हो रहा है और मिनिस्टर कहते हैं कि अलाऊ नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय बैठिये राम विलास जी। **(व्यवधान)**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या निगम की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के बढ़ते हुए निर्माण कार्य के लिए पत्थर खदानों की संख्या करोड़ों में है और इस बात को भी देखते हैं कि इससे औद्योगिक विकास निगम के गैर-कानूनी खनन कार्य आदि की शिकायतें दूर हो सकेंगी और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय मोटे तौर पर यह बता सकते हैं कि निगम कब तक स्थापित किया जाएगा और यदि नहीं तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिल्ली और उसके

आसपास निर्माण कार्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में रोड़ी, रेती तथा चीनी मिट्टी की जरूरत होती है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति

*708. †डा० ए० यू० आजमी

श्री बापूसाहिब परूलेकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित चालू कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने तथा ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से निराकरण/समाधान करने संबंधी नीतियों की सिफारिश करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित किसी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या प्रभाव हैं?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट का सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6429/83] सिफारिशों के प्रभाव का मूल्यांकन इन सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम निर्णय के बाद ही किया जा सकता है।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रश्न पर हम विचार करने के लिए हम एक के बाद एक समिति नियुक्त करते रहते हैं। परन्तु हमें ज्ञात होता है कि विकास नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जहां तक महाराष्ट्र के कोनकन क्षेत्र का संबंध है, इन पिछले 35 वर्षों में वहां एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान पाण्डे समिति और वांचू समिति द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और अन्त में योजना आयोग ने स्थानों का चयन करने का निदेश दिया था। यही प्रश्न इसी सभा में 20 अक्तूबर, 1982 को पूछा गया था जिसका उत्तर सरकार ने यह दिया था कि प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन अक्तूबर, 1980 में सभा पटल पर रखा गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इस बारे में निर्णय क[redacted]एगी तथा इस प्रतिवेदन का कार्यान्वियन आरम्भ करने से पहले कितने वर्ष और लगेंगे और क्या कोई और समिति नियुक्त की जाएगी?

श्री एस० बी० चव्हाण : शिवराम समिति ने 11 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय करने से पहले केन्द्र के प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सलाह ली जाती है। जब तक इन संबंधित पक्षों से सलाह नहीं ले ली जाती, तब तक कोई अन्तिम निर्णय करना सम्भव नहीं होता। इस समिति ने लगभग 1546 सिफारिशें की हैं। जब तक इनके बारे में सम्बन्धित पक्षों, जो कि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, से

सलाह नहीं ली जाती तब तक योजना आयोग द्वारा इन पर निर्णय करना बहुत कठिन है। फिर भी मैं माननीय सदस्य तथा सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि प्रशासनिक मंत्रालय और राज्य सरकारें अपनी राय देने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करते हैं तो योजना आयोग सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाता है और तत्पश्चात इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : जब तक इस समिति की सिफारिशों पर निर्णय नहीं किया जाता मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और क्या सरकार का विचार केन्द्रों के चयन की अनुमति राज्यों को देने का है? क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों के व्यक्तियों को रोजगार लाभ देना आरम्भ करने का है। उद्योग के विकास से जो लाभ उत्पन्न होते हैं उनका फायदा स्थानीय उद्यमियों को होता है। अन्य राज्यों से लोग पिछड़े क्षेत्रों में आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं तथा स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता। जब तक कि सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया जाता अथवा निर्णय नहीं किए जाते तब तक इन दो मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक शिवराम समिति के प्रतिवेदन में औद्योगिक विविधीकरण का संबंध है इस पर विचार अंतिम चरण में है। जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जाता कुछ अन्तरिम व्यवस्था की जाएगी। मेरा विचार है कि उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इस बारे में सभा को जानकारी दे सकेंगे।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किया जाना

*710. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन औद्योगिक गृहों ने उक्त कार्य के लिए सरकार से लाइसेन्स प्राप्त किए हैं;

(ग) क्या ऐसे कोई औद्योगिक गृह हैं जिन्होंने लाइसेन्स प्राप्त नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) सरकारी नीति के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करने के आधार को छोड़कर, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में, बड़े गृहों को कोई भी नए लाइसेंस स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : सरकार के उत्तर के अनुसार उत्पादन के न्यूनतम निर्यात के आधार

पर बड़े निजी गृहों को लाइसेंस दिए गए हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि किन-किन क्षेत्रों में और किन-किन वस्तुओं के लिए ये लाइसेंस दिए गए हैं तथा उन गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं ? सरकार ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का उत्तर नहीं दिया है । क्या सरकार को किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है जिसमें किसी बड़े निजी गृह ने बिना लाइसेंस के क्षमता स्थापित की हो ।

श्री एस० एम० कृष्ण : लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण व्यवस्था 1967 से उपलब्ध है । 1970 में कानूनी आरक्षण आरम्भ कर दिया गया था और यह आरक्षण लघु क्षेत्र को सहायता देने तथा बड़े व्यापार गृहों की उनसे अनुचित प्रतियोगिता को बचाने के लिए किया गया था । परन्तु इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि कानूनी आरक्षण देने से पहले देश में कतिपय क्षमताएं स्थापित की जा चुकी थीं तथा उन्हें दूर करने के लिए अनेक कार्यवाहियां की गई हैं और उसके बाद किसी बड़े व्यापार गृहों को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मैं उन गृहों के नाम जानना चाहती हूं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : अनेक गृह हैं जिनमें से कुछ प्रमुख व्यापार गृह हैं ।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि क्या कोई लाइसेंस दिया गया है ? मैंने कहा है कि यह सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी दीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उनसे कहिए कि वे बाद में जानकारी दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी देंगे ।

श्री नीरेन घोष : इस तथ्य के बावजूद कि कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, कतिपय बड़े व्यापार गृह उद्योग स्थापित कर रहे हैं और अपनी क्षमता का अन्यथा विस्तार कर रहे हैं । उन बड़े औद्योगिक गृहों, फर्मों के नाम क्या हैं जो बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं । यही नहीं मैं यह भी आरोप लगाता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में भी इन पिछड़े क्षेत्रों के तथाकथित विकास के नाम में ये बड़े व्यापार गृह आधुनिकतम संयंत्र लगा रहे हैं और कारखाने स्थापित कर रहे हैं । उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने गैर-कानूनी ढंग से कारखाने लगाए हैं । आप उन्हें क्या रियायतें देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप छोटे को छोटा न समझ लेना ।

श्री भागवत झा आजाद : देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर ।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, सभा इस तथ्य की सराहना करेगी कि 1978 में लगभग 807 वस्तुओं को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता सरकार द्वारा।

श्री एस० एम० कृष्ण : और फिर 1980 में इन वस्तुओं की सूची का विस्तार करके इनकी संख्या 837 की गई। अत: परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण की वस्तुओं में कतिपय भिन्नता हो जाती है। मैं सभा को आश्वासन दिला सकता हूं कि सरकार का प्रयास यह होगा कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में बड़े व्यापार गृहों को न आने दे। मैं सभा के साथ हाल की इस जानकारी से अवगत हूं कि हाल में बम्बई उच्च न्यायालय में आरक्षण के समूचे प्रश्न को ही चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 29ख के अधीन निर्णय दिया है कि सरकार को लघु उद्योगों के लिए कतिपय वस्तुओं का आरक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। महोदय, हमने इस मामले में अपील की है और निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, वह उन बड़े गृहों का नाम लेने से क्यों हिचकिचाते हैं जिन्होंने उद्योग स्थापित किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको जानकारी मिलेगी, इसमें कोई बात नहीं है।

दस्तावेजों का द्विभाषीय रूप में जारी किया जाना

*711. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में अपेक्षित विभिन्न दस्तावेज कितने निकाले गए;

(ख) उनमें से कितने दस्तावेज अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में निकाले गये और कितने दस्तावेज केवल अंग्रेजी में निकाले गए;

(ग) जो दस्तावेज केवल अंग्रेजी में निकाले गए उन्हें नियमत: अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में न निकालने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम की उपयुक्त धारा के अनुसार द्विभाषी रूप में निकाले जाएं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) इस संबंध में विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) जैसा कि सभा पटल पर रखे विवरण से स्पष्ट है, योजना आयोग द्वारा सभी दस्तावेज हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए। सांख्यिकी विभाग ने केवल 145

दस्तावेज अंग्रेजी में जारी किए। यह इसलिए किए गए क्योंकि आदेशों को तत्काल जारी करना आवश्यक था। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रकार के सभी प्रलेख द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

विवरण

योजना आयोग

पत्र/दस्तावेजों का प्रकार	जारी किए गए प्रलेखों की कुल संख्या	द्विभाषिक रूप में जारी किए गए प्रलेखों की संख्या
(1) साधारण आदेश, परिपत्र आदि (2) अधिसूचनाएं, संकल्प, नियम आदि (3) संसद के दोनों सदनों में रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और कागज-पत्र	896	896
जोड़ :	896	896

(सांख्यिकी विभाग)

पत्र/दस्तावेजों का प्रकार	जारी किए गए प्रलेखों की कुल संख्या	द्विभाषिक रूप में जारी किए गए प्रलेखों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए प्रलेखों की संख्या
(1) साधारण आदेश, परिपत्र आदि (2) अधिसूचनाएं, संकल्प, नियम आदि (3) संसद के दोनों सदनों में रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और कागज पत्र	734	589	145
जोड़ :	734	589	145

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के मुताबिक 15 आइटम्स ऐसे निर्धारित किये गये हैं, जिनको बाइ-लिंगुअल होना ही चाहिए। उनमें कोई छूट नहीं हो सकती कि कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां तक मंत्री जी ने योजना आयोग के बारे में जवाब दिया है, तो वहां शत-प्रतिशत जो 15 आइटम्स हैं, उन्हें द्विभाषी किया गया है। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन, जो आपका आंकड़े इकट्ठे करने वाला स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट है, वहां के लिए आपने कहा कि जल्दी में काम करना था इसलिए 145 दस्तावेज अंग्रेजी में ही भेज दिए। वह उसी समय इतना अत्यावश्यक था ? आपका विभाग काम करता है या नहीं, यह तो मुझे ही मालूम हो रहा है। एक-आध दिन रोक कर क्या उसका हिन्दी में

अनुवाद नहीं कराया जा सकता था ? ऐसी जल्दीबाजी क्यों हो गई कि तुरन्त ही आपने अंग्रेजी में भेज दिया जबकि, आपके यहां ऐसा लगता है कि अनुवादकों की काफी संख्या है। इसीलिए, आपने प्लानिंग कमीशन में सारा करवाया और यहां आपने ऐसा किया, यह उचित मालूम नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ, इसकी गारन्टी आप भविष्य में देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उससे मैं सहमत हूं। इसमें कोई छूट नहीं हो सकती। बाई-लिंगुअल होना जरूरी था। आज ही सुबह मैंने आफिसर्स के साथ बातचीत करते हुए उनसे कहा कि इसके अन्दर कोई आप्शन नहीं मिल सकती। जल्द बाजी में आपने अंग्रेजी में निकाल दिया है तो चार-आठ रोज के बाद उसका हिन्दी अनुवाद निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हम री कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो बाइ-लिंगुअल तरीके से सेक्शन 3(3) का इम्पलीमेंटेशन स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी किया जाए। यह होना जरूरी है।

श्री राम प्यारे पनिका : अब हो तो गया है और पूछकर क्या करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : आप लोग हिन्दी वाले हैं, कम से कम सुनिए तो सही।

श्री मनीराम बागड़ी : शास्त्री जी ठीक कह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अंग्रेजी चला गया। रस्सी जल गई, पर ऐंठ नहीं गई।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके कमीशन और डिपार्टमेंट में भी हिन्दी अधिकारियों के पद और अनुवादकों के पद पूरे-पूरे भरे गये हैं अब तक कि नहीं ? अगर कुछ पद बचे हुए हैं तो उनको आप कब तक भर लेंगे ? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इनके बिना द्विभाषी काम होना मुश्किल है।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह बराबर है। उसके अन्दर सीनियर ट्रांसलेटर्स की 7 सेंक्शन्ड पोस्ट्स थीं···

अध्यक्ष महोदय : करवा दीजियेगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : 5 लोगों को भर्ती किया गया, 2 लोग अभी काम पर नहीं आ सके हैं···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है पूरी भर्ती करवा दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही।

वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

*712. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में चालू योजना अवधि में अब तक क्या उपलब्धि हुई है; और

(ग) छठी योजना में वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अनुमान है कि 1984-85 तक जो छठी योजना का अन्तिम वर्ष है, वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग और उत्पादन लगभग 1,30,000 नग प्रतिवर्ष होगा।

(ख) 1979-80 में केवल लगभग 57,000 की तुलना में 1981-82 के दौरान 1980-81 में 71,000 से अधिक गाड़ियों और 1981-82 में 91,000 से अधिक गाड़ियों का उत्पादन हुआ था। 1982-83 में 80,000 से भी अधिक गाडियों का उत्पादन हुआ था। यह उद्योग चालू वर्ष में 1,00,000 से अधिक गाड़ियों का निर्माण करने में समर्थ है। वर्तमान उत्पादन से वास्तविक मांग पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है।

(ग) सरकार ने विद्यमान एककों के विस्तार और नये एककों की स्थापना के जरिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिया है और उत्पादन बढ़ाने और प्रत्याशित मांग पूरी करने के लिए अपेक्षित अन्तर्वस्तु सहायता प्रदान की है। 1.50,000 से अधिक गाड़ियों का उत्पादन करने हेतु क्षमता के 1984-85 तक अधिष्ठापित किए जाने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह सब क्या है ? ऐसा ज्ञात होता है कि कोई तूफान आने वाला है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि छठी योजना के दौरान वाणिज्यिक गाड़ियों का वार्षिक उत्पादन लगभग 1,30,000 हो जाने की सम्भावना है। परन्तु यदि हम प्रस्तुत किये गये आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होता है कि 1981-82 में 91,000 गाड़ियों का उत्पादन हुआ तथा 1982-83 में 86,000 गाड़ियों का उत्पादन हुआ। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन में कमी कैसे आई और छठी योजना के अन्त तक 1,30,000 का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने किन्हीं निर्माताओं की पेशकश स्वीकार की हैं जो नए एकक स्थापित करना चाहते हैं और उन निर्माताओं के नाम क्या हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रस्ताव यह है कि 1984-85 तक कुल उत्पादन लगभग 1,30,000 हो जाएगा और 1989-90 तक इसे लगभग 2,15,000 हो जाना चाहिए। भारी वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए जिन मुख्य एककों को लाइसेंस दिए गए हैं वे हैं—टेल्को, अशोक लेलैंड, हिन्दुस्तान मोटर्स, प्रीमियर आटोमोबाइल्स तथा सिमसन ग्रुप की कम्पनियां और छोटी वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, स्टैंडर्ड मोटर्स, बजाज टैम्पो को लाइसेंस दिये गये हैं। सबमें उत्पादन आरम्भ हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियार और गोला-बारूद का निर्माण

***709. श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियार और गोला-बारूद के निर्माण की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक लाइसेंस किन्हें दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियार/बन्दूक और गोला-बारूद बनाने के लिए लाइसेंस लेने हेतु सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र/निजी प्रतिष्ठानों/गैर-सरकारी पार्टियों से कुछ आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा हथियार और गोला-बारूद के निर्माण से सम्बन्धित सरकार की नीति 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस नीति के अनुसार हथियार और गोला-बारूद का निर्माण केन्द्र सरकार का एकाधिकार होगा। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान जिन यूनिटों को हथियार और गोला-बारूद के निर्माण के लिए पहले लाइसेंस दे दिये गये थे उनको निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ऐसे निर्माण करते रहने की अनुमति है :—

(1) रिवाल्वर, पिस्तौल और राइफल हथियार और ऐसे हथियारों में प्रयोग किये जाने वाले गोला-बारूद का निर्माण नहीं किया जाना है;

(2) सर्वाधिक कड़े पूर्वोपाय किये जाते हैं ताकि ऐसी फैक्ट्रियों के उत्पादन को अनधिकृत लोगों के हाथों में पहुंचने से रोका जा सके;

(3) ऐसी यूनिटों के कार्य, उनके द्वारा पहले निर्मित मदों तक ही सीमित होने चाहिए;

(4) उनके उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाकर उनके कार्यालयों में विस्तार और/अथवा उनके द्वारा उत्पादन में मदों की क्षमता में कोई वृद्धि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जायेगी; और

(5) ब्रीच लोडिंग शाट गनों की भारत सरकार के अनुमोदित विनियमों के अनुसार परीक्षा की जानी चाहिए।

हथियार और गोला बारूद के निर्माण के लिए नये लाइसेंस निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त स्वीकृत नहीं किए गये :—

(1) गैर-सरकारी फार्मों द्वारा परकुशन कैम्पों और एयर राइफलों/एयर गनों के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक यह कार्य आर्डीनेंस फैक्ट्रियों द्वारा न किया जाय ।

(2) हथियार और गोला-बारूद की मरम्मत के प्रयोजन के लिए और ऐसी मरम्मतों के प्रयोजन के लिए अवयवों तथा कलपुर्जों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को दिये जा रहे लाइसेंसों पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि ऐसे अवयव/कलपुर्जे इत्यादि पूर्ण हथियारों/गोला बारूद के प्रयोग अथवा उनके एसम्बिल करने के प्रयोजन के लिए निर्मित न किये जायें ।

भारत सरकार शस्त्र नियम, 1962 के प्रवृत्त होने पर अक्तूबर, 1962 के बाद हथियार और गोला-बारूद के निर्माण के लिए लाइसेंसिग प्राधिकारी हो गई है किन्तु लाइसेंसों के नवीकरण के लिए राज्य सरकारें प्राधिकारी हैं। उपलब्ध सूचना पर आधारित गैर-सरकारी लाइसेंस धारकों की सूची विवरण में दी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6430/83]**

(घ) और (ङ) सरकार को गैर-सरकारी पार्टियों से हथियार और गोला-बारूद के निर्माण के लिए 39 आवेदनपत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध 1956 से पहले हथियार तथा गोला-बारूद के निर्माण के लिए दिये गये लाइसेंसों को बहाल करने और कुछ का सम्बन्ध एयर-राइफलें/एयर गनें, ब्लैंक कारतूस-लैड शाट, अन्य गोला-बारूद, रिवाल्वरों और पिस्तौलों के निर्माण से है। ये आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

असम आन्दोलन में उड़िया लोगों का हताहत होना

*713. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी नागरिकों के प्रश्न पर असम में हुए आन्दोलन में कुछ उड़िया लोग हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मरने वाले उड़िया लोगों की संख्या कितनी है और असम में रह रहे उड़िया लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) विदेशी नागरिकों के प्रश्न पर असम आन्दोलन के परिणामस्वरूप समाज के सभी वर्गों को नुकसान हुआ है। पीड़ितों के मूल स्थान तथा भाषा के अनुसार कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं और इसलिए ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में सोने की खानें

*714. **श्री एन० ई० होरो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार राज्य में सोने की खानों का पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है विशेषकर अनुमानतः कितनी मात्रा में सोना और कुल कितने क्षेत्र में भूमि के नीचे सोने के भण्डार होने का पता चला है; और

(ग) इसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के सिंहभूम जिले में सोनापेट और कुन्दरकोछा क्षेत्र में प्राचीन खदान स्थलों के निकट सोने के लिए प्रारम्भिक खोज की है।

(ख) कुछ निक्षेपों में यत्र-तत्र उच्च स्वर्ण अंश होने की सूचना मिली है लेकिन अभी तक स्वर्ग खनिजीकरण के किसी सतत बड़े जोन का पता नहीं चला है। खनिज गवेषण निगम के सहयोग से कुन्दरकोछा निक्षेप में भूगर्भीय गवेषण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस गवेषण के पूरा होने पर ही भूमिगत स्वर्ण भण्डारों की मात्रा का पता चल सकेगा।

(ग) इन स्वर्ण निक्षेपों की सुरक्षा का प्रश्न उनके विदोहन के लिए क्षेत्र के सीमांकन के बाद ही पैदा होगा।

इस्पात के उत्पादन में अद्यतन प्रौद्योगिकी

*715. **श्री ब्रजमोहन महन्ती :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में अपनाई गई भारतीय प्रौद्योगिकी इसी क्षेत्र में उन्नत देशों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से बहुत पीछे है;

(ख) क्या यह सच है कि जापान और सोवियत रूस की तुलना में हमारा "सिन्टर" भार बहुत ही कम है;

(ग) क्या भारत में ऊर्जा के उपयोगों में कार्य-निष्पादन कुशलता···विश्व के औसत से बहुत कम है और हमारे संयंत्रों में ताप-सह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज) की खपत बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो हमारे इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) यह कहना ठीक न होगा कि भारत के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में अपनाई गई प्रौद्योगिकी विकसित देशों में अपनाई गई प्रौद्योगिकी से बहुत पीछे है। हमने उस प्रोद्योगिकी को अपनाया था जो कि इन इस्पात कारखानों की स्थापना के समय आधुनिक प्रौद्योगिकी थी और तब से लेकर प्रौद्योगिकी को उस हद तक अद्यतन किया जाता है जिस हद तक यह तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से सम्भव था।

यह ठीक है कि भारतीय इस्पात कारखानों में "सिन्टर बर्डन" जापान और सोवियत रूस के "सिन्टर बर्डन" की तुलना में कम है।

भारतीय इस्पात कारखाने में ऊर्जा के उपयोगों में कुशलता इस्पात का उत्पादन करने वाले विकसित देशों के कुछ कारखानों की तुलना में कम है। यहां तापसह ईंटों की खपत भी अधिक है। ये प्राचल प्रत्येक संयंत्र में भिन्न-भिन्न हैं और ये प्राचल कई प्रकार के प्रौद्योगिकीय कारणों पर निर्भर करते हैं।

प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना और उसमें सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी हमारे संगठन के प्रयासों और अन्य देशों के साथ सहयोग से सहायता मिलती है।

कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद का अधिग्रहण

*716. **श्री ए० के० राय : क्या गृह मंत्री** कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद का अधिग्रहण के बारे में तारीख 2 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ख) स्पष्टीकरण किस तारीख को मांगा गया था;

(ग) क्या उन्हें पता है कि प्रतिदिन देरी के कारण इस अभूतपूर्व सूखे की स्थिति में भूख से प्रतिदिन एक व्यक्ति मर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पहला पत्र जो कुछ कानूनी और वित्तीय मामलों से संबंधित था, नवम्बर, 1982 में राज्य सरकार को भेजा गया था। उसके बाद राज्य सरकार से कुछ पत्र व्यवहार हुआ है। अंतिम पत्र जो कुछ वित्तीय पहलुओं से संबंधित था, राज्य सरकार को 4 अप्रैल, 1983 को भेजा गया था।

(ग) और (घ) सरकार को कम्पनी के बन्द होने के कारण श्रमिकों की कठिनाई की जानकारी है। सरकार विधेयक पर राज्य सरकार से परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार कर रही है और मामले को यथाशीघ्र तय करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान के आदिम जाति क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*717. **श्री जयनारायण रौत : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के आदिम जाति क्षेत्रों में चालू वर्ष में मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक उद्योग पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों के कुछ भाग आते हैं। किसी क्षेत्र, जिले/क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए लाइसेंसिग के साधन द्वारा और राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके राज्य सरकारों की ऐसी योजनाओं में योगदान देती है। केन्द्रीय निवेश मुख्यत: बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है जो आधारभूत प्रकृति की होती है। अतएव, ऐसी परियोजनाओं के स्थापना स्थत का निर्णय मुख्य तकनीकी आर्थिक धारणाओं के आधार पर लिया जाता है तथा ऐसी परियोजनाओं की स्थापना में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 1982-83 (मार्च, 1983 तक) के दौरान राजस्थान के इस आदिवासी जिलों/क्षेत्रों के लिए 10 आशयपत्र और 3 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए (विवरण एक) तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 10 योजनाओं का पंजीकरण किया गया। (विवरण दो)

विवरण एक

वर्ष 1982 और 1983 (मार्च तक) के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का सविवरण को दर्शाने वाली सूची

आशय पत्र

क्र० सं०	उपक्रम का नाम आशय पत्र की किस्म और स्थापना-स्थल	उत्पादन की वस्तु और वार्षिक क्षमता	आशयपत्र की संख्या और तारीख
1	2	3	4
1/411	हिन्दुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान (तहसील और जिला उदयपुर, (राजस्थान)	सल्फेट ऑफ अल्युमिनियम (नई वस्तु) =18,500 मी० टन० ओलियम (नई वस्तु) =10,000 मी० टन सल्फ्युरिक एसिड (पर्याप्त बिस्तार) =33,000 मी० टन	एल० आई० 386/82 दिनांक 8-6-82 (384/82-आई० एल०)
2/543	जे० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली (पर्याप्त विस्तार (कांकरौली-जिला उदयपुर राजस्थान)	मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबों (स्कूटरों के टायरों को छोड़कर) =6.25 लाख सं० (विद्यमान) =10.25 लाख सं० (विस्तार के बाद)	एल० आई० 537/82 दिनांक 28-7-82 (1138/81-आई० एल०)
3/640	पेस्टीसाइड्ज इण्डिया, प्रो० मेवाड़ ऑयल एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, उदयपुर (नया उपक्रम) (गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान)	आइसोप्राट्रोन का मिश्रण =1205 मी० टन प्रति वर्ष	एल० आई० 647/82 दिनांक 28-8-82 (859/82-आई० एल०)

1	2	3	4
3/799	जे० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली (पर्याप्त विस्तार) (तहसील-कांकरोली, उदयपुर, राजस्थान)	स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड के टायर =6.25 लाख संख्या (विद्यमान) =11.25 लाख संख्या (विस्तार से बाद) स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड की ट्यूबें =6.25 लाख संख्या (विद्यमान) =11.25 लाख संख्या (विस्तार के बाद)	एल० आई० 778/82 दिनांक 20-10-82 (820/81-आई० एल०)
5/926	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (पर्याप्त विस्तार) तहसील-गिरवा, उदयपुर, राजस्थान)	1. जस्ता धातु =45,000 मी० टन (विद्यमान) =49,000 मी० टन (पर्याप्त विस्तार) 2. कैडमियम धातु =190 मी० टन (विद्यमान) =250 मी० टन (विस्तार के बाद)	एल० आई० 958/82 दिनांक 31-12-82 (149/82-आई० एल०)
6/989	राजस्थान ग्लायोक्सल लिमिटेड, उदयपुर (पर्याप्त विस्तार) (तहसील गिरवा-उदयपुर, राजस्थान)	ग्लायोक्सल =990 मी० टन (विद्यमान) =1,500 मी० टन (विस्तार के बाद)	एल० आई० 975/82 दिनांक 31-12-82 (1618/82-आई० एन०)
7/135	जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड, कानपुर (नया उपक्रम) (निम्बाहेड़ा-राजस्थान)	एस्बेस्टोस सीमेंट की शीट =36,000 मी० टन	आई० एल० 131/82 दिनांक 26-2-82 (189/81-आई० एल०/एस० सी० एस०)
8/918	मि० एस० सम, कलकत्ता (नया उपक्रम) (उद्योग रहित जिला-सिरोही राजस्थान)	स्टील पाइप और ट्यूब =25,000 मी० टन	एल० आई० 899/82 दिनांक 15-12-82 (813/82)

1	2	3	4
9/921	मि० ए० एन० गोयनका, नई दिल्ली (नया उपक्रम) (उद्योग रहित जिला-सिरोही राजस्थान)	स्टील पाइप और ट्यूब =25,000 मी० टन	एल० आई० 903/82 दिनांक 15-12-82 (1458-82)
10/1036	जन लघु सीमेंट उद्योग लिमिटेड, सीकर, राजस्थान राज्य का उद्योग रहित जिला— सिरोही	पोर्टलैण्ड सीमेंट =66,000 मी० टन	एल० आई० 955/82 दिनांक 31-12-82 (1582-82 आई० एल०)
		औद्योगिक लाइसेंस	
11/93	जे० के० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (पर्याप्त विस्तार) कंकरौली-उदयपुर-राजस्थान	मोटरगाड़ियों के टायर ट्यूब मोटरगाड़ियों के 4-4 लाख टायर और ट्यूब (विद्यमान) =मोटरगाड़ियों के 6.25, 6.25 लाख टायर और ट्यूब (विस्तार के बाद)	सी० आई० एल० 53/82 दिनांक 6-2-82 (989/78-आई० एल०)
12/389	जे० के० [सिंथेटिक्स लिमिटेड (डिव० जे० के० सीमेंट वर्क्स) नई दिल्ली (पर्याप्त विस्तार) (निम्बाहेड़ा-चितौड़गढ़-राजस्थान)	सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट =11,40,000 मी० टन	सी० आई० एल० 313/82 दिनांक 22-10-82 (310/79-आई० एल०)

विवरण दो

राजस्थान के आदिवासी जिलों/क्षेत्रों में वर्ष 1982-83 (31-3-1983 तक) के दौरान तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं की सूची

क्रम सं०	पार्टी का नाम और पता	स्थापना स्थल अर्थात तहसील/जिला	उत्पादन की वस्तु
1	2	3	4
1.	मैं० ऋतु मिनरल्स इण्डस्ट्रीज (प्रा० लि०,) 8, कामाक स्ट्रीट, कलकत्ता	उदयपुर	मारबल की सिल्लियां (स्लैब)
2.	मैं० उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड, 53/57, लक्ष्मी इन्सोरेन्स बिल्डिग सर पी० एम० रोड बम्बई	खेमाली मावली, उदयपुर	सोडियम सिलिको फ्लोराइड
3.	मैं० वेनी चुन्नी लाल, एन-1078 टैक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड, सूरत	उयदपुर	एल०पी० जी० सिलेण्डर
4.	मैं० एन० के० कपूर 208-ए मेवाड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुर	इण्डट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा	सिलेण्डर
5.	मैं० आर० पी० आनन्द एण्ड संस (प्रा०) लिमिटेड, जी० एल०-1 अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली।	कोटरा सेंदगारिया कोटरा, उदयपुर	पोर्टलैंड सीमेंट
6.	मैं० एन० के० झुनझुनवाला 2, राम रोड उदयपुर	मदरी गिरवा उदयपुर	स्टार्च कोर्न आयल और पशु आहार
7.	मैं० राजस्थान ग्लायोक्सल लिमिटेड, 199, मेवाड़ इण्डस्ट्रियल एरिया, उदयपुर	मदरी, गिरवा, उदयपुर	ग्लायोक्सल पर आधारित सहायक रसायन और रेजिन बाइण्डर
8.	मैं० बनारसी मारबल्स एण्ड ग्रेनाइटा लिमिटेड, डी-2, डिफेन्स कालौनी, ग्राउण्ड फ्लोर, नई दिल्ली	बुहाना, उदयपुर	संगमरमर की चौकियां

1	2	3	4
9.	मै० महेन्द्रा कुमार नलवाया, मेहता फतेह लाल जी की बाड़ी, नलवाया हाऊस उदयपुर	मेवाड़ इण्डस्ट्रियल एरिया, उदयपुर	खाली सख्त खोल वाले जिलेटिन कैप्सूल
10.	मै० बनारसी मिनरल्स इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, उदयपुर बी-72, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली।	भुवाना, उदयपुर	संगमरमर की चौकी

पूंजी निवेश योजनाओं का जानकारी बैंक (डाटा बैंक)

*719. **श्री अजय विश्वास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 की औद्योगिक नीति वक्तव्य में रखे गए प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न लाइसेंस प्राप्त/पूंजीकृत पूंजी निवेश योजनाओं की प्रगति के बारे में एक जानकारी बैंक बनाया है;

(ख) यदि हां, तो जानकारी बैंक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह बताया गया था कि सरकार आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की मोनीटरिंग करने की एक प्रणाली निश्चित करेगी। इसके अनुसरण में, आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की संबीक्षा करने तथा ऐसे प्रकरणों को जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया है अथवा जिनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, समाप्त करने के सम्बन्ध में कदम उठाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में मोनीटरिंग दलों का गठन किया गया है। मोनीटरिंग एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विदेशी सहयोग की शर्तों का निर्धारण करने, पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति, वित्तीय आवश्यकताओं के लिए प्रबन्ध करने, स्थापना स्थल के सम्बन्ध में स्वीकृति, प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अभ्युपायों को अपनाने, वितीय संस्थानों आदि के साथ करार करने सम्बन्धी बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा, तकनीकी विकास का महानिदेशालय भी औद्योगिक आंकड़े प्राप्त करता है। यह आंकड़े उत्पादन तथा सम्बन्धित कार्यानिष्पादन जैसे—विकास सम्बन्धी उपलब्धि और उनमें विद्यमान भिन्नताओं के सम्बन्ध में होते हैं। यह आंकड़ा संकलित किया जाता है, इसका सम्पादन किया गया है तथा 184 चुने हुए उद्योगों के सम्बन्ध में एक मासिक मोनीटरिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है।

इसके अलावा, आशयपत्रों/लाइसेंसों की प्रगति की मोनीटरिंग करने और इन आशयपत्रों/लाइसेंसों के बारे में आवश्यक आंकड़े रखने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में मोनीटरिंग/डाटा एकक भी कार्य कर रहे हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

*720. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पूंजी निवेश केन्द्र को भारत में नये उद्योग स्थापित करने और पूंजी निवेश की इच्छा करने वाले अ-निवासी भारतीयों के आवेदन प्राप्त करने के लिए "नोडल एजेन्सी" मान लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अ-निवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने में यह कहां तक सक्षम होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। नए उद्योग आरम्भ करने अथवा निवेश करने के इच्छुक अनिवासी भारतीय अपने आवेदनपत्र विदेश स्थित भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यालयों अथवा नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय को भेज सकते हैं।

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेश तथा लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय में 12-1-1983 को एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ में अब तक 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5 स्वीकृत कर दिए गए हैं।

औद्योगिक गृहों द्वारा गांवों को अपनाया जाना

*721. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों से जिनके उत्पादों का गांवों में प्रयोग होता है, उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ गांवों को अपनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा केवल अनौपचारिक आधार पर किया गया है अथवा कोई औपचारिक अनुरोध भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध पर उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने उन उद्योगपतियों से, जिनके उत्पादों को ग्रामों में उपयोग में लाया जाता है, उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुछ गांवों को चुनने के लिए इस प्रकार की कोई अपील नहीं की है।

पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा हार्वेस्टिंग-कम्बाइन्स का निर्माण

*722. **श्री जी० एस० निहालसिंह-वाला** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग ने 'सेल्फ-

प्रोपेल्ड हार्वेस्टिंग-कम्बाइन्स' के निर्माण के लिए पंजाब में सम नगर (मोहाली) की सरकारी क्षेत्र की केवल एक इकाई, पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड को, लाइसेंस दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय के बावजूद 'एस्कोर्ट्स लिमिटेड' की पश्चिम जर्मनी से 'सेल्फ-प्रोपेल्ड हार्वेस्टिंग-कम्बाइन्स, के आयात की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हार्वेस्टिंग-कम्बाइन्स का निर्माण करने के प्रयोजन से प्रीक्षण-जांच के लिए एक हार्वेस्टिंग-कम्बाइन को मध्य प्रदेश में बुदनी टी. टी. टी. सी. भेजा गया है और यदि हां, तो इसका आधार क्या है;

(घ) क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय से हट गई है; यदि हां, तो किन कारणों से; और

(ङ) जब पंजाब और इसके आस-पास के क्षेत्रों में कम्बाइन्स की केवल सीमित पैमाने पर अनुमति दी गई है, तो एस्कोर्ट्स को इनका आयात करने की अनुमति क्यों दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर कम्बाइन्स के निर्माण के लिए अब तक किसी भी पार्टी को लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस वस्तु के निर्माण के लिए मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि० तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत है।

(ख) से (ङ) बताया जाता है कि मै० एस्कोर्ट्स लिमिटेड ने अनुसंधान तथा विकास प्रयोजनों के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस के अधीन पश्चिम जर्मनी से दो हार्वेस्टर कम्बाइन्स का आयात किया है। एक हार्वेस्टर कम्बाइन को वाणिज्यिक परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश में बुदनी टी. टी. टी. सी. में भेजा गया है।

सरकार ने कम्बाइन हार्वेस्टरों के निर्माण के लिए मै. एस्कोर्ट्स लिमिटेड को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया है।

केरल में सोने के निक्षेप

*723. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल खनिज अन्वेषण एवं विकास परियोजना द्वारा किए गए सर्वेक्षण में केरल के निलम्बुर और चलियार में सोने के निक्षेप पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक आधार पर सोने का खनन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन के० पी० साल्वे) : (क) केरल खनिज सामन्वेषण तथा विकास प्रोजेक्ट द्वारा नीलाम्बर घाटी में चेलियार नदी की सहायक नदी, पुनापुझा नदी में स्वर्णमय चैनल के ग्रेवल्स के ग्रेड तथा भण्डारों के आकलन के लिए खोज की गई है। प्रारम्भिक अध्ययन से पता चला है कि पुनापुझा तथा चेलियार नदी चैनलों में इन ग्रेवल्स का कुल

परिमाण 30 मिलियन घन मीटर होगा जिसमें औसतन प्रति घन मीटर 0.07 ग्राम स्वर्ण होगा।

खोजों से पता चला है कि नीलाम्बर घाटी में प्रारम्भिक स्वर्ण खनिजीकरण एक कि० मी० लम्बी स्वर्णमय खनिज पट्टी में है जिसकी चौड़ाई 50 से 100 मीटर के बीच है। इन भण्डारों के विस्तार तथा ग्रेड की पुष्टि का काम बड़े पैमाने पर जारी है।

(ख) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम उपर्युक्त नदी ग्रेवल्स से स्वर्ण निकालने के लिए एक पायलट प्लांट लगाने पर विचार कर रहा है। इन निक्षेपों का वाणिज्यिक खनन इस पायलट प्लांट से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही किया जाएगा।

रानीबाग (नैनीताल) में एच० एम० टी० यूनिट

*724. **श्री हरीश रावत :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीबाग (नैनीताल) में निर्माणाधीन एच. एम. टी. परियोजना के कितने सहायक एकक स्थापति किये जायेंगे;

(ख) क्या इन सहायक एककों के स्थापना स्थलों का चयन करते समय अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के विभिन्न पहाड़ी नगरों और उपनगरों के नामों पर, जिनकी जलवायु इस उद्योग के लिए अनुकूल है, विचार किया जायेगा;

(ग) क्या इस उद्योग के लिए अपेक्षित तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए निकट भविष्य में कोई प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और उस स्थान का नाम क्या है जहां इसे खोलने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित स्थानों में पहले ही स्थापित किये गये एच. एम. टी. सहायता प्राप्त पुर्जे जोड़कर घड़ी बनाने वाले सहायक एककों को रानीबाग घड़ी कारखाने से सम्बन्ध कर दिया जायेगा :

(1) भोवली (उ० प्र०)
(2) दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
(3) शिलांग (मेघालय)
(4) गंगटोक (सिक्किम)

उन उद्यमियों के आवेदनों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा जो अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय कस्बों और क्षेत्रों में एच. एम. टी. द्वारा मंजूर सहायक एककों की स्थापना करना चाहते हैं।

(ग) और (घ) घड़ी कारखाने के आहाते में ही 1984 में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

आसनसोल, पश्चिमी बंगाल के समीप साइकिल फैक्ट्री की खराब दशा

8044. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के समीप साइकिल फैक्ट्री को सरकारी अधिकार में लेने के बाद इसकी हालत बिगड़ती जा रही है;

(ख) क्या प्रबन्धकों का एक वर्ग श्रमिकों के एक वर्ग के साथ मिलकर तथा असामाजिक तत्वों की मदद से उन श्रमिकों और अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का विकास चाहते हैं;

(ग) क्या प्रबन्धकों का एक वर्ग परस्पर हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए उत्पादन क्षमता के भरपूर उपयोग करने से मुकर रहा है;

(घ) क्या प्रबन्ध-मण्डल रिक्त पदों पर नए श्रमिकों की नियुक्ति करने से इंकार कर रहा है;

(ङ) क्या श्रमिकों को अपनी भविष्य निधि का विवरण प्राप्त नहीं हो रहा है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ने सूचित किया है कि निगम के प्रबन्धकों/कर्मचारियों और अन्य वर्गों में कुछ तत्व ऐसे हैं, जो वर्तमान के प्रबन्धक मण्डल द्वारा कड़ाई से लागू की गई अनुशासन और नियंत्रण व्यवस्था से सम्भवत: सन्तुष्ट नहीं हैं तथा इस प्रकार के लोग प्रबन्धकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी और कुछ प्रबन्धक असामाजिक तत्वों के सहयोग से कम्पनी के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु उच्च प्रबन्धकों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को नाकामयाब करने पर तुले हुए हैं।

वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 में कम्पनी के वास्तविक वित्तीय कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

(घ) एकक में पहले ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं।

(ङ) और (च) कम्पनी ने सूचित किया है कि वह कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का हिसाब नहीं रखती बल्कि इसका हिसाब भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है।

(छ) कम्पनी के निष्पादन की निरन्तर संवीक्षा की जाती है और इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए अभ्युपाय किए जा रहे हैं।

राज्यों के कांस्टेबलों के वेतनमानों में विषमता

8045. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस का मैट्रिक पास कांस्टेबल शुरू में 225 रुपए का ग्रेड पाता है जबकि पंजाब में उसके जैसा कांस्टेबल 400 रुपए का ग्रेड पाता है, बिहार में 425 रुपए तथा मध्य प्रदेश में 515 रुपए का ग्रेड पाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में हैड कांस्टेबल शुरू में 260 रु० का ग्रेड पाता है जबकि उसके जैसा कर्मी पंजाब में 450 रु० और बिहार में 480 रु० तथा मध्य प्रदेश में 575 रु० पाता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है तथा देश के विभिन्न भागों में हैड कांस्टेबलों के ग्रेड में पाई गई ऐसी विषमता को दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का प्रारम्भिक वेतन 225-308 रु० के वेतनमान में 225 रु० और हैड कांस्टेबल का प्रारम्भिक वेतन 260-350 रु० के वेतनमान में 260 रु० है। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों का वेतनमान 1-1-1973 से तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया था। प्रश्न में उल्लिखित राज्यों के पुलिस कार्मिकों के वेतनमान उसके बाद निर्धारित किए गए थे और संशोधन में महंगाई भत्ता आदि अन्तर्ग्रस्त है। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग गठित करने का निर्णय पहले ही घोषित कर दिया गया है और प्रस्तावित वेतन आयोग इस मामले पर विचार करेगा और अन्य के साथ दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए नये वेतनमान का सुझाव देगा। जहां तक अन्य राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, पुलिस कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और वेतनमानों को संशोधित करना राज्य सरकार का कार्य है।

केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मजदूरी) विधेयक, 1977

8046. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मजूरी) विधेयक, 1977 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मजूरी) विधेयक, 1977 अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुआ था। विधेयक के कुछ उपबन्धों में विस्तृत निहितार्थ के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं।

विधेयक विचाराधीन है। कोई ऐसी विशिष्ट तारीख नहीं बताई जा सकती है कि कब तक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

विदेशों को भेजे गए डाक्टरों की संख्या

8047. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग के माध्यम से कितने डाक्टरों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) उन्हें कितनी अवधि के लिए विदेश भेजा गया है तथा उस अवधि के पूरा होने के बाद अब तक कितने डाक्टर वापिस आ चुके हैं;

(ग) विदेश जाने के लिए दिनांक 31 मार्च, 1983 की स्थितिनुसार कार्मिक विभाग की प्रतिक्षा सूची में कितने डाक्टरों का नाम दर्ज है; और

(घ) क्या सरकार की यह नीति है कि डाक्टरों को विदेश जाने की अनुमति न दी जाए और यदि हां, तो मंत्रालय के कार्मिक विभाग के माध्यम से डाक्टरों को विदेश भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेशों को भेजे गए डाक्टरों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

1980	146
1981	86
1982	90
कुल जोड़	322

(ख) डाक्टरों को विदेश नियुक्तियों पर आरम्भ में 2 से 3 वर्षों की अवधि के लिए भेजा जाता है, जिसे अधिक से अधिक 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि वे राज्य सरकारों आदि जैसे अपने मूल संगठनों से जाते हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) 31-3-83 की स्थिति के अनुसार, विदेश नियुक्ति के लिए हमारी प्रतीक्षा सूची में डाक्टरों की संख्या 9242 है।

(घ) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध कुछ "दुर्लभ वर्गों" को छोड़कर डाक्टरों के विदेश जाने पर कोई विशिष्ट रोक नहीं है।

अनुसंधान योजना पर एक समिति का गठन करना

8048. **श्री आर० आर० भोले :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो० एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में अनुसंधान योजना पर एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों और अधिकारों सहित इसके वास्तविक निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कोई यथार्थवादी योजना हेतु अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया है अथवा सम्बन्धित विद्वानों और संस्थानों से समुचित अनुसंधान विषयों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या समिति के काम की सुविधा के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से सरकार के विचाराधीन था, स्थापित करने के प्रश्न को अब उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) योजना से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान पर योजना आयोग को सलाह/परामर्श देने के लिए प्रो. एस. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) समिति के गठन से सम्बन्धित संकल्प और उसमें अनुवर्ती परिवर्तनों से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति संलग्न है।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6431/83]

(ग) और (घ) समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए समिति ने कुछेक विस्तृत क्षेत्रों का निर्धारण किया है। उक्त समिति मूल रूप से योजनाओं के कार्यान्वयन और उनको तैयार करने में योजना आयोग की सहायता करने की दृष्टि से, योजना की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से केन्द्रित करते हुए स्वीकृत और समेकित अनुसंधान को बढ़ाने से सम्बन्धित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अध्ययन, जिनका योजना तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन से सीधा सम्बन्ध है, समग्र अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में भी शुरू किए जा सकते हैं।

(ङ) जनजातीय विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के प्रश्न की गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जांच आरम्भ की गई है।

आदिवासी उप-योजना सम्बन्धी धारणा को अपनाया जाना

8049. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी उप-योजना सम्बन्धी धारणा को, जिसका पहले विचार किया गया था, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने न तो अपनाया है, न ही क्रियान्वित किया है;

(ख) क्या विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को एक छत्र के नीचे लाने सम्बन्धी एकीकरण के के आदिवासी उप-योजना विचारों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के विभागों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में भाग लिया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1975 से, जब पहले इस पर विचार किया गया था, प्रत्येक मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग का क्या योगदान रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। जनजाति उपयोजना की धारणा को अपनाया गया है और 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित तक किया गया हैं।

(ख) जनजाति उपयोजना (i) राज्य योजनाओं से परिव्यय (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निवेष (iii) गृह मंत्रालय की विशेष केन्द्रीय सहायता और (iv) संस्थागत वित्त से एकत्रीकरण स्रोतों द्वारा तैयार की जानी है। ऐसे वित्तीय एकीकरण के प्रयत्न अलावा, विभिन्न विकास विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के स्तर पर प्रशासनिक एकीकरण प्राप्त किया जाना है। कुछ राज्यों में ऐसे एकीकरण कुल मिलाकर प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने जनजति क्षेत्रों के लिए 1978-79 से धनराशि का परिमाणन शुरू किया। उसके द्वारा दिए गए अंशदान का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा धनराशि का परिमाणन

परिमाणित राशि (रु० लाखों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1. कृषि और सहकारिता मंत्रालय	961.90	755.00	124.92	479.30	698 95
2. नागरिक आपूर्ति मंत्रालय	—	—	—	41.45	26.45
3. वाणिज्य मंत्रालय	—	—	—	93.00	—
4. संचार मंत्रालय (डाक सेवाएं)	—	—	67.65	81.15	228.39
5. शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय	31.80	328.00	127.00	464.43	717.25
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1144.10	972.86	1119.19	1037.65	841.71
7. औद्योगिक विकास विभाग	—	—	131.10	—	—
8. नौवहन और परिवहन मंत्रालय	810.00	850.00	1350.00	1280.00	1364.00
9. सिंचाई मंत्रालय	—	—	16.70	89.00	—
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय	43.66	43.26	—	—	—

बोकारो इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8050. **श्री शिबू सोरन :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के ऐसे कर्मचारियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है जिन्हें 1977 से 1982 तक निलम्बित किया गया था अथवा नौकरी से हटा दिया गया था; और

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा यदि कोई ग्रामीण बिकास योजना आरम्भ की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध

8051. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में अनुसूचित जनजातियों की मान्यता देने सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है;

(ख) सूची में कौन-कौन सी जनजातियों को शामिल किया गया है;

(ग) भारत के सभी आदिवासियों को सुविधाएं प्रदान करने- सम्बन्धी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में सभी आदिवासियों को राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। असम में अनुसूचित जनजातियो को मान्यता देने सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को नहीं हटाया गया है। असम राज्य के भीतर भी अनुसूचित जनजातियों की दो सूचियां हैं—एक स्वायत्तशासी जिलों (पर्वतीय जिलों के लिए और दूसरी मैदानी जिलों के लिए।

(ख) विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों का अद्यतन सूची विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कानूनी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए चुनाव कानून मैनुअल, 9वें संस्करण में दी है।

(ग) जनजाति विकास के लिए सरकारी नीति एक जुड़वां नीति पर आधारित है, अर्थात् कानूनी तथा प्रशासनिक सहायता के जरिए अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण और उनके रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए विकासात्मक प्रयासों का बढ़ाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना

अवधि (1974-79) के दौरान अपनाई गई जनजाति उप-योजना नीति जनजाति विकास के लिए मुख्य साधन रही है। छठी योजना के दौरान जनजाति विकास कार्यक्रमों का बल ऐसे कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर अधिक है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत जनजाति परिवार का सामाजिक आर्थिक सुधार करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि गरीबी के रेखा से नीचे कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान उस रेखा से ऊपर उठ जाएं।

(घ) और (ङ) संवैधानिक स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर स ी अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 342 में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में ही अनुसूचित जनजातियों के रूप मे समुदायों के विशेष विवरण की व्यवस्था है न कि सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में।

भारत के औद्योगीकरण के लिए वित्त-पोषण सम्बन्धी बैठक

8053. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दिल्ली स्टडी ग्रुप" द्वारा वाई० एम० सी० ए० टूरिस्ट होस्टल में आयोजित "भारत के औद्योगीकरण" के लिये वित्त-पोषण सम्बन्धी बैठक के दौरान उत्पादन में तेजी लाने के बारे में कतिपय सुझाव दिए गये थे, ताकि योजना-लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि ह , तो सम्बन्धी सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इस विषय पर कोई सुझाव उद्योग मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० जी० टी० डी० इकाइयों में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण

8054. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी० जी० टी० डी० इकाइयों में तथा सरकारी क्षेत्र में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण करने के सम्बन्ध में कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) 1974 में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने के बाद निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में ईंधन की बचत करने के लिये औद्योगिक एककों द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इन उपायों में ऊर्जा की खपत करने वाले बायलरों भट्टियों, किरनों आदि के डिजाइनों में सुधार करना भी सम्मिलित है। कुछ उद्योगों ने खपत सम्बन्धी मानदण्डों में संशोधन कर दिये हैं और खपत को वास्तव में घटाने के लिये भी सुधारपरक उपाय किये हैं। तकनीकी विकास का महानिदेशालय औद्योगिक एककों को उनकी पहले की खपत के मानदण्डों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन करता है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय वर्ष

1982 के लिये पेट्रोलियम कन्जरवेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किये गये औद्योगिक एककों के सर्वेक्षण से सम्बद्ध है जिसके आधार पर उनके लिए उपयुक्त सिफारिशें की गई थीं और इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(किलो लीटरों में)

	सर्वेक्षित एकक	की नई बचतें	फर्नेस आयल की वार्षिक खपत	बचत जिसके लिये सिफारिश की गई थी
प्रावस्था 1 और 2	314	142713	1305631	201416
प्रावस्था 3	565	89054	1401717	129803
प्रावस्था 4	308	3271	343324	34411
	1187	235038	3050672	365630

इस्पात संयंत्रों के निर्माण में विलम्ब

8055. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात संयन्त्रों के निर्माण में काफी विलम्ब हो रहा है तथा उत्पादन कार्यक्रम के धीमा पड़ जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक इस्पात संयन्त्र के मामले में कितनी अवधि का विलम्ब हुआ है तथा उसके कारण लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) इन इस्पात संयन्त्रों के निर्माण में विलम्ब किन कारणों से हो रहा है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) कुछ इस्पात परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हुआ है। प्रत्येक परियोजना को कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब तथा मूल्य-वृद्धि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इस विलम्ब से वर्तमान क्षमता से उत्पादन करने के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विलम्ब मुख्य रूप से निर्माण अभिकरणों तथा उपस्करों के सम्भारकों द्वारा अपना कार्य समय-सूची के अनुसार न करने के कारण हुआ है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा सरकार दोनों ही कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यकरण पर सतत् निगरानी रखते हैं और इन अभिकरणों को यह कहा गया है कि वे कार्य को तीव्र गति से करने के लिये अपने संसाधनों में वृद्धि करें।

विवरण

परियोजना	चालू करने की तारीख		अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	
	मूल	सम्भावित	मूल	संशोधित
1. बोकारो इस्पात कारखाना				
(i) 40 लाख टन विस्तार (ठण्डी बेलन मिल शामिल नहीं है)	जून, 1979	नवम्बर, 1983	947.24 (1974 मध्य)	1637.55 (अप्रैल, 1982)
40 लाख टन विस्तार (ठण्डी बेलन मिल भी शामिल है)	दिसम्बर, 1982	दिसम्बर, 1984	उपर्युक्त शामिल है।	
(ii) मेघाताबुरू लौह अयस्क परियोजना	मार्च, 1981	दिसम्बर, 1983	51.39 (1977 की प्रथम तिमाही)	*11 .46 (अप्रैल, 1982)
2. भिलाई इस्पात कारखाना				
—40 लाख टन विस्तार चरण-1	सितम्बर, 1981	मार्च, 1984	937.70 (1974 की पहली तिमाही)	1600.5 (1981 की चौथी) तिमाही)
चरण-II	जून, 1981	दिसम्बर 1984	उपर्युक्त भी शामिल हैं।	
3. राउरकेला इस्पात कारखाना				
—सिलिकान परियोजना	जनवरी, 1981	सितम्बर, 1983	109.73 (1976 की प्रथम तिमाही)	154.81 (अप्रैल, 1981)

* अनुमानों का अनुमोदन अभी किया जाना बाकी है।

उद्योगों में उच्च विकास दर

8056. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बड़े-बड़े उद्योगों अथवा उद्योग समूहों का ब्यौरा क्या है, जिनकी विकास दर औसत से अधिक रही है;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान अनुमानित विकास दर का आकलन क्या है;

(ग) गत वर्ष और वर्ष 1980-81 के दौरान उद्योग के कर-पूर्व औसत लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान लाभ के पुनः निवेश की औसत दर का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक (आधार 1970=100) के अनुसार 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर) में 1981-82 की इसी अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक से "खनन" और "बिजली" क्षेत्रों की विकास दर अपेक्षाकृत अधिक रही। "उत्पादन क्षेत्र" के प्रमुख उद्योग वर्ग जिनमें उसी अवधि में सामान्य सूचकांक की विकास दर से अधिक विकास दर रही उनमें पेय उद्योगों को छोड़कर खाद्य वस्तु उत्पादक उद्योग, पेय उद्योग, तम्बाकू, रबड़ की बनी वस्तुएं, पेट्रोलियम और कोयले की बनी वस्तुएं मूल धातु उद्योग, तथा मशीनों और परिवहन उपकरणों के अलावा धातु की बनी वस्तुए, शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर का अनन्तिम अनुमान 8.6 प्रतिशत लगाया गया है।

(ग) और (घ) बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों 1979-80 और 1980-81 की वित्त सम्बन्धी एक अध्ययन रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अगस्त, 1982 के अंक में छपी है।

हिमाचल प्रदेश में सोने का पता चलना

8057. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सोना होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी मात्रा के भण्डार का पता चला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में जलधाराओं की तलछट में स्वर्ण बजरी की सूचना मिली है। इस बजरी के उद्गम स्रोतों का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय अन्वेषण शुरू किया गया है। इस स्थिति में स्वर्ण भण्डारों की मात्रा का अनुमान देना संभव नहीं है।

उत्तराखण्ड क्षेत्र में फूलों का सड़ना

8058. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उतराखण्ड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध फूलों की घाटी नष्ट हो रही है और वह अपनी विपुलता सौरभ और आकर्षण को खो रही है; और

(ख) इन विरल किस्म के पौधों वन्य जीवों और वनों को बनाए रखने तथा उनका विकास करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश के उत्तर खण्ड प्रदेश में फूलों की घाटी को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, पर्यटकों और पशुओं के प्रवेश के नियमन तथा इस पार्क के वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिए एक प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई

है ताकि इस अद्वितीय पारितंत्र के पुष्प-विषयक स्पीशीज के अतिरिक्त निम्नीकरण तथा नाश को रोका जा सके तथा प्राकृतिक पुनर्जनन सम्भव हो सके ।

इलेक्ट्रानिक्स के अनुसंधान और विकास की सुविधाएं

8059. **श्री नवीण रावाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक्स के अनुसंधान और विकास के लिए दी गई सुविधाओं का अब तक उपयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की प्रगति के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

8060. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा उड़ीसा के फूलबनी जिले में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया था और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के फूलबनी जिले में अपने फील्ड-सीजन कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर सर्वेक्षण किया है।

(ख) अब तक के सर्वेक्षण के फलस्वरूप, फूलबनी जिले में ज्ञात मुख्य खनिज भण्डारों में धात्विक ग्रेड-3 बाक्साइट के 70 मि० टन भण्डार, चीनी मिट्टी के लगभग 800 टन भण्डार तथा 40% नियत कार्बन वाले ग्रेफाइट के 193000 टन भण्डार शामिल हैं ।

स्कूटर्स इण्डिया द्वारा लाइसेंस का अन्तरण

8061. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम्** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने स्वीडन के सहयोग से "पुस्क" (पी० यू० सी० के०) मोपेड के निर्माण का अपना लाइसेंस तवी स्कूटर्स लिमिटेड को अन्तरित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या तवी स्कूटर्स लिमिटेड इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) क्या तवी स्कूटर्स लिमिटेड इस प्रकार का कोई अन्य प्राइवेट सहयोग भी प्राप्त करने में सफल हो रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने किसी भी जानकारी या किए गए तकनीकी सहयोग प्रबन्धों सहित मोपेडों के निर्माण के लिए स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के लाइसेंस को मे० तवी स्कूटर्स लिमिटेड को अन्तरित करने के लिए सरकार से कहा था। जम्मू तथा कश्मीर सरकार को सूचित कर दिया गया है कि यदि टी० एस० एल० मोपेडों का निर्माण करने का इच्छुक है तो वे औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन दें और आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। विदेशी सहयोग के लिए मे० तवी स्कूटर्स लिमिटेड से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में पदोन्नति

8062. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नवम्बर, 1982 में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में पदोन्नति हेतु अपनाया गया विचार का क्षेत्र (जोन आफ कंसीडरेशन) कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/76-एस्टेबलशमेंट (डी) दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 के पैरा 3 (क) के अनुरूप था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार की फीडर लिस्ट जिसमें से 63 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की गई थी टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सभी सम्बन्धित पक्षों को परिचालित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 30 सितम्बर, 1978 तक भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार की रिक्तियों के लिए वर्ष-वार, चयन सूचियां तैयार की गई थीं; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है और उपरि उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के पैरा संख्या 4 (ख) के अनुरूप वर्ष-वार चयन सूची तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) 63 उम्मीदवारों की चयन सूची के लिए 30 सितम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार

फीडर पद धारकों की एकीकृत पात्रता सूची में शुरू के 189 अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके योग्यता क्रम के आधार पर विचार किया गया था।

(ग) ही, हां।

(घ) एकीकृत पात्रता सूची, जिनमें ऐसे फीडर पद धारियों के ब्यौरे दिए गए हैं जिन्होंने फीडर पदों पर 30 सितम्बर, 1978 को, जो इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तारीख निर्धारित की गई थी, 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली थी, सभी मंत्रालयों/विभागों को पहली मई, 1981 को सम्बन्धित अधिकारियों में परिचालित करने के लिए भेजी गई थी जिससे कि वास्तविक भूलों के सम्बन्ध में यदि कोई हों, आपत्तियां मांगी जा सकें। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की जानकारी में लाई गई वास्तविक भूलों को ध्यान में रखते हुए इस सूची को अन्तिम रूप दिया गया था।

(ङ) जी, नहीं। भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमों के अधीन, जो कि सांविधिक स्वरूप के हैं, यह आवश्यक नहीं था कि चयन सूचियों को वार्षिक आधार पर तैयार किया जाए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्यों के सम्पर्क में आने के बारे में अनुदेश

8063. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने कुछ समय पहले सरकारी कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्यों/राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आने और भ्रष्टाचार, समाजविरोधी, उपभोक्ता विरोधी, काला बाजारियों तथा आर्थिक अपराधियों का पर्दाफाश करने के मामले में उनकी सहायता लेने के बारे में कुछ अनुदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी और यदि अनुदेश जारी नहीं किए गए तो क्या उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों का पर्दाफाश करना सरकारी कर्मचारियों के आचरण के लिए उचित नहीं है, यदि हां, तो किस तरह; और

(ग) किन स्थितियों और सम्भावनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमों का नियम 208 का उल्लंघन होता है और इस विषय पर यदि सरकार द्वारा कोई अनुदेश/आदेश जारी किए गए तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाए। सरकारी कर्मचारियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वे अपने पास रखी किसी सामग्री को जिससे भ्रष्ट और समाज-विरोधी तत्वों का पर्दाफाश करने के मामले में मदद मिलती हो, उपर्युक्त अन्वेषण प्राधिकारियों की जानकारी में न लाएं।

(ग) संगत आचरण नियम से ही उन परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है जिनमें उक्त नियम का उल्लंघन हो जाता है अर्थात् यदि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित विषयों की बाबत अपने हितों को अग्रसर करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव डाले अथवा डलवाने का प्रयास करे तो उक्त नियम का उल्लंघन होगा।

अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8064. **श्री टी० एम० सावन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध के विभाग में अनुसूचित जातितों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रोस्टर रखा जा रहा है; और

(ख) उस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों सहित प्रत्येक ग्रुप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) इस संगठन के कार्य की विशेष प्रकृति के कारण, आरक्षण आदेश यहां लागू नहीं होते। फिर भी यह निर्धारित किया गया है कि संगठन के अध्यक्ष, संगठन की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसे आदेशों के अभिप्राय का अनुपालन करने का हर-सम्भव प्रयास करेंगे। बहरहाल, इसका ब्यौरा देना जनहित में नहीं है।

आई ई एस/आई एस एस सेवाओं का कार्य करने वाले कार्मिकों की रोटेशन

8065. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अन्य सभी भारतीय सेवाओं तथा गृह मंत्रालय के अलावा अन्य मत्रालयों द्वारा नियंत्रित अन्य सेवाओं से समृद्ध अधिकारियों से सम्बन्धित कार्य करने वाले किसी अधिकारी तथा कर्मचारियों के एक अनुभाग/शाखा में रहने को निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक ही सीट/अनुभाग पर लगातार रहने से निहित स्वार्थ पनपते हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय में आई ई एस/आई एस एस सेवाओं का कार्य देखने वाले कार्मिक गत दस वर्षों या लगभग इतने ही समय से उसी अनुभाग में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उनका क्रम परिवर्तन (रोटेशन) न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रशासन को चुस्त बनाने हेतु प्रधान मंत्री के हाल के निदेशों के अनुपालन में, वह स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु इन सभी व्यक्तियों का क्रम परिवर्तन करने हेते आवश्यक अनुदेश देंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) प्रतिनियुक्ति पद अथवा

कार्यावधि पद को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय सचिवालय के किसी पद पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। फिर भी, स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम जनता से सम्बन्ध रखने वाले विभागों/अनुभागों में रोटेशनल स्थानान्तरण किए जाते हैं। इस समय दो ही ऐसे अधिकारी हैं, जो दस वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा से सम्बन्धित कार्य देख रहे हैं। उस अनुभाग के कुशल कार्य संचालन को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही सम्भव होगा इन अधिकारियों को बदल दिया जाएगा।

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं

8066. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग मंत्री बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाओं के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के और वर्ष 1982-83 के भी, कुल संख्या में से मधुबनी, दरभंगा जिलों में पंजीकृत और गैर पंजीकृत एककों के सम्बन्धित आंकड़े क्या हैं;

(ख) खास तौर पर मधुबनी और दरभंगा जिलों में पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1982-83 में तेजी से आयी गिरावट के क्या कारण हैं और उत्साह को फिर से कायम करने और उसे तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सभी एककों में अभी भी उत्पादन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वास्तविकता का पता लगा और कम से कम दो जिलों में स्थिति में सुधार करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोई जांच करायी जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1979-80 से 1981-82 के दौरान किए गए पंजीकरणों सम्बन्धी जानकारी नीचे दी गई है। कामगारपरक अधिकांश एकक पंजीकृत नहीं हैं। 1982-83 से सम्बन्धित जानकारी जिला उद्योग केन्द्रों से मई, 1983 के बाद उपलब्ध होगी।

मद	मधुबनी			दरभंगा		
	1979-80	80-81	81-82	1979-80	80-81	81-82
वर्ष में दिए गए पंजीकरण	148	362	617	448	96	82

(ख) इन जिलों में स्थापित किए गए एककों में मुख्यतः कामगारपरक एकक सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के आरम्भिक वर्षों में सामान्यतया पुश्तैनी कामगारों को बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। उस समूह को सम्मिलित कर लिए जाने के बाद एककों की स्थापना की गति कम हो गई थी।

(ग) मधुबनी जिला उद्योग केन्द्र से पिछले दो वर्षों में किसी भी एकक के बन्द होने की सूचना नहीं मिली है जबकि दरभंगा जिला उद्योग केन्द्र ने 1980-81 में एक तथा 1981-82 में 15 एककों के बन्द हो जाने की सूचना दी है।

(घ) इस मामले पर जिले की परामर्शदायी समिति द्वारा विचार किया जा सकता था।

सरकारी सेवा में तदर्थ अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी नियुक्तियां

8067. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या उद्योग मंत्री सरकारी सेवा में तदर्थ, अर्द्ध-स्थायी तथा स्थायी नियुक्तियों के बारे में दिनांक 16 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2921 के उत्तर के सन्दर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के अनुदेश मौजूद हैं और यदि समिति की बैठक प्रतिवर्ष नहीं होती है तो जब भी वह होगी तब उससे सम्बन्धित रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में एक अलग पैनल तैयार करना चाहिए, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० आई० डी० सी० में पदोन्नति के लिये ऐसा पैनल तैयार किया गया था; यदि हां, तो आर्थिक और रसायन व्यापार का पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई नियमित पदोन्नति का ब्यौरा क्या है तथा गत पांच वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितने पद भरे गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) स्थान रिक्त होने के वर्ष के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के जरिए पदोन्नति हेतु पैनल (नामिका) तैयार करने के बारे में कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग द्वारा 24 दिसम्बर, 1980 को निदेश जारी कर दिए गए थे। इस तिथि के बाद विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा आर्थिक व्यवसाय (एकानामिक ट्रेड) में 3 अधिकारियों का पैनल, रसायन व्यवसाय (कैमीकल ट्रेड) में 5 अधिकारियों का 1 पैनल बनाया गया था।

(ख) 1-1-78 से 31-12-1982 की अवधि में 187 अधिकारियों को वि० प० समिति के माध्यम से नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया था तथा 359 पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करके भरा गया था जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन के विभिन्न व्यवसाय (ट्रेड) शामिल हैं।

एच० एम० टी० श्रीनगर से वसूल किया गया मध्यस्थता शुल्क

8068. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक श्रम विवाद में मध्यस्थता शुल्क के रूप में पंजीकार, श्रीनगर उच्च न्यायालय को भुगतान करने हेतु हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर से दस हजार रुपये लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस मसले को बिना मध्यस्थता शुल्क के श्रम न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित क्यों नहीं किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एच० एम० टी० लिमिटेड ने जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय के पंजीकार को 10,000 रुपये की फीस का भुगतान किया था

जिनको विवाद में मध्यस्थता करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था क्योंकि यह समझा गया था कि श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा विवाद में निर्णय देने में अधिक समय लगेगा।

रेलवे लाइन पर मृत्यु

8069. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 दिसम्बर, 1982 को नागजोई क्षेत्र में रेलवे लाइन पर चार व्यक्ति मृत पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों से देश में कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु होती है और उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों की इस तरह मृत्यु हुई और इस सम्बन्ध में अन्य क्या ब्यौरा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 17 दिसम्बर, 1982 को मुडकागांव के नजदीक रेलवे लाइन पर चार शव पाये गये थे।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। शवों की अन्तड़ियों को केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और जांच पड़ताल पूरी होने पर मृत्यु के कारणों का पता लगेगा।

(ग) जब इस मामले में मृत्यु का कारण सिद्ध हो जायेगा तो इसी कारण हुई मौतों की संख्या के विषय में सूचना एकत्र की जायेगी।

जाली रिफिल

8070. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साधारण रिफिल और जौटर रिफिलों के बड़े पैमाने पर नकली निर्माता किस तरह "विलसन" सहित घटिया किस्म के माल को विपणन कर भोली भाली जनता को ठगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि जाली सामान का विपणन न हो और जनता को ठगा न जाए ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, व्यापार तथा पण्यचिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 78 और 79 में नकली व्यापार चिह्नों का प्रयोग करने या गलत व्यापारिक विवरण देने सम्बन्धी अपराध करने पर और

नकली व्यापार चिह्न का उपयोग करके या गलत व्यापारिक विवरण देकर वस्तुओं को बेचने पर दण्डात्मक उपबंधों की व्यवस्था है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

8071. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्य संगठनों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे दिल्ली में आय की सीमा के कारण मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के पात्र नहीं हैं;

(ख) क्या स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा दिल्ली प्रशासन की छात्रवृत्ति शाखा द्वारा उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने से रोकने के लिए छात्रवृति निकालने के प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्तों, नगर प्रतिपूर्ति भत्तों और सम्बद्ध भत्तों को उनके वेतन के भाग के रूप में गिना जाता है;

(ग) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं अनुसूचित जाति समुदायों के लोगों को अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां लेने से इस बहाने रोक रही है कि उनके दो से अधिक बच्चों ने पिछले अकादमी वर्षों में छात्रवृतियां ले ली थीं; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग की उपरोक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वे सभी छात्र जिनके अभिभावकों की आय 6000 रुपए प्रति वर्ष तक है, पूर्व मैट्रिक स्तर पर नकद अनुदान के पात्र हैं।

मैट्रिकोत्तर की अवस्था में यह आय सीमा 12000 रुपए प्रति वर्ष है।

(ग) पूर्व मैट्रिक स्तर पर छात्रों को इस राशि से वंचित नहीं किया जाता है।

(घ) दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली के महासचिव से केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

हैदराबाद स्थित सेन्टर फार सेल्युलर एंड मॉलेकुलर बायोलॉजी के गेस्ट हाउस द्वारा किया गया कारोबार

8072. **श्री दयाराम शाक्य** :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित सेन्टर फार सेल्युलर एंड मॉलेकुलर बायोलॉजी का गेस्ट हाउस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की संपत्ति है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यालय ने यह कारोबार करने की अनुमति ली थी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। वस्तुतः वह भवन श्रीमती एम० सिद्धू की संपत्ति है।

(ख) कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र (सेन्टर फॉर सेलुलर एंड मॉलेकुलर बायोलॉजी) ने भवन को किराए पर लेने की अनुमति सी० एस० आई० आर० मुख्यालय से मांगी थी और उपाध्यक्ष सी० एस० आई० आर० द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

एक्रिलिक रेशे के लिए अनुमानित मांग

8073. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने एक्रिलिक रेशे के लिए प्रति वर्ष 50,000 टन की अनुमानित मांग की थी;

(ख) क्या यह मांग बाद में बढ़कर 100,000 टन प्रति वर्ष कर दी गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि और अधिक क्षमता उत्पन्न की जाती है तो क्या प्रभाव होगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग के अन्तरिम अनुमान के अनुसार 1989-90 में एक्रिलिक रेशे की मांग 30,000 टन होनी थी। इस प्रश्न पर पेट्रोलियम विभाग से विचार-विमर्श चल रहा है।

(घ) 16 000 टन की क्षमता के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ङ) अतिरिक्त क्षमता का सृजन इसकी आवश्यकता के वास्तविक मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

विदेशों से दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले भारतीय यात्रियों को परेशान करना

8074. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आप्रवासी कर्मचारी विदेशों से आने वाले भारतीय यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं;

(ख) यात्रियों से गत छः महीनों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) यात्रियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक भारतीय यात्री से प्राप्त हुई थी। आप्रवासन अधिकारियों द्वारा उसके मामले में कार्यवाही करने में कुछ समय लगा क्योंकि उसके पास पारपत्र नहीं था और इसको शहर के निवास स्थान से लाना था। यद्यपि यात्री को कुछ असुविधा हुई होगी परन्तु यह तंग करने का मामला नहीं था। शेष दो शिकायतों की प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) पर्यवेक्षण के लिए सहायक पुलिस आयुक्त के पद का एक अधिकारी 24 घंटे तैनात किया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाता है। आप्रवासन कर्मचारियों से यात्रियों के साथ शिष्टाचार मे पेश आने और उनके मामलों पर यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करने के लिए स्थायी अनुदेश हैं। उनको समय-समय पर इस संबंध में उपयुक्त रूप से विवरण भी दिया जाता है।

विशेष घटक योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई धनराशियां

8075. **श्री गदाधर साहा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष घटक योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी धनराशियां दी गईं और उनका कितना उपयोग किया गया;

(ख) विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 1981-82 और 1982-83 के लिए कुल योजना परिव्यय कितना था और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया और उसके क्या परिणाम रहे तथा कितनी धनराशियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं;

(घ) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में राज्यवार और वर्षवार किन-किन विभागों ने उक्त धनराशियों का उपयोग किया और कौन-कौन से विभाग इसका उपयोग नहीं कर सके; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे रखे गए विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की विशेष घटक योजना राज्य योजना का एक भाग होने के कारण सम्बद्ध क्षेत्र/विभागों में नियतकालिक पुनरीक्षण तथा भौतिक और वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

फिर भी विशेष घटक योजना का मूल्यांकन योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से भी सहायता की जाती है।

विवरण

अनुसूचित जातियों के लिए 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में विशेष घटक योजना के संबंध में परिव्यय और खर्च का विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वि० घ० यो० 1980-81		वि० घ० यो० 1981-82		वि० घ० यो० 1982-83
		परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च	परिव्यय खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4410.00	3667.41	4929.48	3812.23	6200.67
2.	असम	174.46	133.56	306.65	294.40	400.31
3.	बिहार	3818.00	3207.00	4951.31	2719.70	5800.77
4.	गुजरात	2382.00	1351.93	2506.01	2176.00	1700.52
5.	हरियाणा	2851.00	2760.99	3266.37	3079.73	2400.68
6.	हिमाचल प्रदेश	679.00	630.28	1098.50	1102.73	1000.16
7.	कर्नाटक	5995.00	4619.93	5223.30	4868 60	6500.39
8.	केरल	1728.00	1463.65	2016.47	1644.45	1500.59
9.	मध्य प्रदेश	4028.72	3124.77	4118.14	3327.61	4600.71
10.	महाराष्ट्र	2276.00	1289.56	4101.08	2356.59	3100.01
11.	मणिपुर	49.41	46.42	82.47	60.00	90.00
12.	उड़ीसा	1598.76	1417.32	2811.13	2113.58	1100.45
13.	पंजाब	2857.00	2162.02	1925.17	1798.41	2000.14
14.	राजस्थान	4010.00	3041.81	3799.00	3666.28	3000.73
15.	सिक्किम 1980-81 की वि० घ० यो० तैयार नहीं की गई	SCP 1980-81 not Prepared.		27.01	27.01	41.00
16.	तमिलनाडु	6775.00	2876.29	7889.24	7085.12	8900.77
17.	त्रिपुरा	190.30	151.02	291.41	286.21	400.61
18.	उत्तर प्रदेश	6112.00	5482.61	9585.04	8663.25	12100.00
19.	पश्चिम बंगाल	3851.00	2856.64	4244.30	4257.62	2900.17
20.	दिल्ली	1044.00	506.08	1010.11	984.45	1100.91
21.	चंडीगढ़ 1980-81 की वि० घ० यो० तैयार नहीं की गई	1980-81 not Prepared.		53.39	50.04	99.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	पांडिचेरी	155.28	122.94	225.57	200.58	200.60
23.	गोवा दमन व दीव	—	—	—	—	30.00
24.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	86.00
	जोड़	54784.93	40912.53	64561.14	54574.57	66100.65

टिप्पणी—1. वर्ष 1982-83 के लिए वास्तविक खर्च इस समय उपलब्ध नहीं है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण तथा दीव ने 1982-83 से आगे की विशेष घटक योजना (वि० घ० यो०) तैयार की थी।

3. चूंकि अन्तिम आंकड़े सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुए हैं अतः इनमें कुछ सीमान्त परिवर्तन हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियों के जल के बारे में विशेषज्ञों का विचार

8076. **श्री रतन सिंह राजदा :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियों के जल के बारे में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि यह जल नहाने तक के लिए ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई विशेष जांच की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियां नामतः, गंगा और यमुना मुख्य शहरों की सीमा के अनुप्रवाह के निकट प्रदूषित हैं।

(ख) तथा (ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड दोनों नदियों की जल गुणवत्ता के लिए निरन्तर प्रबोधन कर रहा है। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के आधारों पर, यह पाया गया है कि गंगा नदी की प्रदूषित सीमाएं कन्नोज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता के अनुप्रवाह हैं, और यमुना नदी की प्रदूषित सीमाएं दिल्ली, मथुरा और आगरा के अनुप्रवाह हैं। नदी में इस प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू बहिःस्रावों का उत्सर्जन है तथा कुछ सीमा तक उद्योग हैं।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पाइप लाइन के माध्यम से कोयले का भेजा जाना

8077. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख खानों से लौह अयस्क मंगलौर पत्तन तक पाइप लाइन के माध्यम से भेजा जाता है;

(ख) क्या योजना आयोग ने खनिजों, विशेषकर कोयले को, पाइप लाइन के माध्यम से भेजने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या परियोजना आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी उपलब्धियां हुई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में दिए गए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार देश में पाइप लाइन के जरिए स्लरी कोयले के परिवहन की व्यवस्था आरम्भ करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1980 में एक अन्तर-मंत्रालयीन कार्यकारी दल गठित किया गया था। इस कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के कोयला क्षेत्रों से तापीय बिजली घरों को पाइप लाइन के जरिए स्लरी कोयले के परिवहन की व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत साध्यता अध्ययन तैयार करने का काम मैसर्ज इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) को सौंपा जाए। इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड से कोयला स्लरी पाइप लाइनों सम्बन्धी तकनीकी-आर्थिक साध्यता/संभाव्यता अध्ययन हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट की जांच अभी पूरी नहीं की गई है।

विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु निदेशक तथा उससे ऊपर के पद के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पैनल में रखना

8078. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए निदेशक तथा उससे ऊपर के पद के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पैनल में रखने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) 1982-83 में पैनल में रखे गये अधिकारियों की श्रेणी-बार संख्या क्या है;

(ग) गृह और वित्त मंत्रालयों में निदेशकों, संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों और सचिवों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी श्रेणी-वार कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या उपरोक्त श्रेणियों के अधिकारियों का उपरोक्त स्तरों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है; और

(ङ) यदि नहीं, तो 1983 के दौरान इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) निदेशक और संयुक्त सचिव के

पदों के लिए पैनल में शामिल किए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य लोगों, दोनों ही के लिए कम से कम क्रमश: 14 और 17 वर्ष की एक समान सेवावधि निर्धारित की गई है। फिर भी, केन्द्रीय सेवा समूह "क" के अधिकारियों की मात्रता निर्धारित करने के लिए उनके वेतनमानों को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में पैनलों के आकार को संतुलित सीमा के भीतर रखा जा सके। यद्यपि ऊपर सचिव और सचिव के पदों के लिए किसी नियम के अधीन, किसी ग्रेड में कोई विशिष्ट सेवावधि निश्चित नहीं की गई है, फिर भी, इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए व्यक्ति के पिछले कैरियर में विभिन्न स्तरों के अनुभव और कार्यनिष्पादन पर यथोचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान निदेशकों और संयुक्त सचिवों के पदों के लिए, अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 21 आई० ए० एस० अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय समूह "क" संगठित सेवाओं के अधिकारी निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर विशिष्ट कार्यविधि के आधार पर कार्य करते हैं, जिनकी समाप्ति पर वे सामान्यत: अपने मूल संवर्गों को प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदों पर किसी सेवा के लिए न तो कोई कोटा निर्धारित होता है और न ही ऐसे कार्यावधि पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण ही किया जाता है। फिर भी, अन्य पात्र अधिकारियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपलब्ध अधिकारियों के दावों पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सात आई० ए० एस० अधिकारी गृह और वित्त मंत्रालयों में निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

सिक्किम राज्य का आर्थिक उत्थान

8079 : **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री नित्यानन्द मिश्र :

श्री भीकू राम जैन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्कों की छूट वापस लिए जाने के कारण माचिस, पान मसाला आदि जैसी अनेक उद्योग सिक्किम से हटने के लिए विवश हो गए हैं तथा इससे लगभग दस हजार लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो हिमालय के उस राज्य में रोजगार बनाने, आर्थिक स्थिरता लाने, औद्योगिक समृद्धि करने और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राज्य में वस्तु उत्पादक एककों

को शेष भारत के एककों के बराबर लाने के लिए सिक्किम राज्य सरकार की सहमति से दिनांक 1.2.83 से केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम लागू करना एक अभ्युपाय है।

समूचे सिक्किम को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है और इस राज्य में स्थापित एकक, रियायती वित्त, केन्द्रीय विवेश राजसहायता (सिक्किम राज्य में केन्द्रीय निवेश राजसहायता को 1.3.81 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा कर अधिकतम 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है), परिवहन राजसहायता, कर संबंधी रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता और कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं जैसे, राज-कोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र हैं।

सिक्किम के चारों जिलों को उद्योग रहित जिलों के रूप में चुना गया है, जिनमें कोई भी बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है और सरकार ने तकनीकी प्राधिकरणों में योजनाओं के पंजीकरण के मामलों में और लाइसेंस स्वीकृत करके सर्वप्रथम प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

इन चारों जिलों को केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक कृतिक बल ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए चलाई जा सकते वाली परियोजना की संभावनाओं का पता लगाया गया है। सिफारिशों की गई परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यताओं की जांच करने के लिए यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में गंगा जल का प्रदूषण

8080. **श्री नारायण चौबे :** क्या प्रधान मंत्री पश्चिम बंगाल में गंगा जल के प्रदूषण के बारे में 23 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) औद्योगिक तथा घरेलू उच्छिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले गंगाजल के प्रदूषण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों द्वारा क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं और क्या-क्या उपाय किए किए हैं; और

(ख) किए गए ऐसे उपायों के क्या परिणाम निकले और ऐसे उपाय किन-किन स्थानों और स्थलों पर किए गए हैं?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों से गंगा जल के प्रदूषण निवारण के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजना और अपनाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. फेज-1 के अन्तर्गत कानपुर की उपरी धारा की दो नालियों के गंदे जल को अपवर्तन करने और इसको पम्प करके मलजल फार्म की ओर ले जाने की एक योजना तैयार की गई है। अनुवर्ती अवस्थाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त योजनाओं को तैयार करने का प्रस्ताव है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा कानपुर नगरपालिका के विरुद्ध कानूनी

अभियोजन केस प्रवर्तित किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नदी में मिलने वाले गन्दे अपशिष्ट जल को 6 माह के भीतर समुचित उपायों द्वारा अपवर्तन करने के आदेश दे दिए गए थे। तथापि नगर महापालिका ने इस निर्णय के विरुद्ध संशोधन दायर किया है।

3. उन नदियों के किनारों पर मुख्य शहरों के घरेलू मलजल से जीव गैस उत्पादन के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इससे न केवल जल प्रदूषण के नियन्त्रण में सहायता मिलेगी बल्कि मेथेन गैस को बनाने में ऊर्जा के स्रोतों में से एक यह भी होगी।

4. कानपुर में चर्म संस्करणी बहि:स्रावों के कारण प्रदूषण को नियन्त्रण करने के लिए, यू० पी० के राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा इसके सामूहिक उपचार का सुझाव दिया गया है और एक सम्भाव्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है।

5. वाराणसी में घाटों के संरक्षण और गंगा नदी के प्रदूषण नियन्त्रण के लिए एक योजना तैयार की गई थी और इसका निष्पादन प्रगति में है।

6. शवों को नदी में फेंकने पर नियन्त्रण करने के लिए एक विद्युत शव दाह गृह वाराणसी और कानपुर में बनाने का प्रस्ताव है। कानपुर में शव दाह गृह का निर्माण पूरा होने वाला है।

7. विश्व बैंक की सहायता से कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेंट आथोरिटी (सी० एम० डी० ए०) महानगर के आन्तरिक क्षेत्र को मल व्यवस्था और मलजल उपचार द्वारा 100% आच्छादित करने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है ?

8. जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तीन राज्यों, यू० पी०, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की जल गुणवत्ता का 45 स्थानों पर गंगा तटवर्ती प्रणाली द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है।

9. यू० पी० राज्य बोर्ड ने 10 उद्योगों पर मुकदमे चलाए हैं जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड ने क्रमश: 5 और 2 उद्योगों पर बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने पर मुकदमे चलाए हैं।

10. राज्य बोर्ड प्रदूषण उद्योगों को निरन्तर बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। परिणामस्वरूप यू० पी०, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 317 उद्योगों में से, जो जल प्रदूषण से सम्बन्धित हैं, 77 उद्योगों ने बहि:स्राव उपचार संयंत्र चालू कर दिए हैं अथवा परिचालन कर रहे हैं, 37 उद्योगों में उपचार संयंत्र आयोजन अवस्था में तैयार हो रहे हैं।

11. जल आपूर्ति और सफाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक के अन्तर्गत, भारत सरकार ने घरेलू स्रोतों से प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वर्ग-1 100% शहरों को 1990 तक आवरण करने का लक्ष्य स्थापित किया है।

उड़ीसा को 1982-83 में सीमेंट का नियतन

8081. **श्री हरिहर सोरन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को 1982-83 में कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का नियतन किया गया;

(ख) केन्द्र द्वारा महीने-वार सीमेंट का कितना नियतन किया गया और उड़ीसा सरकार द्वारा 1982-83 में कितनी मात्रा में सीमेंट जारी किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राज्यों को सीमेंट के आवंटन त्रैमासिक आधार पर किए जाते हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान उड़ीसा राज्य को किए गए सीमेंट से आवंटन और प्रेषण नीचे दिए गए हैं :—

(आवंटन मी० टनों में)

अवधि	मूल	सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए	अतिरिक्त तदर्थ
अप्रैल-जून, 82	57,800	51,500	20,000 तूफान राहत
जुलाई-सितम्बर, 82	57,800	70,700	30,000
अक्तूबर-दिसम्बर, 82	57,800	77,500	810 }*
जनवरी-मार्च, 83	57,800	76,800	810 }

(*) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के दस वर्षीय कार्यक्रम के लिए 1982-83 के दौरान उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा दी गई लेवी सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित जानकारी राज्य सरकार से मंगवाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा दैनिक व्यय पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट किया जाना

8082. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों को कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान के दैनिक व्यय तथा परियोजना के अन्य नियमित संस्थापना खर्चे तक पूरे करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट करना पड़ा है; और

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारी परियोजना के कुल आकार को कम करके लगभग 4000 करोड़ रुपए तक करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरन विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की पूंजीगत लागत की आवश्यकताएं इस परियोजना

के लिए बजट में की गई व्यवस्था से अधिक थीं। इसलिए इस परियोजना ने अपने कुछ ऐसे दायित्वों को, जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था।

(ख) जी, नहीं।

इस्पात और बिजली क्षेत्र के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा

8083. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का इस्पात और बिजली क्षेत्र की पुनरीक्षा का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) योजना आयोग इस्पात और विद्युत सहित विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रम की समीक्षा करता है। उद्योग के निष्पादन और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए और निष्पादन में सुधार के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए सदस्य, योजना आयोग के स्तर पर, प्रति तीन माह, ये समीक्षा बैठकें की जाती हैं। वार्षिक योजना तैयार करने के दौरान भी इस्पात और विद्युत क्षेत्रक सहित उद्योगों की समीक्षा की जाती है।

कोयला खनन उपकरणों का निर्माण करने वाले एकक

8084. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कोयला खनन उपकरणों का निर्माण करने वाले कितने एकक स्थापित किए गऐ हैं;

(ख) ये निर्माण एकक कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सकार का विचार देश में कुछ और कोयला खनन उपकरणों का निर्माण करने वाले एकक स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये उद्योग कब स्थापित किए जायेंगे; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। विद्यमान निर्माता देश की खनन मशीनों की भारी मांग को पूरा कर सकते हैं।

विवरण

फर्म का नाम	स्थापना स्थल
1. मै० जार्डिन हैंडर्सन	धनबाद (बिहार)
2. मै० टाटा राबिन फ्रेजर	जमशेदपुर (बिहार)
3. मै० मेकनली भारत	धनबाद (बिहार)
4. मै० एच० ई० सी०	रांची (बिहार)
5. मै० मैकनेल एण्ड मेजर	कलकत्ता (पं० बंगाल)
6. मै० हुगली डाकिंग	हावड़ा (बंगाल)
7. मै० शालीमार वर्क्स	कलकत्ता (प० बंगाल)
8. मै० एम० ए० एम० सी०	दुर्गापुर (पं० बंगाल)
9. मै० ऊहा टेलीहाइस्ट	कलकत्ता (बंगाल)
10. मै० बर्न स्टैंडर्ड	बर्नपुर (प० बंगाल)
11. मै० न्यू स्टैंडर्ड इन्जीनियर	बम्बई (महाराष्ट्र)
12. मै० वोल्टास लि०	थाना (महाराष्ट्र)
13. मै० ए० सी० सी० वर्क्स	शाबाद (कर्नाटक)
14. मै० चौगले इंजीनियर्स	मोरगूगोड (हार्बर गोवा)
15. मै० भारत वेस्टफेलिया	रांची (बिहार)

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिए भारत-ब्रिटेन सहयोग

8085. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया था और भारत द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी जानकारी के स्तर और हमारे देश में विद्यमान इसके विकास को प्रचुर सम्भावनाओं से बड़ा प्रभावित हुआ था;

(ख) क्या दौरा करने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल ने इलेक्ट्रानिक उद्योग, जो कि इस समय काफी अच्छा है, के विकास को तेज करने में सहयोग देने का ठोस प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में किसी अन्य देश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जिन ब्रिटिश कम्पनियों का शिष्टमण्डल में प्रतिनिधित्व था, उन्होंने हमारे देश की कुछ कम्पनियों के साथ प्रौद्योगिकी जानकारी विषयक लाइसेंसिंग की सम्भावना पर विचार-विमर्श किया।

(घ) चूंकि कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8086. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान क्रमशः कितने प्रतिशत पद वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से भरे गए हैं तथा इनके लिए निर्धारित आरक्षित/प्रतिशत के अनुपात में यह प्रतिशत कितना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि लो सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इसे इस अवस्था में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में भट्ट समिति की रिपोर्ट

8087. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र सम्बन्धी भट्ट समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशी कम्पनियों और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा उन वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की बात हाथी समिति की रिपोर्ट में भी कही गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में इन कम्पनियों की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) एक बार जो वस्तु लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दी जाती है उसका बड़े और मझोले क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए केवल उन मामलों को छोड़कर जहां एकक अपने कुछ उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने को तैयार होते हैं। नई क्षमता स्थापित करने हेतु कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में केवल कुछ निर्धारित स्तर के निर्यात दायित्वों के प्रकरणों को छोड़कर सन्तुलन रेखा क्षमता के आधार पर अधिष्ठापित क्षमता का लाभ बड़े उपक्रमों को उपलब्ध नहीं है।

इस्पात की स्टाकयार्ड माल सूचियों में वृद्धि

8088. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की स्टाकयार्ड माल-सूचियां वर्ष के दौरान तेजी से बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस

वर्ष के दौरान विभिन्न तारीखों को सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :

तारीख	मात्रा (हजार टन)
1.4.1982	738.0
1.7.1982	902.8
1.10.1982	842.5
1.1.1983	1066.9
1.4.1983	1077.9 (अस्थायी)

उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है, बिक्री उनके अनुरूप नहीं हुई है, परिणामस्वरूप स्टाक में वृद्धि हुई है।

नेपा न्यूजप्रिंट कम्पनी का आधुनिकीकरण तथा विस्तार

8089. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा न्यूजप्रिंट कम्पनी ने 30 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स नेपानगर (मध्य प्रदेश) ने लगभग 32.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण की एक योजना स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की है।

(ख) योजना में दो कागज मशीनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ मिल के पल्पिग तथा अन्य विभागों में असन्तुलनों तथा कमियों को दूर करने और केप्टिब इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा प्रस्ताव पर निवेश के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य पुलिस और आसूचना संगठनों के प्रमुखों की बैठक

8090. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य पुलिस और आसूचना संगठन के प्रमुखों की मार्च, 1983 में हुई दो दिन की बैठक में कुछ राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा निदेश दिए गए हैं;

(ख) बैठक में अन्य कौन से प्रश्न उठाए गए और केन्द्रीय सरकार ने क्या सुझाव दिए; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) बैठक में इस बात पर बल दिया गया था कि कुछ राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति चिन्ता का विषय रही है और पुलिस की तरफ से उच्चतम स्तर की सतर्कता की आवश्यकता है। बैठक में जिन अन्य विषयों पर विमर्श किया गया उनमें अपराध निवारण और जांच, विधि और व्यवस्था, पुलिस अनुशासन और कल्याण, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण शामिल हैं।

केरल में खनिज गवेषणा और विकास कार्य

8091. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोई खनिज खोज और विकास कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य को इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहित किसी अन्य देश से सहायता मिल रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) केरल में खनिजों के भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और खोज कार्य का काम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनिजों के गवेषण और विकास का काम खनन और भूतत्व निदेशालय, केरल सरकार तथा केरल खनिज गवेषण और विकार प्रोजेक्ट द्वारा किया जाता है।

(ख) केरल खनिज गवेषण और विकास प्रोजेक्ट की स्थापना राज्य में यू० एन० डी० पी० की सहायता से ज्ञात खनिज भण्डारों जैसे लौह अयस्क, स्वर्ण ग्रेफाइट और रत्नों के विकास हेतु तथा इस प्रयोजन हेतु चुने गए 15000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में सामान्य गवेषणी सर्वेक्षण के लिए की गई थी। इस परियोजना का प्रथम चरण जुलाई, 1981 में पूरा हो गया है जबकि दूसरा चरण मार्च, 1984 में पूरा होगा। यू० एन० डी० पी० ने पहले चरण में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की तथा दूसरे चरण में भी वह उक्त सहायता देगा।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के भरने में छूट दिया जाना

8092. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 और 1982-83 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बड़ी संख्या में पद अब तक नहीं भरे गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पद उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक अर्हताओं में कोई छूट देने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित जिन पदों की भर्ती की कार्रवाई संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1981-82 तथा 1982-83 में पूरी की गई थी, उनसे सम्बन्धित स्थिति निम्न प्रकार थी :

वर्ष	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	उप पदों की संख्या जो भरे नहीं जा सके
1981-82	775	381
1982-83	945	426

सहायक ग्रेड परीक्षा, 1981; सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 1982, विशेष श्रेणी रेलवे अपरेंटिस परीक्षा, 1982 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1982, सिविल सेवा परीक्षा 1981, के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पूरे कोटे के लिए नामों की सिफारिश कर सका था जबकि भूवैज्ञानिक परीक्षा 1982, भारतीय अर्थ सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, 1982, आशुलिपिक परीक्षा, 1982 के लिए आयोग पूरे कोटे के लिए नाम की सिफारिश नहीं कर सका। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय स्थायीकरण परीक्षा के सम्बन्ध में आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 48 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर सका था जबकि इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 55 स्थान आरक्षित थे।

(ख) से (घ) विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं कार्यापेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। न्यूनतम अर्हताओं वाले उम्मीदवार विचार किए जाने के पात्र होते हैं। चूंकि, जहां आवश्यक समझा जाए, वहां अनुभव से सम्बन्धित अर्हता में छूट देने तथा मानदण्डों में ढील देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए पहले ही से प्रावधान है, इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में छूट देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त सरकारिया आयोग के लिए विचारार्थ विषय

8093. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त सरकारिया आयोग के लिए निदेश पदों में संविधान में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो निदेश पद की इस प्रकार की शर्त की अनुपस्थिति केन्द्र राज्य सम्बन्धों

की पुनरीक्षा के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों और राज्यों को वित्तीय शक्तियों के विस्तार में बाधा उत्पन्न नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकारिया आयोग के लिए निदेश पदों में उचित संशोधन किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) आयोग के निदेश पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन

8094. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री मनोहर लाल सैनी : क्या गृह मंत्री दिनांक 30 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5036 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अधिकारी को उसके मंत्रालय के पत्र संख्या 43/56/64-ए० वी० डी० दिनांक 22 अक्तूबर, 1964 के अनुसार केवल दुर्व्यवहार के लिए ही निलम्बित किया जाता है और न कि उस स्थिति में सामान्यतया जहां कार्यालय में उसकी उपस्थिति से मुकदमा अथवा जांच पड़ताल में पूर्वाग्रह हो या गवाहों या दस्तावेजों में फेरबदल करने की सम्भावना हो; जहां पद पर बने रहने से अनुशासन आदि विशेषकर जहां सारे लक्ष्य सरकार के पास हों या ऐसे मामलों में जहां उसके लिए आवश्यक सावधानी बरती गई हो, पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जांच पड़ताल से उसके सरकारी कार्य पर कोई प्रभाव न पड़ता हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा तदनुसार व्यापक अनुरोध जारी करने का विचार है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का अधिकारियों के निलम्बन की संख्या को किस प्रकार कम से कम करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) किसी कर्मचारी को निलम्बित की शक्ति सांविधिक नियमों द्वारा प्रदत्त है। 22.10.64 को जारी किए गए अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने का निर्णय करने में लोक हित को मार्ग निर्देशक आधार माना जाना चाहिए और अनुशासनिक प्राधिकारी के पास सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय करने का विवेकाधिकार होना चाहिए। इन अनुदेशों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी जिन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए उपर्युक्त मान सकता है, निम्नलिखित हैं—जब उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, विचारण अथवा जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अथवा साक्षियों या दस्तावेजों में हेरफेर किए जाने की आशंका होती है, जब उसके पद पर बने रहने से कार्यालय में अनुशासन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जब वह नैतिक अधमता भ्रष्टाचार अथवा गबन, आदि मामलों में अन्तर्ग्रस्त है, अथवा जब वह कर्त्तव्य से पलायन करने का दोषी है अथवा जहां वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं करता अथवा पालन करने से इनकार करता है, जहां उसके विरुद्ध आरोपों की प्रारंभिक जांच में

अभियोजन अथवा विभागीय जांच प्रारंभ किए जाने को न्यायोचित सिद्ध करने वाला प्रथम दृष्टया मामला बनता हो और कार्यवाहियों की समाप्ति पर उसकी दोषसिद्धि और/अथवा बरखास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की संभावना हो।

(ख) ये अनुदेश व्यापक हैं और उनकी पुनरीक्षा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) सरकार यह मानती है कि निलंबन का आदेश केवल उन्हीं मामलों में दिया जाए जहां आवश्यक हो। फिर भी अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और अनुदेशों में दिए गए मार्ग निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निर्णय करना होगा।

सफाई कर्मचारियों को सिर पर मल ढोने से मुक्त करने की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सहायता

8095. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को सिर पर मल ढोने से सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने की योजना के लिए बराबर की सहायता का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी बराबर की सहायता दी गई;

(ग) मध्य प्रदेश में जिलावार कितनी सूखी टट्टियों को पानी वाली टट्टियों में बदला गया;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने छठी योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मल को सिर पर ढोने को पूरी तरह बन्द करने की योजना बनाई है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने सफाई कर्मचारियों को मल ढोने से मुक्त करने के लिए राज्यों द्वारा नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने हेतु क्या तंत्र पर निगरानी एजेंसी नियुक्त की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1982-83 के दौरान केवल रामपुर, सीजापुर और बिलासपुर के चुने हुए शहरों में सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने की योजना प्रस्तुत की है। 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 53.19 लाख रुपए की सहायता दी गयी है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त शहरों में 13286 शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलने पर बल दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सफाई कर्मचारियों को मुक्ति देने की योजना सहित, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना के लिए गृह मंत्रालय में एक प्रबोधन एकक स्थापित किया गया है।

भारी जल का उत्पादन और लक्ष्य की प्राप्ति

8096. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारी जल का उत्पादन लक्ष्य से कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) बिजली के कम मात्रा में मिलने, भारी पानी संयंत्रों को मिलने वाली फीड गैस में ड्यूटीरियम की मात्रा के घटते-बढ़ते रहने, गैस के कम मात्रा में मिलने तथा संयंत्रों में तकनीकी समस्याओं के सामने आने के कारण भारी पानी के उत्पादन में कमियां रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और संयन्त्रों के चालू रहने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में सुधार लाकर संयन्त्रों का प्रचालन और रख-रखाव दक्षतापूर्वक करके भारी पानी के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर का राष्ट्रीयकरण

8097. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर के राष्ट्रीयकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या इसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उपरोक्त उद्योग को सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया अथवा राजस्थान सरकार को सौंपे जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर के स्वामित्वाधीन सीमेंट एकक और अन्य परिसम्पत्तियों के आगामी रूप के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सदर बाजार में नकली वस्तुओं का व्यापार

8098. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली के थोक बाजार की 1500 दुकानें बिना किसी खरीद अथवा बिक्री के प्रलेखों के कई लाख रुपए मूल्य की नकली वस्तुओं का व्यापार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सदर बाजार थोक व्यापारियों की इन गतिविधियों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल की पटरियों के उत्पादन में इस्पात संयंत्रों का असहयोग

8099. **श्री जेनुल बशर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रेल की पटरियों के उत्पादन में इस्पात संयंत्रों के असहयोग के सम्बन्ध में रेलवे से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्हें अपनी सन्तुष्टि के अनुरूप रेल की अपेक्षित मात्रा तथा किस्म प्राप्त नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति के सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ख) रेल की पटरियों के उत्पादन का कार्यक्रम रेलवे की मांग को ध्यान में रख कर बनाया जाता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। इस बारे में रेलवे और इस्पात कारखानों के बीच नियमित रूप से पारस्परिक सम्पर्क रखा जाता है ।

रंगीन टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रानिक पुर्जे

8100. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए आवश्यक ऐसे पुर्जों के बारे में कोई अनुमान लगाया है, जो इस देश में ही बनाए जा सकते हैं और कितने पुर्जों का आयात किया जाना होगा; और

(ख) उनके मूल्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन के के कल-पुर्जों/संघटक-पुर्जों के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है ।

(ख) संघटक-पुर्जों के आयात की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि दूरदर्शन के विभिन्न विनिर्माता किस किस्म के डिजाइन अपनाते हैं। अतः कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए जा सकते ।

वाहन तथा ट्रैक्टर उद्योग में मन्दी

8101. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारतापूर्ण आयात किए जाने तथा घरेलू मण्डियों में क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टरों आदि जैसे उनके महत्वपूर्ण उद्योगों को भारी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या देश के विख्यात अर्थशास्त्रियों ने भी एक गोष्ठी में इस स्थिति पर विचार किया है और सरकार को सूचित किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों या ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति नहीं दी है। आयात नीति का लक्ष्य स्वदेशी उद्योग की कारगर ढंग से रक्षा करना और देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है। उद्योग को भारी मन्दी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लगभग सितम्बर, 1982 तक वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों की मांग में गिरावट आई थी। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप जिनमें ऋण नीति में ढील देना भी शामिल है, वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों की मांग में वृद्धि हो रही है। सरकार को अलग-अलग व्यक्तियों, समूहों, व्यावसायिक संघों, उद्योग और व्यापार मण्डलों आदि से आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर राय मिलती रहती है।

ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की ऋणग्रस्तता में प्रति व्यक्ति के अन्तर में वृद्धि

8102. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों, दोनों, की प्रति व्यक्ति ऋणग्रस्तता के अन्तर के प्रतिशत में वृद्धि की पूरी तरह से जांच की है;

(ख) क्या सरकार ने उनके जीवन स्तर को सुधारने और जरूरतमन्द गरीब व्यक्ति को ऋण देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कहां तक सफलता मिली है; उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, जो राष्ट्रीय स्तर पर ऋणभार से सम्बन्धित सूचना देते हैं, दस वार्षिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। जनवरी-दिसम्बर, 1982 में किए गए अद्यतन दसवार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े तैयार नहीं किए जा रहे हैं। अतः अन्तिम दो वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने और उन्हें

ऋण देने के लिए कार्यक्रम शामिल है। इस सम्बन्ध में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। पिछले तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

वर्ष	सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या	जुटाए गए कुल अवधिक ऋण (करोड़ रु०)
1980-81	2782755	236.63
1981-82	2829393	484.65
1982-83	2271215 (फरवरी, 1983)	482.45

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

वर्ष	सृजित रोजगार (दस लाख श्रम दिवस)
1980-81	4208.10
1981-82	3545.20
1982-83	2745.80

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में चोरी

8103. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के सेक्टर 9, आर० के० पुरम में स्थित शाखा भण्डार में जनवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह के दौरान किसी समय एक बड़ी चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सोसायटी को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चोरों का अब तक पता लगा लिया गया है/उनके विरुद्ध रपट दर्ज करा दी गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उस शाखा भण्डार में पहले भी चोरियां हुई हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में जांच में हुई प्रगति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) यह सच है कि चोरी हुई थी, किन्तु यह बहुत बड़ी नहीं थी। इसमें 5,500 रु० की नकद राशि तथा 550 रुपए मूल्य का सामान मिलाकर कुल 6,050 रुपए मूल्य की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ग) आर० के० पुरम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) वर्ष 1981 तथा 1982 में दो चोरियां हुई थीं जिसमें क्रमश: 4897 तथा रु० 1580 की क्षति हुई थी । समिति की सभी शाखाओं का चोरी के लिए बीमा कराया गया है । बीमा कम्पनी ने वर्ष 1981 में हुई चोरी के सम्बन्ध में समिति के दावे का फैसला कर दिया है । वर्ष 1982 की चोरी के सम्बन्ध में समिति के दावे को बीमा कम्पनी के साथ उठाया गया है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा उद्योगिक लाइसेंस का उपयोग न किया जाना

8104. **श्री सन्न कुमार मण्डल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से इस बात का पता चला है कि ग्रुप के रूप में 17 बड़े औद्योगिक गृहों को जो औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, उनमें से 77 प्रतिशत का या तो बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया अथवा लाइसेंसशुदा क्षमता के 60 प्रतिशत से भी कम तक का प्रयोग किया गया;

(ख) क्या इस अध्ययन से उस औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली की प्रयोजनहीनता का पता चला है जो कि अपेक्षित उत्पादन क्षमता बनाने के लिए वांछित क्षेत्रों में पूंजी निवेश के अपने मूलभूत कार्य को पूरा करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो ये औद्योगिक गृह कौन-कौन से हैं और जिन लाइसेंसों का उन्होंने पूरी तरह उपयोग नहीं किया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दोषी कम्पनियों पर रोक लगाने के अलावा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) लिखने वालों ने रिपोर्ट में यह बताने की चेष्टा की है कि औद्योगिक लाइसेंसीकरण प्रणाली जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है । किन्तु सरकार इस बात से सहमत नहीं है । इस रिपोर्ट का विचारार्थ विषय केवल क्षमता उपयोग तक सीमित था जबकि लाइसेंसिंग प्रणाली के उद्देश्य इसकी तुलना में बहु आयामी तथा अधिक व्यापक हैं । जनता के कम उपयोग के आन्तरिक तथा वाह्य अनेक कारण हो सकते हैं ।

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों और उनके अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के विवरण रिपोर्ट की तालिका 3.10 और परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध है ।

(घ) लाइसेंसिंग प्रणाली कार्यशीलता का बराबर अध्ययन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक अभ्युपाय किए जाते हैं ।

निकल के उत्पादन के लिए भारत में एक यूनिट स्थापित करने हेतु कनाडा की निकल कम्पनी का प्रस्ताव

8105. **श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय निकल कम्पनी कीयिग इंको-टेक ने निकल उत्पादन के लिए भारत में ईक्विटी पूंजी लगा कर एक यूनिट स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) उपकरणों की अनुमानित लागत कितनी है और क्या इसका खर्च इंको-टेक द्वारा उठाया जाएगा;

(ग) क्या इंको-टेक ने आयातित निकल पर शुल्क में पूरी छूट की मांग की है जिससे 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व की हानि होगी; और

(घ) क्या शुल्क में छूट के प्रश्न पर पार्टी के साथ एक समझौता हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां ।

(ख) प्राथमिक प्रस्ताव में संयंत्र के मुख्य खण्डों की अनुमानित लागत 23.0 मिलियन अमेरिकी डालर बताई गई है । मै० इंको-टेक ने यह बताया है कि उपकरणों की कीमत उनके द्वारा वहन की जाएगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग से उद्योगों की स्थापना

8106 **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1983 तक उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों सहित कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा इन आवेदनों और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों को निपटाया गया और कितनों को अस्वीकार किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1-1-1982 से 31-1-1983 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए 172 मिश्रित आवेदनों सहित 2269 औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनपत्र औद्योगिक स्वीकृनि सचिवालय में प्राप्त हुए । इन मिश्रित प्रस्नावों में से 152 आवेदन औद्योगिक लाइसेंसों और विदेशी सहयोग/पूंजीगत माल का आयात करने सम्बन्धी स्वीकृतियों, के लिए तथा शेष 20 आवेदन औद्योगिक लाइसेंसों तथा केवल पूंजीगत माल का आयात करने हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए थे । 2269 मामलों में से 702 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं और आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं तथा 1088 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अथवा अन्यथा निपटा दिए गए हैं। शेष 479 मामले वर्तमान में विचार-विमर्श की विभिन्न स्थितियों में पड़े हुए हैं ।

इनके अलावा, विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल का आयात करने सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने के 29 मिश्रित प्रस्तावों सहित विदेशी सहयोग के लिए भी 719 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से विदेशी सहयोग के 189 मामलों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन निपटारे हेतु विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दिया गया है। शेष 530 मामलों में से 442 प्रस्ताव निपटा दिए गए हैं तथा 88 आवेदन वर्तमान में विचाराधीन हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु राज्य परिषदें

8107 **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने बिजली की मांग को पूरा करने हेतु ऊर्जा पैदा करने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर और अधिक ध्यान देने के लिए विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए राज्य परिषदों का गठन किया है;

(ख) क्या इस कार्यवाही को केन्द्र की मंजूरी मिली है; और

(ग) इन परिषदों का गठन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उनके काम में किस प्रकार समन्वय रखा जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकों तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, कई राज्यों ने अपने राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों का गठन किया है और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की स्थापना की है। राज्य परिषदों से राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना राज्य सरकारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी सलाह और उपयुक्त स्कीमों के माध्यम से राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति के लिए एक नाभीय बिन्दु होने की आशा की जाती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने राज्य सरकारों से अपने यूनिटों के प्रदर्शन और प्रतिष्ठापन के कार्यक्रमों, जैसे जल तापीय प्रणालियों, सौर-शुष्ककों, प्रकाशवोल्टीय पम्पों, लाइटिंग यूनिटों, सामुदायिक जैव गैस संयंत्रों और पवन चक्कियों आदि में सहायता देने का अनुरोध किया है। कुछ राज्य अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के माध्यम से इन क्रियाकलापों में समन्वय कर रहे हैं।

(ख) जी, हां,

(ग) आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दोनों हैं। महाराष्ट्र और पं० बंगाल और संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हैं। उत्तर-पूर्व परिषद ने अपनी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की रचना की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के निर्माण के सम्वर्द्धन को योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की बैठकों में भाग लेने

और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की आरंभिक स्थापना के लिए उत्प्रेणात्मक समर्थन प्रदान कर समन्वय की एक क्रिया विधि की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों, विभागों और समितियों की राष्ट्रीय कार्यशालाओं का संगठन किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राज्य स्तर की स्कीमों का योजना आयोग द्वारा राज्यों की वार्षिक आयोजनाओं में ध्यान रखा जाता है।

गरीबी सीमा की परिभाषा में सुधार

8108. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान एक सेमिनार में किन्हीं विशेषज्ञों ने गरीबी रेखा की संकल्पना/परिभाषा में किसी सुधार पर आपत्ति प्रकट की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन आपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) ऐसे किसी सेमिनार की सूचना सरकार के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंचैक टायर्स लिमिटेड, नेशनल रबर मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड और बंगाल पाट्रीज लिमिटेड की यथा-पूर्व स्थिति बहाल करना

8109. **श्री नीरेन घोष** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंचैक टायर्स लिमिटेड, नेशनल रबर मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड और बंगाल पाट्रीज लिमिटेड नामक तीन राष्ट्रीयकृत उद्योगों में, शीघ्र ही इन कम्पनियों का प्रबन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप कर यथा-पूर्व स्थिति बहाल करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या विवशताएं हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा तीन एककों का प्रबन्ध किया जा रहा है। सरकार अक्तूबर, 1981 में घोषित नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इन एककों की परिसम्पत्तियों का अन्तिम निपटारा करने के विकल्पों की जांच कर रही है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बेरोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यक्तियों को उद्यम सम्बन्धी प्रशिक्षण

8110. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यक्तियों को उद्यम सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश से चुने गए बेरोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को उद्यम सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रकार का प्रशिक्षण उद्यमवृत्ति विकास केन्द्र (सैन्टर फार एन्टरप्रेन्योरशिम डिवेलपमेंट सी०ई० डी०) अहमदाबाद और अन्य सुस्थापित प्रतिक्षण संगठनों के माध्यम से आयोजित किया जायेगा। 25 प्रशिक्षार्थियों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21-3-83 से सी० ई० डी० के बड़ौदा केन्द्र में आरम्भ हो गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार/अनुपयुक्त रोजगार प्राप्त युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना है ताकि वे अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपना विनिर्माण अथवा सेवा उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :—

1. उत्पाद मार्गदर्शन और परियोजना परामर्श
2. उपलब्धि प्रेरण
3. प्रबन्धकीय निवेश
4. परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
5. व्यापार प्रबन्ध मार्गदर्शन
6. संविधिक अभिकरणों के सम्बन्ध में सूचना और अपेक्षाएं, प्रक्रियाएं तथा औपचारिकताएं।
7. व्यवहारिक प्रशिक्षण
8. समर्थनात्मक सहायता।

बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

8112. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है;

(ख) क्या इन जिलों को औद्योगिक विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) बिहार में भागलपुर, चंपारन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामू, पूर्णिया, सहरसा, सन्थाल परगना, सारन, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगू सराय और मुंगेर जिले अखिल भारतीय सावधि ऋणदायी संस्थाओं से रियायती वित्त,

आयकर में राहत, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, और कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं पाने के वास्ते पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं।

उपर्युक्त जिलों में से भागलपुर, दरभंगा, चम्पारन, पलामू, सहरसा और सन्थाल परगना को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिए भी पात्र माना गया है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से लेकर 31-3-1983 तक इन पता लगाए गए जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों को वितरित राजसहायता के रूप में बिहार राज्य सरकार को 2.28 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

औरंगाबाद, भोजपुर, खगरिया (मुंगेर जिले से काटकर बना जिला), नालन्दा, पूर्णिया, सहरसा (माधेपुर सहित) जिलों का "उद्योग रहित जिलों" के रूप में पता लगाया गया है, जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं है। सरकार ने इन जिलों का औद्योगीकरण करने के लिए तकनीकी प्राधिकरणों में योजनाओं का पंजीकरण करने और औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। वर्ष 1982 के दौरान इन जिलों में उद्योग लगाने के लिए 7 आशयपत्र जारी किए गए हैं।

बिहार सरकार की पहल पर पलामू और मधुबनी (दरभंगा जिले से काटकर बना जिला) जिलों का केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए पता लगाया गया है। औद्योगीकरण के लिए परियोजना की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु इन दोनों जिलों के लिए गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सुझाई गई परियोजनाओं की तकनीको-आर्थिक-संभाव्यताओं के साथ-साथ उनके अनुषंगीकरण की जांच करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने हेतु यह रिपोर्ट बिहार सरकार को भेज दी गई है।

उद्योगों में मन्दी

8113. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों में मन्दी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक उद्योग में कहां तक मन्दी है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के केन्द्रीय ांख्यिकीय संगठन के (अनन्तिम) सूचकांक के आधार पर पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1982 में समग्र चकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चूंकि औद्योगिक उत्पादन में सामान्यतः वृद्धि दर्ज की गई अतः कुछ उद्योगों में संभरण और मांग के बीच प्राकृतिक प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में इसे कुछ ात्कालिक समायोजन के रूप में माना जा सकता है।

श्रेणी तीन और चार के पदों के लिए उच्चतम आयु सीमा

8114. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकारी सेवाओं की श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों में आने के लिए सामान्य श्रेणी के लिए वर्तमान आयु सीमा में 25 वर्ष से 35 वर्ष और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 30 वर्ष से 40 वर्ष तक की उच्चतम आयुसीमा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान के सिरोही जिले में खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

8115. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सिरोही जिले में खनिजों के भंडार का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप पाए गए खनिजों के नाम क्या हैं तथा उनकी मात्रा तथा पाए गए खनिजों का मूल्य क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी तक सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय क राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी हां । अब तक इस जिले में विभिन्न के निम्नलिखित भंडारों का अनुमान लगाया गया है :—

क्र० सं० खनिज	कुल भंडार (मिलियन टन)
1. तांबा अयस्क	5-40
2. सीमा तथा जस्ता अयस्क	2.50
3. टंगस्टन अयस्क	2.30
4. वोलास्टोनाइट अयस्क (सिरोही, पाली तथा उदयपुर जिले)	2.73
5. केलसाइट	4.50
6. गारनेट	5.00
7. चूना पत्थर	239.10

(ग) और (घ) राज्य सरकार तथा खनिज गवेषण निगम लिमिटेड दोनों ने अप्रैल, 82 से जनवरी, 83 तक सर्वेक्षण आदि पर 15.94 लाख रुपए व्यय किए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो इस जिले में सर्वेक्षण कार्य में लगा हुआ है, वह खनिज संसाधनों का क्षेत्रीय निर्धारण का काम भी करता है तथा किसी विशेष खनिज की खोज पर किए गए व्यय का लेखा-जोखा नहीं रखता।

खादी ग्रामोद्योग भवन में बिक्री की तुलना में पदों की संख्या

8115. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन की नई दिल्ली और कलकत्ता शाखाओं की बिक्री और विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पदों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन अपने सभी बिक्री भवनों की बिक्री और कार्यभार के आधार पर अपने कर्मचारियों के पदों की संख्या और उनके ग्रेडों पर विचार करेगा।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली और कलकत्ता के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रु० में)

	खादी ग्रामोद्योग भवन	
	नई दिल्ली	कलकत्ता
1977-78	3.11	1.54
1978-79	3.20	1.50
1979-80	3.29	1.50
1980-81	4.70	1.56
1981-82	4.85	1.92

पिछले पांच वर्षों में दोनों भवनों में विभिन्न ग्रेड के पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

पदों की संख्या

क्रमांक पद का नाम	नई दिल्ली					कलकत्ता				
	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. प्रबन्धक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. लेखा अधिकारी	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3. लेखाकार-I	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1*
4. वरिष्ट प्रभारी	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
5. अधीक्षक	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6. गोदाम प्रभारी	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
7. प्रभारी	8	7	8	7	7	—	—	—	—	—
8. लेखाकार-II	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3
9. कनिष्ठ प्रभारी	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	वरिष्ठ कटर	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
11.	आर्टिस्ट	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
12.	प्रभारी (रेडीमेड)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
13.	निदेशक	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
14.	स्टेनो-I	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
15.	लेखाकार-III	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	लेखा लिपिक	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
17.	स्टोर क्लर्क	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
18.	खजांची	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
19.	बिक्रीकर्ता-I	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20.	खरीद प्रभारी	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
21.	सहायक प्रभारी	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
22.	सहायक डेकोरेटर	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
23.	कटर मास्टर	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
24.	उच्च श्रेणी लिपिक	32	34	33	33	33	21	21	21	20*	20
25.	बिक्रीकर्ता-II	22	23	25	24	23	16	16	16	16	16
26.	कनिष्ठ सज्जाकार	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
27.	बिक्रीकर्ता-III	37	34	38	38	37	12	12	12	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	निम्न श्रेणी लिपिक	45	44	43	44	44	12	12	12	12	12
29.	दफ्तरी	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—
30.	हैल्पर/पैकर	38	37	37	42	41	19	19	19	19	19
31.	चपरासी	14	12	9	6	6	3	3	3	3	3
32.	वाचमेन	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6
33.	फराश	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34.	ड्राइवर	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
	योग—	217	213	216	217	214	117	117	117	117	117

*उच्च श्रेणी लिपिक के पद को समर्पित करके अधीक्षक के पद का सृजन अक्तूबर, 1980 में किया गया :

कर्मचारियों की स्थिति बिक्री पणतावर्त पर आधारित है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए लम्बित पड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले

8117. **श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शीघ्र करने और उन्हें शीघ्र निपटाने के बारे में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) जन प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और धोखाधडी के कितने मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के लिए लम्बित पड़े हैं और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए;

(घ) क्या प्रशासन और जन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को निपटाने के उपायों पर तथा विभागीय जांच पड़ताल/मामलों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कैसे और उनका ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यमान अनुदेशों में व्यवस्था है कि सभी लम्बित जांचों/जांच पड़तालों/विभागीय कार्रवाइयों के मामले में शीघ्रता बरती जाए। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि विभागीय अध्यक्ष केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ लम्बित जांचों/जांच पड़तालों/विभागीय कार्रवाइयों के शीघ्र निपटान के उपायों पर विचार विमर्श करें।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वयं किसी भी शिकायत पर जांच-पड़ताल नहीं करता इसलिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास जांच पड़ताल के लिए किसी मामले के लम्बित रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास जांच-पड़ताल के लिए 1306 मामले लम्बित पड़े हैं। इन मामलों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से सभी उपायों और तरीकों का पता लगाने के लिए उच्चतर स्तरों पर इनकी आवधिक पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूर्णत: जागरूक है और मामले की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ परामर्श करके सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करती है, जिसमें चुने हुए विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से मिलकर कार्य करना शामिल होता है। विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और अनाचार से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने, भ्रष्टाचार-संभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखने, चुने हुए ठिकानों और स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने पर विशेष बल दिया जाता है औन भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाती है और विधि के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जाता है।

जहां तक विभागीय जांचों/मामलों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित प्राधिकारियों को समय-समय पर उनके शीघ्र निपटाने के लिए भी अनुरोध किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० द्वारा देतारी इस्पात संयंत्र पर खर्च की गई धनराशि

8118. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कस्ट्रक्शन लि० द्वारा प्रस्तावित दैतारी इस्पात संयंत्र के सिविल-निर्माण कार्य पर 12 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगा;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संकट की इस अवधि में योजना आयोग के नई इस्पात क्षमता बनाने सम्बन्धी विरोध के बावजूद इस परियोजना पर सरकार द्वारा इतनी भारी धनराशि खर्च करने का क्या कारण है; जबकि भारत के पास इस समय इस्पात का भारी भंडार जमा है; और

(ग) दैतारी इस्पात संयंत्र को निर्यातोन्मुख बनाने का विचार आर्थिक दृष्टि से कितना उपयुक्त रहेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० सांल्वे) : (क) अभी तक उन कार्यों के लिए अन्तिम रूप से कोई वायदा नहीं किया गया है, जिन पर यह धन राशि खर्च की जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस इस्पात कारखाने की योजना इस आधार पर नहीं बनाई जा रही है कि इसके उत्पादों का निर्यात किया जाएगा।

वेश्यावृत्ति में वृद्धि

8119. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी और सरकारी स्थानों, वैभवशाली होटलों, रेस्तोराओं और बस्तियों में वेश्यावृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली, गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे कितने मामले पाए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वेश्याओं तथा ऐसी अवैध गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस बुराई को मिटाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने काम धन्धों का सृजन करके, रोजगार उपलब्ध कराके, कुटीर और अन्य उद्योगों की स्थापना करके, उनके पुनर्वास के बारे में क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ताकि वे आर्थिक अवस्थाओं के कारण ऐसी अवैध क्रिया करने के लिए बाध्य न हों;

(च) क्या सरकार सख्त सजा देने के लिए निकट भविष्य में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (छ) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन 1978 में यथा संशोधित स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई विशिष्ट सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि देश में निजी और सरकारी स्थानों, वैभवशाली होटलों, रेस्टोरेंटों और बस्तियों में वेश्यावृत्ति के भाव बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में दिल्ली, गुजरात और अन्य राज्यों में से मामलों की संख्या के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलन नहीं किए जाते हैं क्योंकि समस्त अपराध राज्यों के अन्तर्गत हैं। अधिनियम में ऐसा व्यापार करने वालों को दण्डित करके, वेश्याओं की गतिविधियों को नियंत्रित करके और इस बुराई से बचाई गई वेश्याओं का पुनर्वास करके स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। अधिनियम में व्यापार का दमन करने, वेश्यालयों और वाणिज्यिक बुराई की अन्य किस्मों को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित उपाय पर भी विचार किया गया है और स्त्रियों और लड़कियों के अपहरण, बिक्री, व्यपहरण, शील भंग करने और गलत रूप से रोकने के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध प्रतिपूरक हैं। इसमें इस बुराई में अन्तर्ग्रस्त मामले को नजरबन्द और गिरफ्तार करने के लिए विशेष तन्त्र की व्यवस्था है जो बचायी गई स्त्रियों और लड़कियों की देखभाल, संरक्षण, इलाज, शिक्षा और पुनर्वास के लिए संरक्षण गृह और सुधार संस्थानों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है।

प्रति व्यक्ति अन्तिम उपभोग व्यय में कमी

8120. **श्री अजित बाग** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 से प्रति व्यक्ति अन्तिम उपभोग-व्यय में वास्तव में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो 1978-79 से वास्तविक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए अदालत अनुमान के अनुसार वर्ष 1970-71 के भावों के आधार पर पारिवारिक बाजारों में वास्तविक प्रति व्यक्ति निजी अन्तिम उपभोग व्यय वर्ष 1978-79 के 589.1 रु० से घटकर वर्ष 1979-80 में 551.6 रु० हो गया। इसके बाद वर्ष 1980-81 में यह बढ़कर 586.4 रु० तथा 1981-82 में पुनः बढ़कर 591.7 रु० हो गया। वर्ष 1979-80 के दौरान इसमे ह्रास मुख्यतः वर्ष के दौरान अनाजों, खाद्य तेलों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों की प्रमाता में कमी के कारण हुआ। प्रति व्यक्ति अन्तिम उपभोग व्यय के तदनुरूपी राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये अनुमान केवल अखिल भारतीय आंकड़ों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अपेक्षित बड़े उपकरणों के लिए डिजाइनों के मानकीकरण का प्रस्ताव

8121. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़े उपकरणों हेतु डिजाइनों के मानकीकरण करने और परियोजना सूची प्राप्त करने में विलम्ब न होने के लिए 'बल्क आर्डर' देने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना सूची में प्रभाव पड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बड़े उपकरणों को विलम्ब से सुपुर्दगी करना है; और

(ग) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में किस हद तक विलम्ब हुआ है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अधिकांश प्रमुख उपस्करों के डिजायन तय किए जा चुके हैं और जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक उपस्करों की बड़ी संख्या के लिए आर्डर देने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अब तक अनुभव किया गया विलम्ब का एक प्रमुख कारण ऐसा करने से दूर किया जा सकेगा और इससे निर्माण में लगने वाली अवधि को घटाने में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी।

समुद्री संसाधनों के लिए भारत-श्रीलंका का सहकारी कार्यक्रम

8122. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) हिन्द महासागर में समुद्री संसाधनों के विकास के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में बनाये गए सहकारी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस सहकारी कार्यक्रम के माध्यम से बार-बार होने वाले मछली पकड़ने के विवाद सुलझ जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत और श्रीलंका के वैज्ञानिकों और शिल्प-वैज्ञानिकों के बीच हाल ही में हुई बैठक में समुद्र-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इन पर दोनों सम्बन्धित सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) बैठक, केवल समुद्र-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक सहकारिता से सम्बन्धित थी और इसलिए, इसमें मछली पकड़ने सम्बन्धी विवादों जैसे अन्य मामलों पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को दी गई राशि

8123. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के अन्तर्गत हिमाचल को कितनी राशि दी गई और इस राशि को व्यय करने के लिए राज्य सरकार को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गये; और•

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा है और राज्य सरकार ने कितने व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रस्ताव भेजा था ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए समाज कल्याण के अन्तर्गत परिव्यय 198 लाख रु० है। इस धनराशि को खर्च करने के लिए राज्य को कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए थे। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के निर्माण के समय प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है।

(ख) कल्याण समाज के शीर्ष के अन्तर्गत कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। लाभग्राहियों की निश्चित संख्या केवल कुछ स्कीमों के सम्बन्ध में उपलब्ध है। कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए अनुदानों से 330 महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध होने की सम्भावना है। राज्य केन्द्र में 25 निवासी हैं। कृत्रिम अंग साधनों के लिए 13 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई है और 42 विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा छात्रवृत्तियां दी गई हैं। लगभग 50 व्यक्तियों के लिए मूक और बधिर सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के प्रस्तावों में प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत लाभग्राहियों की लक्ष्यित संख्या का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय

8124. **श्री के० प्रधानी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए अब तक कितने आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि संसाधनों में बाधा के कारण विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका है;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की लड़कियां के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए भी इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में अब तक 141 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) इस मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान उड़ीसा को अनुसूचित जातियों की लड़कियों के छात्रावासों के लिए 10 लाख रुपए और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावासों के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं ताकि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों की लड़कियों के छात्रावासों पर 20 लाख रुपए और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावासों पर 20 लाख रुपए खर्च कर सकें।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आदिवासी उप-योजनाओं की पुनरीक्षा

8125. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ क्षेत्रों की उप-योजनाओं की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कितनी बार की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कभी एकीकरण, सेवाओं को एक छत्र के अधीन लाना, कार्मिक नीति और एक मुख्य शीष बनाने की कोई पुनरीक्षा की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) आदिवासी उप-योजनाओं की सामान्यतः वर्ष में तीन बार पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर उल्लिखित पुनरीक्षण व्यापक हैं और सेवा उपलब्ध कराने, कार्यक्रमों के एकीकरण कार्मिक नीति, लेखा और बजट व्यवस्था सहित आदिवासी विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अधिकांश राज्यों ने आदिवासी उप-योजना राशियों के लिए राज्य बजटों में पृथक मांग अथवा उपयुक्त मुख्य और लघु बजट सम्बन्धी लेखा शीर्ष खोले हैं।

छोटा नागपुर में उद्योगों की स्थापना

8126. **श्री शिबु सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर क्षेत्र में कुटीर वन-आधारित और अन्य लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए वहां के आदिवासियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में छोटा नागपुर के आदिवासियों को उपलब्ध कराई जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1978 से 1983 तक इस सम्बन्ध में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके यदि कोई परिणाम रहे तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) छोटा नागपुर में जिलावार लघु उद्योगों और वन आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) छोटा नागपुर में, जिलावार आदिवासी उद्यमियों द्वारा कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) बिहार के छोटा नागपुर के सभी जिले अर्थात् हजारी बाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, पलामू और सिंहभूम केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल हैं जिसके अन्तर्गत छोटे, लघु कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश-पूर्व निवेश और निवेशोत्तर सभी स्तरों पर अनुसूचित जन-जातियों सहित उद्यमियों को सभी आवश्यक सहायताएं तथा सेवाएं यथासम्भव एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है और बाद में वे राज्य सरकारें इस निधि को अपने राज्यों के विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित करती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वनों पर आधारित एककों सहित ऐसे एककों की स्थापना पर बल दिया जाता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित होते हैं। छोटा नागपुर के विभिन्न जिलों में उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए लघु उद्योग एककों तथा कारीगरों पर आधारित एककों के साथ-साथ अनुसूचित जन-जातियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योग एककों की संख्या संलग्न विवरण में सूचित की गई है।

विवरण

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए लघु उद्योग तथा कामगार आधारित एककों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

जिला उद्योग केन्द्र	1980-81			1981-82			1981-82 में कुल एककों में बनों पर आधारित एककों की संख्या		
का नाम	कारीगर	लघु उद्योग	कुल	कारीगर	लघु उद्योग	कुल	कारीगर	लघु उद्योग	कुल
1. हजारी बाग	504	96	600	527	78	605	201	7	208
2. गिरडीह	459	110	569	85	85	170	41	5	46
3. धनबाद	810	135	945	62	132	194	सूचित नहीं की गई		
4. रांची	सूचित नहीं की गई			244	267	491	11	30	41
5. पलामू	530	105	635	460	110	570	6	2	8
6. सिंहभूम	सूचित नहीं की गई			857	203	1060	187	23	210

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए लघु एककों में से अनुसूचित जन-जातियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए एककों की संख्या

जिला उद्योग केन्द्र का नाम	1980-81	1981-82
1. हज़ारीबाग	5	46
2. गिरडीह	4	2
3. धनबाद	5	कुछ नहीं
4. रांची	सूचित नहीं की गई	65
5. पलामू	40	65
6. सिंहभूम	सूचित नहीं की गई	358

आदिवासी संस्कृति और भाषा केन्द्र की स्थापना

8127. **श्री शिबु सोरन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदिवासी संस्कृति और भाषा केन्द्र की भारत के किसी भी भाग में स्थापना में रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थानों ने आदिवासी भाषा के अध्यापन तथा भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के अनुसंधान के लिए किन स्थानों पर केन्द्र खोले हैं;

(ग) भारत तथा विदेशों में उन व्यक्तियों या संस्थानों जिनकी सरकार ने सलाह ली है, उनके नामों सहित में आदिवासी संस्कृति की प्रदर्शनी का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आदिवासी संस्कृति और भाषा के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (संस्कृति विभाग) और राज्य सरकारों में सम्बन्धित विभाग आदिवासी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने, विकास और लोकप्रियता के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। संगीत नाटक अकादमी चालू पंचवर्षीय योजना के अधीन एक योजना "आदिवासी संस्कृति का विकास" कार्यान्वित कर रही है। भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, मैसूर आदिवासी और अन्य सीमावर्ती भाषाओं के विकास के लिए कार्यक्रम चलाता है। संस्थान प्राथमिक पाठशालाओं और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए फोनेटिक रीडर, व्याकरण, शब्दकोश और अन्य अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के लिए लगभग 40 आदिवासी भाषाओं पर कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगला राज्यों में जनजाति अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग आदिवासी समस्याओं, भाषाओं, संस्कृति आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान करते हैं।

(ग) तथा (घ) 19181-82 के दौरान संगीत नाटक अकादमी ने गुजरात के दांग क्षेत्र और मणिपुर के अर्बाधखुल में आदिवासी कला के उत्सव आयोजित किए। अकादमी ने 1979-80 और 1980-81 के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में विभिन्न संस्थानों को लोक आदिवासी अभिनय कला के उन्नयन के लिए क्रमश: लगभग 42,000 रुपए और 49,000 रुपए का सहायता अनुदान दिया।

(ङ) संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में पारम्परिक कला के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां देता है। संगीत नाटक अकादमी (क) प्रलेखन, प्रालेख एकत्रीकरण और अनुसंधान (ख) अभिनय कलाओं की दुर्लभ किस्मों की उन्नति और बनाए रखना (ग) आदिवासी संस्कृति का विकास और (घ) गुड़िया कला को प्रोत्साहन के माध्यम से लोक और पारम्परिक कला का संरक्षण करती है और प्रोत्साहन देती है। अकादमी आदिवासी कला में प्रशिक्षण देने वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी देती है। राज्य सरकारों की आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किए गए कार्मिकों के लिए आदिवासी भाषाओं में प्रशिक्षण देने की योजनाएं हैं।

गृह मंत्रालय की फाइलों का गुम होना

8128. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री असम पर फाइल के गुम होने के बारे में 16 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस प्रकार मंत्रालय की गुम हुई फाइलों का ब्यौरा क्या है ?

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री* (श्री निहार रंजन लास्कर)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा 1982-83 के दौरान सर्वेक्षण

8129. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-सर्वेक्षण कितने जलपोत चला रहा है और 1982-83 के दौरान उन्होंने किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया तथा उनके क्या निष्कर्ष रहे;

(ख) क्या और जहाज खरीदने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फील्ड सत्र 1982-83 (सितम्बर, 1982 से अक्तूबर, 1983) के दौरान समुद्र पट्टी तलछाटन, विशेषतया बम्बई के निकट अरनाला द्वीप के समुद्र में पारा (मरकरी) की खोज के लिए अध्ययन शुरू किया है और इसके लिए एक फिशिंग जहाज किराए पर लिया है। हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने लिए एक नए मॉडल का गवेषणी पोत भी प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नीदरलैंड सरकार की सहायता से उथले

मध्य समुद्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए दो और गवेषणी मोटर बोटयान खरीदने का विचार है। इस सम्बन्ध में नीदरलैंड अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

बिहार में गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा खानों का चलाया जाना

8130. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** बिहार में गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा खानों को चलाए जाने के बारे में 23 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3971 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सिंहभूम जिले में कुछ खान मालिकों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) उन खान मालिकों का ब्यौरा क्या है जिन पर मुकदमें चलाए गए हैं और वे मुकदमें किस-किस तारीख को दायर किए गए थे;

(ग) क्या अब तक किसी खान मालिक को सजा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरे-वार तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एच० एस० सी० एल० में फालतू मजदूर

8131. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एस० सी० एल० के अन्तर्गत कुल कितने ठेकेदार कार्य करते हैं, और 1-1-1983 को ठेकों में उनके द्वारा कितने मजदूर लगाए गए थे;

(ख) 1-1-198 तक एच० एस० सी० एल० में कितने कथित फालतू मजदूर थे;

(ग) पिछले तीन वर्षों में एच० एस० सी० एल० के ठेकेदारों को कुल कितनी राशि की अदायगी की;

(घ) पिछले तीन वर्षों में एच० एस० सी० एल० को कुल कितनी हानि हुई और कथित फालतू मजदूरों को उसी अवधि के लिए वर्ग-वार कितनी राशि मंजूरी ने रूप में अदा की गई; और

(ङ) एच० एस० सी० एल० द्वारा यह दावा करने के पश्चात् कि उनके पास फालतू मजदूर हैं, ठेकेदार नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

8132. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग और उसके सम्बद्ध कार्यालयों में 1982 के दौरान कितनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गईं;

(ख) क्या इन विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम को विकल्प के रूप में अपनाया गया था और यदि हां, तो ऐसी परीक्षाओं की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी सभी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को कब तक अनुमति दी जाएगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) शून्य।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकल्प

8133. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कुल कितने और कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) इनमें से कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम के विकल्प की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम के विकल्प की अनुमति दी गई है और यदि नहीं, तो ऐसा विकल्प कब तक दिया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्र संकार्य प्रभाग में 5 आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ये केन्द्र इलाहाबाद, कलकत्ता, जयपुर, नागपुर तथा बंगलौर में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन एवं संगणक केन्द्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) क्षेत्र संकार्य प्रभाग के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में इसके तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष औसतन 5 से 6 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन कुछ तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 6 नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है। दिसम्बर, 1982 से संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक सर्वेक्षण क्षमता कार्यक्रम के अनुसमर्थन में वे 2 वर्षों की अवधि के लिए दो पाठ्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। संगणक केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विधायन विषयक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की बहुभाषी प्रकृति को ध्यान में रखकर जयपुर, इलाहाबाद तथा नागपुर के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में जहां तक संभव है, हिन्दी को माध्यम के रूप

में प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(घ) इलाहाबाद, नागपुर तथा जयपुर प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने का भी विकल्प है। इन पाठ्यक्रमों की गहन तकनीकी प्रकृति के कारण तथा प्रशिक्षणार्थियों की बहुभाषी संरचना जिसमें विदेशी प्रशिक्षणार्थी भी सम्मिलित हैं, को ध्यान में रखकर बंगलौर तथा कलकत्ता के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रशिक्षण प्रभाग एवं संगणक केन्द्र में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार का विकल्प अभी तक नहीं दिया गया है।

राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचना

8 34. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय/विभाग राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) अब तक उनके मंत्रालय/विभाग के कौन-कौन से सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय कब-कब से उपयुक्त धारा के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं;

(ग) उपर्युक्त खंड "ख" में दशाए गए कितने कार्यालय अब तक उपर्युक्त नियम की धारा 8 (4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं; और

(घ) जिन कार्यालयों को अब तक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) योजना आयोग को तो अधिसूचित नहीं किया गया है परन्तु सांख्यिकी विभाग को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ख) **योजना आयोग** : योजना आयोग के अधीन कोई भी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तथापि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अधीन सात (7) में से निम्नलिखित छः (6) क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत 2 अगस्त, 1979 को अधिसूचित किया गया था :—

(1) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कलकत्ता।

(2) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, बम्बई।

(3) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ।

(4) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद।

(5) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चण्डीगढ़।

(6) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।

सांख्यिकी विभाग : 8 अक्तूबर, 1980 को 26 कार्यालय अधिसूचित किए गए। (सूची संलग्न है) **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6432/83]**

(ग) योजना आयोग : कोई भी नहीं।

सांख्यिकी विभाग : कोई भी नहीं।

(घ) **योजना आयोग** : राजभाषा नियम के नियम 8(4) के अन्तर्गत ऊपर (ख) में उल्लिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि उनका मुख्य कार्य महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन करने तथा ऐसे अध्ययनों की रिपोर्टें तैयार करने के सम्बन्धित होता है। अत: इन कार्यालयों को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना व्यावहारिक नहीं होगा।

सांख्यिकी विभाग : इस बात की जांच की जा रही है कि कौन-कौन से कार्य हिन्दी में किए जा सकते हैं। तत्पश्चात् सम्बद्ध कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में भू-गर्भीय सर्वेक्षण

8135. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुडापाह बेसिन में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां। कुडप्पा-बेसिन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर खनिजों की खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं जो अभी भी चल रहे हैं।

(ख) राज्य में इस बेसिन तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में की गई खोज के फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य खनिजों के भंडारों का अनुमान लगाया गया है :—

क्रम सं०	खनिज ग्रेड	अनुमानित भंडार (मि० टन०)
1.	सीसा-जस्ता अयस्क—3.81% सीसा तथा 1.09% जस्ता औसत वाले	17.62
2.	ताम्बा अयस्क—1.42 से 1.51% ताम्बा वाले	8 10
3.	लौह अयस्क (हेमेटाइट) 58 से 68% लौह तत्व वाले	12.04
4.	चूना पत्थर सभी ग्रेड	15,970.64
5.	डोलोमाइट सभी ग्रेड	0.02
6.	क्राइमोटाइल एसबेस्टस	0.0125
7.	बैराइट्रा सभी ग्रेड	71.82
8.	चीनी मिट्टी	6.354
9.	स्टैटाइट	0.071

आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

8136. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 में देश में कुल कितने विभिन्न तरह के निजी आग्नेय अस्त्रों के लिए लाइसेंस थे और इस समय देश में उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) तत्सम्बन्धी हथियार-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) आग्नेय अस्त्रों के अधिकांश श्रेणियों के लिए लाइसेंस देने की शक्तियां राज्य सरकारों और जिला प्राधिकारियों के पास है। 1948 में जारी किए गए लाइसेंसों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर 31-12-1975 को अग्नेय अस्त्रों के लिए कुल लाइसेंसों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण (विवरण एक) संलग्न है और 31-3-1982 को राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण (विवरण दो) भी संलग्न है। केन्द्र सरकार हथियार वार और जिला वार ब्यौरे संकलित नहीं करती है।

विवरण एक

31 दिसम्बर, 1975 को जनता के पास लाइसेंस प्राप्त अग्नेय-अस्त्रों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-12-1975 को जनता के पास लाइसेंस प्राप्त अग्नेय-अस्त्रों की कुल संख्या
1	2	3
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	25260
2.	असम	4455[illegible]
3.	बिहार	93438
4.	गुजरात	71326
5.	हरियाणा	31763
6.	हिमाचल प्रदेश	71783
7.	जम्मू और कश्मीर	9715
8.	कर्नाटक	61750
9.	केरल	24072

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	133169
11.	महाराष्ट्र	89908
12.	मणिपुर	13385
13.	मेघालय	12125
14.	नागालैंड	5393
15.	उड़ीसा	28659
16.	पंजाब	59925
17.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं
18.	सिक्किम	736
19.	तमिलनाडु	25421
20.	त्रिपुरा	903
21.	उत्तर प्रदेश	443025
22.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं
	जोड़ :	1251309
	संघ शासित क्षेत्र	राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	445
24.	अरुणाचल प्रदेश	10489
25.	चण्डीगढ़	565
26.	दादरा और नगर हवेली	57
27.	दिल्ली	4124
28.	गोवा दमन व दीव	4217
29.	लक्षद्वीप	1
30.	मिजोरम	220
31.	पांडिचेरी	20
	जोड़	20238
	कुल जोड़	1271547

(राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर)

विवरण दो

31-3-1982 को जनता के पास लाइसेंस प्राप्त अग्नेय अस्त्रों की कुल संख्या के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	31-3-1982 को जनता के पास लाइसेंस प्राप्त अग्नेय अस्त्रों की कुल संख्या
1	2	3
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
2.	असम	59621
3.	बिहार	82135
4.	गुजरात	96985
5.	हरियाणा	52851
6.	हिमाचल प्रदेश	671073
7.	जम्मू और कश्मीर	46435
8.	कर्नाटक	113859
9.	केरल	19957
10.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं
11.	महाराष्ट्र	101106
12.	मणिपुर	6984
13.	मेघालय	13806
14.	नागालैंड	30469
15.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं
16.	पंजाब	193256
17.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं
18.	सिक्किम	1869
19.	तमिलनाडु	36213
20.	त्रिपुरा	5625
21.	उत्तर प्रदेश	570603
22.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं
	जोड़	21,02,847

1	2	3
		(आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर
	संघ शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	351
24.	अरुणाचल प्रदेश	10691
25.	चण्डीगढ़	11327
26.	दादरा और नगर हवेली	160
27.	दिल्ली	38197
28.	गोवा दमन व दीव	5452
29.	लक्षद्वीप	6
30.	मिजोरम	862
31.	पांडिचेरी	871
	जोड़	67,917
	कुल जोड़	21,70,764

वाणिज्यिक उपयोग के नए खनिजों की खोज

8137. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 के दौरान वाणिज्यिक उपयोग में आने वाले नए खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन खनिजों के नाम क्या हैं, उनके भण्डार कहां-कहां हैं और उनका अनुमानित भण्डारण कितना है;

(ग) क्या 1982 के दौरान वाणिज्यिक स्तर पर कोई नए खनिज भण्डारों से खनिज निकालने का काम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे सतत खनिज निकालने का काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) फील्ड सत्र 1981-82 के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के निम्नलिखित भंडारों का आकलन किया गया :—

खनिज	मात्रा (मि० टन)	स्थान
कोयला	1413	पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मेघालय तथा तमिलनाडु
लिग्नाइट	125	—यथोपरि—
तांबा	4.66 (0 7 से 1·35% तांबा युक्त)	राजस्थान
	1.00 (7% तांबा युक्त)	महाराष्ट्र
	0.49 (1.21% तांबा युक्त)	बिहार
टंगस्टन	0.110 (0·10 से 0·18% डब्लू ओ 3(	बालडा क्षेत्र, राजस्थान।
टिन धातु	0.002	मध्य प्रदेश।
मैंगजीन	6.22 (46% मैंगनीज युक्त)	मध्य प्रदेश में डोंगरी बुजुर्ग क्षेत्र
चूना पत्थर (फ्लकस ग्रेड)	970	मध्य प्रदेश का बाणसागर क्षेत्र।
स्वर्ण अयस्क	0.35 (4 ग्राम प्रति टन युक्त)	आन्ध्र प्रदेश का चिकारगुंटा-नन्दीमाड्गु क्षेत्र 1
	1.23 (1.62 ग्राम प्रति टन युक्त)	कर्नाटक में गदाग स्वर्ण क्षेत्र का होसुर खंड।
फास्फोराइड	13.3 (20 से 33% पी$_2$ ओ$_5$ युक्त)	मध्य प्रदेश के सागर छत्तरपुर जिले।
	4.5 (13.17% पी$_2$ ओ$_5$ युक्त)	पश्चिमी बंगाल बेलडीह खंड

(ग) तथा (घ) 1982 के दौरान वाणिज्यिक दोहन वाले मुख्य निक्षेप निम्नलिखित हैं :—

I. (1) हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा मलंजखंड, जिला बालाघाट (म० प्र०) के तांबा अयस्क।

(2) राजपुरा-दरीबा सीसा जस्ता खनिज भंडार।

(3) उड़ीसा का सरगीपल्ली सीसा निक्षेप।

II. विकासगत मुख्य निक्षेप हैं—

(1) राजस्थान में रामपुरा-अगुचा तथा बरोई में सीमा-जस्ता अयस्क निक्षेप।

(2) राजस्थान में दरीबा चान्दमारी तांबा अयस्क निक्षेप।

III. इसके अलावा, 1982 के दौरान विभिन्न राज्यों में बौक्साइड, केलसाइट, खड़िया, चीनी मिट्टी, क्रोमाइट, डोलोमाइट, फायरक्ले, ग्रेफाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैगनेसाइट, मैगनीज अयस्क, अभ्रक, स्फटिक, सिलिका सैंड, सोपस्टोन आदि की 87 नई खानें खोली गईं।

शीतल पेयों के उत्पादन हेतु लाइसेंस

8138. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शीतल पेय का उत्पादन करने के लिए किसी विदेशी कम्पनी ने लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें भारत में अपनी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों की रैली करने की अनुमति वापस लेना

8139. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली के लिए हाल ही अनुमति वापिस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अधिकारियों द्वारा ऐसा करने पर भूतपूर्व सैनिकों की मनोव्यथा की जानकारी है; और

(घ) क्या सरकार का इस संकीर्ण दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) यह सच है श्रीमान, कि अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ 29 अक्तूबर, 1982 को बोट क्लब पर एक रैली आयोजित करना चाहता था। उन्होंने रैली करने और लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। एशियन खेल समाप्त होने तक कोई रैली की अनुमति न देने के लिए किए गए निर्णय के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बोट क्लब पर रैली करने की अनुमति नहीं दी जा सकी।

(घ) प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कारों के निर्माण पर शुल्क छूट का प्रभाव

8140. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कारों और टू-व्हीलरों के निर्माण में सहायता के लिए हाल में दी गयी सीमा और उत्पादन शुल्क छूटों का उनके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या निर्माताओं को छोटी कारों और टू-व्हीलरों के दामों में कमी करने के लिए भी आदेश दिए जायेंगे; और

(ग) खरीदारों को शीघ्र छोटी कारों की सप्लाई करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) यात्री कारों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के एकक, मारुति उद्योग लि० की स्थापना के साथ-साथ दी गई रियायतों और दुपहियों के उत्पादन के लिए अनेक नये एककों के स्थापित होने से जिनमें नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाया जाएगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा, यह आशा है कि सस्ती और प्रतियोगी लागतों पर इन गाड़ियों का अधिक उत्पादन और बिक्री करने में मदद मिलेगी। सरकार ने भी उचित स्तरों पर मूल्यों को बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में मोटरगाड़ी उद्योग पर बल दिया है। मारुति उद्योग लिमिटेड में 1983 के अन्त तक उत्पादन शुरू होने और चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाकर 1988-89 तक लगभग 1,00,000 गाड़ियों का उत्पादन करने की आशा है जिससे ग्राहकों की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

सरताज ट्रैक्टरों में दोष

8141. **श्री अनन्त रामुल मल्लु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरताज ट्रैक्टरों के दोषों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) श्री हुकुमदेव नारायण यादव संसद सदस्य से एक शिकायत मिली थी जिन्होंने स्वराज सरताज ट्रैक्टर के बारे में शिकायत की थी जिसे उनके रिश्तेदार ने वर्ष 1980 में खरीदा था।

(ग) इस मामले को मे० पंजाब ट्रैक्टर्स के साथ उठाया गया था जिन्होंने अपने सर्विस इन्जीनियर को 28-12-82 को उसकी मरम्मत करने के लिए भेजा था। श्री तेज नारायण यादव, जो श्री हुकुमदेव नारायण यादव के रिश्तेदार हैं, ने सूचित किया है, कि ट्रैक्टर संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। हां, उन्होंने फिर शिकायत की है और इस मामले की जांच की जा रही है। कम्पनी के सहायक सर्विसिंग मैनेजर ने भी श्री यादव संसद सदस्य से भेंट की है।

स्वराज सरताज माडल का परीक्षण ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी में किया गया है और परीक्षण के परिणाम से यह पता चलता है कि इसका कार्य संतोषजनक है ।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम

8142. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि उड़ीसा ने छठी योजनावधि के दौरान ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक पुनर्वास की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष मे यह योजना आरम्भ की गई है और इस योजना से अब तक कुल कितनी आदिवासी जनसंख्या लाभान्वित हुई;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक पुनर्वास में धन खर्च करने हेतु उस राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या वे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं मानी गयी थीं अथवा राज्य प्रायोजित योजनाएं; और

(ङ) इसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से धनराशि सुलभ करने का यह निर्णय क्यों लिया गया ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास की स्कीम वर्ष 1980-81 में आरम्भ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित जनजातीय परिवारों की संख्या वर्ष 1980-81 में 14521 और वर्ष 1981-82 में 19581 थी। वर्ष 1982-83 में लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या 37154 होने की संभावना है, इस प्रकार अब तक लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या 71256 हो जाएगी।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो विशेष केन्द्रीय सहायता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है वह जनजातीय क्षेत्रों में चल रही स्कीमों के लिए संयोज्य के रूप में उपलब्ध है । गृह मंत्रालय ने इस शीर्ष के अन्तर्गत उड़ीसा को दी गई सहायता का कुछ भाग ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास की स्कीमों पर खर्च करने की स्वीकृति दी है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास की स्कीम एक राज्य स्कीम है जिसके लिए राज्य की योजना में अलग प्रावधान है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को विशेष लक्ष्यित समूहों की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए बनाई गई केन्द्रीय स्कीमों के साथ कार्यान्वित कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने लक्ष्यित समूहों के लोगों को गरीबी की रेखा पार करने में सहायता के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता धनराशि का उपयोग करने की स्वीकृति दी है ।

उड़ीसा में समेकित आदिवासी विकास परियोजना और ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास योजनाओं के अधीन राज सहायता

8143. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आदिवासी विकास परियोजना और ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं के अधीन लाभार्थियों को कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) क्या ये दोनों योजनायें राज्य सरकार की योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हीं क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही इन दो योजनाओं से उस राज्य द्वारा दी गई राजसहायता में असमानता क्यों है;

(घ) क्या यह भी सच है कि समेकित ग्रामीण विकास योजना के अधीन उसी क्षेत्र के लाभार्थियों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो समेकित आदिवासी विकास परियोजना और ग्रामीण निर्धन पुनर्वास, दोनों ही कार्यक्रमों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं, क्योंकि उनके मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता दोनों ही योजनाओं के लिए दी जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आदिवासियों के लिए समेकित आदिवासी विकास परियोजना स्कीमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की दर व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए 50% है। ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास सम्बन्धी योजना के अधीन भूमि पर आधारित योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की दर 100%, पशुपालन योजनाओं के लिए 75% और अन्य आय बढ़ाने वाली योजनाओं के लिए 50% है।

(ख) दोनों उड़ीसा सरकार की राज्य योजना स्कीमें हैं।

(ग) दोनों स्कीमों के अधीन आर्थिक सहायता की दरों में असमानता है चूंकि ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास योजना में पात्र लाभार्थी परिवार वह है जिसके पास आय देने वाली परिसम्पत्ति नहीं है, जिसकी आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी है और जिसकी वार्षिक आय 1200 रु० से अधिक नहीं है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम में वह आदिवासी जिसके पास 10 एकड़ तक भूमि है, उड़ीसा में लाभार्थी के रूप में चुना जाता है।

(घ) आई० आर० डी० स्कीम के अधीन छोटे किसानों के लिए 25%, सीमान्त किसानों के लिए 33-$\frac{1}{3}$% और आदिवासी लाभार्थियों के लिए 50% की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध है।

(ङ) दोनों योजनाएं राज्य योजना स्कीमें हैं जिनको अनेक अन्य विकास योजनाओं के साथ इस मंत्रालय से विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम

ागभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य आदिवासियों पर विशेष ध्यान के साथ क्षेत्र का व्यापक विकास करना है। इसलिए इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं माना है। ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास परियोजना की स्कीम एक राज्य योजना है और इसे ा उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कारण इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ्प में भी शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े भूमि सुधार उपायों सम्बन्धी विधेयक

8114. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित भूमि सुधार उपायों से सम्बन्धित कितने विधेयक ाष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) ऐसे विधेयक का ब्यौरा क्या है और उस विधेयक को पारित करने वाले राज्य विधान ण्डलों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कब से लम्बित पड़ा है; ार

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न ववरण में दी गई है।

विवरण

राज्य सरकारों से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भूमि सुधार उपायों सम्बन्धी निम्नलिखित छ: विधेयक प्राप्त हुए हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	विधेयक का नाम	प्राप्त होने की तारीख
1.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	1-7-81
2.	पश्चिम बंगाल	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	21-5-81
3.	बिहार	बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1982	21-4-82
4.	बिहार	बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1982	16-8-82
5.	हरियाणा	पंजाब भूमि काश्तकारी सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1982	18-10-82
6.	हरियाणा	पैप्सू काश्तकारी तथा कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1982	23-10-82

सरकार इन विधेयकों पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार कर रही है।

समुद्री कछुओं का अनधिकार शिकार

8145. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री कछुओं के अनधिकार शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उड़ीसा में समुद्री कछुओं का अनधिकृत शिकार बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के समुद्र में कछुओं के अनधिकृत शिकार को रोकने के लिए केन्द्र द्वारा क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) बंगाल की खाड़ी में उपलब्ध समुद्री कछुओं के व्यवहार और प्राकृतिक आदतों का अध्ययन करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या योजना बनाई गहै है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : समुद्री कछुए वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची के I अंतर्गत आते हैं और इन स्पीशीज के सामान्य शिकार की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं :

1. समुद्र तट के साथ-साथ बसेरा स्थलों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है और प्रमुख मार्गों पर जांच चौकियां स्थापित की गई है जिसके समीप से अनधिकृत शिकार किए गए कछुए वाहित किए जाते हैं।

2. पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता बाजार में इनकी बिक्री को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

3. तटीय जल की गश्ती और अनधिकार शिकार करने वालों के वैसल्स को पकड़ने के लिए सामुद्रिक पुलिस अधिकारियों की सहायता ली गई है। अतः तट के आसपास नियमित निगरानी रखी जा रही है।

4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य का प्रचार भी किया जा रहा है कि समुद्री कछुए संरक्षित स्पीशीज हैं और उनको पकड़ना, शिकार करना अथवा बेचना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सेन्ट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की तकनीकी सहायता से समुद्री कछुओं के पुनर्वास के लिए बन्दी प्रजनन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए हैं।

(घ) इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, समुद्री कछुओं की प्रजनन जैविकी पर अध्ययन किए जा रहे हैं। एक विशेष दल की स्थापना की जा रही है जो इस विषय पर विचार करेगा।

सीमेंट का आयात

8146. **श्री चित्त महाटा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सीमेंट का आयात किया जा रहा है;

(ख) देशवार कितना सीमेंट आयात किया जा रहा है;

(ग) 1983-84 के लिए देश में सीमेंट की मांग कितनी होगी;

(घ) 1983-84 के लिए देश में सीमेंट का उत्पादन कितना होगा; और

(ङ) आगामी वर्षों में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों से आयात किया गया है उनमें दक्षिण कोरिया डी० पी० आर० कोरिया, जापान, इण्डोनेशिया, फिलीपाइन्स, वियतनाम, ताइवान और पौलैण्ड शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का आयात निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टनों में)
1980-81	19.74
1981-82	15.98
1982-83	19.33 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग (1980-85) के कार्यकारी दल ने कुछ धारणाओं के आधार पर पूर्वानुमान लगाया है कि 1983-84 तक देश में सीमेंट की मांग लगभग 350 लाख मी० टन होगी। उस वर्ष में सीमेंट का उत्पादन 280 लाख मी० टन होने की आशा है।

(ङ) सम्भव सीमा तक अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियों को उपलब्ध कराकर देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने का हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है।

उड़ीसा में पट्टासिंगी क्षेत्र में लांजिया सौरा पर माइक्रो परियोजना

8147. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री उड़ीसा में अत्यन्त प्राचीन आदिवासी समुदायों के बारे में परियोजना रिपोर्ट के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी और हरिजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर को पुट्टासिंगी क्षेत्र में लांजिया सौरा पर माइक्रो परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) क्या परिवार-वार सर्वेक्षण के लिए 1981-82 के दौरान परियोजना आरम्भ की जानी थी और 1982-83 में उनका क्रियान्वयन आरम्भ करने के लिए सरकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी;

(ग) अन्य माइक्रो परियोजना को स्वीकृति कब दी गई थी और जो आदिवासी और हरिजन

अनुसंधान संस्थान द्वारा परिवार-वार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किए बिना प्रगति की विभिन्न स्थिति में हैं; और

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा ऐसे अध्ययन के लिए केवल पुट्टासिंगी माइक्रो परियोजना का कार्य सौंपने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पुट्टासिंगीं लानजिया सौरा के लिए माइक्रो परियोजना प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव 1980-81 के दौरान में शुरू किया गया था और आदिवासी और हरिजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से, विस्तृत परिवार-वार सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ) यह सही नहीं है कि आदिवासी और हरिजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को केवल पुट्टासिंगी माइक्रो परियोजना के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए पांच अन्य माइक्रो परियोजना नामत: गदावा, लोधा, बोरहोर, इरेंगा कोल्हा, कुटिया कोंध हिल खारिया और मनकाड़िया, तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया था।

उड़ीसा में पांचवीं योजना के दौरान अत्यन्त प्राचीन पुट्टासिंग सौराओं के लिए माइक्रो परियोजना

8148. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पांचवी योजना के दौरान अत्यन्त प्राचीन पुट्टासिंग सौरा आदिवासियों के लिए माइक्रो परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव किया था और छठी पंचवर्षीय योजना की तीन वार्षिक योजना समाप्त होने के बाद भी अभी उन्हें यह परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह आदिवासी अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा तैयार की जा रही है और यदि हां, तो उस संस्थान द्वारा तैयार की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य माइक्रो परियोजना रिपोर्टों के नाम क्या हैं; और

(घ) पुट्टासिंग के लिए माइक्रो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम संस्थान द्वारा कब से आरम्भ किया गया था और उक्त रिपोर्ट कब उपलब्ध हो जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पुट्टासिंगी लांजिया के लिए एक माइक्रो प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आरम्भ किया गया था और आदिवासी तथा हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर से विस्तृत परिवार वार सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। उड़ीसा सरकार को हाल में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसे राज्य सरकार ने कलैक्टर कोरापुट को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया है। आदिवासी और हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान,

भुवनेश्वर ने भी गडाबा, लोधा, बीरहोर, दूरेंगा कोल्हा, कटिया कोंध हिल खरिया और मकन्दिया पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की हैं। राज्य सरकार द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(घ) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य 1980-81 में शुरू किया गया था और उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में फेरा कंपनियों द्वारा उद्योगों की स्थापना

8149. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फेरा कंपनी अथवा उसकी अनुषंगियों ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की है।

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी कंपनियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर उनको लाइसेंस दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियां समय-समय पर यथा संशोधित 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध उद्योगों में भाग लेने की पात्र हैं। ऐसी कंपनियों को, सामान्यत: उन उद्योगों को छोड़कर जिनमें उत्पादन प्रमुखत: निर्यात के लिए किया जाता है, इस सूची में शामिल न किए गए उद्योगों से अलग रखा जाता है। इन उद्योगों को न्यूनतम 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व के अधीन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में भाग लेने की अनुमति है। 1-1-1982 से 31-3-1983 तक की अवधि के दौरान में हिन्दुतान लीवर लि० ने कांडला युक्त व्यापार क्षेत्र में इस प्रकार की एक वस्तु अर्थात टूथ पेस्ट का उत्पादन करने के लिए इस शर्त पर एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया है कि इस वस्तु के समग्र उत्पादन का निर्यात किया जाएगा।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योजनाएं

8150. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित विवरण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छठी योजना के दौरान आरम्भ की गई महत्वपूर्ण योजना कौन सी हैं और उनमें कुल कितने क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छठी योजना के दौरान आरम्भ की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित है :

1. केन्द्र और राज्यों में पर्यावरण विभाग की स्थापना, जिसमें से आठ ने अब तक ऐसे विभागों की स्थापना कर ली है।

2. राष्ट्रीय वन नीति का पुनरीक्षण और देश के राष्ट्रीय वनस्पति मानचित्र को तैयार करना।

3. प्रदूषण नियन्त्रण और ऊर्जा बचत उपायों के लिए उपकरण स्थापित करने के लिए कर प्रोत्साहनों और पूंजी लागत के 30% त्वरित अवमूल्यन का प्रावधान तथा संकुलित शहरों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए पूंजी लाभ कर को हटाना।

4. विस्तृत बनारोपण तथा मृदा संरक्षण इत्यादि के लिए 11 राज्यों में 60,000 विश्वविद्यालय और स्कूली छात्रों तथा स्वयंसेवी अभिकरणों के सहयोग द्वारा पारि-विकास कार्यक्रम। 1820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आच्छादित दूनवैली पायलट प्रोजेक्ट का भूतपूर्व-सैनिकों की पारिस्थितिकीय कार्य बल द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

5. राजस्थान रेगिस्तान का पारिस्थितिकीय सुधार।

6. राष्ट्रीय सम्पत्ति क्षेत्रों में संरक्षण।

7. वन्य जीवन और जीनकोष संसाधनों के संरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विकास और सर्जन।

8. पारि-विकास के लिए हिमालय के विश्वविद्यालयों, पश्चिमी घाटों और गंगा बेसिन के समावेशन द्वारा समन्वित कार्यवाही केन्द्रित अनुसंधान।

9. विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय सुरक्षा समाविष्ट करने के लिए पर्यावरण मूल्यांकन कार्य प्रणालियों के माध्यम से विशेषतः उद्योगों, खनन, थर्मल पाप, हाईड्र-इलैक्ट्रिसिटी तथा सिंचाई में पूर्वामामी कार्यवाही की जा रही है।

10. पर्यावरणीय आयोजन में सरकार की अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय।

11. स्वयंसेवी कार्य और अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन।

योजना आयोग में हिन्दी का प्रयोग

8151. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय ने सन् 1982 में "क" और "ख" क्षेत्र स्थित प्रत्येक राज्य को मूल रूप में कितने पत्र लिखे हैं और इनमें से हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे राज्यों को नियमानुसार सभी मूल पत्र हिन्दी में न लिखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे राज्यों को भविष्य में मूल पत्र केवल हिन्दी में लिखे जाएं; और

(घ) क्या मंत्रालय में नियमानुसार हिन्दी के कार्य के किए जाने के लिए स्टाफ की समुचित व्यवस्था विद्यमान है, यदि नहीं, तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर (1) योजना आयोग (2) सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए मूल पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

	कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में
(1) **योजना आयोग**			
	11556	532	11024
(2) **सांस्थिकी विभाग**	325790	48071	187899

'क' 'ख', और 'ग' राज्यों के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) हिन्दी अनुवादकों के अभाव, पत्रों का विषय-वस्तु तकनीकी प्रकार का होने के कारण और पत्रों को तात्कालिकता के आधार पर भेजे जाने के कारण मूल पत्र निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिन्दी में नहीं भेजे जा सके।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं, प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) अतिरिक्त स्टाफ देने से सम्बन्धित मामला वित्त मत्रालय/आंतरिक कार्य अध्ययन एकक के साथ लिया जा रहा है।

यमुना पार क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक कालोनी में डकैती

8152. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 महीने अथवा उसके आसपास यमुना पार क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक कालोनी में सशस्त्र डकैती पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) राजधानी में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपचारी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 22/23-11-82 की रात को पंजाब नेशनल बैंक कालोनी में श्री अशोक कुमार के मकान में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी, लुटेरे 1500 रुपए नकद, 8 घड़ियां, एक टेप रिकार्डर, गर्म कपड़े और कुछ सोने/चांदी के आभूषण लेकर भाग गए।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397/458 के अधीन एक मामला थाना शकरपुर में दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बदमाशों और ज्ञात अपराधियों से पूछताछ की जा रही है।

(घ) ऐसे अपराध रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है।

(2) बाकी टाकी सैटों के साथ वायरलैसयुक्त मोटर साइकिल की गश्त सहित सशस्त्र गश्त और पैदल तथा चलती फिरती गहन गश्त।

(3) बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता सामान्य निवारक धाराओं के अधीन कार्रवाई।

(4) आसूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और अन्य बदमाश व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना।

(5) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच करना।

(6) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

(7) पुलिस की गश्ती टुकड़ियों के समन्वय से स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा टिकरी पहरा और गश्त का आयोजन।

(8) रिहा किए गए अपराधियों पर विशेष निगरानी।

(9) संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना।

(10) चुनिन्दा और सामरिक महत्व के स्थानों पर अवरोधक लगाना।

(11) निष्कासन की कार्रवाइयों को तेज करना।

(12) आस पास के अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर जिला बैठकें करना।

राज्यों में पुलिस सुरक्षा बल की स्थापना

8153. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सुरक्षा बल की स्थापना में, यदि यह राज्यों द्वारा स्थापित किया जाना है तो, सहायता करने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस सुरक्षा बल की स्थापना के लिए किसी राज्य ने केन्द्र की सहायता मांगी है; और

(ग) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में ऐसे राज्यों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार के मामले

8154. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1983 से देश में राज्य-वार बलात्कार के मामलों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की है;

(ख) क्या इस प्रकार के मामलों में पीड़ितों को कानूनी और आर्थिक सहायता दी गई थी; और यदि हां तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों के संबंध में कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। फरवरी, 1983 से देश में राज्य-वार बलात्कार के मामलों की संख्या और ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें कानूनी और आर्थिक सहायता दी गई थी, के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं चूंकि अपराध राज्य का विषय है। कानूनी सहायता राज्य कानूनी सहायता और परामर्श बोर्डों और उच्च न्यायालयों तथा कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समिति के अधीन गठित जिला कानूनी सहायता समितियों द्वारा दी जाती है। महिलाओं और बच्चों को लोगों की विशेष श्रेणी में रखा गया है जिसको आय सीमा का विचार किए बिना कानूनी सहायता दी जाती है और जब कभी कानूनी सहायता और परामर्श के लिए ऐसे मामले आते हैं तो वे कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

साम्प्रदायिकतावाद और हिंसा भड़काने वाले राजनीतिक संगठनों पर रोक

8155. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साम्प्रदायिकतावाद, जातिवाद और हिंसा भड़काने वाले राजनीतिक दलों, संगठनों और एसोसिएशनों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस समय इस प्रकार के किसी राजनैतिक दल अथवा संगठन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुस्तकों आदि के वितरण पर रोक

8156. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, उपन्यासों और अन्य साहित्यिक रचनाओं को निषिद्ध घोषित किया गया है और उनके वितरण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) कितने मामलों में यह विषय विधि न्यायालय में चुनौती के अंतर्गत है;

(ग) कितने मामलों में लेखकों पर मुकदमा चल रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में एक समान मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं अथवा किसी राज्य के अलग मार्गनर्देश हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपराध दंड संहिता 1973 की धारा 95 के अधीन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-क, 153-क, 153-ख 292, 293 अथवा 295 के अंतर्गत दंडनीय प्रकाशक सामग्री वाले प्रकाशकों के अभिनिषिद्ध करने की शक्तियां केवल राज्य सरकारों में निहित हैं। ऐसे अभिनिषेध के आदेश संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र में ऐसे कार्य के लिए आधार बताते हुए अधिसूचित किए जाते हैं।

(ख) तथा (ग) चूंकि अपराध दंड संहिता की धारा 95 के अन्तर्गत अभिनिषेध के आदेश केवल राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा सकते हैं और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों के अभियोजन राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किए जाते हैं इसलिए पूछी गई सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) अपराध दंड संहिता की धारा 95 के अधीन प्रकाशनों का अभिनिषेध केवल कानून के अनुसार किया जा सकता है।

स्त्रियों पर अनैतिक व्यापार के मामले

8157. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान कितनी स्त्रियों को इससे बचाया गया;

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार के कार्यों में कुछ पांच तारा होटलों के हाथ होने की जानकारी है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन 1978 में यथा संशोधित महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है। चूंकि अपराध पूर्णत: राज्य का विषय है अत: 1980-81 और 1981-82 के दौरान पता लगाए गए स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के मामलों की संख्या और इन वर्षों के दौरान बचायी गई स्त्रियों की संख्या के विषय में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसी कोई विशिष्ट सूचना या रिपोर्ट नहीं है कि कुछ पांच सितारा होटल इस व्यवसाय में अन्तर्ग्रस्त हैं। अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम में अवैध व्यापारियों को दण्डित करके वेश्याओं की गतिविधियों को नियंत्रित करके और जो वेश्यावृत्ति के शिकंजे से छुड़ाई गई हैं, उनका पुनर्वास करके, स्त्रियों और लड़के लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन की पहले ही व्यापक व्यवस्था की गई है। जैसे ही ऐसे

अपराधी की सूचना मिलती है, कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसे अपराधों की ओर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

8158. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1980 से 1983 तक कितने और कौन-कौन से मध्यम तथा बड़े उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) उस प्रत्येक उद्योग की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) उनमें से कितने उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ङ) उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग

8159. **श्री अजय विश्वास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ संगठन विदेशों से प्राप्त सहायता का उपयोग देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने और देश की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

8160. **श्री अजय विश्वास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं; और

(ग) अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासिय के लिए सामाजिक आर्थिक योजनाएं

8161. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद ने कोई राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक योजनाएं आरम्भ की हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : केन्द्र सरकार द्वारा असम, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजाति उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिये आदिवासियों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक योजनाओं को धन दिया जा रहा है। ये उन सामान्य राज्य योजनाओं से धनराशि की प्राप्ति के लिए पूरक हैं जिनमें पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र शामिल हैं, मेघालय नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुख्य रूप से आदिवासी लोग बसे हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक योजनाएं राज्य योजनाओं के माध्यम से शुरू की जाती हैं, जिनमें अधिकांशतः केन्द्रीय सहायता से धन लगाया जाता है। उत्तर-पूर्वी परिषद भी कई योजनाओं में धन लगाती हैं। ये योजनाएं क्षेत्रीय विकास के स्वरूप की हैं और इनसे आदिवासियों के विकास के लिए राज्य वार किसी विशिष्ट अवयव के बिना कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र योजना बनती है। उत्तर पूर्वी परिषद की योजना का कुल परिव्यय 340 करोड़ रुपए है।

राज्य योजनाओं/जनजाति उप-योजनाओं के सम्बन्ध में 7 घटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है :—

1. असम	1971 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.99% थी। छठी पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना के लिए कुल परिव्यय 140.48 करोड़ रुपये हैं (विशेष केन्द्रीय सहायता को मिलाकर)। राज्य योजना के लिए कुल राज्य परिव्यय 1115 करोड़ रुपये हैं।
2. त्रिपुरा	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 28.44% है (1981 की जनगणना)। छठी पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना की कुल रकम 73.77 करोड़ रुपये हैं। राज्य योजना का कुल परिव्यय 245 करोड़ रुपये का है।
3. मणिपुर	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 27.30 प्रतिशत है (1981 की जनगणना) छठी पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना के लिए कुल परिव्यय 84.61 करोड़ रुपए हैं। कुल योजना परिव्यय 240 करोड़ रुपए का है।
4. अरुणाचल प्रदेश	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 69.82 है (1981 की जनगणना)। छठी पंच वर्षीय योजना का कुल परिव्यय 212 करोड़ रुपए हैं।
5. मेघालय	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 80.58% है (1981 की जनगणना) छठी योजना का कुल परिव्यय 235 करोड़ रुपए हैं।

6. मिजोरम	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 93.55% है (1981 की जनगणना) और छठी योजना का कुल परिव्यय 130 करोड़ रुपए है।
7. नागालैंड	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 80.58% है (1981 की जनगणना) और छठी योजना का कुल परिव्यय 210 करोड़ रुपए हैं।

आवश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत

8162. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोग हिरासत में लिए गए; और

(ख) उन्हें नजरबन्द करने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और पाकिस्तान द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए और तीर्थस्थल खोलना

8163. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों के लिए और तीर्थस्थल खोलने हेतु राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान भी भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान में कुछ और तीर्थस्थल खोलने हेतु राजी हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु दोनों देशों द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) धार्मिक स्थानों पर हुए भारत पाक समझौते, जिस पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुसार भारत में पांच मुस्लिम धार्मिक स्थानों के अलावा, जहां पाकिस्तानी तीर्थयात्री जा सकते हैं, भारत सरकार ने ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए निम्नलिखित स्थान भी खोल दिए हैं :—

(1) अमृतसर, हरिद्वार और वाराणसी जो पाकिस्तान के हिन्दुओं और सिखों से सम्बन्धित हैं।

(2) क्वाडियन, गोवा, बम्बई और उदवरा जो क्वाडियनों, क्रिश्चियनों और पारसियों से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में 11 सिख धार्मिक स्थानों के अलावा जहां, धार्मिक स्थानों पर

भारत पाक समझौते के अनुसार जिस पर 1974 में हस्ताक्षर हुए थे, भारतीय तीर्थयात्री जा सकते हैं, पाकिस्तान सरकार ने जिला सुक्कर (सिंध) में हयात पिटाफी और जिला झेलम में श्री कातास राज को खोल दिया है, जो भारत के हिन्दू तीर्थयात्रियों से सम्बन्धित है।

किसी भी सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रबन्ध नहीं किए गए हैं, अलावा इसके कि ऐसे तीर्थयात्रियों को केवल 20 व्यक्तियों तक वाले समूह में ही अनुमति दी जाती है।

उग्रवादियों का छापामार शिक्षण के लिए पड़ोसी देशों में घुसना

8165. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सूचना एकत्र की है कि उग्रवादी छापामार प्रशिक्षण के लिए देश के किन भागों से पड़ोसी देशों में घुसते हैं; और

(ख) ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को मालूम है कि पूर्वोत्तर में कुछ उग्रवादी संगठनों के विदेशों से सम्बन्ध है और वे प्रशिक्षण सुविधाओं समेत विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं।

(ख) मैतेई उग्रवादी निकायों और मिजो नेशनल फ्रंट तथा इसके सम्बद्ध निकायों को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया गया हैं और सीमा पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

भारी पानी के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया

81 6. **श्री हरिहर सौरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाओं का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक परीक्षण की गई विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं;

(ग) इन परीक्षणों का क्या परिणाम निकला; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मौजूदा भारी पानी संयंत्रों में अपनाई गई विभिन्न प्रकार की टेक्नालाजी के अलावा अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाओं के विकास का प्रयास भी किया जा रहा है।

(ख) से (घ) विचाराधीन प्रक्रियाओं में अमोनिया और पानी का विनिमय, पानी और हाइड्रोजन का विनिमय, आदि शामिल है। मूलभूत अध्ययन करने के अलावा, आंकड़े एकत्रित करने के लिए और उत्पादन आदि को बढ़ाने हेतु प्राचलों के निर्धारण के लिए प्रायोगिक संयंत्र लगाने के बारे में भी काम किया जा रहा है।

गंगा के प्रदूषण के सम्बन्ध में सलाहकार समिति

8167. **श्री अर्जुन सेठी :** **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से दांडिक उपाय लागू करने के लिए पर्यटन और पर्यावरण के सम्बन्ध में एक समन्वित और सुनियोजित नीति की जरूरत को देखते हुए कोई सलाहकार समिति गठित करने का है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों को पानी में तैरते हुए पशु और मानव शवों को हटाने और विद्युत दाह संस्कार के माध्यम से उनके निपटाने की व्यवस्था करने हेतु एक स्क्वाड गठित करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो पर्यटन और पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय मंच द्वारा तत्सम्बन्धी जरूरत के बारे में जिन बातों पर बल दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार का ध्यान निमन्त्रित किया गया है।

(ग) पर्यटन और पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय मंच ने 8 जनवरी, 1983 को हुई इसकी बैठक में वाराणसी की प्रदूषण समस्या पर विचार किया गया था। पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी की पर्यावरणीय समस्या का सामना करने के लिए वाराणसी महापालिका द्वारा तैयार की गई अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं में पर्यावरण विभाग पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय व्यवस्था में भाग लेने का प्रस्ताव किया था।

नैमित्तिक मजदूरों/मस्टर रोल कर्मचारियों का नियमित किया जाना

8168. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अगस्त, 1979 में सभी मंत्रालयों/विभागों को ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि जो नैमित्तिक मजदूर/मस्टर रोल कर्मचारी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अन्यथा भी 20 मार्च, 1979 तक नियुक्त किए गए थे उन्हें, नियमित किए जाने के समय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कार्यवाही की जाने की शर्त के लिए आग्रह न करके, नियमित किया जाए; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन आदेशों को अभी तक सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया था; यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिनमें इन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों को क्रियान्वित करवाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के इन आदेशों को कार्यान्वित न करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 10-10-1979 को इस आशय के आदेश जारी किए गए थे कि जिन नैमित्तिक कर्मचारियों को 20 3-1979 तक रोजगार कार्यालय के माध्यम से न लगाकर अन्यथा नियुक्त किया गया था, उन्हें भी नियमित कर दिया जाए बशर्ते कि वे विवरण में उल्लिखित पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करते हों।

(ख) से (घ) सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए आवश्यक है कि वे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करें। किन्तु, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमन सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं किया जाता।

विवरण

समूह "घ" के पदों पर दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाए गए नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए पात्रता की शर्तें

(1) 20-3-1979 से पूर्व दिहाड़ी पर नियुक्त कर्मचारी ने समूह "घ" के नियमित पद के लिए नियुक्ति की तारीख को पूर्ववर्ती दो वर्षों में प्रतिवर्ष नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में कम से कम 240 दिन (सेवा विच्छेद की अवधियों सहित) की सेवा कर ली हो।

(2) नियमित पद पर नियुक्ति की तारीख को दिहाड़ी वाले कर्मचारी को अधिकतम आयु सीमा की दृष्टि से पात्र होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उसके द्वारा दिहाड़ी वाले कर्मचारी के रूप में की गई सेवा को वास्तविक आयु में से घटा दिया जाता है।

(3) दिहाड़ी वाले कर्मचारी के पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा लीबिया में त्रिपोली बिजली घर का निर्माण

8169. **श्री राम लाल राही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने लीबिया में पश्चिम त्रिपोली बिजली घर के निर्माण का ठेका लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी हानि अथवा लाभ हुआ; और

(ग) यदि हानि हुई, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिविल कार्यों की लागत में वृद्धि, मुद्रा विनिमय में परिवर्तन, ठेके का सीमा

से आगे बढ़ जाना, भाड़े में कानूनी वृद्धि आदि जैसे कारणों से बी० एच० ई० एल० को ठेके में लगभग 23 करोड़ रु० की अनुमानित हानि हुई।

जोधपुर में संगमोग परियोजना का स्थापित किया जाना

8170. **श्री राम लाल राही :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में संगमरमर तथा ग्रेनाइट की कटाई तथा पालिश के लिए इटली के तकनीकी सहयोग से एक आधुनिक हीरा, संगमोग परियोजना स्थापित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पर कितना विदेशी धन खर्च होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

8171. **श्री हरीश रावत :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कितने लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का विचार है और ऐसे प्रत्येक संयंत्र की लागत तथा उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्या उन संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो आशय पत्र किन तारीखों को जारी किए गए थे तथा उन संयंत्रों की स्थापना के लिए चयन किए गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रस्तावित सीमेंट संयंत्रों का निर्माण कब तक शुरू किया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य के एक निगम कुमायूं मण्डल विकास निगम को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 4 आशयपत्र स्वीकृत किए गए हैं :—

आशयपत्र जारी करने की तिथि	स्थापना-स्थल	क्षमता लाख मी० टनों में	आवेदनों में निर्दिष्ट निवेश (लाख रु० में)
1. 24-3-82	उत्तराखंड क्षेत्र	0.66	448
2. 13-4-82	अल्मोड़ा जिला	0.66	448
3. 19-8-82	गंगोली हाट-II पिथौरागढ़ जिला	0.66	675
4. 31-12-82	गंगोली हाट-II पिथौरागढ़ जिला	0.66	683

प्रारम्भ में आशयपत्रों की वैधता अवधि 12 महीने है। ऊपर क्रम सं० 1 पर उल्लिखित आशयपत्र के बारे में अभी तक उसके कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की सूचना नहीं मिली है। यह बताया गया है कि ऊपर क्रम सं० 2 पर उल्लिखित आशयपत्र पर मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने हेतु भूमि खरीदने के लिए बातचीत प्रगति पर है। क्रम सं० 3 और 4 पर दिए गए आशयपत्रों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा सम्बन्धित राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

8172. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थापित किए गए उद्योगों का जिलावार ब्यौरा क्या है और उसमें कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने जिला पिथौरागढ़ के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर हथकरघा कालीन उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर अध्ययन किया है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उस क्षेत्र के निर्धन ग्रामीणों को उनकी परम्परागत कला में अद्यतन तकनीकों तथा कुशलता के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए आयोग को वहां एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सलाह देगा; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण केन्द्र कहां और कब खोला जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6433/83**)

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग हथकरघा गलीचा उद्योग को इसके वर्तमान रूप में स्थापित करने की स्थिति में नहीं है इसमें मिल के धागे का उपयोग ताना बुनने के लिए लिया जाता है। किन्तु आयोग इस उद्योग का संवर्द्धन करने के लिए मिल के धागे के स्थान पर हाथ से कते हुए धागे का उपयोग करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) आयोग ने दो प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात् बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, लक्ष्मी आश्रम, कौसानी, जिला अलमोड़ा जो ऊनी बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करता है और प्यूपल्स कॉलेज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल स्थित बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, जो खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है, की पहले ही स्थापना कर ली है।

3500 रुपए में स्वदेशी रंगीन टेलीविजन सेट

8173. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने दावा किया है कि यदि सरकार केवल पिक्चर ट्यूबों पर शुल्क में पुनः समायोजन कर दे तो देश में तैयार किया गया रंगीन टेलीविजन सेट, सभी करों सहित, 3500 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में और क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड) 51 सेंटीमीटर पर्दे के आकार वाले रंगीन दूरदर्शन सेट का विनिर्माण करने के लिए स्वदेशी-तकनीकी-जानकारी पर आधारित उत्पादन-प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (सी० ई० एल०) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार उपभोक्ता को ऐसा रंगीन दूरदर्शन सेट 3600 रु० के मूल्य पर, जिसमें उत्पादन-शुल्क तथा बिक्री कर की राशि भी शामिल है, उपलब्ध हो जाएगा बशर्ते कि :

(1) आयात की जाने वाली (क्योंकि अभी तक देश में इनका उत्पादन नहीं हो रहा है) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों पर लगने वाले लगभग 148% के आयात-शुल्क को पूर्णत: समाप्त कर दिया जाए;

(2) उत्पादन शुल्क की वर्तमान 25% की दर को कम करके 10% कर दिया जाए; और

(3) विनिर्माताओं को 1 लाख रंगीन दूरदर्शन सेट/वार्षिक की उत्पादन क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाएं।

(ग) इस समय सरकार, रंगीन दूरदर्शन सेटों या ऐसे सेटों का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाले शुल्कों तथा करों में कमी लाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

देश में डाकुओं के गिरोह

8174. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली और देश के अन्य भागों में सक्रिय डकैती गिरोहों को समाप्त करने के कार्य में पिछले छह महीनों के दौरान कुछ संतोषजनक प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) डाकू दमन कार्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय गृह मन्त्री और गृह सचिव ने डकैती के खतरे का मुकाबला करने में पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। कुछ मुख्य निर्णय जैसे सम्बद्ध राज्यों की संयुक्त

समन्वय समिति को सक्रिय करना, वायरलैस सैट और उच्च शक्ति प्राप्त वाहनों की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में इन बैठकों में लिए गए थे। केन्द्रीय सरकार ने डकैती समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में ठोस परिवर्तन लाने के विचार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डाकूग्रस्त जिलों के लिए गहन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम बनाने के लिए भी पहल की है।

असामाजिक गतिविधियों को रोकना

8175. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1983 को नई दिल्ली में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की हुई बैठक में किए गए विचार-विनियम की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ सहित असामाजिक गतिविधियों की निंदा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक की मुख्य टिप्पणियां तथा सुझाव क्या हैं और उनको ध्यान में रखकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में कुछ महिला संसद सदस्यों और कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक 23 मार्च, 1983 को हुई थी न कि 24 मार्च को/बैठक में महिलाओं में साथ छेड़छाड़ और उन पर अत्याचारों के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया।

(ख) बैठक में एक संकल्प पारित किया गया जिसमें यह आग्रह किया गया था कि विश्व-विद्यालय/पुलिस/स्थानीय प्राधिकारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें परेशान करने को रोकने के लिए तुरन्त तथा प्रभावकारी कार्रवाई करें। महिलाओं के स्वयंसेवी संगठनों से आग्रह किया है कि वे निरोधक उपायों की योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वियन में तथा लोकमत तैयार करने में स्थानीय प्राधिकारियों की मदद करें।

छेड़छाड़ की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली के कार्यालय में 9 अप्रैल, 1983 को एक बैठक हुई। यह निर्णय किया गया कि टेलीफून नं० 100 पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें अन्य प्रकार से तंग करने के बारे में संदेश प्राप्त करने और तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक विशेष डेस्क स्थापित किया जाय। पुलिस अधिकारियों को भी कालेजों के प्रिंसिपलों और दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के निदेश दिए गए। इन निर्णयों को ध्यान में रखकर पुलिस प्राधिकारयों को अनुदेश दिये गये हैं।

केरल में सीमेंट की कमी

8176. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट न मिलने के कारण केरल लोक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं में निर्माण कार्य ठप्प पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केरल में लोक निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीमेंट उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केरल मुख्य रूप से तमिलनाडु से सीमेंट प्राप्त करता है। पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु के सीमेंट संयंत्रों में बिजली में कटौती के कारण इस राज्य के सीमेंट कारखानों में सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से केरल को दी जाने वाली सीमेंट की पूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। इस कारण केरल राज्य में चल रहे निर्माण कार्य पर कुछ सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) केरल और तमिलनाडु में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सीमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनवरी, 1982 की तिमाही में इन राज्यों को लगभग 60 हजार मी० टन लेवी सीमेंट दिया गया है। किन्तु तमिलनाडु में बिजली के आंशिक रूप से पुनः मिलने से केरल को लेवी सीमेंट की पूर्ति करना फिर से शुरू कर दिया गया है।

ऊर्जा कम उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना

8177. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय ऊर्जा का कम उपयोग करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए गए जिनमें ऊर्जा कम खर्च होती है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लाइसेंस स्वीकृत करते समय नीति विषयक ढांचे, वर्तमान पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं की प्राथमिकताएं और उत्पादन लक्ष्य, और अधिक लाइसेंस लगाने की मांग और गुंजाइश, तकनीकी-आर्थिक आधार, परियोजना की जीव्यता, निर्यात की सम्भावनाएं और आयात में बचत, उद्योग को दूर-दूर तक फैलाने की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए स्थापना-स्थल सम्बन्धी पहलुओं, उद्यमी की सक्षमता, मल व्ययन और प्रदूषण नियंत्रण का सुनिश्चय करने सम्बन्धी व्यवस्था आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) औद्योगिक क्षेत्र कुल ऊर्जा (वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक) का सबसे अधिक उपयोग करने वाला दूसरा उपभोक्ता है, जो कुल ऊर्जा का लगभग 30 प्रतिशत उपयोग करता है। इसमें से 50 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग इस्पात, वस्त्र, सीमेंट, उर्वरक, ईंट पकाने और अल्यु-मिनियम के छह उद्योगों द्वारा किया जाता है । उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्रों का सामान्यत: कम ऊर्जा का उपयोग करने वाला उद्योग समझा जाता है । ऊर्जा की खपत के अनुसार पता लगाए गए उद्योगों की कोई भी अलग से सूची नहीं बनाई गई है ।

सोवियत रूस की सहायता से बनाई गई परियोजना

8178. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोवियत रूस की सहायता से कोर शाखाओं में कितने उद्योग और अन्य परियोजनायें निर्मित की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वे किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) कितनी परियोजनाओं में अब तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर चुके हैं; और

(घ) उनमें से प्रत्येक परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में भट्टी खानों के अधिग्रहण का प्रस्ताव

8179. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की भट्टी खानों को अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक अधिग्रहण किया जाएगा; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) भट्टी खानों में खनन के परमिट नवम्बर, 1975 से केवल दिल्ली प्रशासन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को दिए जा रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के वित्त पोषण के लिए संसाधन

8180. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि का वित्त पोषण करने के लिए, केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों—दोनों की संसाधन स्थिति क्या है; और

(ख) छठी योजना के आगामी दो वर्षों के दौरान रेल, बिजली, कोयला आदि जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं को किस सीमा तक सुनिश्चित कर लिया गया और अधिक निधि की व्यवस्था कर ली गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) इस स्थिति में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि वित्तीय संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन सहित छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है । लेकिन वर्तमान सूचनाओं के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के लिए मूल अनुमानों से कुछ अधिक होने की सम्भावना है।

(ख) 1983-84 के लिए केन्द्रीय बजट में आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं जैसे रेलवे, विद्युत, कोयला इत्यादि के लिए प्रावधान किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत इन क्षेत्रकों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी।

स्वदेशी रंगीन टेलीविजन के निर्माण पर सेमीनार

8181. **श्री नवीन रावणी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी रंगीन टेलीविजन के उत्पादन पर नई दिल्ली में एक सेमीनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो देश में सस्ते दामों में रंगीन स्वदेशी टेलीविजन उपलब्ध कराने के बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने यह सुझाव दिया कि यदि सरकार पिक्चर ट्यूबों पर शुल्कों का पुनः निर्धारण करे तब सस्ते दामों का स्वदेशी टेलीविजन का निर्माण सम्भव हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां। मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी नियम (यू० पी० एल० सी०) ने 26 मार्च, 1983 को दिल्ली में स्वदेशी रंगीन दूरदर्शन प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर विचार-गोष्ठी आयोजित की।

(ख) मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिकी निगम (यू० पी० एल० सी०) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त विचार-गोष्ठी में निम्नलिखित सुझाव दिए गए :

(i) विदेशी-सहयोग प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है;

(ii) स्वदेशी-प्रयास को संरक्षण देने के लिए किसी भी पार्टी को विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(iii) सरकार रंगीन दूरदर्शन सेटों में लगाए जाने वाले संघटक पुर्जों पर लगाने वाले आयात-शुल्क और रंगीन-दूरदर्शन सेटों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क तथा अन्य करों को कम करने के प्रश्न पर स्वयं विचार करें। जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता को मिलने वाले रंगीन दूरदर्शन सेट के बिक्री मूल्य में पर्याप्त कमी होगी;

(iv) स्वदेश में निर्मित रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए आरम्भ में प्रत्येक सेट पर 900 रुपए से 1000 रुपए तक की विदेशी मुद्रा लगती है। इसे बाद में धीरे-धीरे कम किया जा सकता है; और

(v) दूरदर्शन कार्यक्रम में भी सुधार लाने की आवश्यकता है।

(ग) मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम (यू० पी० एल० सी०) ने यह भी बताया है कि केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (सी० ई० एल०) ने विचार-गोष्ठी में सुझाव दिया था कि यदि सरकार पिक्चर ट्यूबों पर लगने वाले आयात-शुल्क को पुनः समायोजित करें तो रंगीन दूरदर्शन सेट सस्ता पड़ सकता है।

(घ) इस समय सरकार, रंगीन दूरदर्शन सेटों या ऐसे सेटों का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक आयातित संघटक पुर्जों पर लगने वाले शुल्कों तथा करों में कमी लाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

अप्रवासी भारतीय लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए हिदायतें

8182. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए देश में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष नीति निर्धारित की है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों को पूंजी निवेश हेतु कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार ने भारत में उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक प्रवासी भारतीयों के लिए समय-समय पर अनेक उदारीकृत निवेश सुविधाएं अधिसूचित की हैं। इस प्रकार दी गई विभिन्न सुविधाओं के अनुसार प्रवासी भारतीय वास्तविक सम्पदा व्यवसाय और कृषि/बागान कार्यों के अलावा किसी भी क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, किन्तु उन्हें विदेश प्रत्यावर्तन का अधिकार नहीं होगा। वे किसी भी उद्योग में 40 प्रतिशत तक और कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में कम्पनी के नए पूंजी निर्गम में प्रत्यावर्तन के लाभों सहित 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। 1983-84 की आयात नीति में यह प्रावधान है कि प्रवासी भारतीय विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा में की गई बचत और अन्य स्रोतों से प्रतिबन्धित वस्तुओं के अलावा व्यावसायिक उपकरण, कुछ प्रकार के जनित्र ण सेट, कम्प्यूटर और आद्यरूपों आदि का आयात कर सकते हैं।

टाटा बन्धुओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता की तुलना में कोई उत्पादन न किया जाना

8183. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा बन्धुओं के नियंत्रण वाली किन-किन कम्पनियों और एककों ने लाइसेंस-प्राप्त क्षमताओं की तुलना में उत्पादन नहीं किया है;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) तकनीकी प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों को उत्पादन की सूचना तब दी जाती है जब लाइसेंस से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने लग जाता है।

कुछ लाइसेंस ऐसे होंगे, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। उनके मामले में भी छमाही प्रगति रिपोर्टें तकनीकी प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राप्त हो रही हैं और उनके द्वारा उनकी संवीक्षा की जाती है। यदि कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक प्रगति की सूचना नहीं मिलती है, तो लाइसेंस को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

विशेष उदाहरण बताए बगैर विशेष जानकारी देना संभव नहीं है।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता की तुलना में कोई उत्पादन न करना

8184. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिगड़ा बन्धुओं के नियंत्रण वाली किन-किन कम्पनियों और एककों ने लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं की तुलना में कोई उत्पादन नहीं किया;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) तकनीकी प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों को उत्पादन की सूचना तब दी जाती है जब लाइसेंस से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने लग जाता है।

कुछ लाइसेंस ऐसे होंगे, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। उनके मामले में छमाही प्रगति रिपोर्टें तकनीकी प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राप्त हो रही हैं और उनके द्वारा उनकी संवीक्षा की जाती है। यदि कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक प्रगति की सूचना नहीं मिलती है, तो लाइसेंस को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

विशेष उदाहरण बताए बगैर विशेष जानकारी देना संभव नहीं है।

मफतलाल कम्पनियों द्वारा लाइसेंसशुदा क्षमता की एवज में कोई उत्पादन न करना

8185. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मफतलाल द्वारा नियंत्रित उन कम्पनियों तथा एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाइसेंसशुदा क्षमताओं की एवज में कोई उत्पादन नहीं दिखाया है;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) तकनीकी प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों को उत्पादन की सूचना तब दी जाती है जब लाइसेंस से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने लग जाता है।

कुछ लाइसेंस ऐसे होंगे, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। उनके मामले में भी छमाही प्रगति रिपोर्टें तकनीकी प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राप्त हो रही हैं और उनके द्वारा उनकी संवीक्षा की जाती है। यदि कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक प्रगति की सूचना नहीं मिलती है, तो लाइसेंस को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

विशेष उदाहरण बताए बगैर विशेष जानकारी देना संभव नहीं है।

गोयनका बन्धुओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता की तुलना में कोई उत्पादन न करना

8186. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोयनका बन्धुओं के नियंत्रण वाली किन-किन कम्पनियों और एककों ने लाइसेंस-प्राप्त क्षमताओं की तुलना में कोई उत्पादन नहीं दिखाया है;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) तकनीकी प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों को उत्पादन की सूचना तब दी जाती है जब लाइसेंस से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने लग जाता है।

कुछ लाइसेंस ऐसे होंगे, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। उनके मामले में भी छमाही प्रगति रिपोर्टें तकनीकी प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राप्त हो रही हैं और उनके द्वारा उनकी संवीक्षा की जाती है। यदि कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक प्रगति की सूचना नहीं मिलती है, तो लाइसेंस को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

विशेष उदाहरण बताए बगैर विशेष जानकारी देना संभव नहीं है।

दिल्ली में मोटर वाहनों की चोरी

8187. **श्री भीखाभाई :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर के वाहन पार्किंग क्षेत्रों में खासतौर पर लोहियां/पंत/

जयप्रकाश/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों के परिसरों से गत दो वर्षों के दौरान अनेक वाहन/मोटर साइकिलें/स्कूटर/कारें चुराए गए हैं;

(ख) माल-वार कितने मामले दर्ज कराए गए और कितने वाहन बरामद किए गए; और

(ग) मिलने-जुलने के महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) लोहिया/पंत, जयप्रकाश नारायण अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसरों से 1981 और 1982 के दौरान चुराई गई और बरामद की गई कारों/स्कूटरों और मोटर साइकिलों की कुल संख्या का महीने-वार विवरण संलग्न है।

(ग) मिलने-जुलने के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राधिकृत और व्यक्तियों से युक्त वाहन पार्किंग क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। जनता वाहनों की चोरी रोकने हेतु, प्राधिकृत वाहन पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़े करने जनता के लिए अपेक्षित है। आटो चोरियों के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए प्रत्येक जिले और अपराध शाखा में विशेष दस्ते स्थापित किए गये हैं। गश्त कड़ी कर दी गई है और अचानक जांच की जाती है। सभी ऐसे वाहन पकड़े जाते हैं जिन पर चोरी किए जाने का संदेह हो और जब असली मालिक की वास्तविकता का पता लग जाए तब ही छोड़े जाते हैं।

विवरण

लोहिया, पंत, जयप्रकाश नारायण तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों के परिसरों से की गई मोटर वाहन चोरियों का विवरण

जयप्रकाश नारायण अस्पताल :

(i) 1981-82 में कोई कार नहीं चुराई गई।

(ii) स्कूटर्स मई, 1981 में एक स्कूटर, जून 1981 में एक, अगस्त, 1981 में दो और अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 प्रत्येक में एक-एक स्कूटर चुराए जाने की सूचना मिली थी। उनमें से दो बरामद कर लिए गए हैं। मई, 82 में दो, जून, 82 में 3, जुलाई, 82 में तीन, अगस्त, 82 में दो और अक्तूबर, 1982 में एक स्कूटर के चुराए जाने की सूचना मिली थी। उनमें से अब तक 2 बरामद किए जा चुके हैं।

(iii) मोटर साइकिल—जुलाई, 1981 में एक, सितम्बर, 1981 में एक मोटर साइकिल चुराई जाने की सूचना मिली थी। अब तक एक को बरामद किया जा चुका है। सितम्बर, 1982 में एक और नवम्बर, 1982 में एक मोटर साइकिल चुराए जाने की सूचना मिली थी।

पंत अस्पताल :

(i) कार—अगस्त, 1981 में एक कार चुराए जाने की सूचना मिली थी। इसको बरामद कर लिया गया है। 1982 में किसी कार के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी।

(ii) स्कूटर—1981 में किसी स्कूटर के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी। जून, 1982 में एक और अगस्त, 1982 में एक स्कूटर चुराए जाने की सूचना मिली थी।

(iii) मोटर साइकिल—1981 अथवा 1982 में किसी मोटर साइकिल के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल :

(i) कार—जून, 1981 में एक कार चुराए जाने की सूचना थी और 1982 में किसी कार के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी।

(ii) स्कूटर—फरवरी में एक, मई में एक, जुलाई में एक, अगस्त में एक, नवम्बर में तीन, और दिसम्बर, 1981 में एक स्कूटर चुराए जाने की सूचना मिली थी। उनमें से 7 को बरामद कर लिया गया है। मार्च में एक, अगस्त, 1982 में एक स्कूटर चुराए जाने की सूचना मिली थी उनमें से एक को बरामद कर लिया गया है।

(iii) मोटर साइकिल—1981 अथवा 1982 में किसी मोटर साइकिल के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल :

(i) कार—मार्च में एक, अप्रैल में दो, मई में एक, जून में एक, अगस्त में एक और सितम्बर, 1981 में एक कार चुराए जाने की सूचना मिली थी इनमें से चार को बरामद कर लिया गया है। फरवरी में एक, अप्रैल में एक, मई में एक, जून में एक, जुलाई में एक, सितम्बर में एक अक्तूबर में एक और नवम्बर, 1982 में दो कार चुराए जाने की सूचना मिली थी। अब तक उन सभी को बरामद किया जा चुका है।

(ii) स्कूटर—1981 में किसी स्कूटर के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली है। मार्च में एक, अप्रैल में 2, मई में एक, जून में एक, जुलाई में एक, अगस्त, में एक और सितम्बर, 1982 में एक स्कूटर चुराए जाने की सूचना मिली थी। उनमें से अब तक सात स्कूटर बरामद किए जा चुके हैं।

(iii) मोटर साइकिल—मई में एक, सितम्बर में एक और नवम्बर, 1981 में एक मोटर साइकिल चुराए जाने की सूचना मिली थी। इनमें से अब तक 2 बरामद की जा चुकी हैं।

1982 में किसी मोटर साइकिल के चुराए जाने की सूचना नहीं मिली थी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण की समस्याएं

8188. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को स्टाकयार्ड सामान सूची में वृद्धि होने के कारण भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थिति बल्क उपभोक्ताओं की मांग में कमी आने इस्पात के आयात किए जाने और घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि जांच से पता चलता है कि भारी उद्योग ने अपनी मांग 75,000 टन कम कर दी है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जो कि इस समस्या का सामना कर रहा है, सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) यह ठीक है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को विक्रय इस्पात का भारी स्टाक जमा को जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति काफी हद तक इसलिए पैदा हो गई है कि इस्पात कारखानों में इन मदों के उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है उसके अनुरूप मांग में वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) नवम्बर, 1981 में सरकारी क्षेत्र की भारी उद्योग की इकाइयों ने संयुक्त संयंत्र समिति को बताया था कि वर्ष 1982-83 के लिए उनकी इस्पात की मांग 282,000 टन होगी, परन्तु जून, 1982 में इस मामले की समीक्षा करने के पश्चात् यह मांग घटाकर 207,000 टन कर दी गई।

(घ) बिक्री में वृद्धि करने के लिए सरकार तथा "सेल" द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश की धारा 7 के अन्तर्गत कच्चे लोहे को छोड़कर इस्पात सामग्री के लिए अन्ततः उपयोग की घोषणा समाप्त कर दी गई है।

(2) वितरण प्रणाली में ढील दी गई है।

(3) 'सेल' द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को इस्पात बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अब सभी व्यापारी, जो इस्पात का व्यापार करना चाहें, इस्पात का व्यापार कर सकते हैं।

(4) "सेल" द्वारा कुछ मदों के लिए चयनात्मक आधार पर उधार की सुविधाएं दी जाती हैं।

(5) पुराने/क्षतिग्रस्त/न बिकने वाला टेंडर आमंत्रित करके बेचा जाता है।

(6) उन लोगों को जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अन्तर्गत अपने शुल्क-मुक्त तथा अग्रिम लाइसेंस छोड़ देंगे, गर्म बेलित क्वायल/स्कैल्प तथा ठण्डी बेलित क्वायल/चादरें अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धी मूल्यों पर सप्लाई करने की एक नई योजना शुरू की गई है। माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किए जाने वाले इस्पात के आयात के लाइसेंसधारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस प्रकार की सामग्री की सप्लाई के लिए पहले 'सेल' से सम्पर्क करें।

(7) 'सेल' अपने खर्च पर एक स्टाकयार्ड से दूसरे स्टाकयार्ड में माल भेज देगी बशर्ते कि उसकी बिक्री पहले हो जाए।

इसके अलावा सामान्य स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) "सेल" के कारखानों के प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन किया गया है ताकि वे उन मदों का अधिक उत्पादन कर सकें जिनकी मांग अधिक है तथा उन मदों के उत्पादन में कमी कर सकें जिनकी मांग कम है।

(2) इस्पात के बारे में आयात-नीति जिस पर पहले ही काफी प्रतिबन्ध थे, और प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं ताकि उन मदों का आयात न किया जाए जिनके आयात से बचा जा सकता है।

अप्रवास के लिए मार्गनिदेशक

8189. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारत की यात्रा करने वाले गैर राष्ट्रमण्डल के विदेशियों को 9 नवम्बर, 1982 की आधी रात के बाद से वीसा के बिना निकासी के लिए अप्रवास प्राधिकारियों को 9 नवम्बर, 1982 को नये मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नए मार्गनिर्देश जारी किए गए थे और क्या वीसा के बिना भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति देश से लौट गए हैं अथवा अभी तक भारत में ही हैं; और

(ग) यदि हां, तो वीसा के बिना भारत में प्रवेश करने वाले कितने विदेशी अभी तक भारत में हैं और उनकी अपने-अपने देशों को वापिसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) हमारे हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर बिना वीसा के पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों को तीस दिन के लिए ठहरने के परमिट देने की सुविधा की 6 नवम्बर, 1983 को निलम्बित कर दिया गया था। बाद में 9 नवम्बर, 1982 को स्पष्ट किया गया था कि मान्यता प्राप्त भारतीय यात्रा एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और संचालित विदेशी पर्यटकों के संगठित दलों को सामान्य जांच पड़ताल के अधीन आप्रवास प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए यात्रावृतांत के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ठहरने के परमिट दिए जा सकते हैं। मजबूरी, सहानुभूति के आधारों पर आने वाले विदेशियों को अनुमति देने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। विदेशियों का आगमन और प्रस्थान एक निरन्तर प्रक्रिया है। कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि उल्लिखित प्रबन्धों के अन्तर्गत प्रवेश की अनुमति प्राप्त विदेशी भारत में अवधि के बाद ठहरे हुए हैं।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मौसम विज्ञान और "एरोनामी" के दूरस्थ अन्वेषण के लिए भारत-सोवियत संयुक्त ग्रुपों की स्थापना

8190. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री के० मालन्ना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत और सोवियत संघ ने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मौसम विज्ञान और "एरोनामी" के सम्बन्ध में दूरस्थ अन्वेषण करने के लिए चार संयुक्त ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत इन्टरनेशनल स्पेश बाडी, इन्टरकोसमोस ने कहा है कि 1985-86 में सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे (कास्मोड्रम) से छोड़े जाने वाले चौथे भारतीय उपग्रह के कार्यक्रम का अध्ययन दोनों देशों के विशेषज्ञों ने कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त तकनीकी ग्रुप अन्य किन-किन कार्यक्रमों पर विचार कर रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) फरवरी, 1983 में अन्तरिक्ष अनुसंधान पर आयोजित संयुक्त भारत-सोवियत सैमिनार-कम-कार्यशाला में, दोनों पक्षों ने अन्तरिक्ष-विज्ञान, उपयोग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए संयुक्त प्रयासों तथा संभावित भावी सहयोग एवं क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा की । सुदूर-संवेदन, वायुमण्डलीय विज्ञान तथा मौसम-विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं प्रकाशीय अनुवर्तन पर विचार-विमर्श करने के लिए चार कार्यशालायें आयोजित की गई। अन्तरिक्ष मौसम विज्ञान, वायुमण्डलीय विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में सहयोगी कार्यक्रमों की आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिए अन्तरिक्ष मौसम विज्ञान तथा वायु विज्ञान पर एक संयुक्त कार्यकारी ग्रुप का भी गठन किया गया। सैमिनार-कम-कार्यशाला के अन्त में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के बीच नयाचार (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सुदूर संवेदन, खगोल-विज्ञान तथा खगोल भौतकी, मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान तथा उपग्रहों के प्रकाशीय अनुवर्तन एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए भावी सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल थे।

(ख) सोवियत संघ के लाइसेन्सटोर्ग (एल० आई० टी०) तथा अन्तरिक्ष विभाग के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अन्तर्गत भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-1) को 1985-86 में सोवियत प्रमोचक द्वारा छोड़ा जाएगा ।

(ग) भावी सहयोग के लिए रूप-रेखा प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा विचार-विमर्श के लिए अनेक प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें खगोल-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत तथा सोवियत संघ दोनों में भू-आधारित सुविधाओं के प्रयोग की सम्भावना, वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सोवियत अन्तरिक्ष-यानों में भारतीय नीति भारों को छोड़ने की संभावना, ऊपरी वायुमण्डल में अध्ययन के लिए समन्वित परीक्षणों की आयोजना और मौसम विज्ञान की महत्वपूर्ण समस्याओं पर संयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य शामिल थे । हैले के धूमकेतु के प्रक्षेप-पथ का सही रूप में पता लगाने के लिए सोवियत संघ तथा भारत दोनों में प्रकाशीय अनुवर्तन संचारजाल के प्रयोग की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठकों के बाद सहयोग के लिए जो विस्तृत रूप-रेखा बनाई गई, उसमें भारत तथा सोवियत संघ के बीच अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी की इन्टरकॉस्मॉस परिषद्, स्वीकृत विस्तृत क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन करके सहयोग को और सुदृढ़ करेंगे ।

बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड का कार्यकरण

8192. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा वर्ष 1981, 1982

और 1983 के दौरान वर्ष-वार कितने सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे तथा वे कौन से विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उनका वेतन तथा सेवा शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने मैसर्स स्टील काम्प्लेक्स, एक ऐसी फर्म जिसका नाम काली सूची में दर्ज है, को 27 लाख रुपए के स्क्रैप इस्पात का ठेका दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना/सरकार की अनुमति लिए बिना और मुख्यालय के कर्मचारियों के विरोध के बावजूद अपने मुख्यालय के लिए 55 लाख रुपए की कुल लागत के कम्प्यूटर खरीदे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि तथाकथित सामाजिक मिलन समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सैर-सपाटों तथा भ्रमणों पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की जा रही है और वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान प्रतिवर्ष इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) कम्पनी के कितने अधिकारियों को पूरे समय तक कारों का प्रयोग करने की अनुमति है उनके पदनाम क्या हैं तथा इन कारों पर वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण): (क) जानकारी संलग्न है।

(ख) बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) ने इस्पाती स्क्रैप की बिक्री के लिए ठेका दिया था जिस पर मैसर्स स्टील काम्प्लेक्स ने 1981 में लगभग 21.75 लाख रुपए, 1982 में 41.40 लाख रुपए और 1983 में 19.30 लाख रुपए मूल्य का स्क्रैप उठाया था। बी० एस० सी० एल० ने मैं० स्टील काम्प्लैक्स को न तो काली सूची में दर्ज किया है और न किसी अन्य संगठन द्वारा इस कम्पनी की काली सूची में दर्ज किए जाने की इसके पास जानकारी है। मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से ही इस्पाती स्क्रैप के निपटान के लिए बी० एस० सी० एल० द्वारा 1-4-1983 से नये प्रबन्ध किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामाजिक मिलन-समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सैर-सपाटों और भ्रमणों पर अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा रही है। 1981, 1982 और 1983 में इन मदों पर की गई राशियां निम्नलिखित हैं :

	(लाख रुपए में)
1981	2.44
1982	3.76
1983	0.36

(ङ) जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	पदनाम	कुल व्यय
1981	10	अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक/महाप्रबन्धक	1,95,004 रुपए
1982	10	—वही—	1,91,326 रुपए
1983	9	—वही—	48,831 रुपए

विवरण

वर्ष	नियुक्त किए गए सलाहकार/परामर्शदाता	परामर्श का क्षेत्र	वेतन
1	2	3	4
1981	4	ट्रामकारों का निर्माण और तापसह कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण।	अलग-अलग परामर्शदाताओं के लिए वेतन प्रतिमास 1000 रुपए से प्रतिमास 2450 रुपए तक था। संगठन के परामर्शदाताओं के लिए एकमुश्त फीस 20,000 रुपए और 22 लाख रुपए थी।
1982	6	1. पुलों के निर्माण और ढांचे बनाने के सम्बन्ध परियोजनाएं। 2. इस्पाती संयंत्रों हेतु फालतू पुर्जों की आवश्यकता का सर्वेक्षण। 3. ईंधन की खपत कम करना और फर्नेसों के लिए अधिक तापक्रम प्राप्त करना। 4. वैगनों का निर्यात। 5. स्टोर सिस्टम और वस्तु सूची नियंत्रण का कम्प्यूटरीकरण।	वेतन प्रतिमास 1000 रुपए से प्रतिमास 3000 रुपए तक था।

1	2	3	4
1983	2	1. तापसह परियोजना का विस्तार और आधुनिकीकरण। 2. 7 डीजल लोको ओवरहाल की आवश्यकता का बाजार सर्वेक्षण।	वेतन 1600 रुपये प्रतिमास से 2750 रु० प्रतिमास तक था।

बाघों के लिए कारबेट पार्क अत्यधिक छोटा

8193. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 1983 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि बाघों के रहने के लिए कारबैट नेशनल पार्क बहुत ही छोटा हो गया है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ बाघ आपस में लड़ कर मर गये हैं;

(ग) क्या एक बाघ नरभक्षी बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यद्यपि कारबैट नेशनल पार्क में शिकार करने वाले पशुओं की संख्या बहुतायत में है और बाघों के लिए पर्याप्त आहार है, परन्तु स्पीशीज के सामाजिक संगठन के कारण, जो कि क्षेत्रीय है, बफर क्षेत्र को भरपूर बढ़ाकर कारबेट नैशनल पार्क (520 वर्ग कि० मी०) की वर्तमान सीमा की वृद्धि आवश्यक है।

नाइजीरिया में एल्यूमिनियम और इस्पात के विकास के लिए उस देश की सहायता

8194. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नाइजीरिया के शिष्ट-मण्डल को आमन्त्रित किया है तथा उस देश के एल्यूमिनियम और इस्पात के विकास के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस देश को किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ग) नाइजीरिया सरकार का विचार अपने देश में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) इससे सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) भारत सरकार के निमन्त्रण पर नाइजीरिया के इस्पात विकास मन्त्री के नेतृत्व में एक शिष्ट-मण्डल ने 30 मार्च से 5 अप्रैल, 1983 तक भारत का दौरा किया था। शिष्ट-मण्डल ने अपने इस्पात उद्योग के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के बारे में बातचीत की थी। इस बात पर सहमति हो गई थी कि नाइजीरिया की सरकार एक पक्का प्रस्ताव भेजेगी जिसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जाएगा जिनमें उनको तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव में मांगी गई सहायता के स्वरूप का भी उल्लेख किया जायेगा। वे "सेल" द्वारा नाइजीरिया के इंजीनियरों, तकनीशियनों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० और ऊलाक्टा स्टील कम्पनी लि० के बीच करार पर हस्ताक्षर के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के लिए भी सहमत थे।

नाइजीरिया का चपटे उत्पादों का उत्पादन करने हेतु एक इस्पात कारखाना और एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर की स्थापना करने का कार्यक्रम है। मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इण्डिया लि० (मेकन) ने नाइजीरिया के शिष्ट-मण्डल को उन सेवाओं के बारे में बता दिया था जो वे इन कारखानों के रूपांकन, निर्माण और परिचालन के लिए दे सकते हैं। "मेकन" ने नाइजीरिया के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु नाइजीरिया के डेल्टा स्टील कम्पनी के साथ एक करार किया हुआ है। ये कार्मिक उनके डिजाइन ब्यूरो में काम करेंगे।

उड़ीसा में स्पंज लोहा संयंत्र की स्थापना

8195. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना दौरान गैर-सरकारी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत उड़ीसा में मूल रूप से कितने स्पंज लोहा संयंत्रो की स्थापना करने का विचार किया गया था;

(ख) अब तक वास्तव में कितने स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है; और

(ग) चालू योजना अवधि के समाप्त होने से पहले उड़ीसा में कितने और स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ग) छठी योजनावधि के दौरान देश में स्पंज लोहे के नए कारखाने लगाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। उड़ीसा सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (इपिकोल) ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्पंज लोहे का एक संयंत्र लगाया है। मैसर्स "इपिकोल" को उसी जिले में स्पंज लोहे का संयुक्त क्षेत्र में एक कारखाना लगाने के लिए एक दूसरा आशय-पत्र दिया गया है।

(ग) और अधिक इकाइयों को लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर सरकार की इस मामले में घोषित नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र

8196. **श्री भीखा भाई** : : क्या **इस्पात और खान मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न आदिवासी क्षेत्रों में बड़े, मध्यम और छोटे दर्जे के कौन-कौन से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) उन परियोजनाओं द्वारा कितने आदिवासी प्रभावित हुए अथवा हटाए गए;

(ग) क्या इन आदिवासी लोगों को भूमि का आबंटन करके उपजाऊ भूमि में बसाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का, परियोजना-वार/वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के अधीन दो बड़े इस्पात कारखाने नामत: उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाना तथा बिहार में बोकारो इस्पात कारखाना घोषित आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ख) से (घ) इन परियोजनाओं के निर्माण के विस्थापित हुए आदिवासियों की संख्या तथा विस्थापित आदिवासियों को आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में जानकारी स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० अथवा इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। विस्थापित व्यक्तियों को सम्बधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि देकर फिर से बसाया जाता है। सरकार की नीति यह है कि इस्पात कारखाने प्रत्येक विस्थापित परिवार के शारीरिक दृष्टि से सक्षम एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करें बशर्ते कि रिक्ति उपलब्ध हो और वह व्यक्ति उसके उपयुक्त हो। राउरकेला के विस्थापित परिवारों की कुल संख्या 2,610 तथा बोकारो में 11,946 है। मार्च, 1983 के मध्य तक इन परिवारों के 4,551 व्यक्तियों को राउर केला में तथा 13,723 व्यक्तियों को बोकारो में रोजगार दिया जा चुका है।

बिहार सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

8197. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति करने हेतु चयन समिति की बैठक प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले करनी होती है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की है कि 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त स्थानों को भरने के लिए, 1981 की चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची के आधार पर सभी कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किया जाए;

(ग) क्या यह चयन सूची केवल उन्हीं रिक्तियों के लिए वैध है जो दिसम्बर, 1982 तक हुई हैं और 1983 में होने वाली रिक्तियों के लिए वैध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में पदोन्नति के बारे में अधिसूचना जारी किए जाने को रोकने का सरकार का विचार है; और

(ङ) नई चयन सूची के आधार पर 1983 में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति की बैठकें सामान्यतः अधिक से अधिक एक साल के अन्तराल पर होंगी और वह समिति राज्य सिविल सेवा के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करेगी, जो उनकी राय में सेवा में पदोन्नत किए जाने के लिए उपयुक्त हों। इस प्रकार, यदि किसी वर्ष विशेष में चयन समिति की बैठक आयोजित न करने के लिए कोई असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उक्त वर्ष के दौरान चयन समिति की बैठक बुलाई जानी आवश्यक नहीं होती है।

(ख) तथा (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए बिहार के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की जो प्रवर सूची चयन समिति द्वारा 21 दिसम्बर, 1981 को तैयार की गई थी और जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 अप्रैल, 1982 को अनुमोदित किया गया था, इस समय वही प्रवर सूची लागू है और यह सूची भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति करने के लिए तब तक लागू रह सकती है, जब तक कि चयन समिति द्वारा कोई नई प्रवर सूची तैयार नहीं कर ली जाती और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। उक्त प्रवर सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा के 17 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। चूंकि ये सिफारिशें सही थीं, अतः अधिसूचनाएं जारी करके प्रवर सूची के इन 17 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त कर दिया गया था।

(घ) जी, नहीं। जिन अधिसूचनाओं द्वारा प्रवर सूची के 17 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया था, वे अधिसूचनाएं पूर्णतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार थीं।

(ङ) चूंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 अप्रैल, 1982 को अनुमोदित प्रवर सूची कानूनी तौर पर लागू है, अतः 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति करने के लिए इसको तब तक लागू रखा जाना है जब तक कि चयन समिति द्वारा दूसरी सूची तैयार नहीं कर ली जाती और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता।

केन्द्र शासित क्षेत्र संवर्ग के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

8198. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से आज तक वर्ष-वार केन्द्र शासित क्षेत्र संवर्ग में कितने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इस समय वे कहां-कहां नियुक्त हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों के हैं तथा कितने अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) क्या ऐसा निर्णय कभी लिया गया था कि दिल्ली पुलिस बल में उपपुलिस महानिरीक्षक का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय कार्यान्वित किया गया तथा इस पद पर अनुसूचित जाति समुदाय का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी नियुक्त किया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या दिल्ली पुलिस ढांचे में होने वाले व्यापक फेरबदल को ध्यान में रखते हुए, पुलिस बल के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में अनुसूचित जाति के एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) 1977 से और इसके बाद नियुक्त किए गए संघ शासित क्षेत्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

भर्ती का वर्ष	नियुक्त किए गए अधिकारियों की कुल संख्या			कालम 2 में दिए गए में से अनु० जा० की संख्या	कालम 2 में दिए गए में से अनु० जन जा० की संख्या
	सीधे भर्ती किए गए	पदोन्नति	जोड़		
1	2	3	4	5	6
1977	7	5	12	—	1
1978	3	2	5	1	—
1979	2	—	2	1	—
1980	3	2	5	1	—
1981	1	1	2	—	—
1982	1	2	3	2	—
जोड़	17	12	29	5	1

उनके नाम, वर्तमान नियुक्ति और पदनाम विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तथा (च) पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर पर अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए पदों का कोई आरक्षण नहीं है। भर्तियां और नियुक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेशों के अधीन प्रशासनिक आवश्यकताओं के विचार से की जाती हैं।

विवरण

1977 से और उसके बाद संघ शासित क्षेत्र संवर्ग में नियुक्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम और उनके पदनाम तथा उनकी वर्तमान नियुक्ति

क्रम सं०	भर्ती का वर्ष	अधिकारी का नाम और भर्ती का स्रोत (अर्थात् क्या सीधी भर्ती (आर० आर०) अथवा पदोन्नत (एस० पी० एस०)	क्या अनु० जाति/ अनु जन० जा० से संबंधित है	पद नाम और वर्तमान नियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	1977	श्री एस० के० सिंह, एस० पी० एस०	—	पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जिला दिल्ली।
2.	1977	श्री जी० आर० गुप्ता, एस० पी०एस०	—	पुलिस उपायुक्त, विशेष जिला (सुरक्षा) दिल्ली।
3.	1977	श्री आर० एन० नियोगी एस० पी० एस०	—	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चण्डीगढ़।
4.	1977	श्री पी० आर० एस० बरार, एस० पी० एस०	—	प्रिंसिपल, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, चण्डीगढ़।
5.	1977	श्री आर० पी० मिश्रा, एस० पी० एस०	—	पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) दिल्ली।
6.	1977	श्री अजय चड्ढा, आर० आर०	—	पुलिस अधीक्षक, अलोंग, अरुणाचल प्रदेश (दिल्ली पुलिस को स्थानान्तरण आदेशों के अन्तर्गत)
7.	1977	श्री भीमसेन, आर० आर०	—	पुलिस अधीक्षक, जीरो, अरुणाचल प्रदेश
8.	1977	श्री आर० एम० श्रीवास्तव, आर० आर०	—	भारतीय पुलिस सेवा छोड़ दी है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए हैं।

1	2	3	4	5
9.	1977	श्री बी० एस० बरार, आर० आर०	—	अपर पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली।
10.	1977	श्री अहमद सैद खान, आर० आर०	—	अपर पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा दक्षिणी दिल्ली।
11.	1977	श्री टी० सी० लालदुहावमा, आर० आर०	अ०ज०जा०	अपर पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा दिल्ली।
12.	1977	श्रीमती कमलजीत देओल, आर० आर०	—	पुलिस उपायुक्त, डी० ए० पी० 6ठी बटालियन, दिल्ली
13.	1978	श्री वीरेन्द्र राय, एस० पी० एस०	—	कमाडेंट होम गार्ड, दिल्ली।
14.	1978	श्री रामाश्रय तिवारी, एस० पी० एस०	—	पुलिस उपायुक्त, उत्तरी दिल्ली।
15.	1978	श्री रणजीत नारायण, आर० आर०	—	भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर
16.	1978	श्री सतीश चन्द्र, आर० आर०	—	पुलिस अधीक्षक, लुंगला, मिजोरम।
17.	1978	श्रीमती विमला मेहरा आर० आर०	(अ०जा०)	पुलिस अधीक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह।
18.	1979	श्री ए० के० वर्मा, आर० आर०	—	सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
19.	1979	श्री दीपचन्द, आर० आर०	(अनु०जा०)	सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
20.	1980	श्री ओ० पी० मेहरा, एस० पी० एस०	—	पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।
21.	1980	श्री बी० आर० कदम, एस० सी० एस०	—	पुलिस अधीक्षक, छिमटुईपुई, मिजोरम।
22.	1980	श्री के० के० महेश्वरी, आर० आर०	—	उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी, मोरगाओ, गोवा।
23.	1980	श्री शांति कुमार जैन, आर० आर०	—	पुलिस अधीक्षक (कनिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा वेतनमान) पांडिचेरी।
24.	1980	श्री प्रह्लादराय मीना, आर० आर०	(अ० जा०)	अण्डेमान तथा निकोबार प्रशासन को तैनातगी के आदेशों के अन्तर्गत

1	2	3	4	5
25.	1981	श्री वीरेन्द्र प्रकाश, एस० पी० एस०	—	वांच एण्ड वार्ड अधिकारी, लोकसभा ।
26.	1981	श्री पी० एन० अग्रवाल, आर० आर०	—	नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं।
27.	1982	श्री पूरन सिंह, एस० पी० एस०	(अनु० जा०)	अरुणाचल प्रदेश को स्थानान्तरण के आदेशों के अन्तर्गत ।
28.	1982	श्री आर० के० शर्मा, एस० पी० एस०	—	—तदैव—
29.	1982	श्री आदित्य आर्य, आर० आर०	(अनु० जा०)	नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

भ्रष्ट व्यक्तियों का भंडाफोड़ करने वाले लोगों को सुरक्षा

8199. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री** भ्रष्ट व्यक्तियों का भंडा-फोड़ करने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में 30 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4925 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भ्रष्ट व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों, कालाबाजारियों, आर्थिक अपराधियों आदि का भंडाफोड़ करने के मामले में भारत के नागरिक को उत्पीड़न से बचाने तथा उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने से संबंधित अधिकार तथा सुरक्षा से संबंधित आदेशों/अनुदेशों/नियमों/विनियमों की प्रतियां सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : निम्नलिखित संगत उपबन्धों/अनुदेशों की एक-एक प्रति संलग्न है :—

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 8 (अनुबन्ध I)

(ii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 125 (अनुबन्ध II)

(iii) पुलिस महानिरीक्षक/विशेष पुलिस स्थापना, नई दिल्ली द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों, विशेष पुलिस स्थापना को जारी किए दिनांक 26.12.1959 के परिपत्र संख्या 22/8/59-111 के उद्धरण (अनुबन्ध III)

(v) गृह मंत्रालय का दिनांक 16-11-65 का का० ज्ञा० संख्या 43/103/64-ए० वी० डी० (अनुबन्ध V)

(vi) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5-9-1975 के का० ज्ञा० संख्या 371/5/73-ए० वी० डी० 111 द्वारा जारी किए गए निर्देश का उद्धरण (अनुबन्ध V)

(vii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 39 (अनुबंध VI)
(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6434/83)

निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले आदिवासी

8200. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान कितने आदिवासी निर्धनता की रेखा पार कर गये हैं;

(ख) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितने आदिवासियों के निर्धनता की रेखा को पार करने की संभावना है; और

(ग) सभी आदिवासी निर्धनता की रेखा को कब तक पार कर जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पिछले तीन वर्षों (1980-81, 1981-82 और 1982-83) के दौरान जनजातीय उप-योजना वाले क्षेत्रों के 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा पार करने के लिए लगभग 21 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई थी ।

(ख) तथा (ग) वे परिवार, जिनको आर्थिक रूप से सहायता की जा रही है, निरन्तर प्रयासों द्वारा एक समयावधि के पश्चात निर्धनता रेखा पार कर सकते हैं। यह विधि गरीबी विरोधी योजनाओं के स्वरूप समेत विभिन्न तत्वों पर निर्भर है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में 23.25 लाख आदिवासी परिवारों द्वारा निर्धनता की रेखा पार करवाने का लक्ष्य है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को टेरीकोट वर्दी

8201. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी वर्दी के लिये खादी के स्थान पर टेरीकाट वर्दी की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यह मांग की है कि समूह "ग" तथा समूह "घ" के पात्र वर्गों को गर्मी के लिए खादी वर्दी के स्थान पर टेरीकाट वर्दी और सर्दी के लिए मिल की बनी हुई सर्ज की ऊनी वर्दी दी जाए। इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है ।

सरकारी व्यय में मितव्ययिता

8202. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली योजनाओं में यह परिकल्पना थी कि मितव्ययिता बरती जाये तथा कार्य कुशलता लाई जाये और केन्द्र तथा राज्यों में सरकारी धन के खर्च में सावधानी बरती जाये; और

(ख) यदि हां, तो लागत नियंत्रण और आन्तरिक कार्यकुशलता लेखा परीक्षा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गठित योजना गत परियोजनाओं संबंधी एक समिति की नियुक्ति और प्रतिनियुक्तियां तथा उनके नवीकरण को सामान्य रूप से बढ़ावा न देने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा हाल में जारी किये गये निदेशों का क्या परिणाम निकला है।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सरकारी व्यय में मितव्ययिता बरतने, कार्य-कुशलता लाने और सावधानी बरतने की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया गया है।

(ख) वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गठित योजनागत परियोजनाओं से संबंधित समिति का योजना आयोग ने वर्ष 1970 में समाप्त कर दिया था। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर लागत-नियंत्रण और उनके समय पर कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से जांच की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा विभाग में निलम्बित किये गये कर्मचारी

8203. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें निलम्बित किया गया है अथवा आरोप-पत्र जारी किया गया है और कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बित करते समय अथवा निलम्बन से तीन माह बीत जाने के तत्काल बाद उन्हें निलम्बित किये जाने का कारण बताया गया है और तीन महीने बीत जाने के तत्काल बाद उनका निर्वाह भत्ता संशोधित किया गया और क्या निर्वाह भत्ते का भुगतान उन्हें नियमित रूप से तथा प्रत्येक महीने किया जाता है;

(घ) क्या ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कर्मचारियों को बिना कारण निलम्बित किया गया हो और आरोप पत्र जारी न किया गया हो; और

(ङ) निलम्बित कर्मचारी की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है कि उसे उत्पीड़ित न किया जाये?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निलम्बित कर्मचारी

8204. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनको

निलम्बित किया हुआ है या आरोप पत्र दिया गया है और विभागीय कार्यवाही कितने मामलों में की गई है;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निलम्बित कर्मचारियों को उनको निलम्बित करते समय अथवा निलम्बन के तीन महीने समाप्त होने के तुरन्त बाद उनके निलम्बन के कारण बता दिए गए थे और उनके निर्वाह भत्ते का तीन महीने समाप्त होने के ठीक बाद पुनर्विलोकन किया गया था और उनको नियमित रूप से तथा प्रति मास उनका निर्वाह भत्ता अदा किया जाता है;

(घ) क्या ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें कारण बताए बिना और आरोप-पत्र दिए बिना कर्मचारियों को निलम्बित किया गया हो; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय हैं कि निलम्बित कर्मचारी को परेशान न किया जाये ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) निलम्बितः शून्य ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लेखा नियंत्रक संगठन के दो कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

(ख) **केस संख्या 1 :**

एक आरोप पत्र 3 मई, 1982 को जारी किया गया था और एक जांच अधिकारी की नियुक्ति 13 सितम्बर, 1982 को की गई थी । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । एक अन्य आरोप-पत्र एक नए आरोप पर 13 सितम्बर, 1982 को जारी किया गया था । इस आरोप-पत्र का उत्तर अभियुक्त अधिकारी से प्राप्त होना है ।

केस संख्या 2 :

एक आरोप-पत्र 25 मार्च, 1982 को जारी किया गया था परन्तु अवितरित वापिस प्राप्त हो गया । एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के उपबंधों और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों द्वारा निलम्बित कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए सुरक्षोपाय प्रदान किये गये हैं ।

इलैक्ट्रानिक्स विभाग में कर्मचारियों का निलंबन

8205. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलैक्ट्रानिक्स विभाग में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है या आरोप-पत्र दिए गए हैं और कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन के समय या निलम्बन की तारीख से तीन महीने समाप्त होने के तुरन्त बाद उन्हें निलंबन के कारण बता दिए गए थे और निलंबन के तीन महीने समाप्त होते ही उनके निर्वाह भत्ते की पुनरीक्षा की गई है और उन्हें निर्वाह भत्ते की अदायगी नियमित रूप से और प्रति मास की जा रही है;

(घ) क्या ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें कर्मचारियों को बिना कारण बताए निलम्बित किया गया है और आरोप-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ङ) एक निलम्बित कर्मचारी का शोषण न होने पाए, इसके लिए क्या सुरक्षा प्रदान की गई है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक कथित आपराधिक मामले के सम्बन्ध में इस समय केवल एक कर्मचारी (गैर-राजपत्रित) निलम्बित है। अभी तक उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा, सरकारी उपस्करों का दुरुपयोग करने और लेखाओं का ठीक प्रकार से रिकार्ड न रखने के कारण दो कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। इस समय ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें किसी कर्मचारी को कोई कारण बताए बिना निलम्बित कर दिया गया हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारियों के लिए अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए विभागीय तथा कानूनी, दोनों प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने हेतु राज सहायता देना

8206. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु राज सहायता देने के लिए वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए प्रत्येक राज्य को राज सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दी गई राज सहायता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि अप्रयुक्त रही है;

(घ) इसका पूरा उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूरी धनराशि का उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय के अधीन आने वाले लघु उद्योग विकास संगठन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष घटक योजना के लिए 34.00 लाख रुपये का परिव्यय और 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी क्षेत्रों हेतु 900.00 लाख रुपये का अन्य परिव्यय निश्चित किया है। वर्ष 1983-84 के लिए लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष घटक योजना के लिए 6.25 लाख रुपये का परिव्यय और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 262.40 लाख रुपये का अन्य परिव्यय निर्धारित करने का अस्थायी रूप से प्रस्ताव किया गया है।

नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित किया जाना

8207. **श्री अमर राय प्रधान :**
डा० ए० यू० आजमी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय अथवा विभागों/उनके मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में नैमित्तिक मजदूर/मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी उनके मंत्रालय के प्रत्येक विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय में भर्ती किए गए हैं;

(ग) क्या काफी समय बीत जाने के पश्चात् भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) उन्हें वर्षों तक केवल नैमित्तिक मजदूर तथा मस्टर रोल कर्मचारियों के रूप में रखने की बजाय उनकी सेवाओं को नियमित बनाए जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग में 36 और सांख्यिकी विभाग मुख्यालय में 201 सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) योजना आयोग के संबंध में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्हें अल्पावधि के लिए रखा जाता है।

सांख्यिकी विभाग के सम्बन्ध में वर्ष 1983 में हाल ही में 4 नैमित्तिक श्रमिकों को

चपरासियों के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। जैसे-जैसे अन्य रिक्तियां होंगी अन्य श्रमिकों को भी नियमित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

दरभंगा में उद्यमियों की एक सेमिनार आयोजित करना

8208. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा डिवीजन में पिछड़ेपन की स्थितियों और उद्योगों की वृद्धि की बहुत अधिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इच्छुक उद्यमियों की कोई सेमिनार आगामी मानसून से पहले युवा वर्ग को स्थल पर प्रशिक्षण और दर्शन, रजिस्ट्रेशन कोटेशन और ऋण मंजूर करने आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए दरभंगा में आयोजित करने का विचार है ताकि अपने रोजगार के माध्यम से अत्यधिक विलम्ब की प्रक्रिया से बचते हुए उत्पादिकता प्रयास शुरू किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बिहार राज्य में शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण कारीगरों, महिला उद्यमियों तथा अन्य लम्बित समूहों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन रांची, पटना और मुजफ्फरपुर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा किया जाता है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के स्थानों और प्राथमिकताओं पर राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय लिया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्य सेवा में नियुक्ति

8209. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने एक ऐसा प्रावधान बनाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 50 प्रतिशत अधिकारी राज्य सेवा में नियुक्त किए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सेवाओं में सम्मिलित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु, सेवा के विभिन्न संवर्गों में सीधे भर्ती किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आवंटन के मामलों में प्रत्येक संवर्ग को आवंटित कम से कम 50% अधिकारी दूसरे राज्यों के होते हैं। आवंटन संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से किए जाते हैं।

बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

8210. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और बिहार में जिला-वार कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पहले से ही पेंशन मिल रही है अथवा पेंशन मंजूर की गई है; और

(ख) मधुबनी और दरभंगा जिलों में ऐसे पेंशन प्राप्त कर्ताओं की ब्लाक-वार सूची क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) ब्लाक-वार कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के नाम से ज्ञात थी, के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों की संख्या 28 फरवरी, 1983 की राज्य-वार और बिहार में जिला-वार की विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिन मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई उनकी संख्या	बिहार राज्य में जिलों के नाम	जिन मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई उनकी संख्या
1	2	3	4
अंडमान तथा निकोबार	38	भागलपुर	2608
आंध्र प्रदेश	5610	चम्पारन	1132
आसाम	4006	धनबाद	80
बिहार	20024	दरभंगा	169
चण्डीगढ़	81	गया	1378
दिल्ली	1752	हजारीबाग	176
गोआ	626	मुंगेर	2661
गुजरात	3099	मुजफ्फरपुर	1967
हरियाणा	1370	पूर्णिया	707
हिमाचल प्रदेश	421	पटना	2533
जम्मू एवं कश्मीर	914	पालामऊ	119
केरल	2087	रांची	118
कर्नाटक	8171	सिंहभूम	97
मध्य प्रदेश	2915	संथालपरगना	581
महाराष्ट्र	10849	शाहबाद	2134
मणिपुर	59	सहरसा	652
मेघालय	68	सारन	1280
नागालैंड	3	कटिहार	—
उड़ीसा	3610	गिरिडीह	—

1	2	3	4
पांडिचेरी	258	मधुबनी	61
पंजाब	5404	समस्तीपुर	24
राजस्थान	649	नालंदा	24
तमिलनाडु	3747		
त्रिपुरा	659		
उत्तर प्रदेश	16386		
पं० बंगाल	15108		
भ-आ० हि० फी कार्मिक	17803		
जोड़	125760	जोड़	20024

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षकों की भर्ती

8211. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षकों की भर्ती के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591J के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कटर" और टेलर मास्टर के पद के लिए चुने गए अथवा अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों की आर्थिक आवश्यकताओं का निर्धारण करने में केन्द्र द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ख) क्या साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया था और उनके स्थान पर गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उपरिउल्लिखित कार्य के लिए चुने गए/अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों के पिता/संरक्षकों की आय का वेतन प्रमाण पत्रों के अनुसार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों के मामलों पर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, पुर्निवचार करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जैसा कि 6-4-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5913 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, गृह कल्याण केन्द्र की रोजगार योजना का उद्देश्य ऐसे अल्प वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की मदद करना है जिनकी मासिक आय 750 रुपए प्रतिमाह और परिवार की प्रति व्यक्ति आय 200 रुपए से अधिक नहीं है जिससे कि वे अन्य स्थानों में अपनी आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। फिर भी कटर टेलर मास्टर जैसे पदों पर भर्ती करते समय, जिसमें विशेष दक्षता जरूरी होती है, कार्यकुशलता का भी मूल्यांकन किया जाता है। कटर टेलर मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए, जिन उम्मीदवारों का

साक्षात्कार किया गया था, उन सभी ने अपने माता-पिता/अभिभावकों की आय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। फिर भी जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में अच्छे कार्य निष्पादन का परिचय दिया था उनसे साक्षात्कार के समय इस बारे में पता लगाया गया था। जिस उम्मीदवार का चुनाव किया गया है उसके पिता 626 रुपए प्रतिमाह पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विकलांग भी है। अतिरिक्त रूप से चुने गए उम्मीदवार के पिता की आय 2,775 रुपए प्रतिमाह है। कार्य के मामले में दोनों उम्मीदवार एक से निपुण पाए गए लेकिन चूंकि एक व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता दूसरे की तुलना में अधिक थी और वह शारीरिक दृष्टि से विकलांग भी था इसलिए उसे तरजीह दी गई।

(ख) उम्मीदवारों का चुनाव उक्त (क) में वर्णित मानदण्डों के आधार पर किया गया था और उनके स्थान पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रखे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि उक्त (क) में पहले ही कहा जा चुका है, जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था उन सभी ने अपने माता-पिता/अभिभावकों की आय के प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए थे।

(घ) और (ङ) उक्त (क) से (ग) तक के उत्तरों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन के दौरान तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति

8212. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों ने इस आशय का समाचार प्रकाशित किया था कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान समस्या पैदा करने के लिए कुछ तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति बाहरी देशों से भारत को भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क थी; और

(ग) क्या उन गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों को, जिनमें आपसी मित्रता नहीं है, भिन्न-भिन्न जगहों में रखने की पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि अचानक झगड़े की नौबत न आने पाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा प्रबंधों की योजना बनाते समय बाहरी देशों से तोड़-फोड़ करने वालों के खतरे और विभिन्न अन्य सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। सरकार द्वारा किए गए विस्तृत सुरक्षा प्रबंधों से शिखर सम्मेलन को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित किया और इन प्रबन्धों को आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों समेत सभी लोगों द्वारा सराहना की गई थी।

गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता

8213. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में कितने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ कार्यरत हैं, और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित संघों को मान्यता दे रही है;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघों को मान्यता न देकर उन्हें हतोत्साहित कर रही है;

(घ) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ, अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली ने सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा, क्या है; और

(ङ) विभिन्न विभाग भारत सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघों को मान्यता देने, गैर अनुसूचित जाति कल्याण संघों और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संघों के बीच मुकाबलेबाजी को समाप्त करने तथा सद्भाव पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) और (ङ) नीति के रूप में, सरकार किसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदाय आदि के आधार पर बनाई गई सरकारी कर्मचारियों की किसी एसोसिएशन को मान्यता नहीं देती है। तदनुसार उन गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति, कर्मचारी कल्याण एसोसिएशनों के नाम तथा संख्या उपलब्ध नहीं है जो किसी भी दृष्टि से किसी जाति के साथ संबद्ध हैं तथा रेल मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कार्य कर रही है।

(घ) दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, जो आरक्षित रिक्तियों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से पहले ही सूचीबद्ध है, ने भी अनुसूचित जातियों की शिकायतों के निवारण हेतु संयुक्त परामर्श तंत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी एसोसिएशन को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन किया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन गैर-मान्यता प्राप्त गैर-कर्मचारी संगठन इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते।

झाड़ौदा कलां, दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जवानों के परिवारों का मृत्यु की स्थिति में रहना

8214. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री नारायण चौबे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों के 1000 परिवार दिल्ली के निकट झाड़ौदा कलां में अपने मुख्यालय में लगभग मृत्यु की स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के परिवार वालों की बेहतरी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) झाड़ोदा कलां में कोई क्वार्टर ऐसे नहीं हैं जिनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के परिवार रहते हैं और वे क्वार्टर रहने के लिए ठीक नहीं हैं अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उनको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित भवन असुरक्षित घोषित किए गए हैं :—

(i) ग्रुप सेंटर और सिगनल बटालियन के अधीनस्थ अधिकारियों की लाइनें।

(ii) बैडमिंटन/स्कवैश परिसर।

(iii) सेंट्रल स्कूल भवन।

(iv) केन्टीन-व-आडिटोरियम भवन (मैस क्लब)

इन भवनों का 1972-1974 में निर्माण किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1979 से इन भवनों की चरणों में मरम्मत की जा रही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जिनमें एक अभियन्ता को इन भवनों की मरम्मत और रखरखाव की देखभाल करने के लिए झड़ोदा कलां के ग्रुप सेंटर में स्थायी रूप से तैनात किया गया है।

सीमेंट का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने का निर्णय

8215. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों में सीमेंट उत्पादन की वार्षिक क्षमता काफी मात्रा में बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन 1983 और 1984 में (एक) वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ाकर और (दो) सीमेंट के नए लघु, मझोले तथा बड़े कारखाने स्थापित करके बढ़ाई जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कारखानों में कौन से प्राइवेट/सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे तथा उनकी राज्यवार सूची क्या है और प्रत्येक वर्ष कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के अन्त में सीमेंट उत्पादन के लिए देश में स्थापित कुल क्षमता 292.5 लाख मी० टन थी। छठी योजना के अन्तिम वर्ष की समाप्ति अर्थात् 1984-85 के अन्त तक स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 430 लाख मीट्रिक टन कर देने की योजना है। स्थापित क्षमता में कार्यक्रम के अनुसार वृद्धि के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिखाये गए हैं।

विवरण

वर्ष			वार्षिक क्षमता में कुल वृद्धि (दस लाख मी० टन)
1982-83	सरकारी क्षेत्र	—	कुछ नहीं
	गैर-सरकारी क्षेत्र	—	30 (नए एककों द्वारा)*
1983-84	सरकारी क्षेत्र	—	20.8 (जिसमें से 10 लाख मी० टन विस्तार द्वारा)
	गैर-सरकारी क्षेत्र	—	60 (जिसमें से 24.2 लाख मी० टन विस्तार द्वारा)
1984-85	सरकारी क्षेत्र	—	कुछ नहीं
	गैर-सरकारी क्षेत्र	—	28.00 (जिसमें से 6.85 लाख मी० टन विस्तार द्वारा)

हीरे का उत्पादन

8216. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की पनाबेल्ट खान में हीरों का उत्पादन घटता जा रहा है; खनिज-हीरों की गिनती तथा मूल्यों सम्बन्धी वार्षिक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर हीरों की तस्करी तथा अवैध खुदाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है उन्हें रोकने लिए वर्तमान नीलामी प्रणाली एवं करों की दरों में परिवर्तन करने को कहा है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पन्ना हीरा बेल्ट में हीरों के निक्षेपों का नवीनतम सर्वेक्षण कब कराया गया था; किसने किया था और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय खनिज तथा विकास निगम और खनिज खोज निगम ने हीरों की खोज, खनन प्रौद्योगिकी तथा हीरों की उत्पादन में वृद्धि करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वियतनाम और तायवान में इंजीनियर उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता

8217. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वियतमान में इन्जीनियरी उद्योग स्थापित करने और इसके इन्जीनियरी उद्योगों के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने वियतनाम का दौरा किया है;

(ग) इन दौरों को किसने प्रायोजित किया है, इस पर खर्च किसने किया है और क्या सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की गई है;

(घ) क्या तायवान में इन्जीनियरी उद्योगों के स्थापना के लिए भारत तायवान विनियम हेतु प्रतिनिधिमण्डल ने तायवान का भो दौरा किया है;

(ङ) क्या तायवान और वियतनाम को भारत का दौरा करने का निमंत्रण दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) से (च) एसोसिएशन ऑफ इन्डियन इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री, सैन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन और प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से तीन शिष्ट मण्डलों ने वियतनाम और एसोसिएशन ऑफ इण्डिया इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री तथा फेडेरेशन ऑफ इण्डियन चैम्ब ऑफर्स कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के दो शिष्ट मण्डलों ने ताइवान का दौरा किया। दौरे का खर्चा सम्बन्धित संगठन द्वारा वहन किया गया था। जहां आवश्यकता थी वहां आवश्यक अनुमति दे दी गई थी। एसोसिएशन ऑफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री ने वियतनाम और ताइवान के उद्योगों तथा सरकार के प्रतिनिधियों को भारत आने का यदि हो सके तो जनवरी, 1983 में पांचवें भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेले के अवसर पर आने का निमन्त्रण दिया था, किन्तु 1983 में पांचवें भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेले के अवसर पर इन दोनों देशों से कोई भी शिष्टमण्डल भारत के दौरे पर नहीं आया। भारत वियतनाम से उसके विकासात्मक प्रयोग में सहयोग कर रहा है जिसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र भी सम्मिलित है।

देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

8218. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में लघु सीमेंट संयत्रों की स्थापना के काम में तेजी लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार की नीति देश में शीघ्रता से लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की है। पता चलता है कि 8 लघु सीमेंट संयंत्र तो वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हैं और 67 लघु सीमेंट संयंत्रों के प्रकरणों में जारी किए हुए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत

8219. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि बिजली की इस समय प्रति यूनिट उत्पादन लागत की तुलना में राजस्थान परमाणु बिजलीघर की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कितनी निकाली गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राजस्थान के बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

8220. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में छोटी और बड़ी सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना के लिए किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा ये लाइसेंस किस-किस तारीख को जारी किए गए हैं; और

(ख) इस समय उक्त उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी कार्य निर्माण के किस चरण में हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड को जिला भीलवाड़ा में 10.42 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता के एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए 26.7.1982 को एक वर्ष के लिए वैद्य एक आशयपत्र स्वीकृत किया गया था।

मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड के लखेरी, जिला बूंदी में चल रहे विद्यमान एकक के अलावा, राजस्थान के बूंदी जिले में एक बड़ी सीमेंट परियोजना स्थापित करने के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

काली गर्दन वाले साइबेरियन क्रेनों की कमी पर विशेषज्ञों तथा प्रकृति-वैज्ञानिकों की बैठक

8221. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने काली गर्दन वाले साइबेरियन क्रेनों की संख्या में कमी तथा उन्हें बेतहासा मारे जाने को देखते हुए विशेषज्ञों तथा प्रकृति-वैज्ञानिकों की एक बैठक आयोजित की थी; और

(ख) इन दुर्लभ पक्षियों की रक्षा तथा इनकी संख्या बढ़ाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राजस्थान सरकार के सहयोग

से इन्टरनेशनल क्रेन फाउन्डेशन द्वारा, भारत सरकार के अनुमोदन से, फरवरी, 1983 में अन्तर्राष्ट्रीय क्रेन कार्यशाला केओलेडियो राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर (राजस्थान) में आयोजित की गई थी। कार्यशाला ने विश्व के क्रेनों के संरक्षण विषयों के सम्बन्ध में ध्यान केन्द्रित किया।

(ख) काली गर्दन वाले साइबेरियन क्रेनों के नाम की कोई स्पीशी नहीं है। तथापि, क्रेनों की दो भिन्न स्पीशीज निम्नलिखित हैं:

1. काली गर्दन वाले क्रेन।

2. साइबेरियन क्रेन

देश में इन दोनों स्पीशीज को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। इन स्पीशीज के बन्दी प्रजनन का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

टायरों के मूल्य में कमी करने हेतु ज्ञापन

8222. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टायर ट्रेड ऐसासियेशन की ओर से उत्पादकों द्वारा टायरों के मूल्यों में कमी कराये जाने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांग पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने समय-समय पर उद्योग मंत्रालय को निर्माताओं द्वारा टायरों के मूल्य घटाने हेतु सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं। इन अभ्यावेदनों में निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित हैं:—

(1) टायर निर्माताओं के निर्माणोत्तर खर्चों में काफी कटौती करने की आवश्यकता है।

(2) छोटे निर्मित टायरों/ट्यूबों और फ्लैपों की उत्पादन लागत ही टायरों/ट्यूबों और फ्लैपों के मूल्य निर्धारित करने का आधार होना चाहिए।

(3) टायर निर्माता अपने द्वारा कुछ चुने हुए व्यापारियों को कम बीजक मूल्यों पर टायर देते हैं जो प्रत्येक टायर/ट्यूब के मामले में 15 से 100 प्रतिशत तक कम होते हैं। इन उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा इसी आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

(4) कच्चे माल की आवश्यकता को कम करने की दृष्टि से टायर बनाने में काम आने वाले कच्चे माल की खपत के लिए मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

(5) टायरों की प्लाई-रेटिंग सरकार द्वारा विनियमित की जानी चाहिए।

(6) उत्पादन शुल्क घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

(7) टायर उद्योग की मूल्य निर्धारण नीति और इसकी वितरण प्रणाली को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(8) धर्मदा (विक्रेताओं से दान लेना) जैसी उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।

(9) सरकार को चाहिए कि बहु-राष्ट्रिकों की विदेशी इक्विटी को अपने अधिकार में लेकर या भारतीय टायर निर्माता कम्पनियों की अधिकांश इक्विटी पूंजी लेकर टायर व्यापारियों और परिवहन परिचालकों को आवंटित कर दे।

इस समय टायर/ट्यूबों की कीमतों और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। किन्तु फिर भी सरकार इन वस्तुओं के मूल्यों पर निरन्तर नजर रख रही है। टायरों की कुछ किस्मों के मूल्य में अगस्त, 1982 में कमी की गई थी और तब से प्राकृतिक रबड़ और अन्य निविष्टियों के मूल्य बढ़ जाने के बावजूद उन टायरों के मूल्य नहीं बढ़े हैं। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरे द्वारा भी टायर उपयोग के लागत ढांचे की जांच की गई है। सरकार टायर उद्योग के कार्यों में इस समय हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती। टायर कम्पनियों के शेयरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार की घोषित नीति के अनुरूप नहीं है। फिर भी, सभी प्रतिष्ठित टायर कम्पनियों के शेयरों का लेन-देन शेयर बाजार में होता है जिन्हें कोई भी खरीद सकता है।

असम और पंजाब में सरकारी सम्पत्ति को क्षति

8223. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम और पंजाब में आन्दोलन के कारण उन राज्यों में हुई सरकारी सम्पत्ति की कुल हानि का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) असम में सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति का काफी नुकसान हुआ है। असम सरकार के अनुसार, 1-1-1983 से 7-3-1983 तक 107 स्कूल, भवनों, 138 अन्य सार्वजनिक भवनों/स्थानों, 1598 सड़क पुलों को नुकसान पहुंचाया गया/नष्ट किया गया। उन्होंने, सार्वजनिक भवनों के पुनर्निर्माण की लागत अस्थायी रूप से 90 लाख रुपए और पुलों के मरम्मत/पुनर्निर्माण की लागत 4.78 लाख रुपए आंकी है।

4-8-1982 से पंजाब में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के ब्यौरे जैसा कि पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दोनो मामलों में, आन्दोलन की अवधि के दौरान असम और पंजाब में सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का पूर्ण मूल्यांकन देना सम्भव नहीं है।

विवरण

1.	28-8-1982	जिला हुशियारपुर, टांडा में पंजाब रोडवेज की एक बस को आग लगा दी गई।
2.	14-10-1982	लुधियाना जेल के कुछ टैंटों, दरियों, कनातों, और लकड़ी के बेंचों को आग लगा दी गई।
3.	14-10-82 और 15-10-82	केन्द्रीय जेल अमृतसर में अकालियों द्वारा कुछ टेंट जला दिए गये।
4.	18-10-82	अमृतसर में पंजाब रोडवेज की एक बस और एक सरकारी जीप और एक कार जला दी गई।
5.	18-10-82	अमृतसर के उपआयुक्त के कार्यालय का कुछ फर्नीचर क्षतिग्रस्त किया गया।
6.	6-11-82	जिला अमृतसर, वीरोवाल में पंजाब रोडवेज की एक बस को जला दिया गया।
7.	19-11-82	अमृतसर के पोस्ट आफिस के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया गया।
8.	27-12-82	केन्द्रीय जेल अमृतसर का कुछ फर्नीचर और टेंट जला दिया गया।
9.	2-2-1983	अमृतसर, नगरनिगम से सम्बन्धित कुछ कागजातों को जलाया गया।
10.	8-2-83	जिला संगरूर, लेहरा में खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय को विस्फोट के कारण मामूली नुकसान हुआ।
11.	15-2-83	अकाली आंदोलनकारियों ने अमृतसर जेल में कम्बल जलाए।
12.	7-3-83	लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष के कार्यालय के कुछ पर्दों और फर्नीचर को आग लगाया गया।
13.	9-3-83	अमृतसर में जिला समाहर्ता के कार्यालय के कुछ फर्नीचर को जलाया गया।
14.	22-3-83	श्री के० के० गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश के मकान की खिड़की के शीशों को एक विस्फोट में नुकसान हुआ।
15.	3-'-83	पटियाला में 4 बसें (दो पेप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट और दो पंजाब रोडवेज की) जलाई गई।
16.	4-4-83	रास्तारोको आंदोलन में सात बसें, दो जीपें, दो पानी के टैंकर, एक पुलिस की चौकी, एक चुंगी चौकी, दो अग्निशमन वाहन, एक रिकवरी वैन, पुलिस जीप के साथ एक बेतार उपस्कर, पुलिस के एक बोट बाक्स और उसका फर्नीचर, रेलवे ट्रेक, 3000 रुपए के बिड्सक्रीन और सरकार के विभिन्न विभागों की अनेक बसों के टायर और 6 ट्रैक्टर, 2 ट्राली, एक ट्रक, एक मोटर साइकिल और 6 दुकानों को क्षति पहुंचाई गई।

आदिवासी समस्याओं पर मुख्य मंत्रियों की बैठक

8224. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी लोगों की समस्याओं के हल के लिये और आदिवासी कल्याण योजनाओं की पुनरीक्षा के लिए उनके द्वारा गुरुवार, 17 फरवरी, को बुलाई गई मुख्य मंत्रियों की बैठक की क्या उपलब्धि है;

(ख) आदिवासी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितना प्रशासनिक व्यय हुआ; और

(ग) आदिवासी लोगों पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई और वह प्रशासनिक व्यय के अनुपात में कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चार राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आदिवासी विकास से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इन राज्यों में विकास कार्यों की प्रगति की पुनरीक्षा की गई थी और विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए सुझावों पर विचार किया गया था।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981-82 और 1982-83 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए कुल आवंटन के लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत आवंटन "आर्थिक और सामान्य सेवाएं" क्षेत्र के लिए निर्धारित की गयी थी। तथापि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कुछ कार्यक्रमों में कर्मचारी संघटक तत्व और अन्य प्रशासनिक लागत है जिसके लिए अलग आंकड़े सुलभ नहीं हैं।

दिल्ली में आपराधिक मामलों में वृद्धि

8225. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1982 में राजधानी में आपराधिक मामले बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराध-दर में इस खतरानक वृद्धि के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में विभिन्न अपराध शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 82 के दिए गए तुलनात्मक अपराध आंकड़ों से पता चलता है कि 'हत्या" शीर्ष के अन्तर्गत मामूली वृद्धि को छोड़कर, दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए अपराधों में कमी आयी है। हत्याएं अधिकतर व्यक्तिगत कारणों से की जाती हैं और ये मामले राजधानी में सामान्य कानून और व्यवस्था और अपराध स्थिति का चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान सूचित किए गए अपराधों का विवरण

अपराध शीर्ष	1980	1981	1982
डकैती	31	24	22
हत्या	186	199	238
हत्या का प्रयास	264	257	234
लूटपाट	295	185	155
दंगे	180	166	163
जंजीर छीनना	219	165	110
चोट पहुंचाना	1880	1776	1814
सेंधमारी	2448	1521	1314
साइकिल चोरी	5454	4029	2926
विविध चोरी	13932	10803	8653
मोटर वाहन चोरी	2874	2406	2067
विविध भा० दं० स०	9823	9115	9469
कुल	37586	30646	27162

राजस्थान परमाणु संयंत्र में प्रयुक्त हुए ईंधन का तारापुर संयंत्र में पुनः संसाधन किया जाना

8226. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु संयंत्र द्वारा प्रयुक्त ईंधन को तारापुर संयंत्र में पुनः संसाधित किया जा रहा है (दिनांक 21 फरवरी, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस)।

(ख) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि देश में तारापुर संयंत्र द्वारा प्रयुक्त ईंधन को भी पुनः संसाधित करने में स्वतन्त्र है;

(ग) यदि हां, तो उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा प्रयुक्त ईंधन को पुनः संसाधित किया जा रहा है तथा तारापुर द्वारा प्रयुक्त ईंधन को हम कब पुनः संसाधित करेंगे; और

(घ) इससे कितनी बचत हुई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर से निकले मुक्तशेष ईंधन को आजकल तारापुर स्थित ईंधन पुनः संसाधन संयंत्र में पुनः संसाधित किया जा रहा है। तारापुर परमाणु बिजलीघर से निकले मुक्तशेष ईंधन के पुनः संसाधन के बारे में निर्णय

यथोचित समय पर लिया जाएगा। मुक्तशेष ईंधन के पुनः संसाधन से बहुमूल्य ईंधन-सामग्री प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

आदिवासियों की समस्याएं

8227. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों को उनकी समस्याओं के लिए, जिनमें से कुछ बिल्कुल काल्पनिक हैं, आन्दोलन के लिए भड़कने के लिए व्यवस्थित प्रचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन एजेंसियों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार को किसी ऐसे व्यवस्थित प्रचार की जानकारी नहीं है। लेकिन आदिवासियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं।

उड़ीसा के कुछ जिलों का पिछड़ापन

8228. **श्री रास बिहारी बहेरा : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी उपयुक्त औद्योगिक गतिविधि के समर्थन के बिना चलने वाली गतिहीन कृषि गतिविधि उड़ीसा के कालाहांडी, फूलबनी तथा बोलनगीर जिलों के पिछड़ेपन का कारण है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के पिछड़े जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) उड़ीसा के कालहाडी, फूलबनी तथा बोलनगीर जिलों में अधिकांश खंडों को सूखा-प्रवृत्त माना गया है और यही सूखापन उनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है।

(ख) विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम छठी योजना में कार्यान्वय के अधीन हैं। उड़ीसा में उपर्युक्त 3 जिलों में इन कार्यक्रमों की प्रयोज्यता निम्न प्रकार से है :—

कार्यक्रम	जिले
1. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	फूलबनी जिले के 14 खण्ड, कालाहांडी जिले के 11 खण्ड और बोलनगीर जिले के 8 खण्ड।
2. जनजातीय विकास कार्यक्रम	फूलबनी जिले की 3 तहसीलें और कालाहांडी जिले 2 खण्ड/ब्लाक।

3. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए रियायती वित्त की स्कीम — कालाहांडी, फूलबनी और बोलनगीर जिले।

4. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले/क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय निवेश की स्कीम — कालाहांडी और बोलनगीर जिले।

बालाघाट (मध्य प्रदेश) में तांबा प्रद्रावक लगाना

8229. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष जब जुलाई में प्रधान मंत्री ने राज्य की यात्रा की थी तब केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत बालाघाट में तांबा प्रद्रावक लगाने के लिए सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा मलंजखंड ताम्र परियोजना के दिनांक 12-11-82 को उद्घाटन के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि और पिछड़ा वर्ग मंत्री श्री तेजलाल तम्भारे ने अपने भाषण में एक ताम्र प्रदावक स्थापित करने का अनुरोध किया था।

(ख) इस समय मलंजखण्ड में उत्पादित सान्द्रों का खेतड़ी कापर कम्पलैक्स (राजस्थान) में शोधन किया जा रहा है। ऐसा खेतड़ी में उपलब्ध प्रद्रावण और शोधन क्षमता को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। स्थानीय रूप से प्रदावक की स्थापना के लिए पर्याप्त अतिरिक्त अयस्क भण्डारों की जरूरत होगी, जिसका पता लगाने के लिए व्यापक भूगर्भीय अन्वेषण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इस समय मलंजखंड में प्रदावक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाना

8230. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) वे कौन सी मुख्य बातें हैं जिनके कारण सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 70वां अधिवेशन

8231. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के 70वें अधिवेशन का उद्घाटन 3 जनवरी, 1983 को तिरुपति में प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था जिसमें विकास सम्बन्धी महासागरीय संसाधनों और मनुष्य (मैन एण्ड ओशन रिसोरसीज आन डेवलैपमेंट) के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें बड़ी शक्तियों द्वारा हिन्द महासागर में घुसपैठ के खतरे पर चर्चा की गई;

(ग) विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ने इस अधिवेशन में मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या कीं; और

(घ) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। विज्ञान कांग्रेस के 70वें अधिवेशन का केन्द्रीय विषय "मानव और सामुद्रिक संसाधन तथा विकास" था।

(ख) विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन में, अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने "हमारी सुरक्षा और विकास के लिए हमारे चारों ओर फैले समुद्र के महत्त्व और उसमें बाहरी सैनिक शक्तियों की घुसपैठ" के बारे में उल्लेख किया। बहरहाल, अधिवेशन में हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों द्वारा की गई घुसपैठ के खतरे के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में होने वाले विचार-विमर्श सामान्यतः वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति के होते हैं।

(ग) की गई मुख्य सिफारिशों में से कुछ इस प्रकार थीं—महासागर की खाद्य सामग्री, खनिज, तेल और ऊर्जा के स्रोत के रूप में महासागर के और इसकी क्षमताओं के विषय में जागरूकता पैदा करना, जलगत अन्वेषणों को उत्साहित करना, अन्तर-विषय शास्त्रीय, अन्तर्संस्थानिक तंत्र का विकास, महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान करना, इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए महासागार संसाधनों विशेषकर महाद्वीपीय शैल्फ में एक व्यवस्थाबद्ध सर्वेक्षण करना, स्वदेशी उपकरणों का निर्माण और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक उपायों को व्यवस्थित करना, महासागर अध्ययनों के लिए विद्यमान तकनीकों में सुधार करना और नवीन तकनीकों का विकास करना, समुद्री जन्तुओं के ध्वनि विज्ञान, समुद्र भेषजगुण विज्ञान, सांस्थानिक समुद्र विज्ञान, खाद्य प्रोटीन प्रौद्योगिकी और प्लवक खाद्य के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य करना तथा विषैले बहिष्प्रभावी पदार्थों के मापन, मानीटरन और निष्कासन के लिए व्यापक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखा है और उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों में व्यापक रूप से परिचालित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अपने अनुसंधान कार्यक्रमों/गतिविधियों का सूत्रपात्र करते हुए वे इन्हें ध्यान में रख सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुए एक अन्तः मंत्रालयी कार्यबल की क्रियाविधि द्वारा विज्ञान कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इस बात पर विचार-विमर्श किया जाता है कि प्रत्येक अधिवेशन में केन्द्रीय विषय पर वार्षिक विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों का कार्यान्वयन किस हद तक किया जाता है। "मानव और महासागर संस धन और विकास" से सम्बन्धित 70वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के निर्मुक्त होने की सम्भावना, जनवरी, 1984 में होने वाले अगले विज्ञान कांग्रेस में है।

केरल के विधेयकों को सहमति

8232. **श्री ए० निलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की सहमति हेतु केरल सरकार द्वारा पारित किए लिए गए कितने विधेयक लम्बित पड़े हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक विधेयक को कब तक सहमति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 20-4-1983 तक निम्नलिखित तीन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं :—

(i) केरल नैमितिक, अस्थाई और बदली श्रमिक (मजदूरी) विधेयक, 1977

(ii) सार्वजनिक सम्पत्ति (बरबादी तथा क्षति की रोक) विधेयक, 1978

(iii) केरल काजु श्रमिक राहत और कल्याण निधि विधेयक, 1979

ये विधेयक सरकार के विचाराधीन हैं। कोई ऐसी विशिष्ट तारीख नहीं बताई जा सकती कि किस तारीख तक विधेयकों को स्वीकृति दी जा सकती है।

नारियल जटा उद्योग का विकास

8233. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र में सत्ता संभालने के पश्चात् नारियल जटा उद्योग का विकास करने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) कॅयर उद्योग के विकास के लिए सरकार और कॅयर बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) अंश पूंजी सहायता, प्रबन्धकीय राजसहायता, उपकरणों, करघों आदि की खरीद/

आधुनिकीकरण के लिए सहायता, तथा विपणन सहायता प्रदान करने के लिए कॅयर उद्योग के सहकारीकरण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चलायी गई है।

(2) कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कॅयर प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति देना और कार्रवाई आरम्भ करना।

(3) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से कॅयर उत्पादों के लिए नकद क्षतिपूरक सहायता स्वीकार करना।

(4) कॅयर आगे से मिलकर नमदा (फेल्टा) बनाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर भूरे कॅयर क्षेत्र में उत्पादन में विविधता लाने को बढ़ावा देने के लिए एक अगुआकारी (पॉयलाट) प्लांट की स्थापना करना, तथा

(5) विज्ञापनों, फिल्मों के माध्यम से एवं प्रदर्शन कक्ष खोलकर, बिदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेकर कॅयर और कॅयर उत्पादों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना।

"रिमोट सैंसिंग" उपग्रह छोड़ा जाना

8234. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन, भूमि अध्ययन और भूभाग के नक्शे तैयार करने के लिए 1986 में प्रथम "रिमोट सैंसिंग" उपग्रह छोड़ने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजनाओं की रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी तथा इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इससे भारत की कितनी आवश्यकता पूरी होगी और क्या वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश के साथ इस दिशा में कोई अन्तरिम प्रबन्ध करने का विचार है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के वर्ष 1985-86 में छोड़ने की योजना है।

(ख) भारतीय सुदूर संवेदन (आई० आर० एस०) श्रृंखला के प्रथम उपग्रह को सोवियत राकेट द्वारा सोवियत संघ से छोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि इस समय-अनुसूची तक इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधायें, भारत में तैयार नहीं हो पायेंगी। उपग्रह का निर्माण-कार्य प्रगति में है।

(ग) आई० आर० एस० श्रृंखला उद्देश्य, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली रूप में उपयोग करा, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना को बढ़ाना तथा भारतीय प्रयोक्ताओं को निरन्तर आंकड़े प्रदान करना है। इस समय, सिकन्दराबाद में स्थित

भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०), जो अन्तरिक्ष विभाग में सम्बद्ध है तथा जिसे मुख्य रूप में भारत सरकार से निधि प्राप्त होती है, वायुयानों तथा लैण्डसैट जैसे विदेशी उपग्रहों से भी भू-संसाधन सम्बन्धी आंकड़ों को प्राप्त करती है, उन्हें संसाधित करती है तथा उनकी सप्लाई करती है। इसके अतिरिक्त, भास्कर-II उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का भू-मानचित्रण, भू-विज्ञान, बाढ़ मानचित्रण इत्यादि से सम्बन्धित विविध अध्ययनों के लिए उपयोग किया जाता है। आई० आर० एस० के उपलब्ध हो जाने पर भारतीय प्रयोक्ता सुदूर संवेदन के लिए व्यापक रूप से हमारे अपने उपग्रहों पर निर्भर रहेंगे। फिलहाल, आई० आर० एस० के पूरक के रूप में चयनीय आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्रतिबिम्बिकियों तथा आंकड़ों को उपलब्ध करने का कार्य जारी रहेगा।

सुरक्षा प्रणाली के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग

8235. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक उपकरण और माइक्रो-प्रोसेसर चिप्स सुरक्षा प्रणाली में नवीनतम चीजें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनका देश में निर्माण करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस समय उसकी स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रणाली का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने और पुलिस, बैंकों, संग्रहालयों आदि को उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) इलेक्ट्रानिकी सुरक्षा उपस्करों के अन्तर्गत विविध प्रकार की प्रौद्योगिकियां, तथा अनुप्रयोग आते हैं। इनमें से कुछ मुख्य अनुप्रयोग इस प्रकार है :

चेतावनी युक्तियां,
ध्वनि, हस्तलेखन, अंगुलि-छाप, आदि
की स्वचालित प्रणालियों से शिनाख्त तथा अधिप्रमाणन,
प्रविष्टि नियंत्रण प्रणालियां, अतिक्रमण (इण्ट्रूडर) चेतावनी, आदि,
अन्वेषी सहायक उपकरण : एक्स-रे, ध्वनिक,
चुम्बकीय, सूक्ष्म-तरंग,
स्वचालित वाहन निगरानी,
इलेक्ट्रानिक लॉकिंग,
सुरक्षा के लिए कम्प्यूटर प्रणाली।

सेमीकण्डक्टर सूक्ष्म-परिपथ सहित इलेक्ट्रानिक युक्तियां सुरक्षा उपस्करों के कार्य-निष्पादन, सुवाह्यता तथा विश्वसनीयता को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, चार्ज फ्लो (आवेश प्रवाह) ट्रांसिस्टर को विकसित करने के फलस्वरूप, जिसमें सिलिकन की परत पर एक ऑयन-संवेदनशील

बहुलक चादर (ऑयन-सेन्सिटिव पॉलिगर शीट) होता है, परासंवेदनशील तथा अपेक्षाकृत सस्ते धुम्र संसूचक (स्मोक डिटेक्टर) का विनिर्माण अधिक व्यावहारिक हो गया है। यह युक्ति सकल सूक्ष्म-परिपथ (सिंगल माइक्रो-सर्किट) के रूप में उत्पादित की जा सकती है जो संवेदन तथा संकेत (सिगनल) प्रवर्धन दोनों कार्य कर सकती हैं।

देश में कई यूनिटें धातु संसूचक (डिटेक्टर), वर्गलर चेतावनी प्रणाली, अग्नि चेतावनी प्रणाली, धुम्र संसूचन प्रणालियां आदि पहले से ही विनिर्माण कर रही है। इनका प्रयोग बैंकों, गोदामों, हवाई-अड्डों, अस्पतालों आदि में भी किया जा रहा है। कई यूनिटें सुरक्षा विषयक प्रयोजनों के लिए सतत चौकसी के उद्देश्य से बन्द-परिपथ दूरदर्शन प्रणालियों का भी विनिर्माण कर रही हैं। मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय कम्पनी हवाई अड्डों में उपयोग के लिए तथा तस्करी-विरोधी जांच आदि के लिए एक्स-रे आसबाब निरीक्षण प्रणालियां बना रही हैं। इनमें से कई प्रणालियां हमारे हवाई-अड्डों में पहले से ही कार्य कर रही हैं तथा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से और प्रणालियां मंगवाई जा रही हैं।

पिछड़े क्षेत्रों को सिंचाई और पेय जल हेतु सहायता देने का कार्यक्रम

8236. **श्री राम विलास पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल हेतु वर्ष 1983-84 के दौरान सहायता देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने राज्यों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस काम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) पिछड़े क्षेत्रों जैसे सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की सहायता के लिए सिंचाई का प्रावधान करना विशेष कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण संघटकों में से एक है। पीने के पानी का प्रावधान करना भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ावा देती है।

(ख) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्य शामिल हैं। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, रेगिस्तान विकास और जनजातीय विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल राज्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1983-84 के दौरान केन्द्रीय बजट में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए 199.60 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय बजट में सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और जनजातीय क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिए प्रावधान इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)
(1) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम	40.00
(2) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	9.00
(3) जनजातीय विकास	110.00

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल राज्य

1. सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. जम्मू और काश्मीर
6. कर्नाटक
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. उड़ीसा
10. राजस्थान
11. तमिलनाडु
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल

2. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

1. राजस्थान
2. हिमाचल प्रदेश
3. हरियाणा
4. जम्मू और कश्मीर
5. गुजरात

3. जनजातीय विकास कार्यक्रम

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. उड़ीसा
12. राजस्थान
13. तमिलनाडु
14. त्रिपुरा
15. उत्तर प्रदेश
16. पश्चिम बंगाल
17. सिक्किम

4. संघ राज्य क्षेत्र

1. अण्डमान
2. गोवा

आसाम में सेना भेजना

8237. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में विधान सभा के चुनाव कराने के लिए राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल तथा अन्य पुलिस दलों की कितनी बटालियनें भेजी गई हैं;

(ख) क्या चुनाव कराने के विरोध में आन्दोलन करने वाली स्थानीय जनता तथा पुलिस के बीच झड़पें हुई थीं;

(ग) इनमें तथा अन्य घटनाओं और हिंसा में अब तक कुल कितने लोग हताहत हुए; और

(घ) कितने सैनिक तैनात किये गए थे तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कितनी बार सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चुनावों के दौरान विधि और व्यवस्था को बनाए रखने और आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए असम सरकार को पुलिस बलों की 312 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई थीं।

(ख) भीड़ द्वारा पुलिस बलों पर अनेक आक्रमण करने के समाचार थे।

(ग) असम सरकार के अनुसार जनवरी, 1983 से 21 मार्च, 1983 तक असम में दंगों के दौरान 1637 व्यक्तियों की जानें गई हैं।

(घ) असम में चुनाव ड्यूटी पर कोई सैनिक तैनात नहीं किए गए थे।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के विरुद्ध मामला

8238. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र ने श्री पी० सी० सक्सेना (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर) के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बसंत बिहार पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कराया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस स्टेशन, बसंत बिहार के जांच अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक जानबूझकर चार्ज शीट दाखिल नहीं की है;

(ग) चार्ज शीट दाखिल करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में जानबूझकर किए गए विलम्ब के लिए सरकार पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। थाना बसंत बिहार, नई दिल्ली में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39 दिनांक 9-2-1983 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। डा० पी० सी० सक्सेना के विरुद्ध आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सका क्योंकि अभी जांच पड़ताल चल रही है।

देश में प्रतिष्ठापित परमाणु बिजलीघरों का ब्यौरा

8239. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक देश में कितने परमाणु बिजलीघरों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) उनमें से कितने बिजलीघरों में विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ नए परमाणु बिजलीघरों की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कहां-कहां की जाएगी;

(ङ) इन संयंत्रों से कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) तारापुर और राजस्थान में परमाणु बिजलीघर काम कर रहे हैं।

(ग) से (च) छठी पंचवर्षीय योजना में चार और रिएक्टरों पर काम शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इस बारे में निर्णय अभी लिया जाना है कि ये रिएक्टर कहां लगाये जायें।

नेलको में विभिन्न श्रेणियों की भर्ती में भ्रष्टाचार

8240. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं कि नेलको में विभिन्न श्रेणियों की भर्ती के मामले में भुवनेश्वर स्थित प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार मामले की तुरन्त जांच के आदेश देगी और भुवनेश्वर में नेलको के प्रशासनिक कार्यालय को कारगर बनाने के लिए कदम उठाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) में कार्मिकों की भर्ती के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनमें से, दो को छोड़कर, सभी की जांच की गई तथा उन्हें निराधार पाया गया। शेष दो के बारे में सरकार कम्पनी की रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है।

नालको ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भुवनेश्वर में समुचित स्तर तथा आकार वाले प्रशासनिक तथा कार्मिक प्रभाग स्थापित किए हैं। इन दोनों प्रभागों के अध्यक्ष उप महा-प्रबन्धक हैं।

सरकारी कर्मचारियों को जासूसी करने पर गिरफ्तारी

8241. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कितने सरकारी कर्मचारियों को जासूसी करने पर 1981 और 1982 के दौरान गिरफ्तार किया गया है;

(ख) इन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या सजा दी गई है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिए वे जासूसी कर रहे थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी रहस्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, आदि के अधीन दर्ज किये गये मामलों के संबंध में 1981 और 1982 के दौरान 5 असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) और (ग) ये मामले जांच पड़ताल अथवा विचारणाधीन हैं। इसलिए इन मामले के संबंध में अधिक ब्यौरे देना लोकहित में उपयुक्त नहीं समझा जाता।

दिल्ली में रहस्यमयी मौतें

8242. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान कितनी मौतों/हत्याओं के होने का पता चला और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने मामले सुलझ गये हैं और उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) कितने लोगों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आरोप लगाया गया और क्या उनकी जमानत मंजूर की गई; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) हत्याओं में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होने के कारण कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनमें से कितने लोग रिहा कर दिये गये और कितने लोगों की जमानत मंजूर की गई और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत मामलों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अवधि	सूचित किए गए	दर्ज किए गए	दोष सिद्धि	बरी किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लंबित	गिरफ्तार व्यक्ति
1982	238	234	2	14	156	43	442
जनवरी, 1983	11	11	—	—	2	9	13

तिहाड़ जेल की नियम पुस्तिका में संशोधन

8243. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल, दिल्ली की नियम पुस्तिका में इस बीच संशोधन करके उसे प्रवर्ती बना दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसका संशोधन शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय तिहाड़ जेल में पंजाब जेल नियम पुस्तिका में निहित उपबंधों का अनुसरण किया जा रहा है। प्रशासन ने जेल प्रशासन के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने और जेल नियम पुस्तिका में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर नियम पुस्तिका के संशोधन सम्बन्धी सिफारिशों समेत, प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

परिवार को डाकुओं द्वारा पीटा जाना

8244. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2? दिसम्बर, 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में "फैमिली बीटन बाई राबर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के दिन में या रात में न पकड़े जाने तथा जीवन और सम्पत्ति को खतरा बने रहने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान दिन या रात में ऐसी कितनी डकैतियां हुई हैं तथा उनमें से कितनी डकैतियों को सुलझाया जा चुका है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डकैती, राहजनी के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 के दौरान दिन में 9 चोरियां और रात के समय 9 चोरियां हुईं, जिनमें बताया जाता है परिवारों को पीटा गया। इनमें से 7 मामलों को सुलझा लिया गया है। जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, थाना किंग्सवे कैम्प में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 459/34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मामले को हल करने और अपराधियों को पकड़ने, के जिनकी पीड़ितों द्वारा शिनाख्त नहीं की जा सकी, के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि शहर में असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स इन्चेक और नेशनल रबर के लिए निधि

8245. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्स लि० और इन्चेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता के मजदूरों ने उनसे इन दोनों रुग्ण एककों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए समुचित निधि आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मैसर्स नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड और मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता को आवश्यकता के आधार पर आई० आर० सी० आई० नियमित रूप से सहायता उपलब्ध करवा रही है।

यूरोपियन आटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यम

8246. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्रमुख यूरोपियन आटोमोबाइल निर्माताओं ने आटो-अनुषंगी और पुर्जों संबंधी अपनी रक्षित आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में 100% निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने में तत्परता दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बेल्जियन मेटल वर्किंग इण्डस्ट्री का भारतीय फर्मों के साथ सहयोग

8247. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियन मेटल वर्किंग उद्योग ने भारतीय फर्मों से लाभकारी सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) बेल्जियन मेटल वर्किंग इण्डस्ट्री तथा विभिन्न भारतीय संगठनों के बीच इंजीनियरी उद्योग के विशिष्ट क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्पर्क स्थापित किए गए हैं। इनमें दूर संचार, रेफ्रीजरेशन प्लांट, टैक्सटाइल मशीनें, केमिकल प्रोसेस प्लांट, इण्डस्ट्रियल वाल्व, हाइड्रालिक टर्बाइनें आदि शामिल हैं।

औद्योगिक लाइसेंस से छूट की सीमा का बढ़ाया जाना

8248. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परियोजना लागतों में वृद्धि को देखते हुए औद्योगिक लाइसेंस से छूट की सीमा को 5 करोड़ तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे उद्योगों की सूची भी तैयार कर रही है जिनको लाइसेंस से मुक्त किया जाना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

गोआ में तंग किए गए कर्नाटक वासियों को जान व माल की हानि

8249. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक मूलक को, जो कि गोआ में लम्बे समय से रह रहे है, तंग किया जा रहा है तथा गोआ छोड़ने को बाध्य किया जा रहा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के अनुमान के अनुसार कितनी जान व माल की हानि हुई है; और

(ग) उक्त हानि के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) गोवा, दमण तथा दीव की सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि कर्नाटक मूलक व्यक्ति, जो गोवा में लम्बे समय से रह रहे हैं, को तंग किया जा रहा है और गोवा छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किन्तु नवम्बर, 1982 के महीने में बास्को-डी-गामा कस्बे में कुछ दंगे हुए थे, जिनमें गोवा मूलक और गोवा अमूलक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे। इन दंगों के दौरान किसी जन हानि की सूचना नहीं मिली थी किन्तु 67 व्यक्तियों को चोटें आई थीं और लगभग 1,17,410 रु० की सम्पत्ति की अनुमानतः हानि हुई थी। गोवा, दमन तथा दीव की सरकार के अनुसार दंगों के दौरान जनता द्वारा की गई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु वास्को-डी-गामा की गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति जो दंगों के दौरान पीड़ित हुए थे, के पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है।

भारत में कार्यरत स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या

8250. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या देश में और स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों का चयन किया गया है और क्या ये सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(घ) प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इस स्पंज आयरन का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(घ) प्रत्येक कारखाने की लागत अलग-अलग होगी जो उसकी क्षमता, स्थान और उसके लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करेगी।

(ङ) विद्युत चाप भट्टियों द्वारा स्पंज लोहे का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाएगा।

विवरण

भारत में कार्यरत स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	क्षमता (वार्षिक) (टन)	स्थान
	(क) पहले से स्थापित स्पंज लोहे के कारखाने		
1.	मैसर्स स्पंज आयरन इण्डिया लि० (सिल)—भारत सरकार का उपक्रम	30,000	आन्ध्र प्रदेश के पालोन्चा जिले में
2.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (इपिकोल)	150,000 (इसकी लाइसेंसीकृत वार्षिक क्षमता 300,000 टन है)	उड़ीसा के क्योंझर जिले में
(ख)	**जारी किया गया आशय-पत्र**		
1.	मैसर्स स्पंज आयरन इण्डिया लि०, (सिल)	30,000 (वार्षिक क्षमता का 30,000 टन से 60,000 टन तक विस्तार)	आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में पालोन्चा के स्थान पर
2.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा (इपिकोल)	90,000	उड़ीसा के क्योंझर जिले में
3.	मैसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम	120,000	रांची (बिहार)
4.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम	150,000	बेलारी-हास्पेट (कर्नाटक)

क्रम संख्या 1 पर दिया गया उपक्रम भारत सरकार का उपक्रम है। क्रम संख्या 2-4 पर दी गई तीन परियोजनाओं के प्रवर्तक राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और उनका विचार इन परियोजनाओं को संयुक्त क्षेत्र में लगाने का है।

आयात प्रतिस्थापन के लिए पुरस्कार

8251. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के संबर्धन के लिए 1966 से एक पुरस्कार शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले पांच वर्षों में यह पुरस्कार दिया गया है और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। वर्ष 1966-67 के दौरान।

(ख) जिन्हें वर्ष 1978 से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन संगठनों/व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	फर्म का नाम	पुरस्कार
1	2	3
1.	मै० डिफेंस इलैक्ट्रोनिक रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद और भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० गाजियाबाद	स्वर्ण शील्ड
2.	मै० शूरी एण्ड नायर लि०, बंगलौर	वही
3.	मै० स्टेरको एण्टरप्राइजेज प्रा०, लि० नई दिल्ली	वही
4.	मै० सिन्थेटिक एण्ड कैमीकल्स, बम्बई	वही
5.	मै० भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर	कांस्य शील्ड
6.	मै० माइक्रो मेकेनीकल वर्क्स, बम्बई	वही
7.	मै० सिपटी प्राइवेट लि०, बम्बई	वही
8.	मै० एस० ए० जे० स्टीन प्रा० लि०, पुणे	वही
9.	मै० ऋषिरूप पोलियर्स प्रा० लि०, बम्बई	वही
10.	मै० प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (अमृतसर) लि०, छेहार्ता, अमृतसर	वही
11.	मै० बसु कैमीकल्स, बम्बई	वही
12.	मै० इण्डियन हाइड्रालिक इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	वही
13.	मै० प्रोडक्शन टूल्स इन्जीनियर्स, बंगलौर	वही
14.	मै० ज्योति लि०, वाडिया	वही
15.	मै० ब्लू स्टील इन्जीनियर्स प्रा० लि०, बम्बई	वही

1	2	3
16.	मै० ओमनी टेक इन्जीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि०, कलकत्ता	कांस्य शील्ड
17.	मै० अमरदीप पाथेजा एण्ड अशोक बालाकर आफ मै० वालफा इण्डस्ट्रीज, बम्बई	वही
18.	मै० कुमार कैमीकल्स लि०, कारकी, जिला उत्तरी कनारा	वही
19.	मै० निवेदिता कैमीकल्स प्रा० लि०, बम्बई	वही
20.	मै० आर० एस० रावत (इन्जीनियर), महाराष्ट्र	योग्यता प्रमाण पत्र
21.	मै० गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पोलिएस्टर प्रा० लि०, बम्बई	गोल्ड शील्ड
22.	मै० भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० बंगलौर	वही
23.	मै० वैक्यूम प्लांट एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, पूना	रजत शील्ड
24.	मै० भारतीय इलैक्ट्रिक स्टील कं० लि०, नई दिल्ली	वही
25.	मै० ऐरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा कैंट	वही
26.	मै० विद्युत उद्योग, जमशेदपुर	कांस्य शील्ड
27.	मै० प्यूरेक्स लेबोरेटरीज (इं०) प्रा० लि०, बंगलौर	वही
28.	मै० इन्स्ट्रूमेंटेशन्स लि०, कोटा	वही
29.	मै० इण्डस्ट्रियल प्लान्ट्स एण्ड वेस्ट ट्रीटमेंट कारपोरेशन, बम्बई	वही
30.	मै० क्लच आटो प्रा० लि०, नई दिल्ली	वही
31.	मै० इण्डो इंजीनियर्स प्रा० लि०, पूना	कांस्य शील्ड
32.	मै० एक्यूमेक्स इंजीनियरिंग	वही
33.	मै० टेस्पा टूल्स, मद्रास	वही
34.	मै० भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, हरिद्वार	वही
35.	डा० बी० लक्ष्मी नारायण और श्री एस० जी० शास्त्री वैज्ञानिक, डिफेंस इलैक्ट्रोनिक रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद	प्रत्येक को योग्यता प्रमाणपत्र और 1000 रु० नकद पुरस्कार
36.	मै० निगोका इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, बंगलौर	योग्यता प्रमाण पत्र
37.	मै० स्पिन इंडिया, पूना	वही
38.	मै० बेस्ट एण्ड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लि०, मद्रास	वही
39.	मै० टैक्लोफोर, पूना	वही

1	2	3
40.	मै० अरुण होजरी मिल्स, नई दिल्ली	वही
41.	मै० नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता	वही
42.	मै० हांडा एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली	वही
43.	मै० मुरली इंजीनियरिंग एण्ड प्रेस मैटल्स, बंगलौर	वही
44.	मै० माइक्रोनिल्स एसोसिएट्स औरंगाबाद	वही
45.	मै० टैक्नोफोर, पूना	वही
46.	मै० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिक टैक्नोलाजी प्रा० लि०, बंगलौर	वही
47.	मै० प्रिसीजन इंजीनियरिंग	योग्यता प्रमाण पत्र
48.	मै० इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर	वही
49.	डा० अमरजीत सिंह, श्री एस० के० गोयल, श्री एन० एन० सेठ श्री लक्ष्मण सिंह, डा० जे० पी० रैना, और श्री बी० एस० राव, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी	योग्यता प्रमाण पत्र

हरियाणा के लिए धनराशि का आवंटन

8252. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में हरियाणा राज्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने कुछ अतिरिक्त आवंटन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो मांग का स्वरूप और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) हरियाणा के लिए छठी योजना परिव्यय 1800 करोड़ रु० नियत किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। लेकिन वर्ष 1983-84 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों को अग्रेषित करते समय उन्होंने सतलुज-यमुना लिंक परियोजना के लिए 50 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(घ) राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि राज्य के क्षेत्रक में परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए कोई स्कीम नहीं है।

उड़ीसा में लघु उद्योगों के लिए लोहे और इस्पात की मांग

8253. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान उड़ीसा में लघु उद्योगों के लिए लोहे और इस्पात की मांग क्या थी;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अपनी लिखित मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कितने लोहे और इस्पात की पूर्ति की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) लोहे और इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और न ही इस्पात का राज्यवार आबंटन किया जाता है। लघु उद्योग लोहे और इस्पात सामग्री की अपनी सप्लाई सम्बन्धित राज्य लघु उद्योग नियमों की मार्फत प्राप्त करते हैं। यदि लघु क्षेत्र की ये इकाइयां सुसंहत ग्रुप की हों, अथवा उनके पास आवश्यकता प्रमाण-पत्र हो अथवा भूत में उनकी तिमाही खरीद काफी अधिक हो तो ये इकाइयां काफी मात्रा में सामग्री मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से भी प्राप्त करती हैं। उड़ीसा लघु उद्योग निगम की मांग पर उन्हें वर्ष 1982-83 में 2,500 टन कच्चा लोहा तथा 17,708 टन इस्पात आबंटित किया गया था। इस आवंटन की तुलना में उन्होंने अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में 1051 टन कच्चा लोहा तथा 3735 टन इस्पात खरीदा है। उड़ीसा लघु उद्योग निगम ने मुख्य उत्पादकों द्वारा दी गई इस्पात सामग्री की समस्त मात्रा की खरीद नहीं की है।

अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 1982 की अवधि के मुख्य उत्पादकों द्वारा उड़ीसा के उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई लोहा और इस्पात सामग्री की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(आकड़े अस्थायी हैं)
कच्चा लोहा	41800 टन
इस्पात	133600 टन

आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का शोषण

8254. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों, विशेषकर महिलाओं, जो रोजगारी के लिए अन्य राज्यों में चले गये हैं, के अमानवीय शोषण के कुछ मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश में शराब, औषधियों और यौन के अनैतिक व्यापार के घृणित कार्य को रोकने के लिए आदिवासी कल्याण के वर्तमान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) आदिवासियों के शोषण के मामले समय-समय पर ध्यान में आते हैं।

(ख) और (ग) आदिवासी विकास कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों में आदिवासियों के शोषण को रोकने के उपाय शामिल हैं। जनजाति उप योजना के पुनरीक्षण तथा विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों के साथ शोषण-विरोधी उपायों पर चर्चा की जाती है। राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वे अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979 के उपबन्ध के सख्ती से प्रवर्तन सहित इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठायें। विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन शुरू किया गया है।

सीमेंट उद्योग के लिए डीजल से चलने वाले सेटों की स्थापना

8255 : **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सीमेंट एककों को डीजल से चलने वाले सेट स्थापित करने को अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि ऐसे सेटों की स्थापना से अतिरिक्त उत्पादन कर गैर-लेवी सीमेंट अधिक मात्रा में बेचा जा सके;

(ख) क्या सरकार सीमेंट के लिए डीजल से चलने वाले सेटों की स्थापना और अन्य आवश्यक उद्योगों में लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) यद्यपि डीजल जनित्रण सैट लगाने में आने वाली लागत को आंशिक रूप में पूरा करने की इस प्रकार की कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सीमेंट उद्योग के मामले में सीमेंट उत्पादकों को डीजल नियन्त्रण सैटों के परिचालन स्वरूप लागत में हुई वृद्धि आंशिक रूप में प्रतिपूर्ति करने के विचार से सीमेंट उत्पादकों को इन सैटों की अधिष्ठापना से प्राप्त अतिरिक्त सीमेंट उत्पादन का 48.5 प्रतिशत सीमेंट गैर लेवी बाजार में बेचने की अनुमति देने का नियम किया गया है। जबकि सामान्य परिस्थिति में 33.4 प्रतिशत सीमेंट ही गैर लेवी बाजार में बेचने की अनुमति है। नये सीमेंट संयत्रों को जिन्होंने 1.1.1982 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, डीजल जनित्रण सेटों की अधिष्ठापना द्वारा प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन का 61.3 प्रतिशत सीमेंट गैर लेवी सीमेंट बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में 50 प्रतिशत तक की ही अनुमति है।

आवश्यक सेवायें बनाए रखना अधिनियम पर पुनर्विचार

8256. **श्री चित्त महाटा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक सेवाएं बनाने रखना अधिनियम में सेवाओं की सूची को कम करने हेतु इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है और उन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) ने इस बारे में कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक निकाय ने आशा व्यक्त की थी कि भारत सरकार ऐसे पुनरीक्षण की सम्भावना पर विचार करेगी। इस अवस्था में विधान का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया है और न ही ऐसा पुनरीक्षण अपेक्षित प्रतीत होता है क्योंकि सभी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि अधिनियम को अत्यावश्यकताओं में ही लागू किया जाय।

पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए कृतिक दलों का गठन

8257. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक राज्यों में कृत्रिक दल गठित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे कृत्रिक दल स्थापित किए गए हैं तथा उनकी भर्ती का स्वरूप, तारीख और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनका गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। भूतपूर्व-सैनिकों की दो कम्पनियों का एक पारि-विकास कार्य बल, जिसमें प्रत्येक में 100 व्यक्ति हैं, एक मुख्यालय के साथ जिसमें 43 व्यक्ति हैं, स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश शिवालिकों में उनकी नियुक्ति की गई है। प्रादेशिक सेना के प्रावधानों के अनुसार अक्तूबर, 1982 में कार्य बल का निर्माण किया गया था। कार्य बल द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों में मृदा संरक्षण और अनाच्छादित छालुओं पर संरक्षक अभियान्त्रिकी कार्यों की संरचना सम्मलित हैं।

(ग) 1983-84 के दौरान हिमाचल प्रदेश में परिनियोजन के लिए एक कार्य बल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में असफल होने पर औद्योगिक घरानों के लाइसेंसों को रद्द किया जाना

8258 : **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों/औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिनके लाइसेंसों को चालू वित्त वर्ष सहित

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित समय में उद्योग स्थापित करने में असफल रहने के कारण रद्द किया गया है;

(ख) क्या इन उद्योगों को स्थापित करने में उनकी असमर्थता के कारणों का उचित ढंग से विश्लेषण किया गया है और क्या पिछड़े क्षेत्रों में जानबूझकर उद्योग स्थापित करने से इंकार करने के कारण उनके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी कुछ फर्मों/औद्योगिक घरानों को काली सूची में रखा गया है ताकि भविष्य में उन्हें किसी चीज का भी लाइसेंस देने से वंचित रखा जा सके;

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष अलग-अलग उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980 से 1983 (मार्च तक) के दौरान कुल 239 औद्योगिक लाइसेंस प्रतिसंहृत किए गए। पार्टी के नाम, विनिर्माण की वस्तु, स्थापना-स्थति आदि सहित प्रतिसंहृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का विस्तृत विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) लाइसेंसीकृत औद्योगिक उपक्रम सम्बन्धित लाइसेंस में दी गई शर्तों और प्रत्येक मामले में दी गई अवधि के अन्दर स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय में एक मानिटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो उनकी प्रगति की संवीक्षा करता है और वहां कार्यान्वयन में प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी जाती वहां लाइसेंस को प्रतिसंहृत करने के लिए अभ्युपाय करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विद्यमान कानून के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

अद्यतन के टेक्नोलाजी से नये प्लूटोनियम संयंत्र की स्थापना करना

8259. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ट्रोम्बे का कनाडा-निर्मित प्लूटोनियम संयंत्र नवम्बर, 1982 से बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संयंत्र के महत्वपूर्ण पुर्जों को बचाने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ग) इसको बन्द करने के दौरान कितनी रेडियो एक्टिविटी अल्फूएट निकाला गया और उसे किस प्रकार समाप्त किया गया और इसे बन्द करने के काम में कुल कितना खर्च आया;

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अद्यतन टेक्नोलाजी से नए प्लूटोनियम संयंत्र की स्थापना के लिए क्या योजना तैयार की है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और परियोजना की समय सीमा, लागत और सहयोग, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) कोई भी पुनः संसाधन संयंत्र, जिसमें ट्राम्बे स्थित प्लूटोनियम संयंत्र भी शामिल है, कनाडा सहित किसी भी अन्य देश की सहायता से नहीं बनाया गया है। ट्राम्बे स्थित प्लूटोनियम संयंत्र को, जिसे स्वदेशी आधार पर बनाया गया था, सन् 1972 में आंशिक रूप से बन्द कर दिया गया था। संयंत्र को इस प्रकार से आंशिक रूप से बन्द करने का लक्ष्य यह था कि उसकी आयु लम्बी कर दी जाए और क्षमता बढ़ा दी जाए। अब संयंत्र फिर से चालू किया जाने की स्थिति में है। संयंत्र के बन्द और विसंदूषित किए जाने की प्रक्रिया में माध्यमिक स्तर की रेडियोसक्रियता से युक्त लगभग 6 लाख लिटर तरल अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हुए थे। अपशिष्ट पदार्थों को सांद्रित करके उनका आयतन लगभग 1/10 कर दिया गया और उसे ठोस मैट्रिक्स में और आगे जमा करने के उद्देश्य से भूमि के नीचे बनाई गई टंकियों में भंडारित कर दिया गया। निम्न स्तर के रेडियो सक्रियता से युक्त लगभग 130 लाख लिटर द्रव बहिःस्राव भी उत्पन्न हुआ था, जिसे संसाधित करने और रेडियो सक्रियता के स्तर को पूर्णतः सुरक्षित स्तर तक घटा देने के बाद समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। बहिःस्राव को प्रवाहित करने से पहले, संसाधित अपशिष्ट पदार्थ के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को स्वास्थ्य भौतिकी के विशेषज्ञों ने प्रमाणित कर दिया था। संयंत्र को आंशिक रूप से बन्द करने पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च आए थे।

कलपाक्कम में 96.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया विद्युत रिऐक्टर ईंधन पुनः संसाधान संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इस संयंत्र का डिजायन विस्तार से तैयार किया जा रहा है। यह संयंत्र भी पूर्णतः स्वदेशी आधार पर स्थापित किया जा रहा है और आशा है कि लगभग 8 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।

कार निर्माता उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राहत दिया जाना

8260. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार-निर्माता उद्योग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भारी राहत देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने 1000 सी सी इंजन तक की ईंधन क्षमता वाली कारों के लिए केन्द्रीय सीमा एवम् उत्पादन शुल्क की रियायत की घोषणा की है। इस प्रकार की रियायत अधिक क्षमता वाली कारों की दिए जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के सदस्यों को मिलने वाली धमकियों के बारे में दायर की गई रिपोर्ट

8261. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1980 में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास चेम्सफोर्ड क्लब के कुछ सदस्यों को क्लब के प्रबन्धकों के गुंडों द्वारा पहुंचाई गई शारीरिक चोटों और मार डालने की धमकियों की रिपोर्ट दायर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) पुलिस अधिकारियों ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या पुलिस अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों में इस प्रकार की घटनाएं पुनः न होने देने के लिए रोकथाम के कोई उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) चैम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड के एक सदस्य ने 17.11.1980 को थाना संसद मार्ग में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुझे क्लब के अन्य तीन सदस्यों ने पीटा है जो चाहते थे कि मैं एक सिविल मुकदमा वापस ले लूं जो मैंने क्लब के प्रबन्धकों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया था। शिकायतकर्ता की डाक्टरी जांच करने पर डाक्टर ने राय दी कि उसकी चोटें साधारण थीं अर्थात् किसी कुंठित वस्तु से साधारण चोटें आई थीं। चूंकि कोई संज्ञेय अपराध स्थापित नहीं हुआ इसलिए शिकायतकर्ता को न्यायालय में भूल सुधारने की सलाह दी गई थी।

क्लब के इस सदस्य ने 27.11.1980 को थाना संसद मार्ग में एक अन्य रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मुझे क्लब के तीन सदस्यों ने धमकी दी है और मुझे अपनी जान का खतरा है। उसके द्वारा बताये गए तीन सदस्यो को अपराध दंड संहिता की धारा 107/150 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए और सहायक पुलिस आयुक्त संसद मार्ग के न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय

8262. **श्री के० लकप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में विशेष रूप से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में वर्ष 1982 के दौरान पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए और इसमें कहां तक सफलता मिली;

(ख) चालू वर्ष में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) राजधानी में डी० टी० सी० की बसों और ट्रकों के धुएं की समस्या से निबटने के लिए क्या कार्यवाही शुरू की जा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) क्योंकि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू अपशिष्ट है, नई दिल्ली में मलजल प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिए कदम उठाने तथा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सम्पर्क किया गया है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास भी मलजल नियन्त्रण कार्यक्रमों को तेजी से प्रारम्भ कर रहे हैं। प्रदूषण नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्ड औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषण नियन्त्रण के लिए समुचित कार्यवाही

में संलग्न हैं तथा कुछ प्रदूषक उद्योगों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही भी प्रारम्भ की है। परिणामस्वरूप, बहुत से उद्योगों ने प्रदूषण उपशमन उपकरण स्थापित किए हैं और विभिन्न अन्य संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं अथवा अपने अपशमन कार्यों के आयोजन की उच्चावस्था में हैं। महानगर शहरों में वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 19 के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) वाहनों के धुएं के सम्बन्ध में प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा डी० टी० सी० बसों और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर विभिन्न राज्य बसों का प्रबोधन प्रारम्भ किया गया है। वाहन निर्माताओं तथा अनुसंधानों के साथ वाहनों के प्रदूषण नियन्त्रण हेतु समुचित उपायों के लिए भी बातचीत प्रारम्भ की गई है।

दिल्ली की सड़कों से कारों और वाहनों को हटाया जाना

8263. **श्री के० लकप्पा** क्या : **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सड़कों से वर्ष 1982 के दौरान कितनी कारें और अन्य वाहन हटाये गए और उनसे जुर्माने के तौर पर तथा हटाने की लागत के तौर पर अलग-अलग कितनी धनराशि वसूल हुई है;

(ख) इस काम में कितने हटाने के वाहन लगाए गए हैं;

(ग) हटाने के शुल्क के रूप में प्रति वाहन औसतन कितनी धनराशि जमा की गई और इस शुल्क को कौन जमा करता है और ठेकेदारों तथा ट्रैफिक पुलिस/सरकार के बीच इस शुल्क का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि सामान्य तौर पर जहां से कोई कार/वाहन हटाया जाता है वहां पर कोई संकेत नहीं छोड़ा जाता है जिसके कारण उसके मालिक को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है और इसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1982 के दौरान दिल्ली की सड़कों से क्रेनों द्वारा 10,664 कारें और 22,000 अन्य वाहन हटाए गये और हटाने की लागत के रूप में 11,53, 100 रु० की राशि एकत्र की गई। इसके अतिरिक्त कार और अन्य वाहनों के मालिकों से यातायात पुलिस द्वारा नकद प्रतिभूति या कम्पाउंडिंग शुल्क की 13,90,645 रुपए की राशि एकत्रित की गई।

(ख) 20 वाहन/क्रेनें तैनात की गई हैं। 1.1.1982 से 17.3.1982 तक पालम हवाई अड्डे पर एक अतिरिक्त क्रेन तैनात की गई थी।

(ग) वर्ष 1982 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा तैनात की गई क्रेन से प्रतिदिन औसत वसूली 235 रु० और आई० ए० ए० आई० द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रेन से 226 रु० थी। हटाने

की लागत ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा एकत्र की जाती है और क्रेनों के मालिकों को दिया जाता है। सरकारी क्रेनों के प्रयोग के लिए हटाने की लागत को सरकारी खाते में जमा किया जाता है।

(घ) और (ङ) जिन स्थानों मे वाहनों को हटाया जाता है वहाँ पर इस चित्रण के बोर्ड लगाए जाते हैं कि वाहनों को यातायात पुलिस द्वारा हटा लिया गया है। "यहां पर गाड़ी खड़ा करना मना है" के क्षेत्रों में खड़े किए गए वाहनों को यातायात को सुचारू बनाये रखने के लिए हटाना पड़ता है।

सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम लागू करना

8264. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत एक सरकारी कर्मचारी पर लगने वाला छोटा और बड़ा दण्ड निर्धारित कर दिया गया है परन्तु इसके लिए कोई मान दण्ड निर्धारित नहीं किया है कि किस मामले में पूर्वोक्त के नियम 14 और किस मामले में नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी, सिवाय इस उल्लेख के कि जब कोई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे या मंजूर की गई छुट्टियों से अधिक छुट्टी से बिना अनुमति के आगे ठहरता है और जिसके स्थान का कोई पता न चले या जो सरकारी पत्र का कोई उत्तर नहीं दे उसके विरुद्ध अनुशासन प्राधिकारी नियम 14 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है; इससे अनुशासन प्राधिकारी द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुसार आचरण नियमों के नियम 14 के अन्तर्गत और इसी के लिए दूसरे के साथ नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की काफी गुंजाइश रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि किस मामले में आचरण नियमावली का नियम 14 और किसमें नियम 16 लागू होता है ताकि शोषण रोका जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में स्पष्टतः यह व्यवस्था है कि उसमें दी गई कोई भी छोटी या बड़ी शास्ति निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन किए जाने के बाद उचित तथा पर्याप्त कारणों से सरकारी कर्मचारी पर लगाई जा सकती है। नियम 14 से 16 में किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति लगाए जाने के लिए अनुपालन की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि दी गई है। अतः यह निर्णय करना समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य है कि क्या किसी विशेष मामले की गंभीरता तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटी अथवा बड़ी शास्ति लगाए जाने के लिए उचित तथा पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। सभी मामलों में, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसी शास्ति लगाने के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करना होता है वहां दोषी सरकारी कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर भी प्राप्त होता है, इस

प्रकार, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध चाहे छोटी शास्ति लगाने के लिए कार्रवाई की जाए चाहे बड़ी शास्ति लगाने के लिए—उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाती है।

(ख) ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

आइसक्रीम को लोकप्रिय बनाना

8265. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आम प्रचालित धारणा का कि आइसक्रीम में कोई पौष्टिक तत्व नहीं हैं, कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) इसके संघटकों का विश्लेषण करने और आइसक्रीम को प्रोटीन, विटामिनों आदि से समृद्ध करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) लघु क्षेत्र में आइसक्रीम उद्योग के विकास के लिए क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें आइसक्रीम और इसमें प्रयुक्त सामग्री का विश्लेषण करती रही हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन अनुमत ऐसी आइसक्रीम बनाने की अनुमति को सरकार देती है जो प्रोटीन और विटामिनों आदि से युक्त हों किन्तु इसे लोकप्रिय बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) आइसक्रीम का उत्पादन केवल लघू-उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है। सरकार लघु उद्योगों के विकासार्थ जिनमें आइसक्रीम आयोग भी सम्मिलित है, विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है।

पिछड़े जिलों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

8266. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े जिलों में नए उद्योगों की स्थापना की लागत में दी जा रही 15 प्रतिशत की मौजूदा केन्द्रीय राज-सहायता, जो 31 मार्च, 1983 को समाप्त हो गई है, आगे जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लेने की सम्भावना है;

(ग) उद्योगों ने 15 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता का अब तक कहां तक उपयोग किया है;

(घ) क्या अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार उसे अगली अवधि तक जारी रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन उद्योगों को कितनी धनराशि दी जाएगी;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में नए औद्योगिक एककों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा देश के पहाड़ी और दूरवर्ती क्षेत्रों में परिवहन राजसहायता योजना को 31-3-1983 के बाद जारी रखने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

इन दोनों योजनाओं के प्रारम्भ से ही इनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को 31-3-1983 तक 159.65 करोड़ रु० की राशि वितरित की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में इन योजनाओं के लिए 22.70 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

8267. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और बोकरी इस्पात संयंत्रों के विस्तार की मूल समय सूची क्या थी और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) इस समय चल रही अन्य इस्पात परियोजनाओं के विस्तार की समय सूची क्या है;

(ग) मूल अनुमानित लागत कितनी है तथा 1 जनवरी, 1983 तक कितनी राशि खर्च हुई और विलम्ब के कारण कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(घ) 1 जनवरी, 1983 तक विलम्ब के कारण लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई, इसके संयंत्र वार और परियोजना वार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) प्रमुख इस्पात परियोजनाओं के लागत अनुमानों और उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

लागत अनुमानों में वृद्धि परियोजनाओं के कार्य में परिवर्तन होने, कार्य की मात्रा में वृद्धि हो जाने और निर्माणावधि में लागत में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है।

विलम्ब मुख्यत: निर्माण अभिकरणों के सम्भारकों द्वारा समयसूची के अनुसार कार्य पूरा न कर पाने के कारण हुआ है। स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० और सरकार दोनों स्तरों पर कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्य पर सतत् नजर रखी जाती है। इन अभिकरणों से कहा गया है कि परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए वे अपने संसाधनों में वृद्धि करें।

अनुलग्नक

विवरण

परियोजना	चालू करने की तारीख		अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)		1-1-83 तक हुआ खर्च (करोड़ रुपए)
	मूल	संभाशय	मूल	संशोधित	
बोकारो इस्पात कारखाना					
(i)—40 लाख टन तक विस्तार (ठंडी बेलन मिल को छोड़कर)	जून, 1979	नवम्बर, 1983	947.24 (1974 के मध्य)	1637.55 (अप्रैल-1982)	1187.34
—40 लाख टन तक विस्तार (ठंडी बेलन मिल सहित)	दिस०, 1982	दिस०, 1984	(उपर्युक्त में शामिल है)		(उपर्युक्त में शामिल है)
(ii) मेघाटाबुरू लौह अयस्क परियोजना	मार्च, 1981	दिस०, 1983	51.39 (1977 की प्रथम तिमाही)	* 116.46 (अप्रैल, 1982)	55.68
भिलाई इस्पात कारखाना					
—40 लाख टन तक विस्तार प्रथम चरण	सित०, 1981	मार्च, 1984	937.70 (1974 की प्रथम तिमाही	1600.5 (1981 की चौथी तिमाही)	1129.11
—40 लाख टन तक विस्तार द्वितीय चरण	जून, 1983	दिसम्बर, 1984	(उपर्युक्त में शामिल है)		(उपर्युक्त में शामिल है)
राउरकेला इस्पात कारखाना					
—सिलिकान इस्पात परियोजना	जनवरी, 1981	सित०, 1983	109.73 (1976 की प्रथम तिमाही)	154.81 (अप्रैल, 1981	122.13

* अनुमानों को अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है।

हरिजनों पर अत्याचार

8268. **श्री हरीश रावत :**

श्री थाझाई एम० करुणानिधि :

श्री सत्य नारायम जटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उन राज्यों की जानकारी पाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जिन में गत पांच वर्षों के दौरान हरिजनों पर अधिकतम अत्याचार किए गए;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें भूमि विवादों के सम्बन्ध में हरिजनों पर किए गए अत्याचारों की अधिकतम शिकायतें पंजीकृत की गई हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अलग न्यायालयों की स्थापना करने या न्यायालयों में अलग बैंच बनाने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव देगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। किन्तु अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसी शिकायतों के अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

(ग) दिनांक 10 मार्च, 1980 के केन्द्रीय गृह मंत्री के अर्द्ध शासकीय पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया गया था कि विशेष न्यायालयों की स्थापना करने से अपराधियों के शीघ्र विचारण में सहायता प्राप्त होगी।

राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघों से अभ्यावेदन

8269. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों में गुजरात तथा अन्य राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संघों, ऐसोसियेशनों, फेडरेशनों तथा महासंघों से मांगपत्र, पत्र, अभ्यावेदन और कठिनाइयों के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उनसे की गई बातचीत तथा विचार विनियम के परिणाम निकले हैं;

(घ) उनकी मांगें स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है; और

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्बन्ध में स्वर्ग नियंत्रक प्राधिकारी कार्मिक ेर प्रशासनिक सुधार विभाग को, वर्ष 1982-83 के दौरान कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दो पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार उन सभी पत्री पर विचार कर रही है जिनके ब्यौरे संलग्न विववण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	एसोसिएशन का नाम	पत्र/ज्ञापन की तारीख	संक्षिप्त विषय-वस्तु
1	2	3	4
1.	आई० ए० एस० स्टेट एसोसिएशन (मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग) त्रिपुरा शाखा	25 सितम्बर, 1982	मणिपुर और त्रिपुरा में तैनात अन्य राज्य संवर्गों के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति भत्ता संबंधी विद्यमान आदेशों की तत्काल पुनरीक्षा की जाए और इस तरह का प्रतिनियुक्ति भत्ता वापिस ले लिया जाए। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई अधिकारी किस संवर्ग को आवंटित किया गया है, त्रिपुरा के कठिन और खर्चीले जीवनयापन और कार्य करने की परि-स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को मंजूर की गई कोई भी रियायत मणिपुर/त्रिपुरा में कार्य कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों पर लागू की जानी चाहिए।

1	2	3	4
2.	आई० ए० एस० आफिसर्स एसोसिएशन (मणिपुर-मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग का हिस्सा)	8 अक्तूबर, 1982	त्रिपुरा सरकार के साथ आई० ए० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की लगातार उपस्थिति पर आपत्ति की गई है। यह अनुरोध किया गया है कि संयुक्त संवर्ग ओर इसके अधिकारियों के वृहत्तर हित में यह प्रथा बन्द कर दी जाए।
3.	उत्तर प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन	17 नवम्बर, 1982	एसोसिएशन के ज्ञापन में, संक्षेप रूप में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं— (क) उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा में रु० 2300-2700 और रु० 2700-3000 के दो वेतनमानों का सृजन जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा के समानांतर एक संवर्ग बन गया है और इससे उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का मूल ढांचा ही तहस नहस हो गया है। (ख) राज्य सिविल सेवा के कनिष्ठ तथा पदोन्नत आई० ए० एस० अधिकारियों की राज्य सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों पर तैनाती,

1	2	3	4
			लेकिन सीधी भर्ती वाले वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारियों की राज्य सरकार के उप सचिव पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में विवाद । (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति रिजर्व की तदर्थ बढ़ोत्तरी न की जाए । (घ) उत्तर प्रदेश संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदक्रम सूची का प्रकाशित न किया जाना ।
		19 मार्च, 1983 21 मार्च, 1983	यह अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को यह निदेश जारी करे कि उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा में रु० 2300-2700 और रुपए 2700-3000 के वेतनमानों में बनाए गए पद तब तक न भरे जाएं जब तक कि भारत सरकार द्वारा इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर ली जाती है ।

1	2	3	4
4.	इंडियन सिविल एण्ड एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन (महाराष्ट्र शाखा)	30 दिसम्बर, 1982	एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि आदेशों को उदार बनाया जाए जिससे कि छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हवाई जहाज से यात्रा करने और जब रेलगाड़ी से यात्रा करें तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने उक्त पत्र को भारत सरकार के विचारार्थ भेजा है।
5.	भारतीय सिविल तथा प्रशासनिक सेवा सोएसिएशन (बिहार शाखा)	1 मार्च, 1983	संक्षेप में एसोसिएशन ने उस भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस उप महानिरीक्षक के पदों का वेतनमान संशोधित किए जाने के बारे में भारत सरकार के प्रस्ताव का हवाला दिया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सेवाओं के किसी एक वर्ग के वेतनमान को संशोधित करने के मामले में तदर्थ और थोड़ा-थोड़ा प्रयास करने की बजाए, सभी अखिल भारतीय सेवाओं के वर्तमानों वेहनमानोंमें समुचित संशोधन किए जाने चाहिए और उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के निर्माण ठेके

8270. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड को हाल ही में ईराक और कुवैत से निर्माण कार्यों के लिए ठेके मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड को इन ठेकों में हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और कितनी धनराशि की हानि हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(क) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा लीबिया में एक विद्युत केन्द्र का निर्माण

8271. **श्री बाबूसाहिब परुलेकर :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स को लीबिया में एक विद्युत केन्द्र की स्थापना ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ठेके का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को इस ठेके में हानि उठानी पड़ी थी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि की हानि हुई और इस ठेके पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, हां। बी० एच० ई० एल० ने त्रिपोली वेस्ट, लीबिया में 2 × 120 मे० वा० के आयल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक टर्न-की ठेका पूरा किया है। पहला एकक 29-6-79 को और दूसरा 29-12-79 को पूरा किया गया था। ठेके का मूल्य 33.412 मिलियन लीबियाई दीनार था।

(ग) तथा (घ) इस ठेके में बी० एच० ई० एल० को लगभग 23 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हुई। इस ठेके पर 68.80 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय हुई थी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से पिछड़े जिलों का औद्योगीकरण

8272. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग ने कुछ राज्यों में गैर-उद्योग जिलों में रोजगार के अवसर पैदा करने में बड़े पैमाने पर पहल की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें खादी ग्रामोद्योग ने विशेष योजनायें शुरू की हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यवार अतिरिक्त रोजगार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग 20 "उद्योग रहित जिलों" में विकास कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है। एक परामर्शदायी फर्म को ऐसे 10 जिलों का कच्चा माल, कारीगरों की उपलब्धता, बेरोजगारी आदि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंप दिया गया है।

(ग) "उद्योग रहित" जिलों के लिए अतिरिक्त काम के अलग से लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार के समग्र रूप से लक्ष्य, जैसाकि संलग्न विवरण दिया गया है, निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त रोजगार के लक्ष्य

(हजार व्यक्ति)

राज्य		अतिरिक्त रोजगार
1	2	3
1.	आन्ध्रप्रदेश	222.20
2.	असम	42.79
3.	बिहार	166.70
4.	गुजरात	75.22
5.	हरियाणा	42.44
6.	हिमाचल प्रदेश	30.52
7.	जम्मू और काश्मीर	32.65
8.	कर्नाटक	92.02
9.	केरल	139.20
10.	मध्य प्रदेश	73.53
11.	महाराष्ट्र	175.20
12.	मणिपुर	4.13
13.	मेघालय	1.90
14.	नागालैंड	1.90
15.	उड़ीसा	96.00

1 2	3
16. पंजाब	53.62
17. राजस्थान	49.00
18 सिक्किम	0.37
19. तमिलनाडु	493.10
20. त्रिपुरा	2.24
21. उत्तर प्रदेश	373.70
22 पश्चिम बंगाल	53.93
योग :	2313.36

2. संघ शासित प्रदेश

1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01
2. अरुणाचल प्रदेश	0.01
3. चण्डीगढ़	0.51
4. दादरा और नगर हवेली	0.03
5. दिल्ली	0.90
6. गोवा, दमन और द्वीव	0.70
7. पांडिचेरी	0.70
8. लक्षद्वीप	—
9. मिजोरम	—
योग :	2.86
3. विभागीय	0.09
कुल योग :	2316.31

भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच विवाद

8273. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1983 के इण्डियन एक्सप्रैस में "आई० ए० एस०—पी० सी० एस० टैक्स सीरियल टर्न" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) और प्रांतीय सिविल सेवा (पी० सी० एस०) के अधिकारियों के बीच विवाद के क्या कारण हैं; और

(ग) विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए रु० 2300-2700 तथा रुपए 2700-3000 के वेतनमानों में कुछ पदों का सृजन हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश, आई० ए० एस० एसोसिएशन द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। यह मामला विचाराधीन है।

असम के शरणार्थियों का अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पुनर्वास

8274. **श्री सुधीर गिरि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है जो पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में आ गए हैं;

(ख) क्या ये शरणार्थी अपने घरों को लौट गए हैं और यदि हां, तो वे कितने हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा असम के इन शरणार्थियों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) असम के दो मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शरणार्थियों को अपने मूल स्थानों को लौटने के लिए राजी करने हेतु पश्चिम बंगाल में सहायता शिविरों में गए हैं। असम सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास सहायता इस प्रकार है :—

(1) प्रत्येक मृतक व्यक्ति के शोकसंतप्त परिवारों को 5000 रु० का अनुग्रह पूर्वक अनुदान।

(2) हाल के दंगों में नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 5,000 रुपए। इस रकम में सी० जी० आई० चादरों के 3 बन्डलों का मूल्य शामिल है।

(3) अपने-अपने गांवों को लौटने के बाद तीन महीने की अवधि तक आगामी फसल कटाई तक उसी पैमाने पर राहत सहायता बनाए रखना जो सहायता शिविरों में मिलती है।

(4) निःशुल्क बीज वितरण, लेकिन प्रत्येक खेतिहर परिवार को 3 बीघे के लिए अधिक से अधिक 30 किलोग्राम।

(5) खोये हुए बैलों के स्थान पर प्रति परिवार 2 बैलों के लिए अधिक से अधिक 1500 रुपए की आर्थिक सहायता।

(6) खोए हुए दुधारू पशुओं के लिए प्रति परिबार 500 रुपए की आर्थिक सहायता।

(7) छोटे व्यापारियों/व्यवसायियों के लिए दंगों में नष्ट हुई दुकानों की मरम्मत पुर्ननिर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक 1000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक 200 रुपए के साथ प्रति परिवार 2,500 रु० का व्यापार ऋण और एक महीने की अवधि के लिए रखरखाव सहायता देने का निर्णय किया है।

प्रभावित क्षेत्रों में, जहां आवश्यक होता है, पुलिस टुकड़ियां तैयार करके लौटने वाले शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के भी प्रबन्ध किए गए हैं।

(ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित शिविरों के शरणार्थियों के लौटने के कोई समाचार नहीं हैं, तथापि जिन शरणार्थियों ने अरुणाचल प्रदेश में शिविरों में शरण ले रखी थी, वे असम लौट चुके हैं।

(ग) बताया जाता है कि जो शरणार्थी हाल में पश्चिम बंगाल चले गए हैं उन पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए खर्च के बारे में आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत संयंत्रों का देशीकरण

8275. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों जैसे बड़े उद्योगों में तीस वर्ष की योजना अवधि में कहां तक देशीकरण हुआ है और क्या इसके बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) आयात के स्थान पर विकल्पों की क्या प्रगति है और गत पांच वर्षों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े संयंत्रों में विदेशी मुद्रा का अंश बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) बी० एच० ई० एल० और विद्युत संयंत्रों के लिए उपकरणों के अन्य प्रमुख निर्माताओं द्वारा सामान्य इन्जीनियरी गतिविधि के रूप में आयात प्रतिस्थापन और देशीकरण कार्य किया जाता है। सहयोग करारों में जब भी इनको सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, देशीकरण की दर को भी शामिल किया जाता है। बी० एच० ई० एल० के मामले में आयात प्रतिस्थापना की प्रगति गत पांच वर्षों में उत्पादन-मूल्य की तुलना में खरीदे गए हिस्से-पुर्जों सहित कच्चे माल और हिस्से पुर्जों के आयात के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के अनुपात से देखा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं :—

1978-79	24.9%
1979-80	25.8%
1980-81	22.6%
1981-82	22.3%
1982-83	19.6%

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति

8276. **श्री केयूर भूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले से आरम्भ की गई और काफी प्रगति कर चुकी सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति पर बल दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू परियोजनाओं पर इसके लिए बल दिए जाने की उपयोगिता क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में छूट देना उचित नहीं होगा; और

(घ) क्या सरकार ऐसी छूट देने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) अक्तूबर, 1978 से योजना आयोग द्वारा वित्तीय अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक हो गयी है ताकि पर्यावरणीय निम्नीकरण के उपशमन के उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) तथा (घ) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपचारी उपायों का सम्मिलन आवश्यक है और इस सम्बन्ध में छूट दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध होगी।

नाइजीरियाई व्यापार दल की भारत की यात्रा

8277. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइजीरियाई व्यापार दल ने मार्च, 1983 के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा की थी और चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो यात्रा करने आये प्रतिनिधिमंडल के साथ किस प्रकार की चर्चा की गई; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) भारत सरकार के निमंत्रण पर नाइजीरिया के इस्पात विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट-मण्डल ने 30 मार्च से 5 अप्रैल, 1983 तक भारत का दौरा किया था। शिष्ट-मंडल ने अपने इस्पात उद्योग के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के बारे में बातचीत की थी। इस बात पर सहमति हो गई थी कि नाइजीरिया की सरकार एक पक्का प्रस्ताव भेजेगी जिसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जायेगा जिनमें उनको तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव में मांगी गई सहायता के स्वरूप का भी उल्लेख किया जायेगा। वे "सेल" द्वारा नाइजीरिया के इन्जीनियरों, तकनीशियनों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० और अजाऊकूटा स्टील कम्पनी लि० के बीच करार पर हस्ताक्षर के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के लिए भी सहमत थे।

नाइजीरिया का चपटे उत्पादों का उत्पादन करने हेतु एक इस्पात कारखाना और एक अल्यूमीनियम स्मेल्टर की स्थापना करने का कार्यक्रम है। मेटलर्जीकल एंड इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट्स इण्डिया लि० (मेकन) ने नाइजीरिया के शिष्ट-मंडल को उन सेवाओं के बारे में बता दिया था जो वे इन कारखानों के रूपांकन, निर्माण और परिचालन के लिए दे सकते हैं। "मेकन" ने नाइजीरिया के

कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु नाइजीरिया के डेल्टा स्टील कम्पनी के साथ एक करार किया हुआ है। ये कार्मिक उनके डिजाइन ब्यूरो में काम करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पाकिस्तान अत्याधिक इलैक्ट्रानिक रोही विमान प्राप्त कर रहा है। इसके भारत की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इस पर एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ लिख कर दीजिए।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : किस चीज का ?

श्री बी० डी० सिंह : 18 तारीख को राष्ट्रसंघ के सामने अकालियों द्वारा प्रदर्शन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दी।

श्री बी० डी० सिंह : वहां पर कई संगठनों की तरफ से ज्ञापन दिया गया कि ···**(व्यवधान)** सिखों का मैसकड़ हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे ध्यान में है, मैं विदेष मंत्री से कालिंग अटेंशन के लिए बात करूंगा।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : भारतीय जहाजरानी निगम के कार्यालय कलकत्ता पत्तन और बम्बई पत्तन में है···**(व्यवधान)**···सरकार···खो रही है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों की जानकारी होने दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : कल हिन्दुस्तान के 40 लाख शिक्षकों की तरफ से···

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने एलाऊ करवा दिया था, 377 में करवा दिया था।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वह मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैंने लिखकर भेजा है···

अध्यक्ष महोदय : उसका नहीं दूसरे में कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : एक शब्द भी उसका समाचार नहीं छपा, इतना बड़ा डिमांस्ट्रेशन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे शिकायत कीजिए, मुझसे कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मामूली खबरें छापी जाती हैं, इतने लोगों ने प्रदर्शन किया···

अध्यक्ष महोदय ; मैंने एलाऊ नहीं किया है।

मोहम्मद असरार अहमद (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया था और आपने कुछ इन्क्वारी की। यहां कन्टीन्युइंग कटैम्पट आफ हाउस हो रहा है, जवाब देने को वह तैयार नहीं।

23 तारीख को उधर मीटिंग है, फिर मैं क्या जिल्लत की जिन्दगी में करूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी इज्जत हाउस की इज्जत है। मैं हिसाब से सारा काम कर रहा हूं। मेरे पास कुछ इंटीरियम रिप्लाई आ गया है, लेकिन मैं पूरे रिप्लाई की इन्तजार में हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : कितने दिनों में आएगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, तब कृपया आप बैठे रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं बराबर आपसे निवेदन करता रहता हूं कि आपके बनाए हुए नियमों की प्रणाली का मैं पालन करता हूं और अगर नहीं करूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि आपने नियम तोड़ दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते हैं नहीं, जैनुल बशर साहब।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, आप लैटर लिखे, एक वाइस चांसलर आपके लैटर लिखने के बाद भी जबाव नहीं भेजता, रिपोर्ट नहीं भेजता। लोक-सभा के स्पीकर के आदेश को वाइस चांसलर नहीं मानता तो यह पूरे सदन की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय : जगपाल सिंह जी, आप पता नहीं गले की कौनसी मालिश करवाकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इतना ऊंचा मैं नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी मैं समझता हूं कि कितनी दफे लिखना चाहिए अगर हाउस में लिखी हुई, वह मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी नहीं वह तो आप सब की बात होगी।

श्री असरार अहमद : 16 दिन से जवाब नहीं दे रहे हैं, कन्टीन्युइंग कन्टैम्प्ट हो रहा है, आपकी बात मान कहां रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : असरार साहब, आपकी उम्र में तो ज्यादा पेशेन्स होती है। मैं तो आपसे छोटा हूं और पेशेन्स का झोला भरकर बैठा हूं। जो छलकेगा ना, वही टूटेगा। अगर नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर खुद करेंगे। आप चिन्ता मत कीजिए, मैं देख लूंगा, मुझे 2,3 दिन दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : त्रिपुरा में स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। मैंने पता करवाया है।

प्रो० के० के० तिवारी : गोलीबारी में 10 लोग मारे गए हैं। त्रिपुरा सरकार···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बगैर फैक्ट्स में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी :···(**व्यवधान**) सभा में चर्चा होनी चाहिए। त्रिपुरा में आतंक का साम्राज्य है। कांग्रेस (इ) के लोग मारे जा रहे हैं। वे सुरक्षित नहीं हैं। ग्रह वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देना। कृपया बैठे जाएं।

प्रो० के० के० तिवारी : यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कहें।

(**व्यवधान**)

मैं उन्हें नहीं रोक सकता। श्री महन्ती, आप जो कहना चाहे कहें।

(**व्यवधान**)

मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। श्री तिवारी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं यह पसन्द नहीं करता।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : बैंगकोक को शस्त्र भेजने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव निलम्बित···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : किसके बारे में ?

श्री बृजमोहन महन्ती : अमरीकी शस्त्र भेजने के बारे ···(**व्यवधान**)

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : जब भी पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा के बारे में चर्चा होनी है। ये लोग हमें रोकते है, आपकों इन्हें बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हमें अनुमति क्यों न दी जाए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोलते हैं, तब भी मैं सुनता हूं। लेकिन जब आप इस तरह चमकने लगते हैं, तो मुझे ज्यादा दिक्कत होती है।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा में सरकार ने कांग्रेसजनों और कांग्रेस के पदाधिकारियों को, जिनमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, गिरफ्तार करवाया है। वहां पर लाठी चार्ज भी हुआ है, जिनमें काफी लोग घायल हुए है और अस्पताल में पड़े हुए हैं। वहां की सरकार अपनी पार्टी के लोगों द्वारा कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहां पर एक आतंक का वातावरण है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप होम मिनिस्टर को आदेश दें कि वह सदन में इस विषय पर एक वक्तव्य दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करवा रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एफ० सी० आई० और राजस्थान

के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने चावल की खरीद में घोटाला किया है। 80,000 टन चावल रिजेक्ट करके उनकी इरजेम्प्शन किया गया है। लोग दो करोड़ रुपए खा गए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझे कुछ लिख कर दिया है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : रूल 377 में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 377 का समय नहीं है। इजाजत नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हमारे यहां सैदपुर और बनारस में गंगा नदी में और कलकत्ता में हुगली में कई बड़ी नाव दुर्घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको रूल 377 में एलाऊ कर दिया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सैदपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक-एक हजार रुपए दिए हैं। वह रकम कम है। 25-25 हजार रुपए मिलने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के चेयरमैन और एनर्जी मिनिस्टर के खिलाफ।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री राम विलास पासवान : जब हमने बिलों का मामला उठाया, तो डेसू के चेयरमैन ने बाहर स्टेटमेंट दिया और मिनिस्टर ने उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं थी। यह प्रिविलेज भी मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अनुमति नहीं दी जाती।

श्री राम विलान पासवान : क्या यह आपके विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मैं इस पर तेजी से विचार कर रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : भारत सरकार को चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र संगठन के समक्ष हुए प्रदर्शन के विरोध में संयुक्त राज्य अमरीका आदि संयुक्त राष्ट्र को एक विरोध पत्र भेजे।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। मैं पता करवा रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने देहली की बिगड़ती टेलीफोन व्यवस्था के सम्बन्ध में कालिंग अटेंशन दिया था...

अध्यक्ष महोदय : उस पर तो कल बात हो गई।

श्री जगपाल सिंह : वारिश में देहली की टेलीफोन व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। अधिकतर संसद सदस्यों के टेलीफोन भी खराब है। सारे केबिन्स बेकार हो चुके हैं जिनको वे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप इस पर चर्चा करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : देखूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैंने एक कालिंग अटेंशन दिया है, यू० एन० ओ० हैडक्वाटर पर खालिस्तान के सम्बन्ध में जो···

अध्यक्ष महोदय : वह देख लूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, उसमें विशेषता यह है कि विदेशों में जो गतिविधियां चल रही हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उसको मैं देख रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है, आपने सारी बात समझी है, देश के लाखों शिक्षकों की सारी समस्यायें आपके सामने आई हैं, आप केन्द्रीय सरकार से सारी सहायता दिलाने के लिए व्यवस्था कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की समस्या यह है कि विद्युत उत्पादन इतना कम हो रहा है···

अध्यक्ष महोदय : तीन दफा डिस्कशन करवाया है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हजारों रेल कर्मचारी, विशेषकर स्टेशन मास्टर के सामने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने के लिए राजधानी आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : 377 एलाऊ कर दिया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : आन्ध्र प्रदेश में स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है। आपने इस सम्बन्ध में अवश्य पढ़ा होगा। हमारे मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामाराव संन्यासी हो गए हैं। वे प्रत्येक सदस्य के संन्यासी बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके संन्यासी बनने में आपको कोई एतराज है क्या ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : यदि वे प्रत्येक संन्यासी बनाने हैं, तो इससे हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप उन्हें संन्यासी बना रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपने यू० एन० ओ० की बात को बहुत हलके तरीके से लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने हलके तरीके से नहीं लिया है, मैंने यह कहा है कि थोड़ा सा देख लेने दीजिए, जांच कर लेने दीजिए, फिर उसको ठीक करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : या तो आप रिकार्ड पर आने मत दिया करो।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर तो आ गया है ।

(**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : इससे देश की कल्चर बिगड़ती है, देश की हैसियत बिगड़ती है। इसलिए बात पूरी आनी चाहिए या फिर आए नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जब डिस्कशन होगा तभी आयेगी । या ठीक बात होगी तब आयेगी ।

श्री मनीराम बागड़ी : बात तो ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं क्या ठीक है, मैं देखकर करूंगा ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) **:** लोक सभा सचिवालय एक पात्र निकाल कर सदस्यों के सभी भाषण छाप सकता है । यह दैनिक छप सकता है जिसमें आप कार्यवाही छाप सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरी बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा का एक मन्त्री शराब पी करके···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए । सारी बातें जो अखबार में लिखी जाती है वह सही नहीं होतीं। अभी पिछले दिनों अखबार में छप गया था कि फलां भाग गया, फलां चला गया, इसलिए मुझे पहले पता कर लेने दीजिए। अगर किया है तो कान खिचवा दूंगा। लेकिन जब तक पता न हो जाए तब तक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः आप इस बात से सहमत हैं कि शराब पीना बुरा है और यह हमारी नीति के विरुद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, पहले मुझे पता कर लेने दो, फिर बात करूंगा ।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने नेता के नेतृत्व के अन्तर्गत सभी-सभी संसद् सदस्यों के साथ मारपीट करने पर तमिलनाडु पुलिस के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं ।

श्री के० मायातेवर : उसका क्या हुआ ? श्री कलानिधि, संसद सदस्य को पीटा गया । मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ, मैं नहीं जानता (**व्यवधान**) । तमिलनाडु सरकार और पुलिस ने क्या उत्तर दिया ? मुझे नहीं बताया गया । आपने तथ्यों का पता लगाने का वादा किया था ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए । मुझे उत्तर मिला है, उसे मैं आपके पास भेज दूंगा :

श्री के० मायातेवर : क्या आपको कुछ उत्तर नहीं मिला ?

अध्यक्ष महोदय : आपको वह मिल जाएगा ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मैं अपनाई जा रही प्रक्रिया के सम्बन्ध में कह रहा हूं। (**व्यवधान**) कृपया वाक्य समाप्त करने दीजिए। मैं आवश्यक और तात्कालिक विकास के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के सम्बन्ध में कह रहा हूं। उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं समझा पा रहा हूं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : प्रक्रिया के प्रश्न पर आप विचार करें, अन्य बातें बाद में ली जाएं। आपने त्रिपुरा के सम्बन्ध में हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया और उसके बारे में गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है। परन्तु उसमें कितना समय लगेगा ?

अयध्क्ष महोदय : हम कुछ तथ्यों की जानकारी मांग रहे हैं। उनके मिलने पर मैं निर्णय दूंगा।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मेरा कहना है कि मामला में बहुत विलम्ब...

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। **श्री एस० एम० कृष्ण**।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मेरा कहना है कि समस्याओं के सम्बन्ध में न्याय के लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा।

(**व्यवधान**)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983, जो 11 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 286(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1983, जो 11 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना का० आ० 287(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6404/83]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 158(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और मैसर्स इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सिरामपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6405/83]**

महासागर विकास विभाग और अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1983-84 की ब्यौरेवार मांगें तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली आदि के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, समीक्षा आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अान्तरिक्ष इलैक्ट्रानिक्स तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6406/83]

(2) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6407/83]**

(3) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6408/83]

(5) (एक) बोस इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) (क) बोस इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त मद (7) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6409/83]

(6) (क) इण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) (क) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त मद (8) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6410/83]**

दिल्ली पुलिस सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं दिल्ली पुलि अधिनियम 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) संशोधन नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो 31 मार्च, 1983 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/80/82 - होम (पी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6411/83]

इलेक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1983-84 की मांगे

इलेक्ट्रानिक विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : मैं इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6412/83]**

पर्यावरण विभाग की वर्ष 1983-84 की मांगें

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्वजय सिंह) : मैं पर्यावरण विभाग की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[गन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6413/84]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 35वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं गृह मंत्रालय—उड़ीसा में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यचालन के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 11वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधियों के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दिए जाने की सिफारिश की है :—

(1) श्री जेवियर अराकल	4 अक्तूबर से 19 अक्तूबर, 1982 तक (दसवां सत्र)
(2) श्री बालासाहिब विखे पाटिल	18 फरवरी से 4 मार्च, 1983 तक और 14 मार्च से 16 मार्च, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)
(3) श्री बी० आर० भगत	18 फरवरी से 4 मार्च, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)
(4) श्री जितेन्द्र प्रसाद	14 मार्च से 6 अप्रैल, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)
(5) श्री चन्द्र शेखर	23 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 1982 तक (दसवां सत्र), 18 फरवरी से 4 मार्च, 1983 तक और 14 मार्च से 12 अप्रैल, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)

क्या सभा सिफारिश के अनुसार सहर्ष अनुमति प्रदान करती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 के बारे में याचिका

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 1980 के बारे में श्री आर० सी० गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं, जिसके द्वारा मूल्य-सूचकांक में वृद्धि के अनुसार किराये में वृद्धि करने, मकानों की निर्धारित लागत पर बैंक ऋणों की ब्याज-दर से अधिक दर पर मानक किराया निर्धारित करने, तीन महीनों तक किरायों की अदायगी न किए जाने पर किराएदारी समाप्त करने और गन्दी बस्ती उन्मूलन अधिनियम को समाप्त करने के लिए भी उपबन्ध करने की याचना की गई है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में ओरियन्ट पेपर मिल्स, भास्कर टैक्सटाइल मिल तथा कलिंग ट्यूब्स को पुनः चालू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में तीन कारखाने—ओरियन्ट पेपर मिल, भास्कर टैक्सटाइल मिल्स और कलिंग ट्यूब्स—अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गए हैं। ओरियन्ट

पेपर मिल ब्रजराज नगर में है और भास्कर टैक्सटाइल मिल उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में झारसुगुड़ा के स्थान पर है। कलिंग ट्यूब्स मिल कटक जिले के चौदुर में स्थित है। इन तीनों मिलों में 20,000 कर्मचारी काम करते थे। कम वेतन भोगी कर्मचारियों में से अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे। इन मिलों के बन्द हो जाने से 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसके कारण उड़ीसा राज्य में कर्मचारियों में असन्तोष का वातावरण फैल गया है।

12.19 (**उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए**)

इन कारखानों में तालबन्दी होने के कारण पैदा हुई समस्याओं को हल करना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है। बेरोजगार हुए अधिकतर कर्मचारियों को अन्य कारखानों में काम पर लगाना भी उसके लिए सम्भव नहीं है। राज्य सरकार उन्हें काम पर लगाने के लिए कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है और न ही वह इन कारखानों को फिर से चालू करने की स्थिति में है।

यदि इन कारखानों को फिर से चालू करने के लिए तुरन्त कदम न उठाए गए तो राज्य में कर्मचारियों के अन्दर व्याप्त असंतोष के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होगी। यह 20,000 कर्मचारियों के लिए जीने-मरने का प्रश्न है। इसलिए इन कारखानों को फिर से चलाना आवश्यक है।

इस स्थिति को देखते हुए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ओरियन्ट पेपर मिल्स, भास्कर टैक्सटाइल मिल और कलिंग ट्यूब्स को फिर से चलाने के लिए बिना कोई विलम्ब किए कार्यवाही करे।

(दो) इलाहाबाद और लखनऊ के बीच के तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है तथा इलाहाबाद एक तरह से छोटी राजधानी ही है। क्योंकि उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग पुलिस विभाग, आबकारी विभागों के सब बड़े-बड़े कार्यालय यही हैं। यही नहीं एकाउन्टेंट जनरल का कार्यालय भी इलाहाबाद में ही है।

इलाहाबाद तथा लखनऊ की दूरी केवल 150 किलोमीटर है, किन्तु इस पर कोई फास्ट ट्रेन न होने से जितनी ट्रेनें हैं, उन्हें यह दूरी तय करने में 6 घन्टा से 12 घन्टा लगता है, जबकि अन्यत्र जहां फास्ट ट्रेन चलती हैं, इतनी दूरी $2\frac{1}{2}$ घन्टा तथा 3 घन्टा में तय होती है।

लखनऊ इलाहाबाद के बीच एक फास्ट ट्रेन चलाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है और इसके न होने से इलाहाबाद में बड़ा असन्तोष है।

मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब इलाहाबाद लखनऊ के बीच एक फास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था करा दें।

(तीन) केन्द्रीय मधु विकास बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

मधु के समुचित उपयोग, विकास और निर्यात के लिए एक केन्द्रीय मधु विकास बोर्ड बनाना अत्यन्त आवश्यक है। मधु प्रकृति का सबसे मीठा उपहार है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारे देश के कुछ भागों में मधु के उत्पादन के विकास के लिए बहुत गुंजाइश है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मधु मक्खियों से शहद का उत्पादन किया जा सकता है। मधु वाटिका मधु के उत्पादन के लिए पर्याप्त धन, श्रम और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे देश में मधु का वार्षिक उत्पादन लगभग 40 किलोग्राम है। इसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए है। इसके योजना बद्ध उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात की सम्भावनायें भी बढ़ेंगी। इसके उत्पादन के अनुकूल जलवायु वाले स्थानों, प्राकृतिक वन संसाधनों, प्राकृतिक मधु-मक्खी क्षेत्रों की उपलब्धता और मधु उत्पादन में वैज्ञानिक एवं कुशल विशेषज्ञों की उपलब्धता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनके लिए उदार सहायता दी जानी चाहिए। यह सहायता स्थान-स्थान पर किए जाने वाले मधुमक्खी पालन को भी उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे देश के मधुमक्खी पालकों के हितों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसलिए सरकार को एक केन्द्रीय मधु विकास बोर्ड की स्थापना के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

(चार) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कुछ डाकघरों में बढ़ रही अनियमिततायें

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत पढ़ने से पहले ...**व्यवधान**... आप मेरी बात सुन लें —हम जैसे कहना चाहते हैं कि वाराणसी के पोस्टआफिस में चोरी हो रही है, यह देश के हित में नहीं है. तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि पार्टिकुलर नाम मत जोड़िए...

श्री के० मायातेवर : मैं भी वही मामला उठा रहा हूं। इसका हमारे उद्देश्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। वे किस अधिकार से यहां**ऐसा कह रहे हैं? यह सब क्यों हो रहा है ? **मैंने जो दिया है उसमें आपत्ति की कौन सी बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप शास्त्री को बोलने देंगे या नहीं ?

श्री के० मायतेवर : मैं उनका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, आप नियमों को पढ़िए। यदि कोई आरोप है तो इसे दूर करना होगा। हम नियमों के अनुसार काम करते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 377 का मतलब है कि हम जो सूचना देते हैं उस पर जांच होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर एक्जाम्पिल देते हैं तो उसको क्यों काट दिया जाता है ? मैंने जो दिया था उसको संशोधित कर दिया गया है।

**एक स्थान का नाम भी नहीं आ सकता था। मैं चाहूंगा कि हमारे 377 पर जब जांच हो तो

*कार्यवाही-वृत्तान्त शामिल नहीं किया गया।

मिनिस्टर साहब सारे-के-सारे उन पोस्ट आफिसेज के, जहां-जहां भ्रष्टाचार हुआ है, हमसे नाम ले कर जांच करायें और उसकी सूचना भी मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान डाक-तार व्यवस्था में हो रही भयंकर गड़बड़ियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में हर ओर से निरन्तर सूचनाएं डाक व्यवस्था में गड़बड़ी की मिलती रहती हैं, जो राष्ट्र के लिए कलंक हैं।

गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के कई पोस्ट आफिसों में पास बुकों में हेर-फेर करके पोस्ट-मास्टरों द्वारा हजारों रुपए के हड़पने की सूचना मिली है। इतना ही नहीं, दस वर्षीय बच्चों की बचत पास बुक से भी रुपए निकाले गए हैं। गाजीपुर जनपद की ही अन्य दूसरी तहसीलों में भी कई पोस्ट आफिसों से सूचना मिली है कि गरीब मजदूर ने कलकत्ता, बम्बई से कमा कर अपने घर अपना पेट काट-काट कर रुपया भेजा लेकिन उसका इन्स्योर्ड बीमा गायब हो गया। कभी-कभी बीमे द्वारा प्रेषित रुपए के स्थान पर खाली लिफाफा ही मिला है। कहीं-कहीं तो जिस व्यक्ति के नाम मनीआर्डर आया है, उसके स्थान पर किसी दूसरे को धनराशि दे दी गयी है और हस्ताक्षर उस विशेष व्यक्ति का बना दिया गया है। वास्तविक व्यक्ति इधर-उधर परेशान हो रहा है। जाली मनीआर्डर की घटनायें पूर्वी उत्तर-प्रदेश में सैंकड़ों हुई हैं जो आये दिन अखबारों में छपती रहती हैं।

वाराणसी, जौनपुर के देहाती इलाकों में भोले-भाले ग्रामीणों को ठगने की जैसे पोस्ट आफिसों ने एक मुहीम चला रखी है। वाराणसी आर० एम० एस० मुगलसराय आर० एम० एस०, सुनियोजित ढंग से कीमत पार्सलों और इन्स्योर्ड बीमे की राशि जाली मनीआर्डर प्राप्त करने की अनेक घटनायें हाल ही में अखबारों में छपीं। कुछ लोग पकड़े भी गए लेकिन उनका क्या हुआ, पता नहीं।

खेद है कि इन सब घटनाओं के बारे में पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश एवं माननीय संचार मंत्री जी से लिखा-पढ़ी की गयी लेकिन कोई माकूल कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में दिए गए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की भी सूचना पोस्ट मास्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा पोस्ट मास्टर जनरल के यहां से नहीं प्राप्त होती। पूछताछ करने पर केवल एक ही जवाब अधिकारी लोग देते हैं कि मामले की छानबीन करायी गयी, घटना असत्य थी, फिर भी सम्बन्धित पोस्ट मास्टर को हिदायत दे दी गयी है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।

मान्यवर, डाकतार विभाग की यदि ऐसी ही गति रही, तो जनता का विश्वास इस पर से उठ जाएगा और लोगों में असन्तोष फैलेगा। मैं चाहूंगा कि संचार मंत्री इस दिशा में कड़ा कदम उठाएं और गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी जनपदों में इस प्रकार की हुई घटनाओं की छानबीन की जाये।

(पांच) ब्रिटिश एयरवेज द्वारा उसके कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय के बाद किए जाने से रोकने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपर) : ब्रिटिश एयरवेज कलकत्ता के माध्यम से लम्बे अर्से से कार्य कर रही है। ब्रिटिश एयरवेज की विभिन्न गतिविधियों के लिए कलकत्ता में कुछ वर्षों पहले लगभग 400 कर्मचारी काम करते थे। ब्रिटिश एयरवेज की नीति अब कलकत्ता के माध्यम से अपने सेवाओं को कम करने की रही है। अब कलकत्ता में उनके कर्मचारियों की संख्या 69 है।

अब ब्रिटिश एयरवेज ने कलकत्ता के जरिए। अप्रैल, 1983 से सप्ताह में अपनी दो उड़ानों के वजाय सप्ताह में एक ही उड़ान कर दी है। यही नहीं वह कलकत्ता में अपने कर्मचारियों की संख्या में और भी कमी करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि किसी कम्पनी के अंशधारी ही उसके दिवालियापन को घोषित नहीं करते बल्कि उसके कर्मचारी भी उसमें बरावर के हिस्सेदार होते हैं, जिनकी बात सुनी जानी चाहिए जब न्यायालय कम्पनी के कार्यों को समाप्त करने का निर्णय ले रहा हो।

ब्रिटश एयरवेज को बन्द करने की योजनाएँ उस समय बनायी जा रही हैं जबकि उस कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 1982-83 के पूर्वाध में 8 करोड़ डालर का शुद्ध लाभ कमाया है। कलकत्ता में प्रबन्ध द्वारा निर्धारित बिक्री का लक्ष्य ही पूरा नहीं किया है बल्कि उनसे 31 दिसम्बर, 1982 तक बिक्री के लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक बिक्री की है। इसमे स्पष्ट है कि कलकत्ता में यात्री और भाड़े के यातायात बहुत है। इसलिए कलकत्ता की वित्तीय सक्षमता निस्सन्देह है।

इसलिए उड़ानों की संख्या घटाने और कर्मचारियों की संख्या घटाने की नीति एकदम अनुचित है।

इसलिए मैं सरकार से आग्राह करता हूं कि वह ब्रिटिश एयरवेज से कहे कि वह कलकत्ता की अपनी शाखा को बन्द करने की नीति को त्याग दे।

(छ) छोटा नागपुर क्षेत्र के आस-पास स्थित इस्पात संयंत्रों के अवशिष्ठ पानी के कारण उस क्षेत्र में फैल रही "सिल्कोसिस" बीमारी को रोकने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य स्थित चन्द्रपुरा थर्मल पावर, बोकारी स्टील प्लांट, भारत कोकिंग कोल लि० एवं इसके निकटस्थ अन्य प्लांटों की विभिन्न चिमनियों द्वारा निकले हुए धुंओं से धूल कण, सिलिका एवं अन्य रिफेक्ट्री मेटेरियल दिन रात फेक रहे हैं। इसके फलस्वरूप आम लोगों में एक "सिल्कोसिस" नामक बीमारी फैल रही है, जिसकी चिकित्सा दुर्लभ है।

इन कारखानों से जो "वेस्ट वाटर" निकल रहे हैं, उनके साथ जहरीले कैमिकल्स आ रहे हैं। यह जल दामोदर नदी में गिराया जा रहा है। स्मरणीय है कि स्थानीय आदिवासी गांव के लोग इसी नदी के पानी को पीते, इसी से नहाते हैं, इसी पानी को जानवर भी पीते हैं और इसी से खेतों की सिंचाई भी होती है। जो जानवर या आदमी इस पानी को पीता है उसे "सिल्कोसिस" या अन्य कई प्रकार के रोगों का शिकार होना पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि आदिवासी गांव के लोग पीने के रूप में इसी दामोदर नदी के पानी का प्रयोग करते हैं। चापाकल तो इस क्षेत्र में लग ही नहीं सकता, कुओं का भी अभाव है।

दूसरी ओर धुंओं से धूल, कण, सिलिका एवं रिफेक्ट्री मेटेरियल दिन-रात अनवरत गति से गिरते रहने के कारण इस इलाके की यानी 40-50 किलो मीटर चारों ओर की फसल मारी जा रही

है। किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उग रही है, जन्मते ही सूख जाती है। इस प्रकार तमाम छोटा नागपुर क्षेत्र इन चिमनियों से तबाह एवं बर्बाद हो रहा है।

डी० वी० सी० के अध्यक्ष ने पत्रकारों को बतलाया है कि इस प्रकार के प्रदूषण से इस क्षेत्र को बचाने के लिये उपाय तो हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत खर्चीले हैं। लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सरकार से मेरा आग्रह है कि इस आदिवासी क्षेत्र को विनाश से बचाने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करे जो एक निश्चित अवधि में जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और चाहे जितना भी खर्च हो, लोगों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध करें।

(सात) गोरखपुर-सुनौली तथा गोरखपुर-ठूठीबारा सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र की सड़कों और यातायात साधनों का विकास बहुत आवश्यक है। गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में पक्की सड़कों का अभाव भी इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण हैं। गोरखपुर सुनौली और गोरखपुर ठूठीबारा मार्ग इसी क्षेत्र के प्रमुख राज्य मार्ग हैं लेकिन इनके रख-रखाव और मरम्मत पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं। हालांकि ये दोनों सड़कें नेपाल की सरहद तक जाती हैं और गोरखपुर सुनौली सड़क तो उस अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग का एक भाग है जो भैरवा पोडरू होते हुए काठमांडू और उससे आगे चीन की सरहद तक चली जाती हैं लेकिन इस सड़क पर मानीराम पीपीगंज के बीच रोहिन नदी पर पुल खतरनाक घोषित किया जा चुका है और उस पर से भारी वाहन भार के साथ चलना मना है। यही नहीं यह सड़क इतनी कम चौड़ी है कि दो भारी वाहन या यात्री बस एक साथ नहीं गुजर सकते। पर्यटन की दृष्टि से भी इस सड़क का अपना महत्व है। यह सड़क नेपाल से भारत के यातायात का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है इसलिये इस सड़क का एक प्रमुख राष्ट्रीय राज्य मार्ग के तौर पर पूरा विकास होना चाहिये। इस सड़क को चौड़ा किया जाना और पुलों की आवश्यक मरम्मत के साथ-साथ सड़क के बराबर रख-रखाव की जरूरत है। इसी सड़क मे अड्डा बाजार होते हुए बनरसिहा तक के देवदह में महात्मा बुद्ध की माता का पैतृक निवास था और इसी मार्ग से लुम्बनी और कपिलवस्तु (मौजूदा पिपरलवा) उनका आना-जाना होता था। इस मार्ग को पक्का करना और नाले पर पुल बनाना इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि यहां पर्यटक और तीर्थ यात्री पहुंच सकें।

मैं केन्द्र सरकार से इस सदन द्वारा मांग करता हूं कि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण इन सड़कों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित किया जाय और इसके लिए समुचित धन की व्यवस्था की जाय।

(आठ) पुन्नामलाई विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) में सभी डिग्री पाठ्यक्रमों को पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री के० मायातेवर : (डिंडीगुल) मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम 377 के अधीन हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सभा में विशेष उल्लेख कर सकते हैं। इस मामले में आप

निर्णय करें और अपने कार्यालय को निदेश दें। वे इसमें संशोधन कर सकते हैं। आपके कार्यालय की भी सीमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो मामला उठाया है उस पर मैंने विचार कर लिया है।

श्री के० मायातेवर : कृपया मेरी बात सुने।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात भी सुनिये।

श्री के० मायातेवर : ** कृपा मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी आवश्यक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। कृपा मुझे सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा मेरी बात सुनिये आपने नियम 377 के अधीन उठाये जाने के लिये मामला लिखित में दिया है। यदि कोई शब्द या वाक्यांश······

श्री के० मायातेवर : क्या उसने कोई बात अपमानजनक, मानहानिकारक अथवा असंसदीय अथवा चरित्र हनन करने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस सरकार से चाहता हूं कि वह कुछ कालेजों के पाठ्यक्रमों को पुनः चालू करने के लिये कुछ अधिकारियों को निदेश दे। यह बात भी सभा की कार्यवाही से निकाल दी गई है। उन्हें क्या अधिकार दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे पढ़ेंगे या नहीं ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं। की मायातेवर क्या आप इसे पढ़ेंगे।

श्री के० मायातेवर : मैं इसे पढ़ूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : खड़े हुए –

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि, आप उनकी ओर से दलील मत दीजिये।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं जानता हूं कि मुझे इस पर बोलने का हक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे कमरे में आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं देता।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हमें अधिकारियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये। मुझे इसके लिये खेद है·······।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा में अधिकारियों के बारे में नहीं बोल सकते।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं यह कह रहा हूं कि·······।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अधिकारियों के बारे मत बोलिये। यदि आप कुछ कहना चाहते है तो मैं उसकी इजाजत दे सकता हूं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : तमिलनाडु सरकार को दिनेश दिये जाने चाहिये। उन्होंने यह वाक्यांश कहा है। "तमिलनाडु सरकार" शब्द को हटाया जाना चाहिये। "तमिलनाडु सरकार" शब्द रखने में क्या खराबी है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। क्या हम इस सम्बन्ध में सरकार को तमिलनाडु निदेश दे सकते हैं ? यह एक राज्य का विषय है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जब आप तमिलनाडु सरकार को निदेश नहीं दे सकते तो आप विश्वविद्यालयों को निदेश कैसे देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार यहां निदेश नहीं दे सकती।

श्री के० मायातेवर : वे सुझाव दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निदेश नहीं दे सकती। यह उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। कृपया उसे पढ़िये जो दिया गया है। जो उन्होंने कार्यवाही से निकाला है, वह ठीक है।

श्री के० मायातेवर : सारा उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी केन्द्रीय विषय के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन मामला उठा सकते हैं। आपने एक राज्य का मामला उठाया है। इसलिये इसमें संशोधन कर दिया गया है। यह ठीक है।

श्री के० मायातेवर : शिक्षा एक समवर्ती विषय है। यह राज्य के अन्तर्गत ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार निदेश दे सकती है।

श्री के० मायातेवर : आप अनुदेश अथवा निदेश नहीं दे सकते। परन्तु राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त बता सकते। आप सिफारिश कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं दिया जायेगा। इसमें संशोधन कर दिया गया है ताकि इससे आपका उद्देश्य पूरा हो जाये। इसमें "सम्बन्धित अधिकारी" शब्द जोड़ दिये गये हैं।

श्री के० मायातेवर : उन्हें बताना चाहिये कि कौन से अधिकारी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ें या नहीं।

श्री के० मायातेवर : कौन से अधिकारी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल संशोधित संस्करण ही पढ़ना चाहिये।

श्री के० मायातेवर : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका मूल वक्तव्य नहीं है।

श्री के० मायातेवर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो वैध है । यह अभी टाइप करके दिया गया है। **(व्यवधान)** पांच मिनट के अन्दर ही दूसरा व्यवस्था का प्रश्न आ गया है। वह उसी कार्यालय से आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभा की गरिमा बनायी रखनी चाहिये । आप एक पुराने सांसद है । आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

श्री नीरेन घोष (डमडम) : वह बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इसलिये पीठासीन अधिकारी आपत्ति कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। चिल्लाने में सभा में मेरा कोई भी मुकावला नहीं कर सकता । अब आप इसे पढ़िये ।

श्री के० मायातेवर : तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय राज्य और देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय में लगभग सभी व्यवसायिक और डिग्री पाठ्यक्रम हैं और यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के औसत छात्रों को उदारतापूर्वक प्रवेश देता है और उनके भविष्य का ध्यान रखता है । 1981 में सभी डिग्री पाठ्यक्रम बन्द कर दिये गये । इसलिये उसके बाद वहां बी० ए०, बी० कॉम०, बी० एस० सी० अथवा किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया । इन सभी डिग्री पाठ्यक्रमों के बन्द किए जाने का तमिलनाडु के सभी प्रकार के लोगों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

जनता और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के शिक्षा सम्बन्धी कल्याण के लिये सभी डिग्री पाठ्यक्रम पुन: आरम्भ किये जाने चाहिये ।

अत: मैं प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश दें कि सभी डिग्री पाठ्यक्रमों को पुन: आरम्भ करने और तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश पुन: आरम्भ करने के लिये तुरन्त आवश्यक कदम उठाये और इस प्रकार तमिलनाडु के लोगों की वर्तमान और भावी पीढ़ी के शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर के भाषण का स्वीकृत संस्करण ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा ।

श्री निरेन घोष : श्रीमन् मेरा एक-एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । आप इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मैंने श्री हरीश रावत को बुलाया है । सभा में इस समय कोई भी विषय चर्चा के अधीन नहीं है। आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते ।

(नौ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : पर्वतीय क्षेत्र की जनता के प्रबल आग्रह व हिमालय रीजन

के वनों के पर्यावरण सम्बन्धी महत्व को देखते हुए लोकहित में इन क्षेत्रों के वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की वन भूमि में सार्वजनिक हित के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्वस्थानीय स्तर पर स्थानीय वन विभाग एवं निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभाग के लोगों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त एक प्रपत्र भरकर राज्य सरकार को भेजना होता है तथा राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक खाना-पूर्ति के बाद केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु मामले को भेजा जाता है। तकनीकी तौर पर देखने में यह व्यवस्था उचित एवं पूर्ण लगती है किन्तु व्यवहारिक तौर पर यह प्रक्रिया लम्बी तथा जटिल है कि वर्ष 1980-81 व 1981-82 की योजनावधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक अनुमोदन आज तक भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं।

पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त अधिकांश भूमि उत्तर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित सत्र अधिनियम के तहत वन भूमि है, वहां पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क, स्कूल, पुल व चिकित्सालय आदि के लगभग समस्त निर्माण कार्य इस अधिनियम के प्रभावी होने के कारण रुके पड़े हैं। इस सबके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रति भयंकर असन्तोष है। लोग इसे अपने विकास में बाधक मान रहे हैं। धीरे-धीरे जनता वनों के संरक्षण व संवर्धन के अपने दायित्व से विमुख हो रही है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम सभाएं अपनी भूमि देने का प्रस्ताव पास नहीं कर रही है। कारणस्वरूप इस महान कार्यक्रम को इन क्षेत्रों में भारी धक्का लग रहा है।

अत: मेरा माननीया प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि इस अधिनियम में संशोधन कर ऐसी स्थिति में, जहां कि निर्माण कार्य हेतु दो हजार वृक्ष तक काटने पड़ते हैं वहां अनुमोदन करने का अधिकार राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग को दे देना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो राज्य स्तर पर समिति का गठन कर उसे सम्बद्ध दायित्व सौंपा जाना चाहिए। मात्र ऐसे मामलों में केन्द्र के सम्मुख आना अनिवार्य हो, जिनमें बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटान किया जाता है।

श्री नीरेन घोष : श्रीमन्, दूसरी ओर के गैर-सरकारी सदस्य दीर्घा में जाकर अधिकारियों से बातें करते हैं। यह सभी नियमों और सभी परम्पराओं के विरुद्ध है। यह बार-बार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे ऐसा करें तो आप मुझे बतायें। इस समय कुछ नहीं हो सकता।

अनुदानों की मांगें 1983-84

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61 से 63 पर चर्चा व मतदान करेगी जिसके लिए 5 घण्टे आवंटित किए गए हैं।

सभा में उपस्थिति माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध कटौती प्रस्ताव

परिचालित किए गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्ची भेज सकते हैं जिसमें उन कटौती प्रस्तावों का क्रमांक भी दें जिन्हें वे पेश करना चाहेंगे। केवल ऐसे कटौती प्रस्ताव ही पेश किए गए माने जायेंगे।

पेश किए गए माने जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या की एक सूची सूचना पर शीघ्र लगा दी जायेगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई त्रुटि पाएं तो वे उसे सभा पटल अधिकारी के ध्यान में तुरन्त ला दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61 से 63 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पुंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियों संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति अनुदानों की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1983 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान को मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	उद्योग मंत्रालय				
61.	उद्योग मंत्रालय	81,83,000	...	423,17,000	...
62.	उद्योग	16,90,79,000	51,35,67,000	84,53,98,000	225,43,32,000
63	ग्राम और लघु उद्योग	17,08,90,000	17,41,67,000	85,44,50,000	87,08,33,000

अब श्री के० सी० हाल्दर अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कृषि के बाद आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक बिकास के लिए और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षत्रों के फालतू बेरोजगार युवकों को हमारी अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न सेक्टरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है।

मैं हमारे संविधान में अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से उद्धरण देना चाहूंगा :

"समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्त नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे

समूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो,"

किन्तु व्यवहार में सरकार की औद्योगिक नीति की क्रियान्विति से आमतौर पर आप आदमी के बदले बहुराष्ट्रिक कम्पनियों एकाधिकार ग्रहों और देश के बड़े घरानों को लाभ मिल रहा है और विशिष्ट तथा लघु तथा ग्रामीण उद्योग को हानि पहुंच रही है।

मैं अपने कथन की पुष्टि में निम्नलिखित आंकड़े उद्धत करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों की अपनो शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के माध्यम से 31-3-1978 को कुल आस्तियां 3576.6 करोड़ रुपए की थी जो 31-3-1979 को 3673.11 करोड़ रुपए और 31-3-80 को बढ़कर 4007.9 करोड़ रुपए की हो गई। अब एकाधिकार गृहों को देखिए जिनमें सबसे पहले टाटाज को लीजिए। उनकी 1979 में 1309.38 करोड़ रुपए की आस्तियां थी ओर कर पूर्वनाम 91.63 करोड़ रुपए था। 1980 में टाटाज की आस्तियां 1538.97 करोड़ रुपए और कर-पूर्व लाभ 110.03 करोड़ रुपए था। 1981 में आस्तियां 1840.16 करोड़ रुपए की और कर-पूर्व लाभ 154 करोड़ रुपए हो गया।

अब बिड़लाज के बारे में आंकड़े देता हूं। 1979 में उनकी आस्तियां 1309.99 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ 121.02 करोड़ रुपए था, 1980 में उनकी आस्तियां 1431.99 करोड़ रुपए और पूर्वलाभ 121.15 करोड़ रुपए था जो 1981 में बढ़कर 1691.69 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ 110.42 करोड़ रुपए हो गया।

सर्वोच्च एम० आर० टी० पी० गृहों की आस्तियां 1979 में 6614.89 करोड़ रुपए थीं और कर-पूर्व लाभ 529.74 करोड़ रुपए था। 1980 में ये आस्तियां 7611.74 करोड़ रुपए हो गई और कर-पूर्व लाभ 544.48 करोड़ रुपए हो गया। 1981 में ये आस्तियां बढ़कर 8987.07 करोड़ रुपए और कर पूर्वलाभ 659.72 करोड़ रुपए हो गए।

इसके साथ-साथ क्या हुआ है वह उप वित्त मंत्री श्री जानर्दन पुजारी वक्तव्य से जो उन्होंने 15 अप्रैल, को लोक सभा में दिया था मालूम कर सकते हैं। उन्होंने बताया 26758 छोटे एकक बन्द हो गये हैं। जिससे हमारे लोगों को बहुत तखलीफ उठानी पड़ी है। ये बहुराट्रिक कम्पनियों और एकाधिकार गृह अपनी आस्तियां बढ़ा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि 7.5 करोड़ नवयुवक बेरोजगार हैं जिनमें से $4\frac{1}{2}$ करोड़ नवयुवक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही औद्योगिक नीति का वास्तविक परिणाम यह है।

औद्योगिक नीति को अब एक नई दिशा दी गई है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् सरकार इस्पात, सोडाएश आदि ऐसी वस्तुओं के लिए उदारता से आयात परमिट दे रही है। सरकार इस्पात का बाहर से आयात कर रही है जबकि हर व्यक्ति जानता है भारत में काफी मात्रा में इस्पात जमा पड़ा है, स्टील आथरिटी आफ इण्डिया के माल भण्डार में इस्पात का तीन महीने का स्टाक पड़ा है। पहले, जब इस्पात की सप्लाई की थी, तो सरकार ने आयात करने दिया। किन्तु अब प्रश्न यह है कि जब आपके स्टाकयार्ड में काफी इस्पात पड़ा है तो फिर इस्पात का आयात करने की क्या जरूरत है? यह बात समझ में नहीं आती। इसी तरह दुर्गापुर स्थिति

अलाय स्टील प्लांट के पास अपने स्टाकयार्ड में काफी माल पड़ा है लेकिन उसके बावजुद, इस सरकार मैसर्स जिन्दल एण्ड कम्पनी को बाहर से स्क्रैप अलाय का आयात करने की अनुमति दी है। स्क्रैप अलाय, अलाय स्टील से, जिसका उत्पादन दुर्गापुर इस्पात कारखाने में किया जाता है घटिया होता। आयात करने की अनुमति देने का कारण यह है कि मैसर्स जिन्दल एण्ड कम्पनी कांग्रेस (आई) को उसके चुनाव फण्ड के लिए लाखों रुपए देती है। इसलिए, सरकार सरकारी क्षेत्र को हानि पहुंचाकर मैसर्स जिन्दल एण्ड कम्पनी को अलाय स्टील का आयात करने की अनुमति दे रही है।

एक माननीय सदस्य : वह मजदूर संघों को भी धन देती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इसका मुझे पता नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : सबको देते हैं, आपको भी देते हैं। आपके इंजन में क्या पानी चलता है, पैट्रोल नहीं?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें बीच में न लायें तो अच्छा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपने माल के लिए बाजार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, आप जानते हैं दुनियां भर में आम मन्दी चल रही है। हमारे देश को दुहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यह कि बहुराष्ट्रिक कम्पनियां अपनी वस्तुएं हमारे देश में भेज रही हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक शर्त यह है कि हमें विकसित साम्राज्यवादी देशों से आयात करना होगा। इसलिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियां अपने उत्पादनों का भारत में ढेर लगा रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं, 1 मार्च, 1983 के 'इकोनोमिक टाइम्स में से उद्धरण देना चाहता हूं।

> "विदेशों से माल का देशी बाजार में ढेर लगा दिया गया है क्योंकि विश्व में इस समय मन्दी की स्थिति चल रही है।"

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के हाथ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक हथियार है जिसका भारतीय उद्योगों यथा इंजीनियरिंग, इस्पात और अन्य उद्योगों के हितों को हानि पहुंचाकर प्रयोग किया जा रहा है। विकसित साम्राज्यवादी देशों में मन्दी व्याप्त है और उन्होंने अपने उद्योगों को भीषण संकट से बचाने के लिए संरक्षण नीति अपनाली है। किन्तु हमारे भारतीय उद्योगों को उचित संरक्षण देने के बजाय सरकार उदार आयात नीति जारी कर रही है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, निर्यात और आयात नीति के बारे में केन्द्रीय सरकार ने हाल में जो घोषणा की है उसके बावजूद मैं समझता हूं स्थिति में सुधार नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में चन्द्रपुर ताप बिजलीघर के लिए सरकार ने 500 मैगावाट तापीय शक्ति वाले तीन संयंत्रों के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आदेश दिए हैं। आप जानते हैं कि 'भले' (भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड) इस किस्म के 500

मेगावाट ताप बिजली घर बना सकता है। विश्व टेंडर में जो मांगा गया था, 'भेल' का टेंडर सबसे कम था। सरकार कहती है क्योंकि उसे विदेशी ऋण मिलेगा जो 'भेल' नहीं दे सकता, इसलिए उसने बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आदेश दिए हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 'भेल' के प्रबन्धकों तथा उसके सभापति तथा सभी मजदूर संगठनों मिलकर एक बैठक की और सर्व सम्पत्ति से एक संकल्प पारित किया जिनमें ऐसे आयात का विरोध किया गया है क्योंकि जब 'भेल' ताप बिजलीघर का निर्माण कर सकता है तो फिर बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आदेश क्यों दिया जाए? इसलिए सरकार को इस सर्व सम्पत्ति संकल्प को मानना चाहिए।

सरकार ने वर्ष 1982 को उत्पादन शीलता का वर्ष घोषित किया था। बम्बई की कपड़ा मिल हड़ताल अभी चल रही है जिसे एक वर्ग से अधिक समय गुजर चुका है। आप इसका निपटारा नहीं कर पाये हैं। उत्पादन शीलता के वर्ग में आपकी सभी कार्यवाहियां अनुत्पादन शीघ्र रही हैं। बड़े औद्योगिक सेक्टरों में, उत्पादन स्थिर है या घट रहा है। सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े भ्रमात्मक हैं। सरकार ने उत्पादन की कीमत बताई है न कि उत्पादन की असली मामला जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले वर्ग मूल्य वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत थी। इसलिए सरकार ने उत्पादन की मात्रा देने के बजाय भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन की कीमत बता दी है।

हम मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें पटसन, नारियल जाटा आदि जैसी कुछ वस्तुओं का भामात्क उत्पादन घट रहा है। उत्पादन में कमी कारण केवल मन्दी ही नहीं बल्कि आधारभूत ढांचे के लिए अपेक्षित सुविधाओं की यथा कोयला, बिजली परिहन आदि की कमी और कच्चे माल तथा मध्यवर्ती माल का उपलब्ध न होना, देशी बाजार न होना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा और सरकार की ऋण-नीत भी है। देशी बाजार केवल इसलिए नहीं है क्योंकि देश में आम आदमी की क्रय शक्ति ह्रास हो गया है।

गृह मंत्री जी ने अपने मंत्रालय पर चल रहे वाद-विवाद का उत्तर देते हुए स्वीकार किया था कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 10 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। जब तक आप उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं कर सकते, तव तक देशी बाजार का फैलाव नहीं हो सकता। जब देशी बाजार का ह्रास हो रहा तथा तब तक आप अपना उत्पादन देश में बेच नहीं सकते।

मन्दी, मुद्रास्फीति और मूल्यों में वृद्धि चल रही है। विशेषज्ञों का कथन है कि आर्थिक मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के कारण भी उद्योगों की प्रगति बहुत धीमी रही है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान केरल के नारियल जटा उद्योग की स्थिति को ओर दिलाना चाहूंगा। नारियल जटा उद्योग केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण भारी संकट से गुजर रहा है। पांच लाख कर्मकार और 20 लाख आश्रित इस उद्योग पर निर्भर है। निर्यात बाजार मंदा है। सरकार अब नारियल जटा उत्पाद तथा नारियल जटा धागे का आयात करेगी। इससे स्थिति और भी खराब हो जायेगी। नारियल की जटा को 1972 में आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित

किया गया था। लेकिन राज्य सरकार को जटा वसूल करने की समुचित शक्ति जब तक नहीं दी गई है। जटा की सहकारी समितियों को जरूरत पड़ती है। 450 सहकारी समितियों को कच्चे माल और वित्त के न होने के कारण हानि हो रही है। सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि नारियल जटा उद्योग का निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए? और समाजवादी देशों को और अधिक उत्पाद बेचे जाने चाहिए।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र की स्थापना योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विकास के लिए की थी। आप जानते हैं एम० ए० एम० सी० और यहां तक कि दुर्गापुर की स्थापना भी कोयला खानों के लिए मशीनों के निर्माण करने लिए की गई थी। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय उसका आयात कर रहा है जबकि एम० ए० एम०,सी० उसका निर्माण कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं महोदय का ध्यान रांची भारी इंजीनियरिंग निगम की ओर दिलाना चाहता हूं। उसने अपनी क्षमता का केवल 50% उपयोग किया है। उसका कोई अध्यक्ष नहीं है और यहां तक कि विभागीय प्रधान भी नहीं हैं। 8 अप्रैल, 1983 के **स्टेट्समैन में** "सेंटर्स अपेथी कौज्ड एच० ई० सी० टू० बिकम एसिक यूनिट" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इसलिए हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग कारपोरेशन इस्पात कारखानों आदि के लिए मशीन-उत्पादक मशीन (मशीन बिल्डिंग मशीन) बना सकती हैं लेकिन आप इसकी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे है ? और वह रूग्ण एकक हो रहा है। सरकारी क्षेत्र की जिम्मेदारी सहायक तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। मैंने आसनसोल और दुर्गापुर के छोटे तथा लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में कई पत्र लिखे हैं लेकिन आपने उनके सुधार के लिए और उन्हें रूग्ण होने से बचाने के लिए कोई उचित कार्यवाही नहीं की है।

आप जानते हैं कि कुटीर तथा हथकरघा उद्योग और डी० आई० सी० की क्या स्थिति है। धारणा यह थी कि एक शीर्ष संस्था के अन्तर्गत तकनीकि सहायता, कच्चा माल वित्त और विपणन की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं डी० आई० सी० की स्थिति के बारे में 18 अप्रैल, 1983 के **'टाइम्स आफ इन्डिया'** में से उद्धरण देना चाहता हूं :—

जिला उद्योग नियोजन की विफलता

जिला उद्योग केन्द्र (डी० आई० सी०) कार्यक्रम जिसे अप्रैल, 1978 में केन्द्र द्वारा चलाया गया था अपना उद्देश्य प्राप्त करने में अर्थात् एक शीर्ष संस्था के अन्तर्गत सभी सेवाएं तथा समर्थन जिनकी लघु एककों को आवश्यकता होती है, की व्यवस्था करने में असफल रहा है और अतिरिक्त नियोजन प्रदान करने के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहा है।

यह भारत के नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक की वर्ष 1982-83 के लिए प्रतिवेदन में प्रकाशित हुआ है।"

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम ग्रामीण उद्योगों तथा शिल्पकारों को भी मदद दे सकते हैं।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम सरकार की बात सुन रहे हैं लेकिन सरकार को पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने चाहिए। मेरे राज्य में बांकुरा और पुरूलिया जिलों में सूखा

पड़ने की सम्भावना रहती है और सूखा पड़ता रहता है और ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं। मैं पिछले पांच या छह साल से मांग कर रहा हूं कि रानीगंज से बरास्ता मेसिय ा एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए। क्योंकि इससे कोयला ढोया जा सकेगा और इन दो जिलों की सहायता हो सकेगी और वहां लघु उद्योगों की स्थापना भी होगी।

कम उपयोग का जहां तक सम्बन्ध है, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि भारी इंजीनियरी निगम समुचित कार्य नहीं कर रहा है। और इस्पात पुनबेलन मिलों में भी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। केवल 17% क्षमता का उपयोग हो रहा है। बदले में, टाटाओं को प्रतिवर्ष लगभग 50,000 टन तार तथा छड़ें बनाने की अनुमति दी जा रही है। इस हिसाब से हमारी पुनबेलन मशनरी जल्दी ही बन्द हो जायेगी। टाटा को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इससे पूर्व इस मामले पर सभा में उस समय भी विचार-विमर्श हुआ था जब उसके सामने इस बारे में एक प्रश्न आया था कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग रूग्ण क्यों हो रहे हैं। कुप्रबन्ध तथा अन्य कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं।

असम, मणिपुर मेघालय—समूचे पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे रही है जो त्रिपुरा तथा इन राज्यों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इस मामले में भारी भेदभाव है इस कारण आन्दोलन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों दिखाया जा रहा है।

केन्द्रीय योजना सहायता के अन्तर्गत 1951 से लेकर 1979 तक प्रति व्यक्ति सहायता का जहां तक सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल को केवल 596 रु० दिए गए जबकि गुजरात को 1032 रु०, महाराष्ट्र को 996 रु०, पंजाब को 1660 रु०, कर्नाटक को 768 रु० और तमिलनाडू को 660 रु० दिए गए। निधि आवंटन के मामले में हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं हैं। अब आप योजना के लिए धन का अन्तिम रूप से नियतन कर रहे हैं। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पर्याप्तधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम औद्योगिक विकास के लिए अपना सर्वथा उचित अंश चाहते हैं।

लोहा तथा इस्पात और कोयले के बारे में समान भाड़ा नीति का पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे या तो वापस लिया जाना चाहिए या कपास तथा अन्य कच्चे माल के बारे में भी समान भाड़ा नीति तुरन्त लागू की जानी चाहिए।

पश्चिमी बंगाल के लिए मेरी मांग है कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड के बेसिक रसायनों तथा औषधि प्रयोजनाओं की स्थापना के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। सांभर झील पर सेंट्रल मेक्टर इलोक्ट्रोनिक परियोजना शीघ्र स्थापित की जानी चाहिए। हल्दिया में जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत कारखाना बनाया जाना चाहिए, हल्दिया पेट्रो-रसायनों के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए, हल्दिया तेलशोधक कारखाने का विस्तार किया जाना चाहिए, दुर्गापुर के निकट कोयले पर आधारित गैस तथा मेथानोल संयंत्र जो कोयले से गैस तथा मेथानोल का और सिथोटिक क्रूड यथा मिट्टी के तेल तथा डीजल का उत्पादन करेगा, की भी स्थापना की जानी चाहिए। इस संयंत्र के लिए उसके निकस्थ कोयला क्षेत्रों से कोयला उपलब्ध होगा।

पश्चिम बंगाल में तेल खोज कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। रूस के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नीचे आधे में तेल है।

कलकत्ता पत्तन के सुधार के लिए कमी के समय फरक्का से 40,000 क्यूसेक जल की सप्लाई की जानी चाहिए।

दुर्गापुर में एक ट्रक निर्माण कारखाने बनाने की आवश्यकता है।

हमारे मुख्य मंत्री श्री ज्योतिबसु ने इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मेनूफेक्चर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के लिए कई बार लिखा है। एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि एक विधेयक तैयार किया गया है जिसे मंत्रिमंडल समिति के पास भेजा गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यथाशक्य शीघ्र इन दोनों कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करें और पहल करें।

केटर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का प्रबन्ध 1972 में सरकार ने अपने हाथ में लिया। 1978 में उसके राष्ट्रीकरण के लिए सारे पत्र तैयार रखे गये थे। लेकिन अब कम्पनी को अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। मैंने पत्र आपसे यह अनुरोध किया है कि आप इस कम्पनी को समाप्त न करने के बाद में तुरन्त उचित निदेश जारी करें। मैं इस कम्पनी के राष्ट्रीकरण की मांग करता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री ने 16 अप्रैल को प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप तथा इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिए लिखा है।

मैं हुगली डॉकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और बोरेन्टफोर्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण की मांग करता हूं।

हम जानते हैं कि आई० आर० सी० आई० के अधीन भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने बल्ब बनाने के लिए एच० एम० टी० के साथ एक करार किया। लेकिन अब एच० एम० टी० उस करार का उल्लंघन कर रहा है। वह फैक्टरी बन्द हो गई है और कर्मकार लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने की मांग करता हूं।

त्रितुरा भी एक पिछड़ा राज्य है। मैं आप से त्रिपुरा में एक कागज कारखाना स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

साइकिल कारपोरेशन एक बहुत अच्छी कम्पनी थी। लेकिन कुप्रबन्ध के कारण उसकी हालत बहुत नाज़ुक हो गई है। आपने उसका मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर आसनसोल में रख दिया है। प्रबन्धकों ने साइकिल पुर्जों का निर्माण तक, जिन्हें वे बना सकते हैं, बन्द कर दिया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसमें हस्तक्षेप करें और प्रबन्धकों को बदलें। मैं आपसे इस कम्पनी को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने के हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए भी अनुरोध करता हूं।

कुमारदोली इंजीनियरिंग वर्क्स का बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। किन्तु अभी राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी जानी है। आपने इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही करने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि उसे राष्ट्रपति की अनुमति जल्दी दी जा सके।

औद्योगिक विकास और आत्म निर्भरता के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी चीजें हम देश में बना सकते हैं उन वस्तुओं का हमें आयात नहीं करना चाहिए। समूचे भारतीय उद्योग के विदेशी विकसित साम्राज्यवादी देशों की प्रतिस्पर्धा से समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। लघु उद्योग पर बड़े उद्योग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिन्हें बड़े उद्योग की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। एकाधिकार क्रिया और बड़े उद्योगों को भारी राशि के बैंक वित्त, बैंक ऋण मिल रहे हैं। लेकिन लघु उद्योग को पर्याप्त राशि नहीं मिल रही है। जिससे कि वे जीवित रह सकें, अपनी स्थिति में सुधार कर सकें और बडे उद्योगों के हमले का सामना कर सकें। उनके संरक्षण तथा विकास के लिए, लघु उद्योगों के सम्बन्ध में वित्तीय नीति परिवर्तन की जानी चाहिए। ऋण नीति में परिवर्तन करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि लघु सहायक और ग्रामीण उद्योग पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। उनके लिए वित्त तथा ऋण सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और उन्हें बड़े उद्योगों के हमलों से बचाने के लिए समूचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं की खपत बढ़ाने के लिए उन वस्तुओं पर करारोपण कम किया जाना चाहिए। विलास की वस्तुओं पर अधिक करारोपण किया जाना चाहिए। रैफरीजरेटर्स, एयर कंडीनशर्स आदि जैसी वस्तुओं पर भी कर अधिक लगाया जाना चाहिए। ये वस्तुएं भी विद्युत संकट पैदा कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वित्त विधेयक आए तब आप इन सब बातों को कह सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ तर्क नहीं करना चाहता हूं।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नौकरशाही को समाप्त करके और कदाचार को मिटाकर किया जा सकता है तथा इसके लिए व्यावसायिक कुशलता और प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होगी। इसके लिए समुचित विपणन व्यवस्था और अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की भी आवश्यकता होगी। उद्योग मंत्रालय ने केन्द्रीय श्रमिक सन्धों के 10 प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की है और उसने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। किन्तु सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए उनमें से एक भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। देश में औद्योगिक विकास के लिए और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर बनाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और साथ ही लघु उद्योग कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि आप मेरा सुझाव मानेंगे तो मुझे आशा है वहां औद्योगिक विकास होगा और हम विकसित पूंजीवादी देशों के साथ मुकाबला करने में सफल होंगे। मुझे आशा है आप मेरे सुझाव मानेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[बिहार के मधुबनी और पलामु जिलो में प्रस्तावित बुनियादी उद्योग तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता । (32)

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[बिहार के मधुबनी दरभंगा जिलों में सभी पंजीकृत औद्योगिक एककों जिनमें स्वनियोजित औद्योगिक एकक भी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । (33)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[मधुबनी और दरभंगा जिलों में कृषि पर आधारित उद्योग, जैसा कि घास फूस से गत्ता और कागज, भूसी से सीमेंट और तेल बनाना, स्थापित करने की आवश्यकता । (34)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जाये ।"**

[बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में पशुओं की हड्डियों से उर्वरक बनाने के लिए उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता । (35)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[दरभंगा में एक नया मिथिला लघु उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता । (36)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[अशोक पेपर मिल्स लि० के रामेश्वर नगर एकक में तुरन्त पुनः उत्पादन आरम्भ करने की आवश्यकता । (37)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[अशोक पेपर मिल्स लि० के रामेश्वर नगर कारखाने से अलग किए गए लुग्दी एकक को पुनः उसे सौंपने या रामेश्वर नगर में खोई या घासफूस पर आधारित एक और लम्बी एकक स्थापित करने की आवश्यकता । (38)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[अशोक पेपर मिल्स लि० के रामेश्वर नगर एकक को पिछले एक साल से बन्द रखने की जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता । (39)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[अशोक पेपर मिल्स लि० के रामेश्वर नगर एकक में निजी बिजली घर स्थापित करने की आवश्यकता । (40)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपए कम किए जायें ।"**

[बिहार के मधुबनी, दरभंगा और अन्य जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा

चलाये जा रहे कुटीर, लघु और छोटे उद्योगों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (45)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मधुबनी और दरभंगा जिले में स्वनियोजन हेतु तीन महीने से अधिक समय से पंजीकृत व्यक्तियों के लिए औद्योगिक एकक आरम्भ करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (46)]

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[मध्य प्रदेश के स्वीकृत पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर राजगढ़ और गुना में बुनियादी संयंत्र स्थापित करने में असफलता। (50)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[देश के उद्देश्यपूर्ण औद्योगिकीकरण के लिए पहले कदम के रूप में उत्पादित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने में असफलता। (51)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[लघु उद्योग सेवा संस्थान के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में इसकी अधिक शाखाएं स्थापित करने में असफलता। (52)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के उद्योग रहित राजगढ़ और गुना जिलों में लघु तथा कुटीर उद्योगों का योजनाबद्ध विकास करने में असफलता। (53)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के बीच घनिष्ठ तालमेल स्थापित करने में असफलता। (54)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग को मध्य प्रदेश के पिछड़े और उद्योग रहित जिलों पर अधिक ध्यान देने की सलाह देने में असफलता। (55)]

"कि उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज-लटेरी, गुना में जमेर और राजगढ़ जिले में दारंगपुर में लकड़ी का जापानी किस्म का फर्नीचर और खिलौने बनाने का कारखाना स्थापित करने में असफलता। (56)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज-लटेरी और गुना जिले के मकसदनगढ़ में डोलोमाइट परिष्करण कारखाना स्थापित करने में असफलता। (57)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के उद्योग रहित राजगढ़ जिले में माचिस बनाने का कारखाना स्थापित करने में असफलता। (58)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा और गुना जिलों में वनों पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करने में असफलता। (59)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में कुटीर उद्योग स्थापित करने में असफलता। (60)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार देने के लिए अधिक उद्योग लगाने में असफलता। (61)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हथकरघा और शक्तिचालित करघों को प्रोत्साहन देने में असफलता। (62)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश में राजगढ़ के खिलचीपुर, मचलपुर क्षेत्रों में पैकिंग का कागज और गत्ता बनाने की योजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता। (63)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ और गुना जिलों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता। (64)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के उद्योग रहित जिलों में प्रस्तावित बुनियादी उद्योग तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता। (65)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश राज्य के पचौर और बरसेयार तहसीलों में कृषि पर आधारित उद्योग जैसे घासफूस, भूसी से गत्ता, स्ट्रा बोर्ड, लपेटने का कागज तैयार करने और भूसी से तेल बनाने के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता। (66)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ और गुना जिलों में पशुओं की हड्डियों से उर्वरक और कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए उद्योग लगाने की आवश्यकता। (67)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[लघु उद्योगों के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर पुनः साढ़े सात लाख करने और उन्हें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के नियंत्रण से मुक्त करने की आवश्यकता। (70)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मध्य प्रदेश के उद्योग रहित पिछड़े जिलों में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (71)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में वनों पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (72)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मध्य प्र :श के पिछड़े जिलों में कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा चलाये जा रहे कुटीर, लघु और छोटे उद्योगों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (73)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 0 रुपए कम किए जायें।"

[मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यों में लगे ग्रामीण कारीगरों को तकनीकी सहायता देने की आवश्यकता। (74)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[खादी ग्रामोद्योग आयोग को सभी ऋणों और अनुदान राज्य बोर्डों के माध्यम से कर देने की आवश्यकता। (75)]

"कि 'ग्राम और लघु उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मध्य प्रदेश में ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में कारीगर प्रधान कांस्य उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने की आवश्यकता। (76)]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कुमार धुली इन्जीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को सरकारी अधिकार में लेकर पुनः चालू करने की आवश्यकता। (68)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रुग्ण उद्योगों के बारे में सरकार की नीति का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता। (69)]

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

[विशेष रूप से बिहार राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने में असफलता। (90)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[प्रत्येक ग्राम में लघु उद्योग की स्थापना में असफलता। (91)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग की कार्य-प्रणाली पर पुनर्विचार करने में असफलता। (92)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में असफलता। (93)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रुग्ण औद्योगिक कारखानों (राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (94)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कृषि उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि में असफलता। (95)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[किसानों के लिए कम कीमत के पावर टिलर बनाने में असफलता। (96)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कुटीर एवं लघु उद्योगों को उचित मात्रा में सहायता करने में असफलता। (97)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[बिहार के भोजपुर तथा पटना जिले में जहां धान की फसलें अधिक होती हैं, वहां कागज के कारखाने खोलने में असफलता। (98)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोलने की आवश्यकता। (99)]

"कि उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता। (100)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पटना जिले में बर्तन बनाने वाले उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (101)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गांवों में रहने वाले कारीगरों की लघु उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता करने में असफलता। (102)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष क के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सीमेंट की चोरबाजारी रोकने में असफलता। (103)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[धान की भूसी से बिहार स्थित भोजपुर और पटना जिले में तेल और सीमेंट के उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता। (104)]

"कि 'उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पटना और उत्तर प्रदेश के भोजपुर जिलों में पशुओं की हड्डियों से उर्वरक कारखाना खोलने में असफलता। (105)]

श्री अजित बाग (सरिमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता। (106)]

"कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकता को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता। (107)]

'कि 'उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी को एक सुव्यवस्थित सरकारी उपक्रम के साथ जोड़कर इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता। (108)]

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने से पूर्व मैं 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में निर्धारित की गई औद्योगिक नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से योजना और उद्योगों के विकास की पद्धति को अपनाया है। औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से यह बात उल्लिखित है।

इस मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि गत कुछ वर्षों में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हम विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं और अन्य विकसित देशों ने भी हमारे वैज्ञानिक विकास और प्रगति की सराहना की है। यहां तक कि हम अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी कई राष्ट्रों से आगे हैं।

यद्यपि हम अत्यधिक औद्योगिकृत देशों में से एक हैं किन्तु यदि हम देश के भीतरी भागों में विकास पर नजर डालें, तो हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12,500 करोड़ रुपए का माल बैलगाड़ियों द्वारा ढोया जाता है। एक और हम तेजी से विकास करते जा रहे हैं और दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्र में अभी बैलगाड़ी युग ही विद्यमान है। हम आधुनिकता और वैज्ञानिक विकास की बात करते हैं लेकिन उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य है। हमें अभी बैलगाड़ी का आधुनिकीकरण करना है।

छठी योजना में लगभग 20,407 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें कोयले और पेट्रोलियम का परिव्यय भी सम्मिलित है। इस परिव्यय में से 19,500 करोड़ रुपए का परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र में है और 1389 करोड़ रुपए का परिव्यय राज्य क्षेत्र में है। हमारे देश में मिलीजुली

अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को माना है, जिसमें सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और संयुक्त या सहकारी क्षेत्र सभी सम्मिलित हैं।

छठी योजना अवधि में विकास विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। मैं उनका उल्लेख अलग-अलग नहीं करना चाहता परन्तु विद्युत की कमी और कच्चे माल का अभाव तथा कई क्षेत्रों में आधुनिकता न होने का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। इस परिव्यय में से काफी बड़ा भाग इस्पात पेट्रोलियम, कोयला, उर्वरक, भारी इन्जीनियरिंग, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा और इलेक्ट्रोनिक उद्योग के लिए है। मैं उस पक्ष के अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उत्पादकता वर्ष में हमने कोई उल्लेखनीय उत्पादन नहीं किया है।

अब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि छठी पंच वर्षीय योजना समाप्त होने वाली है और सातवीं योजना अब तैयार की जा रही है। हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि हम प्रगति के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? और राष्ट्र को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना है कि छठी योजना अवधि में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के अनुरूप औद्योगिक प्रगति कहां तक हुई है?

जहां तक औद्योगिक प्रगति का सम्बन्ध है, विद्युत एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई राज्यों में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में 12000 करोड़ रुपए से भी अधिक की हानि हुई है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि लगभग सभी राज्यों में बिजली की कमी है। मेरा मतलब ऊर्जा संकट से और विद्युत के अभाव से है। देश में चालू वर्ष में बिजली की कमी को घटाकर 8 प्रतिशत तक लाने में हम असमर्थ रहे है क्योंकि गत वर्ष उद्योगों के मामले में 20 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है। इसका कारण यह है कि उद्योगों को हमने निम्न प्राथमिकता दी है। अधिकांश उद्योग विद्युत पर आधारित उद्योग हैं चाहे वे प्राथमिक उद्योग हों चाहे मूल उद्योग हो विभिन्न राज्यों में आप सन्तुलित औद्योगिक विकास करना चाहते हैं जबकि हम बिजली के अभाव से ग्रस्त है, हालांकि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है। ऊर्जा मंत्री को इस बात का उत्तर देना चाहिए। क्या औद्योगिक विकास विद्युत क्षेत्र पर आधारित है यदि ऐसा है तो हम सफल उत्पादकता वर्ष कैसे मना सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय को देना है।

अचानक विद्युत की सप्लाई बन्द किए जाने, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और अघोषित बिजली कटौती, जो कई राज्यों में की जाती है, के कारण न केवल उत्पादन में घाटा होता है बल्कि औद्योगिक संयंत्रों और मशीनों को भी हानि होती है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्र और राज्यों को परस्पर बैठकर विचार करना चाहिए क्योंकि राज्यों को धन केन्द्र द्वारा दिया जाता है। बिजली की कटौतियां समान रूप से नहीं की जातीं। इससे औद्योगिक उत्पादन में हानि होती है। और परिणामत: सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में भारी हानि होती है। भविष्य में बिजली की स्थिति इससे भी अधिक खराब होने की सम्भावना है क्योंकि देश में बिजली की कमी में सुधार लाने की कोई योजना नहीं है। जब तक उद्योगों को विद्युत से जोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई जाती और ऊर्जा संकट को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वास्तव में औद्योगिक प्रगति हो ही नहीं सकेगी।

छठी पंच वर्षीय योजना में 20,000 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा

गया था जबकि इस योजना के अन्त तक लगभग 14,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन होने की सम्भावना है। इस स्थिति में निर्धारित औद्योगिक प्रगति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए हमारे प्रगतिशील उद्योग मंत्री को कुछ ठोस कार्य करना चाहिए। मुझे मालूम है कि हमारे उद्योग मंत्री औद्योगिक प्रगति के लिए आधारभूत ढांचा बनाने में काफी रुचि लेते हैं। हमारी औद्योगिक प्रगति में आवश्यक कच्चे माल का अभाव अड़चन पैदा कर रहा है। उदाहरण के रूप में कोयला, बिजली भट्टी का तेल, लोहा और सीमेंट तथा इस्पात आदि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अभाव है। औद्योगिक उत्पादन में इन वस्तुओं के अभाव से अत्याधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आयात में ढील दिया जाना, ऋणों पर पाबन्दी लगाया जाना, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में ह्रास होना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने कपड़ा, वाणिज्यिक वाहन, रसायन और उर्वरक जैसे कई प्रमुख उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

औद्योगिक उत्पादन में हानि के परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम दर से प्रगति हुई है। 1980-81 में यह दर 8.1 प्रतिशत थी, 1981-82 में यह 5 प्रतिशत थी और 1982-83 में यह और भी कम है।

हमारे बड़े औद्योगिक एककों को न केवल अद्यतन तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए बल्कि उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम अपेक्षित उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्हें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाकर नई प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना करने में, और सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने में वर्षों और दशकों का समय लगेगा, जैसाकि प्रतिवेदन में उल्लिखित है। हमें उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है। लेकिन आदानों और कच्चे माल आदि की कमी की विषम स्थिति में उद्योगों का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है ? आदानों की कमी को पूरा करने के कार्यक्रम और योजनाएं क्या हैं ? जहां आदानों का अभाव नहीं है वहां आप निर्धारित प्रगति को पूरा करने की आशा कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि यदि आदानों का अभाव है तो आधुनिक प्रौद्योगिक उपलब्ध होने के बावजूद अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता। आदानों का अभाव औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।

आपने कहा है कि बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। आप कौन-कौन से उद्योगों में आधुनिकीकरण करना चाहते हैं ? ये उद्योग हैं चमड़ा वस्तुए मोटर गाड़ी उद्योग, मशीनों के लिए औजार और विद्युत उत्पादन आदि। हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी, जनशक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता है। इस देश में जनशक्ति की बहुलता है। यदि आप देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा का संकट पैदा ही नहीं होगा। किन्तु कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित ही नहीं किया गया है। देश में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है। हमारे यहां जनशक्ति भी बहुत है। हमारे यहां प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति तो हुई है परन्तु हम इनमें से प्रत्येक का ठीक उपयोग नहीं कर पाए हैं। यही कारण हैं कि औद्योगिक विकास में असन्तुलन है।

आज नगरीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़े-बड़े नगरों में उद्योग लगाए जा रहे हैं

चाहे वह उत्तरी भारत है चाहे दक्षिणी भारत। हम इस सभा में और बाहर भी इस बात पर बल देते रहे हैं कि उद्योग वहां स्थापित किए जाने चाहिए जहां कच्चा माल उपलब्ध हो और आधारभूत ढांचा तथा सड़कें उपलब्ध हों। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि एक प्रतिशत उद्योग में भी इन बातों पर ध्यान देते हुए स्थापित नहीं किए गए हैं इसलिए बहुत अधिक औद्योगिक असन्तुलन है। बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करने का निदेश नहीं दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने सभी रुग्ण एककों की निगरानी के बारे में एक वक्तव्य दिया है जो 15-4-81 के "इकनोमिक टाइम्स" में निम्न प्रकार से दिया गया है :—

"केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रधान अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे निरीक्षण-तन्त्र को सुधारें ताकि बैंक और अधिक दक्षता पूर्वक काम कर सकें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि जनता तक जानकारी और अधिक प्रभाव पूर्ण ढंग से पहुंचनी चाहिए।

मंत्री ने, जो 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों के एक दिन के सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, इस बात पर बल दिया कि उद्योग में रुग्णता की स्थिति का शीघ्र पता लगाने और तत्सम्बन्धी चेतावनी तुरन्त देने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए और इसकी जानकारी तत्काल सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय को दी जानी चाहिए।"

महोदय, रुग्ण उद्योगों को सक्षम बनाने सम्बन्धी अध्ययन शीघ्रता से किए जाने चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो हमारे देश में विकसित किया गया है। बड़े एकाधिकार वादी उद्योग विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा प्राप्त कर लेते हैं जबकि सम्बद्ध क्षेत्र में वे पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं करते हैं फिर भी ये दिन प्रतिदिन अधिक प्रगति करते जा रहे हैं। ये उद्योग लाभ कमाते हैं और औद्योगिक एकक को रुग्ण बना देते हैं। वे कहेंगे कि वे इसे बेचना चाहते हैं और इसे बेचकर वे और अधिक धन कमा लेते हैं। उद्योगपतियों ने धन कमाने का यह एक नया तरीका निकाल रखा है। मंत्रालय और नौकरशाही इससे अवगत है परन्तु उद्योगों में इस प्रकार से एककों को जानबूझकर; इरादतन और गुप्त रूप से रुग्ण बनाए जाने को रोका कहां जा रहा है। वे तो इन एककों का रुग्ण बनाकर और अधिक धन कमा लेते हैं। आज व युग में इस प्रकार के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि कपड़ा उद्योगों में नई मिलों की स्थापना नहीं हो रही है। औद्योगिक प्रगति एक प्रकार से रुक सी गई है।

अब मैं उद्योगों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। देश में औद्योगिक विकास के 3 ग्रुप-ग्रुप "ए" ग्रुप "बी" और ग्रुप "सी" बनाए जा सकते हैं। ग्रुप "ए" के अन्तर्गत औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य आते हैं। ग्रुप "बी" के अन्तर्गत वे राज्य वे आते हैं जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में विकास किया है और ग्रुप "सी" के अन्तर्गत औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित राज्य आते हैं। ग्रुप "ए" के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य आते हैं। ग्रुप "बी" के अन्तर्गत पंजाब; हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गोवा आते हैं। औद्योगिक दृष्टि से अल्प-विकसित राज्य असम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उड़ीसा राज्य हैं, जो ग्रुप "सी" के अन्तर्गत हैं।

अब हम यह देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, औद्योगिक प्रगति किस प्रकार से हो रही है ? चाहे राज्य ग्रुप "ए" के अन्तर्गत हो चाहे ग्रुप "बी" के अन्तर्गत ग्रुप "ए" के अन्तर्गत प्रतिहजार जनसंख्या पर कारखाना कर्मचारियों की संख्या 15.2 है ग्रुप "बी" के अन्तर्गत यह संख्या 10.12 है और ग्रुप "सी" के अन्तर्गत यह 4.7 है । ग्रुप "ए" ग्रुप "बी" और ग्रुप "सी" में निर्धारित पूंजी की प्रतिशतता क्रमशः 36 7, 20.0, 36.0 हैं । लघु उद्योग क्षेत्र के मामले में यह प्रतिशतता और भी कम है। मेरा विचार था कि इसमें वृद्धि होगी किन्तु इसमें कमी हुई है। ग्रुप "बी" और ग्रुप "सी" के राज्यों में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है । अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति केवल शहरी क्षेत्रों के आस-पास हो रही है और ग्रामीणक्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। यह कारण है कि नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदन अधिक बढ़ती जा रही है ।

उदाहरण के लिए 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों की संख्या लीजिए। ग्रुप "ए" में इन कस्बों की संख्या 124 है; ग्रुप "बी" में 87 है और ग्रुप ग्रुप "सी" के विभिन्न राज्यों में यह संख्या 115 है । अत: हमें औद्योगिक विकास के इस असन्तुलन को दूर करना होगा और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए योजना बनानी होगी । जब तक हम इसके बारे में योजना नहीं बनाते, जब तक तत्सम्बन्धी आंकड़े हमारे पास नहीं होते; और जब तक इस समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, जब तक हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं ?

पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा का आधार बड़ा ही है भ्रान्तिपूर्ण है लेकिन हमने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है । इस समय हमने लगभग 250 जिलों को पिछड़ा-हुआ घोषित किया हुआ है । किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें 'पिछड़ा हुआ' घोषित करने के बाद वहां क्या विकास कार्य किए गए हैं ? ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितने उद्योग लगाए गए हैं ? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है । उनका कहना है कि इन क्षेत्रों की परिस्थिति एक विशेष प्रकार की है। पिछड़े क्षेत्रों में कोई एक भी ऐसा उद्योग नहीं लगाया गया है जो उल्लेखनीय हो । पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। वहां विशेष आदान और आधार भूत ढांचा तैयार करना होगा। जब तक आप वहां पर आधार भूत ढांचा तैयार नहीं करते और प्रगति के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते, तब तक आप पिछड़े क्षेत्र के विकास की आशा कैसे कर सकते हैं ? वहां संचार साधनों का अभाव है, कच्चे माल की कमी है, बिजली की कमी है, और अन्य वस्तुओं की कमी है। यहां तक कि इस क्षेत्र के विकास के लिए विद्यमान तंत्र का वैज्ञानिक आधार पर उपयोग नहीं किया गया है। परिवहन सम्बन्धी राज सहायता भी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंची है और विभिन्न कारणों से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही चला आ रहा है । देश में लोगों का यह विचार है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने का एक मात्र उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण है । आज देश में क्षेत्रीय दल क्यों उभरते जा रहे हैं और क्षेत्रीयतावाद क्यों सिर उठाता जा रहा है ? इसका कारण यह है कि अब तक हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का लाभ जरूरत मन्द, आम और गरीब आदमियों तक नहीं पहुंचा है। देश में ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सदा ही शोषण किया जाता है । देश में ये ऐसे व्यक्ति है जो भोले-भाले होते हैं। परन्तु दूसरी ओर ये ही. लोग देश की रीढ़ की

हड्डी का काम करते हैं। आप गैर-सरकारी क्षेत्र को तरजीह देते, नगरों में उद्योग लगाते हैं और इन औद्योगिक एकाधिकार वादी गृहों को और अधिक बड़ा बनाते जा रहे हैं। किन्तु आप गांव में रहने वाले गरीब किसानों को कुछ भी राहत नहीं देना चाहते जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ही कम प्राप्त कर पाते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होने चाहिए, जैसे कि दुग्ध उद्योग और कृषि उद्योग, अन्य सहायक औद्योगिक एकक या इसी प्रकार के अन्य एकक लघु उद्योग कहां हैं? आजकल तो मुर्गीपालन उद्योग पर भी कर लगाया जा रहा है। किन ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग हैं। उन लोगों के लिए तो आजकल गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है और इसके बावजूद आप उन पर कर लगाते जा रहे हैं। इस दृष्टि से गांव में कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रगति नाममात्र की ही है।

गत तीन वर्षों में मूल्य में हुई भारी वृद्धि के सम्बन्ध में मैं कुछ मामलों को लेकर उनका विश्लेषण करना चाहूंगा। हमने कहा है कि मुक्त क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति वैज्ञानिक ढंग होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमने बार-बार यह कहा, है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार करने वाले गृहों ने हर चीज को उलट दिया है और फिर भी हम उस पद्धति को बनाए हुए हैं। आपने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में कहा है। कुटीर उद्योग कैसे पनप सकते हैं। एक मोची है उसके लिए लघु उद्योग कहां है। वहां तो बाटा शू कम्पनी है जो और भी अधिक विस्तार करती जा रही है तथा धन बटोरती जा रही है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान लीवर का अत्यधिक विस्तार होता जा रहा हैं और वह क्षमता का कहीं कम उपयोग करता है तो कहीं अधिक उपयोग करता है। ऐसी बातें देश में सर्वत्र दिखाई दे रहीं है। ऐसी स्थिति में आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि लघु उद्योग का विकास होगा? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि चमड़े की वस्तुओं का एक छोटा निर्माता जिन्दा रहेगा। ऐसी स्थिति में कुटीर उद्योग कैसे पनप सकते हैं? इनके लिए बनाए गए बोर्ड भी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? आप यह जानते हैं। उदाहरण के लिए खादी बोर्ड को लीजिए। क्या खादी बोर्ड के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम है? क्या उसने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ठोस विकास कार्य किया है या कोई पूंजी निवेश किया है जिसके परिणाम सामने आए हैं? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।

उदाहरण के लिए विलासिता की वस्तुएं और विलासिता के अन्य मदों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को लीजिए। वे दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और करों का अपवंचन भी करते हैं। वे अपनी बात मनवाने के लिए भी इधर-उधर से जोड़-तोड़ भी कर लेते हैं। वे कच्चा माल भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मुफ्त लाल ग्रुप को लीजिए। जो नायलन धागा, नायलन रस्सी, और ऐसी ही अन्य चीजें बनाने वाले लघु क्षेत्र के उत्पादकों का गला घोंट रहा है क्योंकि वह भी उस उद्योग में घुस गया है।

अत: आपको ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित कर देना चाहिए और उनकी संख्या भी कम कर देनी चाहिए जिनमें एकाधिकारवादी गृह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी ग्रुप तरीके से प्रवेश न कर सकें।

कुछ औद्योगिक एकक हैं, कुछ उनके सह एकक हैं और सह कम्पनियां हैं। जो साथ-साथ

कार्यरत हैं। "ए" कम्पनी और उसी प्रकार की "बी" कम्पनी एक ही होल्डिंग कम्पनी एक ही एकाधिकारवादी गृह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियत्रण में कार्य कर रही हैं। इस देश में एकाधिकारवादी गृह फूलते-फलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लघु क्षेत्र के एककों की प्रगति की भी कोई सम्भावना है?

मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हम यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में पहले ला चुके हैं। यह अच्छी बात है कि मरूति उद्योग सरकारी क्षेत्र में इस देश में सबसे पहले कार का उत्पादन कर रहा है। मैं मंत्री की प्रगतिशीलता की सराहना करता हूं। पिछले 3 वर्षों में कार के मूल्यों में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या यह उचित है। क्या यह तर्कपूर्ण है? मैं सिर्फ यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। कार निर्माता कम्पनियों का कुल पूंजी निवेश कितना है? इसीलिए मैं इस बात की मांग कर रहा हूं कि ऐसे उद्योगों की जांच संसद द्वारा की जानी चाहिए। जो गैर-सरकारी कम्पनियां वित्तीय संस्थानों से धन लेती हैं उन सबकी जांच संसद द्वारा की जानी चाहिए। चूंकि ऐसी कम्पनियां संसद द्वारा जांच के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए हम संसद में बैठे हुए उनके तुलन पत्रों को नहीं देख सकते। के माध्यम से संसद की लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति हम केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों की जांच करते हैं। संसद गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की गतिविधियों की जांच क्यों नहीं करती है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रम वित्तीय संस्थानों से धन लेते हैं और संसद को उनकी गतिविधियों की जांच करने का अधिकार है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भी उन्हीं वित्तीय संस्थानों से धन लेती हैं लेकिन संसद को उनकी गतिविधियों की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद को इन गैर-सरकारी कम्पनियों की जांच करने का अधिकार नहीं है जो गुप्त ढंग से और छल कपट से सौदेबाजी करते हैं तथा कालाधन बनाते हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करते हैं। अतः हम क्यों न एक नई विचारधारा अपनाए और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को भी संसद द्वारा जांच के अन्तर्गत लायें। संसद को ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए। संसद सदस्य जनता की ओर बोलते हैं और जनता की आवाज का सम्मान किया जाना चाहिए। संसद सदस्य और कहां बोलेगा? दूसरी बात यह है कि जन प्रतिनिधि की आवाज व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। औद्योगिक प्रगति के बारे में हमारीएक निश्चित निति होनी चाहिए। अन्यथा 5 प्रतिशत की यह बात केवल कल्पना मात्र रह जाएगी और औद्योगिक प्रगति बिल्कुल नहीं होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ईमानदार लोग रखे जाने चाहिए। हमारे देश में श्रम आन्दोलन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यह देश अब सौंदा बाजी करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यहां असंगठित क्षेत्र को कुछ नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की स्थिति दयनीय है। मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाए। आज सरकारी क्षेत्र कैसा कार्य कर रहा है? केन्द्रीय सरकार के अधीन 150 से अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। इन उपक्रमों में से 90 उपक्रम तो मुनाफा कमा रहे हैं किन्तु 60 उपक्रम कई वर्षों से घाटे पर चल रहे हैं। उन्हें 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है। इन उपक्रमों में कार्य कुशलता और अनुशासन क्यों नहीं लाया जाता? हम अनुशासन प्रिय हैं। भारत सरकार एक निजी व्यक्ति की तरह है। यहां हर चीज हमारे नियंत्रण में उद्योग मंत्री में शक्ति निहित है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में अनुशासन

लागू क्यों नहीं किया गया है। उन्हें घाटा क्यों हो? गैर-सरकारी क्षेत्र के वही उद्योग भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे नौकरशाह और टैक्नोक्रैट इस संगठन का इस देश के लोगों के लाभार्थ प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सम्पूर्ण स्थिति पर अच्छी तरह से विचार करके सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार किया जाना चाहिए। हमने जो संविधान अपनाया है उसके अनुसार हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। परन्तु ऐसा कहां हो रहा है? उद्योग की घोषित नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बहुत ऊंचे उठ गये हैं। परन्तु जितने वे ऊंचे उठे हैं उनकी आय में उतनी ही गिरावट आ गई है। हम सब धन को ज्यादा कर रहे हैं चाहे हम नौकरशाह हों या उनसे अन्यथा सम्बन्धित हों उदाहरण के तौर पर, 1982 के पहले 9 महीनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आशा की जाती थी कि वे गत वर्ष उसी अवधि में 726 करोड़ रुपए की तुलना में 1255 करोड़ रुपये का मुनाफा कमायेंगे। इन परियोजनाओं में लगायी गई भारी पूंजी की तुलना में जो सुधार हुआ है वह अब भी कम है। हमने इन परियोजनाओं में भारी पूंजी लगायी है किन्तु उनमें तकनीकी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को रखा जा रहा है। जिन लोगों को उद्योग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता हैं, जिनसे उद्योग चलाने की अपेक्षा की जाती है, उनको उस उद्योग में नहीं लिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के संगठनों के तीन वर्ग हैं तथा ये संगठन अपनी लड़ाई के झगड़ों के कारण उन्हें लूट रहे हैं तथा नष्ट कर रहे हैं। यह बहुत निन्दाजनक बात है। उनमें कार्यकुशलता लाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बुनियादी क्षेत्र है। हमें सरकारी क्षेत्र में विश्वास है तथा हमने अपने लोकतंत्रीय संविधान में यह कल्पना की है कि सरकारी क्षेत्र को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। किन्तु ऐसे घाटों से उनका नाम बदनाम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, लग ग 60 को गत वर्ष के पहले नौ महीनों में 650 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इस्पात कारखाने तो 20 वर्ष पहले स्थापित किए गए थे किन्तु उन्हें अब भी घाटा हो रहा राष्ट्र वस्त्र निगम, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर, कोल इण्डिया, भारत एल्युमिनियम, तथा कुदरे आयरन और कम्पनी संकेत 11 अन्य ऐसी परियोजनायें हैं जिन्हें धार उठाना पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र के 160 उपक्रमों में से केवल 80 उपक्रमों में 1981-82 में क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत से ज्यादा हुआ। 43 उपक्रमों में क्षमता उपयोग 50 से 75 प्रतिशत के बीच रहा तथा शेष में 50 प्रतिशत से कम रहा। हम में क्षमता से कम उपयोग होने के क्या कारण हैं। महोदय, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का पता लगायें कि सरकारी क्षेत्र के उपकमों को घाटा क्यों होता है तथा हम अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि पूरी क्षमता का उपयोग न किए जा सकने के क्या कारण हैं तथा उन्हें दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए।

सरकार इतनी अच्छी तरह से कारोबार नहीं चला सकती जितनी अच्छी तरह से गैर-सरकारी कम्पनी चला सकती हैं। सरकारी उपक्रमों में प्रशासनिक व्यवहार्यता और राजनैतिक समीचीनता को वास्तविक प्रबन्धकीय मामलों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका भारत सरकार को तथा उद्योग मंत्री को सर्वोपरि स्थिति को देखते हुए हल निकालना चाहिए। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि हमारी औद्योगिक नीति में किसी का ह्रास न हो तथा वह ऐसी हो जिससे औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके क्योंकि केवल इसी से ही हम बेरोजगारी

की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तथा अविलम्ब आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे उद्योग मंत्री सब इन बातों से उत्पादन गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखकर सरकारी क्षेत्र के संगठनों के कार्यकरण में सुधार लायेंगे। मेरी कामना है कि उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हो।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, हम उद्योग विभाग के कार्यकरण पर चर्चा कर रहे हैं। उद्योग विभाग निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और जरूरी मंत्रालय है जिसके कार्यकरण पर वास्तविक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है कि उद्योग कर्म की निपुणता पर निर्भर करता है किन्तु उद्योग की सफलता श्रम के बिना सम्भव नहीं है। श्रम के बिना, परिश्रम के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए उद्योग और श्रम, पूंजी और पसीने को बराबर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। किन्तु देश की आजादी के बाद, देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि हम पसीने को पूंजी के बराबर का दर्जा नहीं दिला पाए। आज जहां पूंजी है वहां पसीने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजी और पसीने को बराबर का हक मिले, इसका प्रबन्ध उन्हें करना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि इस देश का उद्योगीकरण होना चाहिए और उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। उद्योगों के श्रमिकीकरण की बात के पीछे मेरा तर्क है कि जब तक उद्योग में हम अधिक से अधिक औटोमाइजेशन दूर नहीं करेंगे, उनको स्वचालीकरण से दूर नहीं करेंगे; तब तक हम बेकारी और बेरोजगारी की समस्याओं से ठीक से पार नहीं पा सकेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि उद्योगों में अधिक से अधिक मानव श्रम के महत्व को बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज जो देश की ओटोमेशन रफ्तार है, उस रफ्तार को बदलकर अधिक से अधिक लोगों को बेराजगारी को दूर करने का प्रबन्ध आपका करना पड़ेगा।

वैसे उद्योग और वाणिज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उद्योग की कल्पना वाणिज्य के बिना नहीं की जा सकती है। वाणिज्य बिना उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है। उद्योगों में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और वाणिज्य व्यवसाय का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इम्पोर्ट जितना कम हो सके उतना ही अच्छा। इस बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए।

13.56 **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

मैं मंत्री महोदय का ध्यान लोक लेखा समिति 1982-83 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है—समिति इस स्थिति पर खेद प्रकट करती है कि सरकार द्वारा नकद पूरक सहायता के रूप में भारी धनराशि बिना कुछ भी सुनिश्चित किए दी जा रही है। क्या इससे योजनाओं के उद्देश्य अर्थात अधिक विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। जिस प्रकार आप लोगों को निर्यात करने के लिए अनुमति देते हैं, किन्तु जो उनसे विदेशी मुद्रा की अपेक्षा करते है, उसकी पूर्ति और उसके बारे में चिन्ता करने वाला कोई है या नहीं है? इस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे देश को आजाद हुए 35 वर्ष हो गए। उस समय आपको याद होगा विदेशी कम्पनियां व्यापार के लिए आयी थीं और उन कम्पनियों ने हमारे देश पर सदियों राज्य किया। यह बात अवश्य है कि हम स्वतन्त्र हो गए हैं। लेकिन हमारी स्वतन्त्रता औद्योगिक दृष्टि से नहीं है। अभी भी हम बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे अयस्क हैं, किन्तु हम उन अयस्कों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी तादात में लोहा है, किन्तु उसको धातु में परिवर्तित करने के लिए जिस कोयले की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, आयात को सीमित करके हमारे देश में जो धातुयें हैं, उनको अधिक से अधिक दोहन किया जा सके, इस बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्रोमियम, कोबाल्ट मैंग्नीज, प्लैटिनम और टंगस्टन आदि धातुयें हमारे देश में नहीं हैं, ऐसी स्थिति में इन सारी धातुओं को विदेशों से आयात करते हैं, उससे बहुत सारा पैसा हमारा इसमें चला जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो स्वदेशी स्रोत हैं, उन सबका ठीक से दोहन किया जाना चाहिए।

सभापयि महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि आजादी प्राप्त करने के बाद हमने कोई नीति नहीं बनाई है। नीति तो हमने जरूर बनाई है, लेकिन उसके कार्यान्वियन में काफी पीछे रहे हैं। सबसे पहला औद्योगिक संकल्प हमने 1948 में प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार यह बात हमने ध्यान में रखी थी कि हमारा योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास होना चाहिए और उसके लिए समग्र औद्योगिक विकास भारतीय अर्थ-व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास की परिसीमा के अन्दर रहेगा। यह बात हमने निश्चित की थी। यदि हम आज देखें तो पायेंगे कि हमारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था का योजनाबद्ध विकास सीमा के अन्दर नहीं है और हम विदेशों पर निर्भर हो रहे हैं। हम स्वदेशी के आधार पर, इंडिजिनस सोर्सेज के आधार पर अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा दे सकें—इस पर हमारी सरकार को सोचना चाहिए। इसी प्रकार 1956 में भी एक औद्योगिक नीति का संकल्प प्रस्तुत किया था और उसका वर्गीकरण किया था। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योगों को आरक्षित किया था, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योगों को आरक्षित किया था और कुछ उद्योगों को गैर सरकारी उद्योगों पर छोड़ दिया था, जिसके अन्दर सभी लोग अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी-अपनी हैसियत के आधार पर उत्पादन कर सकें। यदि हम इन सब उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थिति को देखें, तो मैं समझता हूं कि जितना घाटा सरकारी उद्योगों में है, उतना घाटा प्रायः निजी क्षेत्र के किसी और उद्योग में नहीं होगा। घाटे की स्थिति बतलाने के लिए मुझे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपने जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी है उस रिपोर्ट को देखें तो आप पायेंगे कि जितने उद्योग आप द्वारा चलाये जा रहे हैं उनकी स्थिति ठीक नही है। मोटे तार पर जो जानकारी उपलब्ध है—जितने सरकारी क्षेत्र में आप उद्योग चलाते हैं उनमें 1979-80 में लगभग 18 करोड़ रुपये का घाटा था, जो 1980-81 में बढ़ कर 61 करोड़ रुपये के लगभग पहुंच गया। जो उद्योग जनता की पूंजी से चलाये जाते हैं उनमें इस तरह से घाटा प्रति वर्ष बढ़ता जाय, इससे बड़ी निराशा होती है।

आप भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को लीजिए जिसके बारे में कहा जा सकता है कि काफी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन इसके उत्पादन की क्वालिटी के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं। हम इस

कम्पनी के उत्पादन के आधार पर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, परन्तु इसके उत्पादन की क्वालिटी में सुधार की काफी आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के उत्पादन की विदेशों में भी काफी मांग है, परन्तु इस के उत्पादन की क्वालिटी को काफी विकसित करने की आवश्यकता है।

भारत पम्प एण्ड कंप्रेशर्स लि० में 1979-80 में एक करोड़ रुपए का घाटा था, जो 1980-81 में बढ़ कर 2.42 करोड़ रुपए का हो गया। भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज लि० में 1979-80 में 56 लाख रुपए का घाटा था, 1980-81 में घाटा थोड़ा कम हुआ, 42 लाख रुपए हो गया। भारत वैगन्ज एण्ड इन्जीनियरिंग लि० में 1979-80 में 39 लाख रुपए का घाटा था जो 1980-81 में बढ़-कर 88 लाख रुपए के लगभग हो गया। अब आप हैवी इन्जीनियरिंग की स्थिति को देखिए— इस उद्योग में 1979-80 में 54 करोड़ रुपए का घाटा था जो 1980-81 में बढ़कर 51 करोड़ रुपए हो गया और अभी भी घाटे में चल रही है। इन उद्योगों में घाटा इस बात का द्योतक है कि जिस तरह से इन उद्योगों की देखभाल हो रही है, जिस तरह से इनको चलाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है।

स्कूटर इण्डिया लि० को आम लोगों की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। 1979-80 में उसका घाटा 445 लाख रुपए था, जो 1980-81 में बढ़कर 490 रुपए हो गया और 1981-82 में वह घाटा 768 लाख रुपए हो गया। इस तरह के घाटों से यह बात समझ में नहीं आती है कि ये उद्योग क्यों ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं ? सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक नये लाइसेंस दिए हैं। इसका अर्थ है कि इस उद्योग में नफा कमाने की काफी गुंजाइश है। यदि दूसरे उद्योगों नफा कमा सकते हैं तो हमारे उद्योग क्यों घाटे में चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इन उद्योग की परिस्थितियों का अध्ययन करे और इनको फायदे की स्थिति में परिवर्तित करे। हम देखते हैं—हमारे यहां बाटा है टाटा है, इन उद्योगों में फायदा क्यों होता है ? यदि इन उद्योगों में फायदा हो सकता है तो सरकारी उद्योगों में भी फायदा हो सकता है, इसका मतलब है कि हमारे उद्योगों के नियन्त्रण में कहीं-न-कहीं कोई कमी है तथा उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की कम्पनियां यदि अपने सोर्स के आधार पर काम करके फायदा उठा सकती हैं तो सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां जो जनता के धन से चलाई जाती हैं उनमें जनता के धन का सही उपयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं—उपयोग एक बहुत बड़ा महकमा है, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ही आपका ध्यान दिला पाऊंगा। आप मालूम है—अभी हाल में एक कम्पनी "लोहिया मशीन टूल्स" के नाम से "वैस्पा एक्स-ई" बनाने के लिए सामने आई है। उसने एडवांस के रूप में जनता से जो पैसा इकट्ठा किया है वह बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा किया है। इस कम्पनी को मुश्किल से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पैसा उपभोक्ताओं से एडवांस के रूप में इकट्ठा करने की अनुमति इस कम्पनी को क्यों दी गई ? हमारे उद्योग जिनको हम चलाते हैं उनमें घाटा हो और प्राइवेट उद्योग इस तरह से पैसा इकट्ठा करें—इन सबको देखकर शंका का प्रश्न चिह्न सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न चिह्नों से जो आशंकाएं हो सकती हैं और प्रजातन्त्र में जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन पर सरकार ध्यान दे।

एक आशंका यह चली हुई है कि हमारे जितने स्वदेशी उद्योग हैं, किन्हें हम चलाते हैं या प्राइवेट कम्पनियां चलाती हैं, सरकारी और दूसरे तंत्रों से तालमेल करके, उनको दूसरों द्वारा हस्तगत करने की साजिश चल रही है। डी० सी० एम० और एस्कोर्ट का ही मामला आप ले लीजिए। इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि विदेश में लन्दन में रहने वाले उद्योगपति, जिसका नाम भी अखबारों में आ रहा है, स्वराज पाल द्वारा हस्तगत करने की कार्यवाही चल रही है। इस चीज को सरकार को देखना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो लोग ऐसे उद्योग चला रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उनको मदद देनी चाहिए न कि षड़यंत्र करके विदेश में रहने वाले लोगों को ये दिए जाएं। तालमेल के आधार पर, हमारे जो उद्योग चल रहे हैं, उनको किसी को देने की जो साजिश की जा रही है, उसको सरकार को रोकना चाहिए।

एक बात मैं कपड़ा उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। इस कपड़ा उद्योग के बारे में आप एक चीज देखेंगे कि हम सिंथेटिक यार्न बनाते हैं लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है और हमारी सरकार की जो नीति है, उसके कारण हम देश के उत्पादन को विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं यह सोचता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आज बम्बई टैक्सटाइल मिलों की जो हालत है, वह सभी जानते हैं। उसके बारे में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। हमने 1982 को उत्पादकता वर्ष तो जरूर मान लिया लेकिन उत्पादन की जो स्थिति पहले साल रही है, वह हमारे लिए बहुत दुखदायी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सारी बातों पर ध्यान देगी।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा और वह यह है कि केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत कम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही गई है लेकिन सरकारी क्षेत्र के कारखानों में जो काम करने वाले लोग हैं, उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत संस्थानों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कुल संख्या 1,78,908 है और उनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या लगभग 21560 और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 7273 है यानी लगभग 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत इन लोगों की संख्या है। हमने संविधान के तहत आरक्षण दिया है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो उद्योग सरकार चला रही है, उन उद्योगों में तो कम से कम सभी श्रेणियों में इन लोगों को आरक्षण दिया जाए और यह जो इन लोगों का अधिकार है, यह इनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार उनके इस अधिकार को उन्हें अवश्य उपलब्ध कराएगी।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की काफी सम्भावनाएं हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर इन्दौर है, उसमें उद्योग लगाने की काफी सम्भावनाएं हैं परन्तु रेल आवागमन की सुविधा न होने के कारण, प्रमुख रेल मार्गों से कटा होने के कारण, इन्दौर का जितना विकास होना चाहिए था और उसके पास पास लगे हुए क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं, जहां पर उद्योग नहीं हैं और प्रधान मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि जहां उद्योग नहीं हैं, वहां पर नये उद्योग लगाए जाएंगे। ऐसे 87 जिलों को उद्योगों से लाभान्वित करने की बात है।

मैं समझता हूं कि इस सबको करने के लिए संकल्प की आवश्यकता है । जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको पिछड़ा घोषित करके नये-नये उद्योग लगाने के बारे में सरकार वि ार करे। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला है, जिसको राज्य सरकार ने पिछड़ा हुआ घोषित किया है। केन्द्रीय सरकार को भी उज्जैन को पिछड़ा जिला घोषित करना चाहिए और वहां पर उद्योग लगाने चाहिए। इसी प्रकार से शाजापुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और राजगढ़ में उद्योग नहीं है। इन सारे जिलों में सरकार को .द्योग लगाने चाहिए। राजस्थान में झालावाड़ का जो स्थान है, उसमें भी उद्योग लगाने की आवश्यकता है। उद्योगों के क्रम में, उनके विकास की जो सारी आवश्यकता हैं जैसे ट्रान्सपोर्ट के साधन हैं, उनको उपलब्ध करा कर ही वहां पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, राजापुर, राजगढ़ तथा मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में और राजस्थान के हिस्सों में, जहां पर विकास की काफी सम्भावनाएं हैं, उद्योग लगाने का प्रयत्न करेंगे किन्तु वहां पर रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है और योजना और उद्योगों के आधार पर यदि वहां अर रेलवे लाइन निर्मित की गई, तो वहां काफी विकास हो सकता है। उज्जैन से आगर होते हुए झालावाड़ा और रामगंज मन्डी तक रेल लाइन निर्मित की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे उद्योग की स्थापना में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।

अन्त में एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। उद्योगों के बारे में इस प्रकार की नीति होनी चाहिए कि गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाएं। देश की आबादी का 80 प्रतिशत गांवों में रहता है जबकि 80 प्रतिशत उद्योग शहरों में लगे हुए हैं। ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह वहुत आवश्यक है कि गांवों में उद्योग फैलें। वहां पर छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योगों की अगर आप एक श्रृंखला कायम कर दें, तो देश में बहुत ज्यादा उद्योगों का विकास आप कर सकेंगे। उद्योगों को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए एनर्जी, ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस पर आपको साथ-साथ विचार करना है और सारे देश के उद्योगों का विकास करना है। एक बात की उपेक्षा करके दूसरी बात नहीं की जा सकती है।

मेरा आपसे यह भी कहना है कि छोटे उद्योगों का विकास करने की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि इनकम टेक्स, एक्साइज, कस्टम, इंश्योरेंस, एम्प्लाईज प्राविडेंट फंड, बोनस आदि कानूनों का सरलीकरण हो जिससे कि छोटे उद्योग वाले उनका ठीक ढंग से पालन कर सकें। उन्हें उन कानूनों की सही जानकारी भी मिलनी चाहिए। इसके साथ-साथ छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि छोटे उद्योगों का हमारे देश में बहुत महत्व है। इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं और हमारी बेकारी की समस्या भी काफी दूर हो सकती है। इसलिए इस बारे में हमारे निरन्तर प्रयत्न होते रहने चाहिए।

मुझे आशा है कि मैंने जो मुद्दे रखे हैं और जो सुझाव दिए हैं उन पर मन्त्री जी विचार कर उनकी पूर्ति करेंगे।

सभापति जी, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि उद्योग मन्त्रालय की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता के हाथ में है जिनसे हम लोगों को बहुत आशाएं और विश्वास है कि देश के उन पिछड़े हुए हिस्सों में जहां कि आज तक उद्योग नहीं लगे थे, जहां कि आज तक उद्योगों का दीप नहीं जला था, उन स्थानो में भी उद्योग लगेंगे।

मान्यवर, असम की चर्चा इस सदन में कई बार की गयी। परन्तु असम का आन्दोलन किस लिए हुआ ? असम के नौजवान क्यों जागे ? यह इसलिए हुआ कि उस क्षेत्र का उद्योगीकरण नहीं हुआ। इस देश को आजाद हुए आज 35 वर्ष हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल की तरफ खींचना चाहता हूं। देश को आजाद हुए 35 वर्ष हो गये हैं परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा जिस तरह से की गयी, उसकी कहानी अजीबो-गरीब है।

मान्यवर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर कारपोरेशन दिया और खुद इन्दिरा जी ने इसी वर्ष गौंडा जिले के मांडकपुर में एक टेलीफोन कारखाना दिया। इसके अलावा चाहे बहराइच हो, फैजाबाद हो, बस्ती हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, जौनपुर हो, देवरिया हो, किसी भी जिले में एक भी उद्योग न तो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया और न प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया।

मान्यवर, भारत सरकार ने लगभग 87 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया है। सभापति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 1971 में मैं इस लोक सभा में आया था तो पूज्य इन्दिरा गांधी जी के आर्शीवाद से बस्ती जनपद प्रदेश के उन इने-गिने पिछड़े जिलों में घोषित किया गया जो कि 87 जिलों में आते हैं। परन्तु हमारे उद्योग मन्त्री जी के लाख प्रयास करने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है और बस्ती जनपद में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव उसके सामने नहीं रह गया है जिससे मुझे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंचलों को बहुत कष्ट है।

मोलाइसिस पानी की तरह वहां बह रहा है परन्तु भारत सरकार के उद्योग मन्त्री के प्रयास के बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने खलीलाबाद, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है और जिसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा औद्योगिक नगर घोषित किया गया है और बस्ती जिले को भारत सरकार ने पिछड़ा हुआ घोषित किया हुआ है, के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। अगर देश सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी तो उद्योग मन्त्री जी का प्रयास करना बेकार होगा। मैं मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वहां के मुख्यमन्त्री और उद्योग मन्त्री को निर्देश दें कि बस्ती जिले के खलीलाबाद स्थान में शीघ्र से शीघ्र किसी न किसी उद्योग की स्थापना करें। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि उसका यहां पर वर्णन नहीं किया जा सकता।

गोरखपुर में एक कोच फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मन्त्री जी को पत्र

लिखा था। इस बारे में योजना मन्त्री जी को पत्र लिखा था। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। रेल मन्त्रालय ने यह कह कर टाल दिया है कि अभी इसका सर्वे किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली से नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। उसको रोजी-रोटी देने का दायित्व भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को काम दिलाना आवश्यक है नहीं तो जो आग भड़केगी उसका मुकाबला करना संभव नहीं होगा। मेरी अपील है कि शीघ्र ही रेल मन्त्रालय और योजना मन्त्रालय से संपर्क करके गोरखपुर में कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाए।

मान्यवर, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने लाइसेंस ले लेते हैं परन्तु उद्योग स्थापित नहीं करते। जगह परिवर्तन की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि अगर इतने समय तक लाइसेंस लेने के बाद उद्योग नहीं लगाया जाएगा तो लाइसेंस खारिज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 465 ऐसे लाइसेंस लिए गए हैं जहां अभी तल उद्योग स्थापित नहीं किए हैं। उद्योगपति हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जाना चाहिए कि लाइसेंस लेने के बावजूद अभी तक उद्योग क्यों नहीं लगाए गए। स्थान परिवर्तन के लिए भाग-दौड़ क्यों की जाती है ?

हमारे देश में कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो अपने उद्योग को ठीक से न चलाकर उसको सिक कर देते हैं। ऐसे उद्योगों को भारत सरकार मजबूर होकर अपने हाथ में लेती है। कोई ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे उद्योगों को सिक न किया जा सके और भारत सरकार पर वित्तीय अधिभार न पड़े। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और पूरी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए कि इन्होंने उद्योग को सिक क्यों किया है।

भारत सरकार के अधीन कई उद्योग चलते हैं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन में जो घाटा हो रहा है उसकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि घाटे के क्या कारण हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से सम्पर्क स्थापित कर नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन में घाटा करवा देते हैं। बम्बई में कपड़ा उद्योग की हड़ताल लगभग साल भर से चल रही है। उस हड़ताल से देश के कपड़ा उद्योगों पर ही नहीं बल्कि मजदूरों पर भी बुरा असर पड़ा है और उनका काफी नुकसान भी हुआ है। मेरी माननीय मन्त्री जी से अपील है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हमारे माननीय मन्त्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो नौऐडा को एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया था। परन्तु, नौऐडा का विकास जिस गति से हो रहा था, वह अब रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नौऐडा को फ्री-ट्रेड-जोन घोषित करने के लिए माननीय उद्योग मन्त्री जी का ध्यान इस ओर खगींचा है। परन्तु, अभी तक यह कार्य नहीं हो सका है। यह न होने की वजह से जो नौऐडा का विकास तीव्र गति से होना चाहिए था, वह रुका हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि नौऐडा के विकास के लिए जल्दी से जल्दी कम उठाए जाने चाहिए और नौऐडा को फ्री-ट्रेड-जोब के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। जिससे वहां बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हो सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों के मार्जिनल मनी को दो लाख से बीस लाख

बढ़ाने के लिए मांग की है। अभी तक वह उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो सके। यह परम् आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स नीलगिरी प्रदेश के किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी स्थापना हेतु भारत सरकार से मांग की है। दो-तीन स्थानों का सुझाव भी दिया है। वह अभी तक उद्योग मंत्रालय के ही विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए और कहीं-न-कहीं इस उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए।

माननीय मन्त्री जी यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश उद्योग के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है? परन्तु, वहां अभी तक किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सर्वे करालें और जो भी रॉ-मैटीरीयल वहां है, उसका उपयोग करके वहां शीघ्रातिशीघ्र उद्योग की स्थापना करें। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की पूंजी बढ़ती जा रही है। सदन में कई बार इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि वे बेनामी लाईसेंस लेते हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने वित्तीय भाषण में भी कहा था कि बड़े औद्योगिक घराने उद्योगों का लाईसेंस लेकर उद्योग की स्थापना नहीं करते हैं।

सभापति महोदय (~~श्री चिन्तामणी पाणिग्रही~~) : आपके 15 मिनट हो गए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : हमारे न्याय मन्त्री जी ने भी सदन में कहा था कि बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्ति में वृद्धि हो रही है। इसके लिए सरकार चिंतित है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। माननीय मन्त्री जी, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मगहर, जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश में खादी का एक केन्द्र है। परन्तु वहां समस्या खादी कार्यकर्त्ताओं की है। उनका एक संशोधन उद्योग मन्त्रालय में विचाराधीन है। मैं चाहता हूं कि खादी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हमारे खलीलाबाद, जनपद बस्ती में शीघ्रातिशीघ्र किसी बड़े उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री मयूर अली खां (मुजफ्फरनगर) : चेयरमैन साहब, इसके पहले कि मैं जनरल पोलिसी के मुताल्लिक कुछ कहूं मैं मंत्री जी का ध्यान यू० पी० के कुछ मामलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। गजरौला पेपर मिल जो काफी अर्से से बन्द पड़ी हुई है और सरकार का ध्यान भी दिलाया जा चुका है, मजदूरों की तनख्वाह का मामला भी तय हो चुका है, लेकिन एक नोटिस लगा दिया गया है कि मजदूरों को ले ऑफ किया जा रहा है। यह देखा जाय कि गलती किसकी है। आजकल अखबारी और दूसरे कागज की बहुत कमी है और सरकार नए-नए पेपर मिल लगाने जा रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह मिल जो पहले से काम कर रही थी इसको क्यों बन्द कर दिया गया? मैं मंत्री से दर्खास्त करूंगा कि इस मिल को जल्दी चलाने के लिए वह कोशिश करें ताकि कागज मिल सके, कागज की पैदावार बढ़ सके और वहां के लोगों की ओर देश के लोगों को फायदा पहुंच सके।

दूसरी बात यह है कि सहारनपुर अपनी लकड़ी इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है और सहारनपुर में लकडी के छोटे-छोटे बहुत से कारखाने हैं जिनमें खुदाई का काम और हर किस्म का सामान तैयार होता है, फर्नीचर तैयार किया जाता है, पालिश, रंगाई और पच्चीकारी का काम किया जाता है और यहां से काफी माल पहले बाहर जाता था जिससे फोरेन ऐक्सचेंज मिलता था। लेकिन अब चूंकि सरकार ने लकडी की कटाई पर पाबन्दी लगा दी है इसलिए इन कारखानों को लकड़ी नहीं मिल रही है जिसके कारण बहुत से लकड़ी के कारखाने बन्द हो गए हैं और 30, 40 हजार मजदूर और काम करने वाले लोग बेकार हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन मजदूरों को काम दिलाने के लिए इन कारखानों के लिए लकड़ी का इन्तजाम करें ताकि 40 हजार बेकार लोगों को काम मिल सके और उनकी परेशानी दूर हो सके।

चेयरमैन साहब, सनती तरक्की की दर 1981-82 में 8.2 फीस दी तक पहुंचने के बाद गिरकर 4.1 फीसदी हो गई। 1982-83 में ट्रैक्टर, रेल, वेगन, कागज, शुगर मशीन, एयर कंडीशनर, बिजली के ट्रांसफोर्मर, स्कूटर, डीजल इंजन, रौलर वीयरिंग, लारी, ट्रक्स, कार, साइकिलों की पैदावार में भी कमी हुई है। कारण यह है कि हमारे यहां बिजली कम पैदा होती है। गैर जरूरी आयात और इन्डस्ट्रियल रिलेशन में बिगाड़ ही इसकी बजह है। यही नहीं 1982-83 में इसकी क्वालिटी में भी कुछ गिरावट हुई है जिसकी बजह से पैदावार में कमी आयी। अभी तक के सर्वे से पता चला है कि 56 उद्योगों में से 34 ऐसे हैं जिनकी क्षमता और क्वालिटी में भी गिरावट आयी है। मुल्क में 10 फीसदी इन्डस्ट्री बीमार हैं, खास तरीके से शुगर, जूट, टैक्सटाइल्स और सीमेंट। और इनमें ज्यादातर टैक्सटाइल्स की हालत बहुत ही खराब है। मार्च, 1981 तक 300 करोड़ रुपए बैंकों की देनदारी थी। इसी तरह से इन्जीनिरिंग और इलैक्ट्रिकल यूनिट्स पर भी 338 करोड़ रु० की देनदारी इस अर्से में थी। इसके कारण दो हैं। एक तो कुदरती और दूसरा इन्सानी। कुदरती वजह यह है कि अगर वारिश ज्यादा हो, सूखा पड़ जाय रा-मैटीरियल न मिल सके, इन्सानी वजह यह है कि इन्तजाम गड़बड़ होना, कीमतों का गलत मुकर्रर किया जाना, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के सर्वे के मुताबिक इन्तजामी हालत सही ना होने की वजह से 52 परसैंट यूनिट बेकार होकर रह गये हैं। और वह सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की हालत बहुत खराब है। उनमें खास तरीके से इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, भारत हैवी इंजीनिरिंग लि०, कोकिंग कोल लि० कैपिटल इन्वैस्टमैंट से भी ज्यादा नुकसान में चल रही हैं।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के तहत सरकार 104 मिलें चला रही है। यह न बात देखने में आती है। कि जब मिलों की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है तो उस वक्त सरकार उनको अपने तहवील में ले लेती है। सरकार को चाहिए कि जब उसे मालूम हो कि फलां मिल सिक होने वाली है तो फौरन उसको अपने कब्जे में ले ले ताकि उसको ठीक चलाने में ज्यादा वक्त और सरमाया खर्च न करना पड़े।

टी, जूट और काटन इन्डस्ट्री की हालत अभी इतमिनानबख्श नहीं है और जूट इंडस्ट्री से

हमारे देश को पहले काफी फारेन एक्सचेंज हासिल होता था लेकिन आज हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पीछे हो गये हैं। सरकार को चाहिए कि वह इसकी तरफ ध्यान दे।

1970 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेन्स की दो बहुत उम्दा स्कीमें बनाई थीं। एक तो पिछड़े इलाकों में मौजूदा सनतों को कम शरह पर सूद पर कर्जा देने की और दूसरे इंडस्ट्रीज के कैपिटल पर सबसीडी देने की थी। 1979 तक भी साल में फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्ज ने पिछड़े इलाकों में मौजूदा सनतों को 7 अरब 78 करोड़ रुपया कर्ज दिया। आमतौर पर रूरल इंस्टीट्यूशन्ज प्रोग्राम के मातहत हर इन्डस्ट्री को 60 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो स्टेट्स सनत के नजरिए से आगे थीं, उनको ज्यादा-से-ज्यादा सरमाया हासिल करने में कामयाबी हो गई और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी रियासतें पीछे रह गईं और उनको उनका सही हिस्सा नहीं मिल सका। इसकी वजह यह थी कि सरकार ने रूरल इकनामिक प्रोग्राम पर ईमानदारी से तवज्जह नहीं दी। यही नहीं, बल्कि ग्रामोद्योग के लिए पेशगी के रूप में जो कर्जा दिया गया, उसमें ग्रामोद्योग को सिर्फ 17 फीसदी पेशगी मिल सकी।

रूरल और काटेज इन्डस्ट्री पर खास तवज्जह दिए बगैर इस मुल्क की माली हालत दुरुस्त नहीं हो सकती और न बेरोजगारी दूर हो सकती है। मैं बड़े-बड़े कारखानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप बड़े कारखानों को कानूनी और माली सहूलियत देते हैं। छोटी इन्डस्ट्री वालों के लिए न तो रा-मैटीरियल की सप्लाई की सहूलियत है और बिजली की भी कमी रहती है, मशीन वगैरह की कमी रहती है। कानूनी और लाइसेंस वगैरह की दुश्वारियां पेश आती रहती हैं। अगर सरकार दरहकीकत रूरल इन्डस्ट्री को तरक्की देना चाहती है तो पैदावार की लागत घटानी होगी और दूसरी सहूलियतें देने के लिए पूंजी भी लगानी होगी क्योंकि देहात में रास्ते खराब हैं, सड़कों की कमी है, आमोदरफ्त के जरिये महदूद हैं।

रेलों के रास्ते कोयला, बिजली की मशीन के पुरजे होना इनस्ट्री के लिए यह चीजें होना बहुत जरूरी है। जब तक इन चीजों का इन्तजाम नहीं होगा, रूरल इन्डस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती।

यह भी जरूरी है कि रूरल इन्डस्ट्री के साथ-साथ सहायक उद्योग देहाती इलाकों में लगाये जायें जिससे उनको मदद मिल सके।

जहां तक काटेज इंडस्ट्री का ताल्लुक है, देहाती इलाकों में हथकरघा वगैरह बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बुनकरों को धागा रंगाई में काफी खर्च करना पड़ता है। धागा मिलने में भी दुश्वारी होती है। जो लोग उनको धागा सप्लाई करते हैं वह उनसे काफी मुनाफा लेते हैं। इस तरह उनको ज्यादा अदा करनी पड़ती है और सूद भी देना पड़ता है और रंगाई में भी उन्हें दिक्कत होती है।

इसलिए मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसी सोसायटियां बनाई जाएं, जिनके जरिये बुनकरों को मुनासिब कीमत पर धागा मिल सके और उनका तैयार किया हुआ माल सही कीमत पर फरोख्त किया जा सके, ताकि वे साहूकारों के चंगुल से बच सकें।

बीड़ी और माचिस जैसे उद्योग भी बड़े इजारेदारों के हाथ में हैं। एक तरफ सरकार और

दूसरी तरफ बड़े इजारेदार काटेज और रूरल इन्डस्ट्रीज के साथ मुनासिब बर्ताव नहीं कररहे हैं। अगर सरकार सही मानों में काटेल इंडस्ट्रीज को तरक्की देना चाहती है, तो उन्हें बैंकों से कर्जे, कच्चे माल की सप्लाई, फैक्टरी के लिए जमीन, लाइसेंस में सहूलियत और बाजार में बिक्री की सहूलियत देनी होगी। अगर ऐसा न किया गया, तो काटेज इंडस्ट्रीज खत्म होकर रह जाएंगी और ज्यादा-से-ज्यादा लोग बेकार हो जाएंगे।

जापान को देखिए। जापान एक छोटा-सा मुल्क है, जिसकी काटेज इंडस्ट्रीज ने बहुत तरक्की की हुई है। वहां बनी हुई मामूली चीजों की कीमत बहुत कम होती है और वे दुनिया के हर मुल्क में सप्लाई होती हैं। हमें जापान से सबक लेना चाहिए कि जब इतना छोटा मुल्क तरक्की कर गया है, तो हमारा मुल्क तो इतना बड़ा है, इसको पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको भी तरक्की करनी चाहिए।

सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे, जिनसे छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के हमले से बचाया जा सके। यह तय करना होगा कि कौन उद्योग किस किस्म की पैदावार करेगा। जो चीज स्माल इंडस्ट्री बनाए, उसको बड़ी इन्डस्ट्री न बना सके और जो चीज काटेज इण्डस्ट्री बनाए, उसको स्माल इण्डस्ट्री न बना सके। इस तरह से सब इंडस्ट्रीज जिन्दा रह सकती। हैं और तरक्की कर सकती हैं। देखने में आता है कि जूते बनाने के कारखानों, सूत बनाने की मशीनों के कारखानों, खाना पकाने के बर्तन बनाने के कारखानों, मशीनों से ईंट बनाने वाली भट्टियों, सूती कपड़ा रंगने और छापने वाली मिलों ने ऐसे लाखों आदमियों को बेकार कर के रख दिया है, जो जूते बनाते थे, सूत कातते थे, कपड़े की छपाई और रंगाई हाथ से करते थे, जो हाथ से भट्टों में ईंटें बनाते थे। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब इन सब इन्डस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हो, ताकि छोटे धंधों को बड़े धंधों से बचाया जा सके। हमारे मुल्क में बड़ी इन्डस्ट्री और छोटी इन्डस्ट्री के बीच में चुनाव करने का इतना सवाल नहीं है, जितना कि बिजली से चलने वाले बड़े और छोटे उद्योगों और काटेल इन्डस्ट्रीज में चुनाव करने का सवाल है।

काटेल इन्डस्ट्रीज ही गांवों में रहने वाले बेशुमार लोगों को रोजगार दे सकती हैं, जो सिर्फ बुबाई और कटाई के जमाने में मसरूफ रहते हैं और बाकी वक्त में बेकार रहते हैं। जब गांवों में उद्योग कायम किया जाएंगे और साबुन से लेकर कपड़े जैसी चीजें गांवों में बनने और बिकने लगेंगे, तो फिर गांवों के लागों को शहरों की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आज लोग गांवों से ग र-आजाद होकर कोई कारोबार या धन्धा करने लिए शहरों में आकर बस रहे हैं, क्योंकि गांवों में वे बेकार रहते हैं। जब उन लोगों को गांवों में ही काम मिलेगा, वे खुशहाल और फारिगुलवाल होंगे और उनके बच्चों की परवरिश हो सकेगी, तो वे शहरों की तरफ आना बन्द कर देंगे।

स्माल और काटेज इन्डस्ट्रीज में हमें फर्क करना पड़ेगा, ताकि काटेज इन्डस्ट्रीज की तरक्की में स्माल इन्डस्ट्रीज रुकावट न बनें। मौजूदा दौर में हमारे सामने यह मसला है कि गांवों के बेकार लोगों को रोजगार कैसे मिले। हालांकि स्माल इन्स्ट्रीज में बड़ी सनअतों के मुकाबले में सरमाये की लागत बहुत कम है और उनमें ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं, जितना कि काटेज इन्डस्ट्रीज में।

पचास साल पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि शहर वालों ने जो उद्योग गांवों के लोगों से छीन लिए हैं, वे उनको वापस करने चाहिए। गांवों के लोगों के साथ यह बड़ा जुल्म है कि उनके उद्योग धन्धे शहरों के लोग छीन लें। अप्रैल, 1978 में जनता सरकार थी उस वक्त छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिलों में जिला उद्योग केन्द्र खोलने का प्रोग्राम बनाया गया था लेकिन मौजूदा सरकार के ध्यान न देने की वजह से वह जिला उद्योग केन्द्र अपना फर्ज पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। यह बात कांप्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की 1981-82 की रिपोर्ट से साफ हो जाती है। सन् 1980-81 में केंन्द्र के जरिए दी गई इमदाद 5.67.5 लाख रुपए का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। यह सब मौजूदा सरकार और उस कर्मचारियों की लापरवाई ही का नतीजा है।

में इसके साथ-साथ यह बात भी साफ करना चाहता हूं कि छोटे धन्धों को बढ़ावा देने के लिए जो चीजें पैदा की जायें उनका इन्तजाम सरकार के जरिए होना चाहिए और छोटे धन्धे करने वालों को राहत मिलनी चाहिए। अगर स्माल इण्डस्ट्रीज को हैवी इण्डट्रीज से मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया गया तो कामयाबी नहीं होगी और स्माल स्माल इण्डस्ट्रीज फेल हो जायेंगी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी और बात काबू से बाहर हो जायेगी।

***श्री एस० मुरुगैयन** (तिरुपत्तूर) : सभापति महोदय, मैं 1983-84 के लिए उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैंने उद्योग विभाग तथा भारी उद्योग विभाग के 1982-83 के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है। इन प्रतिवेदनों में औद्योगिक उन्नति के दावों को आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया गया है। ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्र ने उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति की है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्र निश्चत किये गये हैं यथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकारी क्षेत्र, राज्य संयुक्त क्षेत्र केन्द्रीय संयुक्त क्षेत्र, छोटे पैमाने का क्षेत्र, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत गृह और लघु एकक भी हैं। इन सभी क्षेत्रों में 1982-83 में प्रगति हुई है।

परन्तु वाणिज्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात् मेरे मन में इन दावों के बारे में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। 1982-83 मे हमने 6688 करोड़ रुपये का आयात किया है। यदि औद्योगिक प्रगति हुई है, जैसाकि दावा किया गया है, तो हमारे आयात में भी महत्वपूर्ण कमी होनी चाहिये थी। 2279 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की बात तो समझ में आती है। परन्तु 1982-83 में 531 करोड़ रुपए के लोहा तथा इस्पात उत्पादों का आयात करने के बारे में क्या स्पष्टीकरण हैं? क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने लोहा तथा इस्पात उद्योग में कोई प्रगति नहीं की है? हमारे पास बहुत बड़ी इस्पात मिलें हैं फिर भी हम लोहे तथा इस्पात के उत्पादों का आयात कर रहे हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के एककों में प्रधान एकक है। कई लोगों ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के प्रयासों की सराहना की है। परन्तु हाल ही के समाचारें के अनुसार

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवादों का हिन्दी रूपान्तर

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा बनाई गई गैस टरबाइनें विशिष्ट मानक का नहीं हैं। इसीलिए राज्यों ने मजबूर होकर गैस-टरबाइनें बाहर से मांगने के लिए कहा है। बेसिन ब्रिज थर्मल स्टेशन और एन्नोर थर्मल स्टेशन के लिए तमिलनाडु सरकार ने गैस-टरबाइनों का आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इससे भी प्रेस रिपोर्टों की पुष्टि होती है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स की गैस-टरबानें विहित किस्म की नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिये और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किये जा रहे मानक उत्पादों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिये।

इधर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हर वर्ष हानि हो रही है, उधर गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को पुर्जे और उपकरणों के उत्पादन के लिए कहा जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अपने सीमित साधनों ऐसे को नष्ट नहीं करना चाहिए ? उन्हें पुर्जों और उपकरणों का उत्पादन स्वयं क्यों नहीं करना चाहिए ? इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखाने बन्द होने वाले हैं। उदाहरणार्थ, स्कूटर्स इण्डिया को हर वर्ष घाटा हो रहा है। उसे ठीक करने की बजाए मंत्रालय ने लाइसेंस एक गैर-सरकारी समुत्थान को दे दिया है जिसका नाम मैसर्स लोहिया मशीन्स है। इस समुत्थान ने लोगों से एक अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। यदि यह लाइसेंस न दिया गया होता तो यह रकम स्कूटर्स इण्डिया ने इकट्ठी की होती। एक ओर तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों के पास धन का अभाव है, दूसरी ओर सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को लोकधन देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार औद्योगिक विकास के मामले में ऐसी दोहरी नीति क्यों अपना रही है ?

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति निर्धारित करते समय सदस्यों द्वारा सभा में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। औद्योगिक नीति में यहां व्यक्त किया गया लोकमत प्रतिबिम्बित होना चाहिये।

मारुति उद्योग सस्ते दामों पर कारों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। उद्योग में भारी धनराशि लगाई गई है। इसके साथ-साथ सरकार ने फिएट और एम्बैसडर कारों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। क्या सरकार मारुति उद्योग को आरम्भ में ही रुग्ण बनाना चाहती है ?

1967 से पूर्व, जब तमिलनाडु में सत्ता कांग्रेस दल के हाथ में थी, उस राज्य का भारत के औद्योगिक क्षेत्र में पांचवा स्थान था। तमिलनाडु में ए० आई० ए० डी० एम० के० दल के शासन के के दौरान इस राज्य का 13वां स्थान हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह राज्य के अध्यक्ष संचालन के कारण है या राज्य सरकार के प्रशासन के अभाव के कारण है। ऐसा हुआ है। मुझे अब सन्देह होने लगा है कि क्या तमिलनाडु में ऐसी खेदजनक कार्य स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है जिसने उस राज्य की घोर उपेक्षा की है। केन्द्रीय सरकार को इस नाजुक मरहले पर, जब दक्षिण भारत के लोग केन्द्र में शासक दल से अप्रसन्न हैं, दक्षिण भारत के औद्योगिक विकास की ओर

ध्यान देना पड़ रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह तमिलनाडु के औद्योगिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दे।

अब मैं राज्य में छोटे उद्योग सेवा संस्थाओं की अध्यक्षता के बारे में कहना चाहूंगा, जिसमें हमने भारी रकम लगा रखी है और प्रति वर्ष भारी खर्च कर रहे हैं। उनमें सैंकड़ों अधिकारी कार्यरत हैं। यहां तक कि जब संसद सदस्य उनकी राय जानने के लिए वहां जाते हैं, तो उनके साथ इतनी असावधानी से व्यवहार किया जाता है कि उन्हें वहां जाने का पछतावा होने लगता है। मैं मांग करता हूं कि देश भर में सभी छोटे उद्योग सेवा संस्थाओं में पूरा सुधार किया जाये। मैं जानना चाहूंगा कि इन संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के विकास के बारे में क्या सेवाएं की हैं? इन संगठनों को कारगार ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य किया जाये। इसी तरह जिला उद्योग केन्द्र में केवल एक अधिकारी औद्योगिक परिवर्तनों के मामले में पूरे जिले को देखभाल नहीं कर सकता है। जिला उद्योग केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये जिससे जिला भर में छोटे एकक स्थापित किये जा सकें।

सामान्यता बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और केन्द्र द्वारा इसकी उपेक्षा की गई है। परन्तु इस बारे में तमिलनाडु बिहार से भी पीछे हैं। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय तमिलनाडु की ओर अधिक ध्यान दे।

विधि के अनुसार व्यवसाय संचलाक द्वारा औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व जल प्रदूषण बोर्ड की सहमति प्राप्त की जाती है। जल प्रदूषण बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करने में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है। यदि इस शर्त को बनाए रखा गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में और विलम्ब हो जायेगा। आप यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई छोटी मिल या फसल की कटाई के लिए कृषि औजारों का निर्माण करने वाला कोई कारखाना अपना निर्माण आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा? इसमें विलम्ब होगा और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे छोटे कारखानों के मामले में इस शर्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट प्रतियोगी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण ग्रामों के औद्योगीकरण में बाधा पड़ रही है। मैं सुझाव देता हूं कि सीमेंट सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सीमेंट के छोटे संयंत्र स्थापित किये जायें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कारखाने स्थापित किये जायें।

समाप्त करने से पूर्व, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उद्योगों के अभाव के फलस्वरूप तमिलनाडु में चेंगम और तिरुपत्तूर ताल्लुकों में बहुत अधिक बेरोजगारी है। इसी कारण उस क्षेत्र में नक्सलवाद का विकास हो गया है। मैं माननीय उद्योग मंत्री से अपील करता हूं कि देश के ऐसे कमजोर क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जायें।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : उद्योगों से सम्बन्धित मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं।

देश में एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण बना हुआ है और प्रतिकूल परिस्थितियों तथा इंफ्रस्ट्रक्चर सम्बन्धी बाधाओं के बावजूद औद्योगिक क्रियाकलापों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है।

स्वधीनता प्राप्त करने के पश्चात् 36 वर्षों की छोटी-सी अवधि में हमारा देश अग्रणीय औद्यौगिक देशों में से एक हो गया है और औद्योगिक उत्पादन के मामले में विश्व में हमारा दसवां स्थान है।

औद्योगिक विकास राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि तथा शिक्षित और अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए बहुत आवश्यक है।

इस विशाल देश के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से ये देखने से विभिन्न सुझाव उचित लगते हैं कि औद्योगिक विकास निर्यात प्रधान, रोजगार प्रधान, कृषि प्रधान और ग्रामीण विकास प्रधान होना चाहिये और औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीतियां, कार्यक्रम तैयार करते समय तथा उन्हें क्रियान्वित करते समय इन सभी सुझावों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

जहां तक कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, हमें आत्मतुष्टि नहीं होनी चाहिये। हमारे देश का वैज्ञानिक तथा उद्योग सम्बन्धी वैज्ञानिकों की संख्या में तीसरा स्थान है। इस अत्यधिक प्रतियोगी विश्व में अन्य देशों के संवर्धन के के साथ मुकाबला करने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। जब तक औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रबल और कारगर ढंग से क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकेगी।

14.53 [श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए]

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में सरकार की नीति का उद्देश्य राष्ट्र के समूचे विकास करना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। परन्तु हम वास्तविकताओं की उपेक्षा करके यह नहीं कह सकते कि उक्त उद्देश्य पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्र और राज्य औद्योगिक विकास के मामले में आगे हैं जबकि अन्य राज्य इस मामले में पीछे हैं। स्वयं राज्य में भी क्षेत्रीय असंतुलन है। बड़ें नगरों में उद्योगों का जमाव है। उद्योगों को उन्नत क्षेत्रों से हटा कर पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने की नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं रही है। अभी भी हमारे देश में ऐसे जिले और क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य आरम्भ नहीं हुआ है और उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है। किसी जिले को पिछड़ा हुआ घोषित करने की कसौटी योजना आयोग ने 1969 में निर्धारित की थी? आयोग द्वारा समझाये गये मार्गदर्शी सिद्धांत बहुत पुराने हो गये हैं। विभिन्न क्षेत्रों की यह प्रबल मांग है कि इस कसौटी को उदार बनाने के लिए इस पर शीघ्र और इसके पक्ष में विचार किया जाये।

औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के चयन के बारे में विहित कसौटी में परिवर्तन करना होगा। औद्योगिक विकास के प्रयोजन के लिये जिले की बजाए तालुका को इकाई माना जाना चाहिये। कुछ राज्यों में जिले क्षेत्र में छोटे हैं जबकि तमिलनाडु में बड़े-बड़े जिले हैं और जिले के

एक कोने में एक उद्योग स्थापित कर देने से उस जिले में और परियोजनाएं नहीं स्थापित की जा सकेंगी। सरकार ने 87 ऐसे जिले चुने हैं जहां कोई उद्योग नहीं है। परन्तु उनमें से कोई भी जिला तमिलनाडु या इसके पड़ोसी राज्य में नहीं है। अत: यह समस्त क्षेत्र विकास कार्यों के मामले में कुछ अवधि के लिए अलग-थलग पड़ जायेगा। मैं यह भी बनाता चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में तमिलनाडु में तेरहवां स्थान है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के बारे में राज्यों ने कोई व्यापक और समान नीति नहीं अपनाई है। कुछ राज्य उद्योगों का विकसित क्षेत्रों से हटा कर पिछड़े क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं, कुछ सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहते और कुछ अन्य विकास केन्द्र का ढंग अपनाना चाहते हैं। अत: एक समान नीति बनानी होगी और उसे देश भर में क्रियान्वित करना होगा।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों के रूप में घोषित या वर्गीकृत किया गया है वे वर्षों से पहले ही की तरह पिछड़े उनमें कोई हुए हैं, परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ है क्योंकि वहां सरकारी क्षेत्र या गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई उद्योग स्थापति नहीं किया गया है। अत: वे दीर्घ काल से पिछड़े हुए हैं। किसी जिला विशेष को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित या वर्गीकृत कर देने मात्र से लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों के सुधार के लिए विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सामान्य ढंग के अतिरिक्त विशिष्ट या ठोस अथवा निश्चित कार्यवाही करनी होगी। ऐसे स्थानों पर, जहां उपलब्ध क्षमता के आधार पर विशेष या निर्दिष्ट उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश और अवसर प्राप्त हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। ऐसे स्थानों को सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र घोषित करना होगा और उन्हें विशेष रियायत तथा प्रोत्साहन देने होंगे। ऐसे क्षेत्रों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल वित्तीय सहायता आदि से काम नहीं बनेगा। सरकार को ऐसे क्षेत्रों में लम्बे अर्से तक गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित नहीं होते और सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी नाम मात्र के होते हैं तो वहां सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने चाहियें।

ऐसे मामलों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को उदार बनाना चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों उद्योगों को स्थापित करने के आवेदन-पत्रों को एक निश्चित अवधि में निपटाया जाना चाहिये। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये विशेष रियायत और प्रोत्साहन देने होंगे। उन्हें अनुदान, सहायता, ऋण आदि भी देने होंगे। बैंक सरकार के सन्देश को सही ढंग से पहुंचाने में सहायता नहीं करते और गरीब लोगों को ऋण देने सम्बन्धी नीति पर अमल नहीं करते।

ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार स्नातकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इन्जीनियरी और विज्ञान के स्नातकों को ऋण और अन्य प्रोत्सहन देकर वहां उद्योग आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उद्योग स्थापित करने के लिये उनके पास धन की कमी हो सकती है।

पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये ओर लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

कड़ाई से लागू करने चाहियें। औद्योगिक लाइसेंस ऐसे ढंग से दिये जाने चाहियें जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो।

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करके हम निर्धन ग्रामीणों का उद्धार कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और उनके पास सामान खरीदने के लिये पैसा नहीं होता। वे बेरोजगार होते हैं और गरीब होते हैं। यद्यपि कुछ विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परन्तु वे लोगों की बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिये पर्याप्त नहीं है। औद्योगिकीकरण के माध्यम से उनकी गरीबी और बेरोजगारी तथा मुसीबतें दूर हो जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकार को विकास के लिये अधिक ध्यान देना होगा।

दूसरी बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में राजाधानी स दूरी के कारण उद्योग स्थापित नहीं किये गये, जैसे कन्याकुमारी जिले में। कन्याकुमारी जिला एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है परन्तु वहां पर न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित किया गया है। वहां रबड़ उद्योग और टिटेनियम उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। वहां कच्चा माल भी उपलब्ध है। यह जिला देश के दक्षिणी छोर में स्थित है? और वहां पर राजधानी से दूरी होने के कारण औद्योगिकीकरण नहीं हो पा रहा है। इस उपेक्षा को दूर किया जाना चाहिए। औद्योगिक केन्द्र कारबार की दृष्टि से विकसित किए जाने चाहियें। और वे 1962 में स्थापित औद्योगिक सम्पदाओं की तरह नहीं होने चाहिए। इन केन्द्रों को अपनी गतिविधियां केवल जिलों तक ही सीमित नहीं रखने चाहियें। उन्हें पंचायत और ब्लाक स्तरों तक उद्योग विकसित करने चाहियें। देश भर में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इन औद्योगिक विकास केन्द्रों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग से यह कहा गया है कि वह क्षेत्रीय उत्पादों को ध्यान में कार्यक्रम बनाये, जिसके अन्तर्गत उन आर्थिक क्षेत्रों में जहां ऐसे उद्योगों की एक सूची तैयार करे जो वहां स्थापित किए जायें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस नीति पर अमल करना चाहिए।

अन्त में, मैं हथकरघा बुनकरों की दशा जिक्र करना चाहूंगा। लगभग तीन करोड़ लोग बुनाई पर निर्भर हैं। वे बहुत कठिनाई में हैं। रोजगार देने के मामले में बुनाई का स्थान कृषि के बाद आता है। बुनाई के जरिए बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है परन्तु वे अभी बहुत गरीबी की हालत में हैं। उनमें बहुत से पुराने करघे चला रहे हैं। धागे का मूल्य बहुत अधिक है। धागा रियायती दर पर सप्लाई किया जाना चाहिए। बुनकरों से ऋण पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर बहुत अधिक है और उन्हें धागा भी बहुत महंगी दर पर दिया जाता है। बिचौलिए बुनकरों को दिए जाने वाले ऋण और धागे में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए धागा बुनकरों को सरकारी सहकारी समितियों द्वारा सप्लाई किया जाना चाहिए।

चार विद्युत करघों तक कुटीर विद्युत करघों की श्रेणी मानी जाती है। परन्तु सैकड़ों विद्युत करघे एक ही शेड में चलाये जाते हैं और उन्हें अलग-अलग नाम दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप

बे शुल्क में वे रियायतें प्राप्त कर लेते हैं जो चार या इससे कम विद्युत करघों वाले लोगों को मिलती हैं। इस प्रकार का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। विद्युत करघा आरम्भ करने का उद्देश्य पारम्परिक बुनकरों का पुनर्वास करना था। परन्तु इस प्रकार के दुरुपयोग से यह उद्देश्य विफल हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालयों की मांगों को समर्थन करता हूं।

श्री सी० टी० पटेल (सूरत) : श्रीमन् मैं उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह मंत्रालय भी कृषि मंत्रालय की तरह महत्वपूर्ण है। परन्तु औद्योगि उत्पादन में 1981-82 से वृद्धि 8.1 प्रतिशत थी। अब 1982-83 में यह घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है। यह मंत्रालय योग्य व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहा है। कमी के बारे में कहा जाता है कि मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां थी। परन्तु इन कठिनाइयों पर औद्योगिक क्षेत्रों में योजना बनाने वालों को विचार करना चाहिए था। विद्युत एक बड़ी भारी कठिनाई है। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 20 हजार मेगावाट था। यह लक्ष्य अब 14 हजार मेगावाट कर दिया गया है और हम नहीं जानते कि क्या यह लक्ष्य भी पूरा होगा या नहीं। दूसरी दिक्कत सीमेंट के बारे में है। हमारी क्षमता तीन करोड़ टय है। हमारा लक्ष्य दो करोड़ सात लाख टन था। हम तीन करोड़ 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में केवल दो करोड़ तीन लाख टन का उत्पादन कर सकेंगे। छठी योजना के शेष काल में क्या हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।

औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी का कारण बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल है। कपड़े और धागे के उत्पादन पर बल केवल मिल क्षेत्र में ही दिया जा रहा है? जबकि विद्युत करघा और हथकरघा की ओर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मिल क्षेत्र में बुनाई की क्षमता के विस्तार के लिए परमिट देने सम्बन्धी नीति के बारे में कहा गया है कि इसमें अधिक उत्पादन अधिक क्षमता बढ़ाकर और आधुनिकीकरण करके ही किया जा सकता है। हथकधा उद्योग अपना उत्पादन 30 प्रतिशत तक बढ़ा देगा और आशा है कि विद्युत करघें वाले कारखानों में 37 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तथा अतिरिक्त करघों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि कपड़े के उत्पादन के लिए हम मिली-जुली मिलों पर निर्भर नहीं कर सकते। हमें विद्युत करघे और हथकरघे के क्षेत्र पर ही निर्भर रहना होगा।

जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, हमें मूल कच्चे माल के उद्योगों की सुविधायें प्रदान करने, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता देने, कामगारों और तकनिशियनों को अपने रोजगार आरम्भ करने में सहायता देने, उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनानी चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के बारे में कागजों में तो बहुत कुछ कहा है। जहां तक उद्योगों को सम्बन्ध है, वे रेलवे लाइनों अथवा राजमार्गों के समानान्तर विकसित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नहीं किए गए हैं। यह हर्ष की बात है कि 1982 में 1043 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से 56 प्रतिशत पिछडे क्षेत्रों को दिए गए हैं।

इनमें से केवल 159 उन जिलों को दिए गए हैं जहां कोई उद्योग नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। जब तक हम पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकीकरण नहीं करेंगे तब तक औद्योगिकीकरण के लाभ दलितों को नहीं मिल पायेंगे और यह कुछ ही हाथों में केन्द्रित होकर रह जायेंगे।

भारत सरकार ने उन जिलों की एक सूची तैयार की है जिनमें कोई उद्योग नहीं है। गुजरात में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। बहुत से अभ्यावेदन देने के बाद डांग नामक एक सबसे छोटे जिले को इस सूची में शामिल किया गया है। परन्तु गुजरात में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां कोई उद्योग नहीं है। अमरेली बनासकांठा, साबरकांठा, गांधी नगर अभी भी इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। जहां तक गुजरात के औद्योगिकरण, प्रगति और विकास का सम्बन्ध है, यह धारणा एकदम गलत है कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है। यहां पर 21 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है और लगभग 52 प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों के हैं। इस प्रकार 73 प्रतिशत लोग गुजरात में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विभिन्न अन्य जिलों को भी उक्त सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिये। यह जिले उक्त सूची शामिल नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि वहां एक या दो उद्योग हैं और वे सहकारी कताई मिल और डेरियां हैं। अत: माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, उद्योगों को दी गई नकद सहायता के कारण समस्त देश में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ, पंचमहल, भड़ौंच और सुरेन्द्र नगर क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में नए उद्योगों को केन्द्रीय सरकार से 15 प्रतिशत की नकद सहायता मिल सकती है। यह सहायता 31 दिसम्बर, 1982 तक दी गई और बाद में इसे 31 मार्च, 1983 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद भी इस अवधि को बढ़ाया गया है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है।

यदि इस सहायता को जारी नहीं रखा गया तो न केवल भड़ौंच जिले की बल्कि समस्त राज्य की औद्योगिक प्रगति रुक जाएगी और हम औद्योगिक उत्पादन में पिछड़ जायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सहायता को देने की कसौटी में संशोधन किया जाए। जहां तक दूरी का सम्बन्ध है न्यूनतम दूरी जनरल पोस्ट आफिस से नापी जानी चाहिए न कि नगर की सीमा से।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरत में कृत्रिम रेशम उद्योग स्थापित किए हुए हैं। इनमें से 70 प्रतिशत कारखाने लघु औद्योगिक कारखाने हैं। यह एक लगभग बिकेन्द्रीकृत उद्योग है। इस उद्योग को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक कठिनाई कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में है। यह मंत्रालय कह सकता है कि हमारा कच्चे माल की उपलब्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक औद्योगिक विकास क्षेत्र अथवा विभाग का सम्बन्ध है इस पर विचार करना होगा। इस उद्योग में विषमता चल रही है। यह निवेश भत्ते के बारे में है। 1982-83 में औद्योगिक नीति के समंजन का मुख्य निवेश उद्देश्य निवेश प्रक्रिया में सुधार करना प्रस्तावों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चत करना तथा औद्योगिक को बढ़ना और आधारभूत सुविधाओं को समेकिन करना है। जहां तक औद्योगिक निवेश का सम्बन्ध है आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित संयंत्र अथवा मशीनरी की वास्तविक

लागत के 25 प्रतिशत के बराबर राशि की छूट दी जाती है। यह इस प्रकार प्राप्त किए गए धन से एक निश्चित अवधि में नई मशीनरी खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है।

सूरत कृत्रिम रेशम उद्योग के परिष्कर्ताओं ने निवेश छूट के मामले की ओर आयकर अधिकारियों का ध्यान दिलाया था। आयकर अधिकारियों ने कहा कि केवल परिष्करण करते हैं तथा वे निर्माता नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर तैयार माल बनाने के लिए धागे को लहरदार बनाया जाता है तथा कपड़े का परिष्करण किया जाता है। एक तरह से यह तैयार माल होता है। फिर आयकर विभाग ने यह तर्क पेश किया था कि वे निर्माता एकक नहीं है। यह निर्माण की सहायक प्रक्रिया नहीं है और इसलिए वे निवेश छूट के हकदार नहीं हैं। इस आधार पर उद्योगपतियों ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत की थी। फिर उद्योगपतियों ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनका कहना था कि वे निर्माता नहीं है, इसलिए उन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नहीं लगना चाहिए। सरकार उनके तर्क से सहमत नहीं हुई। इस पर दोनों ओर से पुरजोर तर्क पेश किये गये। अन्त में सरकार की हार हुई और गुजरात उच्च न्यायालय ने उद्योगपतियों का तर्क स्वीकार कर लिया। फिर सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 में निर्माता की परिभाषा में परिवर्तन करना आवश्यक समझा और उन्होंने इसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उद्देश्य के लिए निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने के लिए परिभाषा में परिवर्तन कर दिया। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाते समय वह कहते हैं कि यह एक निर्माण प्रक्रिया है और निवेश छूट देते समय वे कहते हैं कि यह निर्माण प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधारण प्रक्रिया है। अत: मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस बारे में विचार करें और तुरन्त आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही करें।

जहां तक कच्चा माल उपलब्ध न होने का मामला है, कागजात में नीति कुछ और है तथा सरकार वास्तव में जिस तरह से व्यवहार करती है, वह कुछ और है। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यह नीति केवल कागजात में है तथा व्यवहार में ऐसा नहीं है।

जहां तक नाइलोन धागे के उत्पादन का सम्बन्ध है, उद्योग द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिये गये हैं कि उन्हें लघु संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाये, क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है ये कृत्रिम रेशम बनाने के लघु एकक हैं। इसलिए ये एकक धागा बनाने के लिए लघु संयंत्र लगाना चाहते हैं और इसके लिए वे कहते हैं कि डी० एम० टी० एकक धागा आई० पी० सी० एल० से या आयात के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लघु संयंत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं। माननीय मन्त्री दक्षतापूर्ण अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैंने पहले भी उनसे इस बारे में अनुरोध किया है और एक बार फिर आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाए।

उद्योग के समक्ष भांडागारण की विकट समस्या मौजूद है। आयात किया जाता है। शुल्क का भुगतान भिन्न होता है। आयातकर्ता को आयतित माल तीन वर्ष तक रखने की अनुमति थी, फिर इसे घटा कर एक वर्ष कर दिया गया तथा अब इसे और घटा कर तीन महीने कर दिया गया है। इसे

पुन: बढ़ाया जाना चाहिए और यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए और जहां भुगतान का सम्बन्ध है, एक वर्ष की अवधि होनी चाहिए।

एक अन्य उद्योग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है जहाज तोड़ने का उद्योग। परन्तु उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। गुजरात में इस उद्योग का विकास हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अलंग में, जो भावनगर से 60 कि० मी० दूर है, जहाज तोड़ने का एक बहुत बड़ा यार्ड बनाया जा रहा है। यह अनुमान है कि जहाज तोड़ने के कार्य से वर्ष 1982-83 में लगभग तीन लाख टन धातु प्राप्त होगी। जहाज तोड़ने से हमें स्क्रेप प्राप्त होगा जो इस्पात बनाने के काम में इस्तेमाल हो सकेगा। इसलिए यह बहुत अच्छा कच्चा माल होगा, जिससे इस्पात बनाया जा सकेगा।

गुजरात में जहाज तोड़ने के उद्योग के लिए बहुत आकर्षक वातावरण बनाया है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने गुजरात नौवहन बोर्ड के सहयोग से अलंग के पास जहाज तोड़ने का यार्ड स्थापित करने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए। इस बारे में विशेष अध्ययन किया जाए, ताकि लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार मिल सके और इस्पात बनाने के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सके।

श्री ए० के० राय : फिर आपको नजदीक ही लघु इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता होगी।

श्री सी० डी० पटेल : वे पहले ही हैं। स्पोंज आयरन संयंत्र के लिए एक आवेदन दिया गया था जो कई वर्षों से सरकार के पास लम्बित है। इस बारे तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आवश्यक आरम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है। हजिरा के पास भूमि साफ की जा चुकी है।

अब में मैं हजिरा शिपयार्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मन्त्रालय का कहना है कि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यह योजना कई वर्षों से सरकार के पास लम्बित है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए, क्योंकि इसके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आजादी के बाद देश की जनता ने उम्मीद की थी कि देश के औद्योगीकरण के जरिए यहां की गरीबी और बेकारी को मिटाया जाएगा। इसको दृष्टि में रखते हुए 1956 में औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। लेकिन आज स्थिति क्या है, यह हम सब देख रहे हैं। मुझे तो संदेह है कि 1956 की औद्योगिक नीति को धीरे-धीरे मिश्रित अर्थ व्यवस्था के नाम पर डाइल्यूट किया जा रहा है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को खास रियायतें देकर जनता का शोषण करने और उसे लूटने का मौका दिया जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

1982 के अन्त तक हमारे देश में 1,97,53,000 लोग बेकार हैं, जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में टाटा, बिड़ला और अन्य बीस बड़े औद्योगिक घरानों की स्थिति क्या है ? टाटा और बिड़ला की पूंजी 1947 में 48 या 50 करोड़ रुपए थी। लेकिन टाटा की पूंजी 1979 में 1309.38 करोड़ रुपए, 1980 में 1538.97 करोड़ रुपए और 1981 में 1840.16 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह बिड़ला की पूंजी 1979 में 1309.99 करोड़ रुपए, 1980 में 1431.99 करोड़ रुपए और 1981 में 1691.69 करोड़ रुपए हो गई।

1981 में 20 औद्योगिक घरानों के एसेट्स 8987.07 करोड़ रुपए, टर्न ओवर 12020.02 करोड़ रुपए, प्राफिट बिफोर टैक्स 658.72 करोड़ रुपए और पेड-अप कैपिटल 995.09 करोड़ रुपए थे। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि ये बड़े औद्योगिक घराने बहुत फल-फूल रहे हैं और हमारे देश की सम्पत्ति उनके हाथ में सिमटती जा रही है।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, हमारे देश में उनकी ब्रांचिज 1978 में 473, 1979 में 358 और 1980 में 315 थीं। इनके टोटल असेट्स 21्8.9 करोड़ रुपए के थे और 1980 में प्री-टैक्स प्राफिट था 39 करोड़ रुपया। इस तरह से इनका भी बढ़ाव हो रहा है और हमारे देश के उद्योगपति भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे उद्योगों में संकट की स्थिति है। इंडियन टैक्स-टाइल मशीनरी का एक्सपोर्ट 20 प्रतिशत कम हो गया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि विभिन्न देशों में मन्दी है। यूरोप के देशों में और जापान में आसान शर्तों पर कर्जा दिया जाता है। इस वजह से हमारे देश की टैक्सटाइल मशीनरी का एक्सपोर्ट घट गया है।

1982 को उत्पादन का साल कहा गया था लेकिन 1982 में पहले के मुकाबले में कैपिटल गुड्स का उत्पादन बढ़ा नहीं। रेल डिब्बे, ट्रक्स और रेल इंजन के उत्पादन में कमी हुई है। जीप का उत्पादन जरूर कुछ बढ़ा है, 4.1 परसेन्ट और कार का भी बढ़ा है 0.2 परसेन्ट। इसी तरह से हमारे देश में कागज की भी कमी है। अखबारी कागज के जो कारखाने हैं, वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आप दो नये कारखाने— एक नैनीताल (यू० पी०) में और दूसरा बेतिया (बिहार) में लगाने वाले हैं और एक-एक लाख टन कागज वहां से पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जरूरत का 80 प्रतिशत कागज बाहर से मंगाया जाता है। इस समय प्रति वर्ष 3 लाख 50 हजार टन कागज की आवश्यकता है। कुछ वर्षों में यह आवश्यकता 5 लाख टन प्रति वर्ष हो जायेगी और 1988-89 तक 7 लाख टन हो जायेगी। इस तरह से अखबारी कागज के मामले में हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। हमारा नेपा मिल अपनी क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं कर रहा है।

इस देश की आम जनता ही बीमार नहीं हैं, यहां के उद्योग-धंधे भी बीमार हैं। आपने कह दिया कि आम जनता भूख से नहीं मरी, बीमारी से मर गई। इस देश के 422 यूनिट्स भी बीमार हैं यानी दस परसेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स बीमार हैं। इसमें ज्यादातर टेक्सटाइल, गन्ना, जूट और सीमेंट के यूनिट्स बीमार हैं। 1981 तक बैंकों से 377 करोड़ का कर्जा ये पचा गए और अब कहां से देंगे ? इसके अलावा छोटे-छोटे, लघु उद्योगों की हालत और भी पतली है। वह बन्द होते जा रहे हैं और लाखों मजदूर निकाले जा रहे हैं। उनके लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। कच्चा माल भी नहीं मिलता है और सरकार भी ठीक से उनकी मदद नहीं करती है। इस तरह से छोटे उद्योगों की स्थिति बड़ी ही

दयनीय है। यहां पर क्वायर इण्डस्ट्री की चर्चा हुई थी, केरल में बीस लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। उस इण्डस्ट्री की स्थिति और भी दयनीय है। उनके सामने सबसे बड़ी प्राब्लम मार्केटिंग की है। अगर सामान बनाते हैं तो उसको बेचने का कोई प्रवन्ध नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं पूरे उद्योग संकट में हैं। इसके बावजूद सरकार कहती हैं कि हमारे देश के अर्थ तंत्र में सरकारी क्षेत्र के कारखाने कमांडिग हाइट्स में हैं। लेकिन अमल में यह देखा जा रहा है कि वह धीरे-धीरे डाइल्यूट होते जा रहे हैं। आप वहां पर ऐसे लोगों को भरते जा रहे हैं जो वहां की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। उनके प्रबन्ध में बहुत गड़बड़ी है। जो लोग पब्लिक सेक्टर फिलासफी में विश्वास नहीं करते उनको आने उन्हें चलाले का मौका दिया है। घाटे होते हैं और घाठे के नाम पर पब्लिक सैक्टर को बदनाम करने वाले लोग या उसी तरह के दल के लोग हमारे देश में हैं। इस स्थिति से देश को आपको निकालना है। यदि आप एक करोड़ 97 लाख 53 हजार बेकार लोगों, जो कि रजिस्टर्ड हैं, को आप काम देना चाहते हैं, तो इस पर आपको विचार करना चाहिए।

आपके पास करोड़ों-करोड़ अन-रजिस्टर्ड बेकार लोगों का कोई हिसाब नहीं हैं। यदि आप उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको उद्योग धन्धे बढ़ाने चाहिए। पिछड़े इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए। वहां पर जो गड़बड़ियों हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और वर्किंग क्लास को विश्वास में लाया जाए। उनकी कठिनाइयों को दूर करके स भागिता के सिद्धान्त के आधार पर उनका सहयोग लिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उद्योग धन्धों में जो स्पष्ट संकट दिखलाई पड़ रहा है, उसे ठीक या हम जिस तीव्र गति से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वह हम नहीं कर सकेंगे।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। फल भेजने के लिए या खाने का सामान भेजने के लिए टीन के डिब्बे का एक कारखाना गाजियाबाद में है, जिसका नाम पायसा है। वहां डेढ़ साल से लॉक-आउट है। इस सवाल को हमारे इंद्रजीत गुप्ता जी ने बार-बार यहां उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तालाबन्दी को उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब आप ये डिब्बे दक्षिणी कोरिया और ताईवान से मांग रहे हैं। क्या यह उचित है? कारखाना बन्द कर दिया, फिर भी आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से बिहार में एक कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद में है जहां पर तीन हजार मजदूर काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कारखाना है। बिहार सरकार ने विधान सभा में एक बिल पास करके संभवत: जुलाई, 1982 में आपके पास एसेंट के लिए भेजा है। लेकिन आप उस पर एसेंट नहीं देते हैं। महीनों से एसेंट के लिए आपके पास पड़ी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि वह कारखाना ठीक से चले, तो उसको आप अपने कब्जे में ले लीजिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप बीमार कारखानों को लेकर उनको अपने पांव पर खड़ा करके फिर पूंजीपतियों को दे देते हैं, जिससे आपका करोड़ों रुपया चला जाता है। इस नीति में भी आपको परिवर्तन करना होगा। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आप अब कुछ कारखानों के राष्ट्रीयकरण करने की नीति पर भी चलिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका लाभ आप आम जनता तक नहीं पहुंचा पायेंगे। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, दवा उद्योग—इन सबका आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं में बारबार हो चुकी है,

लेकिन आप फिर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस बात को भी आप जानते हैं कि दवा के क्षेत्र में नेशनलस का शिकंजा होने की वजह से जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कपड़ा उद्योग भी संकट में है। यह सबको मालूम है। "कुमार धूबी" इंजीनियरी नेशनल रबर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, कलक ा इनके राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन आप शान्त हैं। "टिस्को" क्यों प्राइवेट सैक्टर में है? सारे इस्पात कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं, लेकिन टिस्को और टाटा की ट्यूब कम्पनी, टाटा के सारे कारखाने टाटा के कब्जे में हैं—यह बात समझ में नहीं आती है। आपकी नीति अर्थ-तन्त्र को सरकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कही जाती है, हालांकि आप उसको डायल्यूट कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, तो इन कारखानों को अपने कब्जे में लेकर चलाने में, आम जनता के फायदे में इस्तेमाल करने में, क्या दिक्कत है ?

बिहार में कुछ नए उद्योग खोलिए। उत्तर बिहार में तो सिवाय चीनी उद्योग के कुछ भी नहीं है। उत्तर में मुगलसराय से भागलपुर और गया के पांच-सात जिलों में कोई इण्डस्ट्री नहीं है। पटना जो सूबे की राजधानी है उसके आसपास भी कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। बिहार को पिछड़ा हुआ खुद योजना मन्त्री जी ने कहा है। वहां सबसे ज्यादा गरीबी है। लेकिन वह गरीबी मिटेगी कैसे ? उद्योग धन्धे लगाइए, भूमि सुधार कीजिए और वहां जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उन तमाम चीजों को ठीक कीजिए, तब ही वहां की गरीबी मिट सकेगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिन जिलों का मैंने जिक्र किया है—पटना, गया, भोजपुर, इन तमाम जिलों का सर्वे कराइए और इधर कोई इण्डस्ट्री लगवाइए, मेरा तात्पर्य है सरकारी कारखाने लगवाइए। आप केवल मिश्रित उद्योग के नाम पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मदद न कीजिए, इस नीति को त्यागिए।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री को बधाई देता हूं। ऐसे समय में जबकि विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादन में एक प्रतिशत वृद्धि हुई है, भारत में चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। मैं पूछता हूं कि क्या यह कोई छोटी सफलता है, विशेषकरण जबकि देश भर में सामान्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं? औद्योगिक विस्तार बहुत हुआ है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां उद्योग थे ही नहीं।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदण्ड जिला नहीं, बल्कि खण्ड (ब्लाक) होना चाहिए, क्योंकि जिला बहुत बड़ा होता है। मैं चिंगलपट्टु जिले से आता हूं, जो कि उत्तर तथा दक्षिण दो भागों बांटा गया है। जबकि उत्तरी भाग में कुछ उद्योग हैं, दक्षिणी भाग में केवल एक या दो छोटे उद्योग हैं। यह समूचा जिला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला समझा जाता है। मुझे ज्ञात है कि मेरे जिले के चार ताल्लुकों में एक भी उद्योग नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या किसी विशेष जिले को समूचे जिले को पिछड़ा क्षेत्र अथवा विकसित क्षेत्र मानने की नीति ठीक है अथवा इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये, ताकि कम-से-कम खण्ड स्तर पर एक उद्योग अवश्य हो तथा किसी जिले को केवल इस आधार पर विकसित क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिए कि उस जिले में एक उद्योग है···(व्यवधान)।

हम ग्रामों के विकास और ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने की बातें करते हैं।

कुटीर उद्योगों का युग चला गया । विचार में देश भर में कुटीर उद्योग ग्रामीण व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं । कुटोर उद्योगों के लिए नियत अधिकांश धनराशि कुटीर उद्योग बोर्ड में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति अथवा कुछ अधिकारी ही हड़प जाते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि यह केवल धन बर्बाद करना है ।

इसलिए अब समय आ गया है जबकि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि ग्रामों में यदि बड़े उद्योग नहीं तो छोटे उद्योग तथा मध्यम उद्योग स्थापित किए जायें । वहां पर्याप्त मात्रा में क्षमता मौजूद है, आधारभूत ढांचा उपलब्ध है और बहुतायत में बेरोजगार स्नातईक उपलब्ध है । अतः हमें उनका उपयोग करना होगा । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग तथा मध्यम उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

कांजीवरम जिला, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, रेशमी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है । यद्यपि वहां रेशम उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या दो से तीन लाख है फिर भी तहां कोई बड़ा या मध्यम रेशम उद्योग नही है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि रेशमी कपड़ा बनाने के लिए वहां एक मध्यम उद्योग स्थामित किया जाये ।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुन्टूर) परन्तु वे लोग बेरोजगार हो जायेंगे ।

श्री ईरा अनबारासू : नहीं, इससे बुनकरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि हम मध्यम उद्योग स्थापित करते हैं तो भी इससे बुनकरों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस सन्दर्भ में मैं अनुरोध करता हूं कि दक्षिण चिंगलपट को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां रेशमी कपड़ा बनाने के लिए एक उद्योग स्थापित किया जाए । मैं पुनः सुझाव देता हूं कि किसी पूरे जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने की बजाय प्रत्येक ब्लाक या ताल्लुक का औद्योगिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए और औद्योगिक विकास के लिए ताल्लुक या खण्ड को एकक माना जाये ।

मैं भारी उद्योग क्षेत्र के कार्य का भी उल्लेख करना चाहूंगा । मैं माननीय उद्योग मंत्री को बधाई देता हूं कि भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन 18 बड़े उपक्रमों के उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है । गत वर्ष यह वृद्धि 25 प्रतिशत थी । यह बहुत अच्छा कार्य है और और आगामी वर्षों में भी ऐसा ही कार्य होनाचाहिये ।

मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि सरकार ने कारों को और अधिक ईंधनदक्ष बनाने के लिये अभियान आरम्भ किया है । यह बहुत महत्वपूर्ण है । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए कि भारत में बने वाहनों में कम-से-कम ईंधन इस्तेमाल हो । ईंधनदक्ष वाहन बनाने वाले सभी निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

फिर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों में की गई इस आलोचना की ओर दिलाना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न इंजन क्षमता की ईंधन दक्ष कारों पर भिन्न-भिन्न सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क लगाया गया है । जबकि 1000 सीसी तक की क्षमता के इन्जनों वाली कारों पर 40

प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, इससे अधिक क्षमता वाली कारों पर 160 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। यह ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि क्षमता में भिन्नता के कारण शुल्क में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। हमें 40 प्रतिशत शुल्क का लाभ सभी क्षमताओं वाली कारों को देना चाहिए ताकि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कार का चयन कर सकें।

वास्तव में हमें विभिन्न प्रकार की कारें बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। 1000 सी० सी० से अधिक क्षमता के इन्जनों वाली ईंधन दक्ष कारों पर 160 प्रतिशत शुल्क लगाने से वाहन उद्योग पर कुप्रमुत्व पड़ेगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए उत्पादन पर नियंत्रण की नीति को बदला जाये। हमें ऐसी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें उत्पादन अधिक-से-अधिक हो। उत्पादन पर नियंत्रण करके मुद्रा स्फीति को रोकने की सरकार की नीति असफल रही है। इसलिए सीमित उत्पादन की बजाय अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाने चाहिए, ताकि लोगों को सरजाई उपलब्ध हो और हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे औद्योगिक विकास की चिन्ता जनक स्थिति का एक कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों मुख्यतय विद्युत प्रजनन कोयला, इस्पात, लोहा, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद आदि से सम्बन्धित उद्योगों का कार्यकरण दक्ष नहीं है।

इन सब सेवाओं में सुधार करना होगा। बिजली, कोयला और परिवहन की कमी के कारण गत तीन वर्षों में भारत की अर्थ व्यवस्था पर बहुत कुप्रभाव प्रड़ा है और इससे औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में बहुत गिरावट आई है। सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त विद्युत प्रजनन, एककों जैसा कि महाराष्ट्र के टाटा एकक, कलकत्ता निगम, इलाहाबाद विद्युत संयंत्र का कार्यकरण सरकारी क्षेत्र के एककों की तुलना में कहीं बेहतर रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र के एककों में प्रबन्ध दक्षता है। व्यवसायिक दृष्टि से वे बेहतर हैं। मैं टाटा तथा बिडला की सरहाना नहीं कर रहा हूं, मैं वो केवल यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को अपने एककों में बेहतर दक्षता लानी चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच सहयोग से प्रबन्ध में दक्षता लायी जा सकती है।

भारत में आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध है तथा औद्योगिक क्षमता और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। उद्योग का विकास हो सकता है, बशर्ते कि इसे सरकार के नियंत्र और पेंचिदा प्रक्रियाओं से मुक्त किया जाये। कुछ औद्योगिक राष्ट्रों का विचार है कि आगामी 20 वर्षों में भारत न केवल एक अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन जायेगा अपितु वह मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो। मूल्यों को नियन्त्रण में रखने तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र यही तरीका है।

तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री के समक्ष कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। 1982 में तमिलनाडु के मंत्री ने यमिलनाडु विधान सभा में यह कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने 641 उद्योगों के लिए आवेदन भेजे हैं जिनमें से 315 उद्योग औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में

स्थापित किए जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता होता है कि इन आवेदनों में से केवल 66 मामलों में आशय पत्र दिये गये हैं। मैं इन मामलों के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता और न ही तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों को दोहराना चाहता हूं परन्तु……

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : क्या यह आरोप नहीं है ?

श्री ईरा अनबारासु : हर समय तमिलनाड की ए० डी० एम० के० सरकार यह आरोप लगाती रहती है कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है। यह एक गम्भीर आरोप है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या झूठ है।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : आपकी राय में सौतेली मां का सा व्यवहार नहीं हो रहा है ?

सभापति महोदय (~~श्री सोमनाथ चटर्जी~~) : कृपया बीच में न बोलिए।

श्री ईरा अनबारासु : जब तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो तमिलनाडु के एक सदस्य ने कहा था कि तमिलनाडु का दर्जा तीसरा या पांचवां है। उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु का दर्जा तीसरा था। इसका श्रेय श्री आर० वेंकटरामन को है जब वह उद्योग मंत्री थे तो वे वहां औद्योगिक क्रांति लाये थे। उनके प्रयास के बिना तमिलनाडु में इतनी प्रगति नहीं हो सकती थी।

माननीय मंत्री ने तमिलनाडु में एक बैठक बुलायी थी जिसमें मैंने भी भाग लिया था।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : राज्य सरकार के मंत्री की उपस्थिति में……

श्री ईरा अनबारासु : मैं नहीं समझता है हमें सत्ता से बाहर क्यों कर दिया गया। कांग्रेस शासन के बाद तमिलनाड में उद्योगो में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण प्रशासन की अदक्षता अथवा प्रशासन की कमी हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां 40 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से एक पोलिएस्टर एकक स्थापित किया जाने वाला था। मैं समझता हूं कि तमिलनाडू सरकार को एक पत्र भेजा गया है ताकि वे चर्चा में भाग ले सकें। मुझे ज्ञात हुआ है कि चर्चा में भाग लेने के लिए तमिलनाडू से कोई भी नहीं आया। लापरवाही के कारण हमने इसे एकक को खो दिया और यह एकक किसी अन्य राज्य में लगाया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात में विशेष रुचि लें कि राज्य को उसका समुचित हक दिया जाए, ताकि तमिलनाडु में उद्योगों का विकास हो सके।

फिर मैं कहना चाहूंगा कि हाल में……

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : यदि स्थानीय सरकार सहयोग नहीं दे रही है और पहल नहीं कर रही है, तो मंत्री जी क्या कर सकते हैं ?

श्री ईरा अनबारसु : जी हां। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आयेगी और हम तमिलनाडु में अधिक उद्योग स्थापित कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

महोदय, हाल में मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री या एक वक्तव्य पढ़ा है कि उन्होंने उद्योग मंत्री को पत्र लिखा है कि तमिलनाडु में होसूर के निकट हो रहे औद्योगिक विकास को रोका जाये। महोदय, ऐसा ज्ञात होता है कि होसूर में औद्योगिक विकास होने से बंगलौर के लोगों पर आवास तथा अन्य सुविधाओं के मामले में प्रभाव पड़ा है। महोदय, यह वक्तव्य राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वह तमिलनाडु की सीमा पर अनाईकल के निकट एक अन्य औद्योगिक केन्द्र का विकास कर रहे हैं। वहां अनेक उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। उनके तर्क के अनुसार यदि होसूर में औद्योगिक विकास को रोका जाये, तो क्या वह उनका दायित्व नहीं है कि अनाईकल क्षेत्र में किये जा रहे औद्योगिक विकास को भी रोका जाये। परन्तु वह तमिलनाडु की कीमत पर समृद्धि चाहते हैं। यह राजनीति से प्रेरित चाल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री के ऐसे वक्तव्यों की ओर ध्यान न दिया जाय।

मैं एक बार पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं अन्ना प्रमुख सरकार द्वारा लगाये जा रहे आरोपों को गलत सिद्ध किया गया और तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किये जायें ताकि इस राज्य का औद्योगिक विकास हो इसकी गणना अग्रणीय औद्योगिक राज्य में हो।" इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उद्योगों की प्रगति और इनका विकास देश में असमान रूप से हुआ है। जहां तक विभिन्न राज्यों का सम्बन्ध है कुछ राज्यों के साथ सौतेला बरताव किया गया है।

श्री ईरा अनबारसु : जी, नहीं। यह गलत है।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : उदाहरणार्थ जिस राज्य का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस राज्य केरल की उद्योगों की स्थापना और इसका विकास करने के सम्बन्ध में पिछले 35-36 वर्ष के बीच उपेक्षा की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केरल में मानवीय संसाधनों तथा कच्चे माल और बिजली की बहुतायत है। यद्यपि इस समय हमारे यहां बिजली कम मात्रा में है, क्योंकि यहां सूखा पड़ा था परन्तु हम आशा करते हैं कि भविष्य में यहां बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। जहां तक उद्योगों की स्थापना और उनके विकास का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने केरल की लगातार उपेक्षा की है।

श्री ईरा अनबारासु : आप साम्यवादियों की गतिविधियों के कारण केरल में उद्योगों में प्रगति नहीं हुई है।

श्री ए० नीलालोहि थादासन नाडार : क्या इसको सच मान लिया जाए ? क्या उद्योग मंत्री इस वक्तव्य से सहमत हैं ?

हमारे यहां केवल परम्परागत उद्योग ही चले आ रहे हैं। नारियल जटा, हथकरघा, काजू और बीड़ी आदि परम्परागत उद्योग भी अब नष्ट होते जा रहे हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में सरकार को कई बार कहा गया परन्तु उद्योग मंत्री ने अभी तक इन परम्परागत उद्योगों को नष्ट होने से बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। नारियल जटा उद्योग केरल का मुख्य परम्परागत

उद्योग है। श्री रामावतार शास्त्री भी इस सम्बन्ध में कह रहे थे और केरल सरकार ने की फरवरी, 1979 में नारियल जटा विकास योजना सरकार को भेजी थी। वर्षों बीत जाने पर भी अभी भी वह योजना केन्द्रीय सरकार के यहां बट्टे खाते में पड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार नारियल जटा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करने जा रही है? औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिवेदन में नारियल जटा उद्योग और नारियल जटा बोर्ड तथा अन्य बातों के बारे में कुछ कहा गया है। नारियल जटा उद्योग से सम्बन्धित सभी लोग, जैसे उसमें कार्यरत मजदूर, राजनीतिक दल, कार्मिक संघ और केरल सरकार इस उद्योग का मशीनीकरण करने के खिलाफ है, क्योंकि इससे बहुत से मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। पहले इस उद्योग का मशीनीकरण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ऐसा केरल में नहीं किया गया। इसका सम्बन्धित लोगों ने विरोध किया है। नारियल जटा बोर्ड ने भी इसे गम्भीर बात माना है। यदि मेरी बात सही है, तो नारियल जटा बोर्ड के प्रतिनिधि ने मन्त्री महोदय को एक अभ्यावेदन दिया था और बाद में सरकार से भी कहा था कि नारियल जटा उद्योग का मशीनीकरण शुरू करने को अनुमति न दी जाए। नारियल जटा बोर्ड की इस आपत्ति को दरकिनार कर सरकार ने फिर भी इस उद्योग का मशीनीकरण प्रारम्भ करने के लिए कुछ बड़े उद्योगपतियों को अनुमति दे दी। जिसमें भारत सरकार, मंत्री महोदय या अन्य किसी का हित हो सकता है, मुझे यह नहीं पता। तो ऐसी खेदजनक स्थिति है। मैं भारत सरकार से और आपकी मार्फत मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे केरल म परम्परागत उद्योगों, विशेषकर नारियल जटा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कारगर कदम उठाएं और केरल के औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करें क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है।

हमारे संविधान में समाजवादी पद्धति अपनाए जाने का वायदा किया गया है, परन्तु जहां तक वर्तमान औद्योगक नीति का सम्बन्ध है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए हैं। वास्तव में हम इसके ठीक उलटे चल रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहे हैं। एकाधिकार प्राप्त गृहों को खुली छूट दी गई है। ऐसे उद्योगों पर जिन्हें हमारे अपने आदमी कहीं अच्छी तरह से चला सकते हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का साम्राज्य है। सिगरेट, टूथ पेस्ट और ब्रुश, प्रसाधन सामग्री आदि में इनका एकछत्र अधिकार है। यह बड़े ही खेद की बात है। वास्तव में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम समाप्त प्रायः हो चुका है। 13 अप्रैल के "इकोनोमिक टाइम्स" में एक समाचार को पढ़कर मैं स्तम्भित रह गया। यदि यह समाचार सही है तो हम एक बहुत खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 31 मार्च को विद्यमान बढ़ी हुई क्षमता यदि लाइसेंस शुदा क्षमता निश्चित की जा रही है तो, लाइसेंस समिति और इसकी भूमिका एक तरह से बेकार सी हो जाती है। इससे देशी उद्योगों को हानि पहुंचाकर बहुराष्ट्रीय फर्मों को सहायता दी जा रही है।

फिर एक मामला 'उद्योगविहीन जिलों' का है। अपने प्रतिवेदन और विवरण में सरकार ने 'उद्योगविहीन जिलों' और अन्य बातों के बारे में बहुत कुछ कहा है। 30-3-1983 को हमारे नेता हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4950 और 5120 के उत्तर में बताया गया था कि: (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

1606

"पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी में स्थापित किए जाने वाले

छोटे पैमाने, लघु और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना पर राज्य के बजट में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की पूंजी गत राज सहायता दी जाएगी। अल्मोड़ा में 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजीगत राज सहायता मिलेगी।"

उत्तर प्रदेश में ऐसे आठ पहाड़ी जिले हैं जो उद्योगविहीन जिलों के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार केवल अल्मोड़ा को ही 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता दी गई है। अन्य 7 ज़िलों को क्यों छोड़ दिया गया है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि हमारे नेता बहुगुणा इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अल्मोड़ा पूंजीगत राजसहायता प्राप्त जिला है। 'उद्योगविहीन जिलों' सम्बन्धी गहन योजना अभी घोषित करनी शेष है। उत्तर प्रदेश में 6 पूंजीगत राजसहायता प्राप्त जिले हैं। जिनमें से अल्मोड़ा एक है। अन्य जिले पूंजीगत राजसहायता प्राप्त जिले नहीं हैं। कुछ योजनाओं की अभी घोषणा करनी है।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : मुझे आपकी मार्फत माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर खींचने पर खेद है कि गत 3 वर्षों में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में एक भी नया उद्योग स्थापित नहीं किया गया।

श्री सी० टी० दंडपाणि : उससे पहले जनता के राज्य में क्या हुआ ?

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : परिवहन राज-सहायता के बारे में······

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) **:** श्री बहुगुणा वित्त मंत्री थे, वे वहां और पहले इन्हें शुरू कर सकते थे।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : जो भी कार्य वहां शुरू किए गए वे तब शुरू किए गए थे तब वे वहां मुख्य मंत्री थे और मुझे इस बात का गर्व है।

सभापति महोदय (~~श्री चिन्तामणि पाणिग्रही~~) : उनके कहने का मतलब है कि जनता के शासन काल में वे अधिक की आशा नहीं कर सकते थे, परन्तु कांग्रेस (इ) के शासनकाल में कुछ तो आशा कर सकते हैं। यही बात श्री दंडपाणि कहना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) **:** जब आप पीठासीन हों तब कांग्रेस (इ) का पक्ष नहीं ले सकते।

श्री सी० टी० दंडपाणि : वे श्री नाडार को, जो कुछ मैंने कहा है उसे स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : वर्ष 1982-83 के औद्योगिक विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में पृष्ठ 32 पर कहा गया है :

"कुछ चुने हुए रेल स्टेशनों/बन्दरगाहों से कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन पर 50 प्रतिशत तक की परिवहन राज-सहायता भी दी जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम समेत उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अण्डमान और

निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं।"

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राज-सहायता उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भी उपलब्ध है।

सरकार ने 1982-83 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है। परन्तु मुझे यह कहते हुए हंसी आ रही है कि इस उत्पादकता वर्ष में 13 राज्यों में 80 से 90 प्रतिशत तक बिजली की कटौती···

सभापति महोदय (~~श्री चिन्तामणि पाणिग्राही~~) : आपने 5 के बजाय 13 मिनट ले लिए हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : इसमें अधिकतर समय आपने और मंत्री महोदय ने तथा सदन के अन्य सदस्यों ने···

सभापत महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए० नीलालोहि थादासन नाडार : जहां तक हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के कारखानों में उत्पादन का प्रश्न है उनमें योजना तथा सूझबूझ की कमी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन के सम्बन्ध में वे कुछ समय अर्थात् 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष के लिए जैसी आवश्यकता हे उसके अनुसार, योजना बनाएं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारी इंजीनियरी निगम, रांची के पास कितने हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रोकल्स लिमिटेड के पास कितने क्रयादेश हैं? मैं यह जानकारी प्रत्येक कारखाने के सम्बन्ध में अलग-अलग चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार और उद्योग मंत्रालय उर्वरक उद्योग के तेजी से विस्तार के लिए उसकी आवश्यकता के उपकरणों की जरूरत से अवगत है? जब इन सरकारी क्षेत्र के कारखानों की योजना बनाई जाती है और इनके कार्यक्रम को लागू किया जाता है तब क्या इनकी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है?

इसी प्रकार मैं मांग करता हूं कि इस समय अन्धाधुंध प्रौद्योगिकी का जो आयात हो रहा है उसे बन्द किया जाए।

मैं अपने वैज्ञानिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। बी० एच० ई० एल० के अनेकों वैज्ञानिकों के मामले इस सदन में भी उठाए गए। परन्तु सरकार ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत हमारे यहां अनेकों संस्थाएं जैसे आई० आई० टी०, विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान और विकास संगठन हैं। मैं मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि क्या इन संस्थाओं की गतिविधियों का सम्बन्ध हमारी औद्योगिक आवश्यकताओं और जरूरतों से हैं। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उद्योगविहीन जिलों, 'विशेषकर उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी जिलों और केरल में जिलों, के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

धन्यवाद।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, इस विशाल देश के विकास और समृद्धि के लिए कृषि और उद्योग का समानन्तर विकास होना बहुत जरूरी है। देश की आजादी के बाद जहां कृषि के विकास का कार्यक्रम चलाया गया, वहां साथ ही साथ यह भी महसूस किया गया कि बड़े पैमाने पर और द्रुत गति से देश का औद्योगिक विकास भी किया जाए, और यह हुआ भी। देश का औद्योगिक विकास हुआ, मगर फिर भी आज भी इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, खासकर देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में।

जिन क्षेत्रों में आबादी के बहुत बड़े हिस्से की जीविका कृषि पर निर्भर करती है, वहां ही गरीबी ज्यादा है, वहां ही जीवन का स्तर नीचा है और वहां ही प्रति-व्यक्ति आय भी कम है। देश का बहुत औद्योगिक विकास और कृषि का विकास हुआ, देश साइंस और टेकनालोजी में आगे बढ़ा, लेकिन इस विशाल देश के ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां गरीबी, पिछड़ापन और आर्थिक तंगी है। इन इलाकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास में जो असंतुलन है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। देश में औद्योगिक विकास की मांग चारों ओर से हो रही है। हर प्रदेश में, हर जिले में उद्योग लगाने की मांग हो रही है। यह तो सम्भव नहीं है। आजादी के बाद प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में मिक्स्ड इकानोमी, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, की नीति की निर्माण किया। वह जानते थे कि किसी एक सैक्टर के द्वारा इतने विशाल देश का शीघ्रतापूर्वक विकास नहीं हो सकता। इसलिए यहां मिक्स्ड इकानोमी स्वीकार की गई—पब्लिक सैक्टर, कोआपरेटिव सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर सभी को इस काम में लगाया गया। इस समय देश में व्यापक औद्योगीकरण केवल पब्लिक सैक्टर में होना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि औद्योगीकरण का जो काम पब्लिक सैक्टर में चल रहा है उसे चलाया जाए और जहां सम्भव हो, उसको बढ़ाया जाए। उसी प्रकार को-आपरेटिव सैक्टर को भी चलाया और बढ़ाया जाए। लेकिन प्राईवेट सैक्टर को प्रोत्साहित करके इस काम में बड़े पैमाने पर लगाने की आवश्यकता है। अगर देश की गरीबी को दूर करना है, देश के पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाना है, देश के विकास के असंतुलन को दूर करना है, तो प्राईवेट सैक्टर को प्रोत्साहन देकर औद्योगीकरण के काम में लगाना होगा, नहीं तो इस असंतुलन का कोई भयंकर परिणाम हो सकता है।

मेरा स्पष्ट विचार है कि अगर पिछड़े इलाकों में पब्लिक सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर के अन्तर्गत औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता, तो वहां पर प्राईवेट सैक्टर को उदारतापूर्वक लाइसेंस दिए जाएं, बिजली दी जाए और यथासंभव सब प्रकार की अन्य सहायता दी जाए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 85 उद्योग-विहीन, नो इण्डस्ट्री, जिले हैं और वहां पहले उद्योग लगाए जायेंगे। अभी जो बात तमिलनाडु के मित्र कह रहे थे, वही बात हम पर लागू होती है। हमारा मिर्जापुर जिला लम्बाई-चौड़ाई में केरल और हरियाणा के बराबर है। वहां एक किनारे पर कोयला मिला है, तो वहां पर थर्मल पावर स्टेशन लग गए हैं। यह बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हमारा जिला बिजली की राजधानी हो गया है। रिहंद डैम के पास बिजली उपलब्ध

होने के कारण वहां बिड़ला का एलुमिनियम का कारखाना लग गया है। फिर वहां पर लाइमस्टोन और कोयला है, इसलिए सीमेंट के कारखाने भी लग गए हैं।

लेकिन सारा उत्तरी मिर्जापुर, जो चार जिलों के बराबर है, पिछड़ गया है, उजड़ रहा है, वहां से लोग कलकत्ता और बम्बई भाग रहे हैं, दक्षिण मिर्जापुर भाग रहे हैं, गरीबी बेतहाशा बढ़ रही है। हमने केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार और उद्योग मंत्री से, जो सारे जिले के चप्पे-चप्पे में घूमे हुए हैं, उसके एक-एक विकास-खंड को जानते हैं, बार-बार कहा है कि मिर्जापुर के उत्तरी हिस्से को उजड़ने से बचा लीजिए और मिर्जापुर शहर के पास कम से कम एक दो उद्योग दे दीजिए, ताकि वह उजड़ने से बच जाए।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के और जिलों की वकालत भी करूंगा। गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, गौंडा, सुल्तानतुर, गोरखपुर सब नो इण्डस्ट्री जिले घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए वहां पर बड़े-बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि मिजापुर नो इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट नहीं है। इसके दक्षिण में जितने बड़े-बड़े कारखाने लग रहे हैं, उतनी ही वहां गड़बड़ हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि पांच प्रदेश मिलकर एक प्रदेश बने हुए हैं। पर्वतीय उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 75 पैसे है, बुन्देलखण्ड में 80 पैसे हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में एक रुपया है, पहाड़ी क्षेत्र में 90 पैसे है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं पर 3 रुपया और कहीं पर 4 रुपया है।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है जो कि यूरोप की आधी के बराबर है। उत्तर प्रदेश में डिफरेन्ट नेचर के इलाके हैं और वहां पिछड़ापन बहुत है और उसकी तरफ सरकार को जितनी तवज्जह देनी चाहिए, वह नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश एक बटा 6 भारत है। छठी पंचवर्षीय योजना भी माननीय उद्योग मंत्री ने ही बनाई थी। उनकी कृपा भी उत्तर प्रदेश पर रही है। लेकिन आप देखें कि छठी पंचवर्षीय योजना में पर कैपिटा प्लांन आउटले क्या रहा :

उत्तर प्रदेश	567
राजस्थान	577
केरल	570
आंध्र प्रदेश	584
पश्चिम बंगाल	600
कर्नाटक	614
तमिलनाडु	651
मध्य प्रदेश	687
महाराष्ट्र	983

गुजरात	1073
पंजाब	1179
हिमाचल प्रदेश	1273
हरियाणा	1385

इस प्रकार से उत्तर प्रदेश काफी पीछे हो गया।

इसी प्रकार से आप देखें कि छठी पंचवर्षीय योजना में पर-कैपिटा सेन्ट्रल असिस्टेन्स क्या रही। मैं उससे पहले की योजनाओं की बात नहीं करना चाहता।

उत्तर प्रदेश	218
पंजाब	221
बिहार	224
गुजरात	225
हरियाणा	231
राजस्थान	243
मध्य प्रदेश	245
उड़ीसा	301

उतर प्रदेश में इसी प्रकार से बिजली का कंजम्शन भी सबसे कम है हालांकि सारी बिजली का तीन चौथाई भाग हमारे मिर्जापुर में ही पैदा होता होगा, लेकिन फिर भी वहां पर बिजली का कंजम्शन सबसे कम है। उत्तर प्रदेश जो आधे यूरोप के बराबर है, 13 करोड़ जिसकी आबादी है, जो कि सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका है, वहां पर पैर-कैपिटा इनकम भी कम और पैर-कैपिटा केन्द्रीय सहायता भी कम। मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के विशाल प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन से बचायें, वहां पर उद्योगीकरण किया जाए ताकि वहां विकास हो सके अन्यथा वहां पर निराशा का वातावरण पैदा हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहता हूं। किसी भी इलाके में केवल कुछ बड़े उद्योग लगा देने से ही समाधान नहीं निकलेगा। हमारे उद्योग मंत्री ने तो दुनिया देखी हुई है और हमने भी जैसा कि पढ़ा है, जापान का उद्योगीकरण दुनिया के लिए एक आदर्श है। कहीं पर 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता है तो उसके ईद-गिर्द का जो इलाका है, जो ब्लाक, खण्ड तथा अंचल होते हैं, वहां पर एंसिलरीज लगा दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए इलाहाबाद में हेडक्वार्टर पर अगर साईकल का कारखाना खुले और आस-पास के इलाकों में कहीं पर तीली, कहीं पर रिम और कहीं पर टायर बनें तो इस तरह से 20-25 एंसिलरीज खुल जायेंगे जिनमें 20-25 ब्लाक्स कवर हो जायेंगे। इस प्रकार से उस पूरे इलाके में एम्पलायमेंट मिल सकता है और वहां के लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो सकता है। मेरे जिले मिर्जापुर में उद्योगीकरण तो हुआ है लेकिन अगर वहां पर हर

विकास खण्ड में सहायक उद्योग भी लगा दिए जायें तो वहां के लोगों को काम मिल जाएगा। वहां विकास हो जाय, वहां के लोग भी आगे बढ़ जायें। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां-जहां बड़े उद्योग लगाए जाएं, उन के आस-पास एन्सीलियरी यूनिट्स लगा कर विकास एण्ड के लेविल पर विकसित किया जाय।

कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन में बड़ा फायदा होता है। उनको आप ग्रामीण उद्योग, काटेज इण्डस्ट्री, स्माल स्केल इण्डस्ट्री, चाहे जो कहिए। हमारे पूर्वी क्षेत्र में जैसे हथकरघा उद्योग है, कालीन उद्योग है, बर्तन उद्योग है, खादी-ग्रामोद्योग के अन्तर्गत अनेक उद्योग हैं, जिनसे लोगों को एम्पलायमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, उनका स्तर ऊंचा होता है, गरीबी दूर होती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, हैण्डलूम उद्योग, सिल्क साड़ी बनाने के उद्योग इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दीजिए तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जिन उद्योगों की सूची स्वीकृत है उनको बढ़ा कर जैसे पत्थर उद्योग, काष्ठ काला उद्योग, मिट्टी उद्योग को भी उनमें शामिल करके ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया जाय।

बिजली, कोयला और कच्चे माल की कमी के बारे में अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं अब केवल दो प्वाइन्ट्स और रखना चाहता हूं—जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, मल्टी-नेशनल कम्पनियां हैं या बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने हैं, ये छोटी चीजें भी बनाते हैं, जैसे साबुन बनाते हैं, कलम बनाते हैं। अगर ये बड़े लोग ऐसी चीजों को बनायेंगी तो हमारी विलेज इण्डस्ट्रीज या काटेज इण्डस्ट्रीज क्या बनायेंगी और यदि बनायेंगी भी तो कैसे उनके मुकाबले कायम रह सकेंगी। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कोई डिमार्केशन किया जाय। जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं वे बड़ी कम्पनियां बनायें, लेकिन जो छोटी चीजें हैं जिनको हमारे छोटे और मझोले उद्योग बना सकते हैं उनके बनाने की इजाजत उनको ही दी जाय, बड़े उद्योगों को न दी जाय।

आखरी निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो हमारे पब्लिक सैक्टर के उद्योग हैं उनकी जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी होती है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, जबकि प्राइवेट सैक्टर के उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियों में घाटा नहीं होता है, मुनाफा होता है, उत्पादन पूरा होता है, लेकिन पब्लिक सैक्टर में घाटा होता है, उत्पादन कम होता है और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। मैं इस सम्बन्ध में एक विनम्र निवेदन करूंगा—हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं उनको आइ० ए० एस० या पी० सी० एस० कैडर के लोग चलाते हैं। मुझे उन पर अविश्वास नहीं है, वे हमारे सीलेक्टेड माइण्ड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में औद्योगिक प्रबन्ध सेवा में परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने, मझोले कारखाने चलाने हैं तो चाहे उन्हीं लोगों में से लें, लेकिन उनको प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे इन कारखानों को चलाने की क्षमता हासिल कर सकें। जिससे स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो, उनमें घाटा न हो, जितना उत्पादन होना चाहिए वह हो और यह जो बदनामी आज होती है कि पब्लिक सैक्टर में कुछ नहीं होता है, सब फेल हैं, निकम्मे हो गए हैं, असफल हो गए हैं—इस कलंक से बेचा जा सके। इस दिशा में सरकार को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और इसी सिलसिले में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

जनता सरकार ने जो जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए थे वे बेकार सिद्ध हुए हैं। ये केन्द्र तो परामर्श सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ असन्तुष्ट लोगों को इनमें रोजगार मिल गया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही ही कह सकता हूं।

मुझे अपने जिले, तिरुनेलवेली में जिला उद्योग केन्द्र के कार्यकरण का जाती तजुर्बा है। उनसे जो कोई भी किसी उद्योग के बारे में परामर्श मांगता है उससे यही कहा जाता है कि कुछ समय बाद आपको भेज दिया जाएगी। वे लोग हमेशा इन्हीं शब्दों में जवाब देते हैं।

उनका यही एक उत्तर होता है। इस जिला उद्योग केन्द्र से पहले, इस जिले में एक सहायक निदेशक होता था। वे प्रमाण-पत्र आदि इन सब बातों की देखरेख करते थे। किन्तु अब उनके 50 से अधिक कर्मचारी हैं जिनके वेतन आदि का भारत सरकार वहन करती है। दुर्भाग्य की बात तो यह है यहां मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। मैंने इस बारे में उन्हें बहुत पत्र लिखे हैं।

जिला उद्योग उप-समिति नाम की एक उप-समिति है। गत तीन वर्षों से मैं उस समिति में हूं। अब तक उसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है। कोई भी अधिकारी लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। ऐसा प्रशासन चल रहा है किसी भी व्यक्ति को एस० आई० एस० आई० प्रमाण-पत्र लेने के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है। इस केन्द्र में यह विषमता है।

अब मैं छोटे उद्योगों के बारे में, जिनका वार्षिक उत्पादन 33,000 करोड़ रुपए का होता है, अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे आदरणीय मित्र, श्री तिवारी यहां उपस्थित हैं। मैंने उन्हें जिला उद्योग केन्द्र समाप्त करने के लिए कई पत्र लिखे हैं। पांच मिनट पहले मैं इसका उल्लेख अपने मित्र श्री कृष्ण से कर रहा था। इस केन्द्र को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार यह तो कहती है कि वह छोटे उद्योगों के विकास के लिए वचनबद्ध है जिनमें अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय इन लघु एककों से प्रति वर्ष केवल 210 करोड़ रुपए का माल खरीदता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों से माल खरीदने के लिए कैसे रुचि लेंगे।

कुछ समय पूर्व यह बताया गया था कि 5000 से अधिक लघु उद्योग एकक अलाभप्रद हैं। मेरे मित्र श्री कृष्ण इस विषय से संबंध रखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष ने बताया था कि यह बात औद्योगिक वातावरण के हित में हैं कि ऐसे सब एककों को बन्द किया जाए। परन्तु इसके साथ ही साथ यह बात भी है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं अलाभप्रद बड़े उद्योग के पीछे भागती हैं। भारतीय वस्त्र निगम को बिचार के अलाभप्रद एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई है तथा इसके इवज में उन्हें इण्डिया सीमेंट के अंश बेचे गए हैं। अब उनका प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया है। अब उनको सुव्यस्थित करने

के लिए लोकधन लगाया जाता है तथा बाद में उन्हें पुराने प्रबन्धकों को सौंप दिया जाता है। मैं हैरान हूं कि केन्द्र बड़े उद्योगों के प्रति क्यों चिन्तित रहता है।

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियां सभी आशय पत्र प्राप्त कर लेती हैं जिनसे नए उद्यमी औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। मैं जानना चाहता हूं कि बड़े एककों ने कितने आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन नहीं किया है। सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को इस सम्बन्ध में कड़ाई से लागू करना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आयात पर नियंत्रण रखना चाहती है। नयी निर्यात-आयात नीति के अनुसार केवल आयात से 500 करोड़ रुपए की बचत होने की सम्भावना है। परन्तु मैं इस बात से हैरान हूं कि सोडा-ऐसा जैसी एक साधारण मद का आयात हो रहा है। जबकि हव प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है। यह बात कि वह देश में उपलब्ध नहीं है बिल्कुल सही नहीं है। सरकार ने देश में इसकी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन क्षमता का प्रबन्ध किया है। आप सोडा ऐश आयात करने की अनुमति देते हैं। इससे मजबूर होकर देश के उत्पादक आजकल अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं। अतः माननीय मंत्री श्री तिवारी को जो, कि एक बहुत अनुभावी मंत्री हैं, आयात को तुरन्त बन्द करना चाहिए क्योंकि यह देश के उद्योग के हित में है। सरकार ने देश में प्रचुर मात्रा इन्सुलेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया है। दक्षिण भारत में के निर्माता अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष, ऊर्जा मंत्री की सलाह पर करोड़ रुपए के कांच के इन्सुलेटरों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। इससे देश के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आयात किए गए कांच के इन्सुलेटर बेकार पड़े हैं।

श्री सुनील मैत्रा : हां, हां यह कहिए।

श्री के० टी० कोसलराम : ऐसी स्थिति में आप कैसे आशा कर सकते हैं कि देशी उद्योग का विकास हो ?

देश में औद्योगिक असंतुलन भी है। नगरीय क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर विकास हो रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि मैसर्स कोठारिस आफ मद्रास को मद्रास के निकट प्रोपिलिहन ग्लाइकल संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है जबकि तमिलनाडु सरकार संयुक्त क्षेत्र में उसी तरह के संयंत्र की स्थापना के लिए धारंगाधरा कैमिकल वर्क्स के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। यह कारखाना मेरे अपने गांव में स्थित है। मैं जानता हूं कि प्रतिदिन 250 टन क्लोरीन जाया हो रहा है। परन्तु यदि संयुक्त क्षेत्र के इस संयंत्र के लिए अनुमति दे दी जाती तो यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता परन्तु दुर्भाग्य-वश इसके लिए अनुमति नही दी गई। मैंने श्री तिवारी को अनेक पत्र लिखे हैं तथा उन्होंने अपने उत्तर में मुझे लिखा है कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा था तथा मुझे उसका उतर आया है।

तिवारी जी को लिखे गए मेरे पत्रों के बावजूद मैसर्स कोठारिस को लाइसेंस दे दिया गया। उनपर दो बार छापा मारा गया। करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। केवल यह ही नहीं। उनपर मुकदमा भी चलाया गया है। ऐसे लोगों को आशय पत्र दिए गये हैं किन्तु संयुक्त क्षेत्र को नहीं। कृपया इस बात पर विचार करें। यह एक गम्भीर विषय है। आपने मुझे उत्तर भेजा है। मैंने भी बहुत से पत्र

लिखे हैं। कृपया इस पर फिर से विचार करें तथा देखें कि जहां तक सम्भव हो ऐसे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हों। धन्यवाद।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, देश में बेकारों की संख्या बहुत अधिक है। इसके आंकड़े उपलब्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी एक अनुमान है कि इन बेकारों की संख्या 15 से 20 करोड़ के लगभग होगी। ये शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, अर्द्ध प्रशिक्षित हैं और अप्रशिथित हैं। इसके साथ-साथ ये बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार हैं। इन सबकी संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ है इन्हें काम देने के लिए आपके विभाग को ही सोचना होगा।

ये अधिकांश बेरोजगार कई राज्यों में और गांवों में हैं और इनके कारण वहां अशांति है। सब जगह आतंक का वातावरण है। आप तो गांव के रहने वाले हैं। आप सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से बिहार में, उडीसा में, आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में तथा अन्य प्रदेशों में कितनी अशांति है। हो क्या रहा है ? हो यह रहा है कि ये जो गांवों में बसने वाले बेकार लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, खेत मजदूर हैं, सीमान्त कृषक हैं और लघु कृषक हैं, इनके पास साल भर काम नहीं है। इन्हें काम चाहिए। ये काम मांग किससे रहे हैं ? उन लोगों से मांग रहे हैं जो भूखे हैं, अर्द्ध भूखे हैं। वे इन्हें काम नहीं दे सकते हैं। ये हैं गांव के किसान। इसके बारे में प्रबन्ध तो आपको करना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, हर गांव में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित कर दें तो यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके द्वारा आप इन सारे लोगों को, यानी अधिकांश लोगों को काम दे सकते हैं। इससे अपने देश की दशा भी सुधारी जा सकती है। लेकिन दुःख है कि ऐसा हो नहीं रहा है।

ये गांवों में रहने वाले लोग जिन्हें कि हम प्रशिक्षित कह सकते हैं, ये चमार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं सुनार हैं, बुनकर हैं, रस्सी बांटने वाले लोग हैं, टोकरी बनाने वाले लोग हैं, चटाई बनाने वाले लोग हैं। सब अपनी अपनी तरह के कारीगर गांवों में हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। वे शहर की तरफ भाग रहे हैं। फुटपाथ पर भूख से मर रहे हैं। उनको कोई देखने या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके लिए कुछ व्यवस्था आप कर सकते हैं, आपका विभाग कर सकता है।

आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सारी चीजों की जानकारी है। आपने इन गांवों में रहने वाले इन कारीगरों के लिए कुछ कच्चे माल का प्रबन्ध कर दिया तो यह सवाल उठेगा कि बिक्री कैसे हो। ये जो उत्पादन करें, उनकी बिक्री का प्रबन्ध भी आपको करना है, उन्हें बाजार देना है। उनके बनाए माल को आप विदेशों में भी भेज सकते हैं। बड़े शहरों में भी भेज सकते हैं। थोड़ी ऐसे माल की खपत जरूर महंगी हो सकती है। लेकिन फिर भी इन लोगों को प्रोत्साहन देनी की जरूरत है। यदि बड़े लोग, पैसे वाले लोग इन गांवों की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से अन्य लोग भी इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार काम बढ़ेगा। ग्रामीण और लघु उद्योग के सम्बन्ध में बहुत सी समितियां बनी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से समितियां बनती चली आ रही हैं। 1955 में कर्वे समिति बनी और उसकी रिपोर्ट भी आई। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सी सिफारिशें की गई, लेकिन सब कागज पर रह गया। अगर काम हुआ होता तो आपको

और हमको दिखाई देता। आप सबने गांवों को देखा है। ग्रामीण अंचल में कोई काम नहीं हो रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विगत दिनों मैंने आपके विभाग की सलाहकार समिति में इस प्रश्न को उठाया था। तीन दिन इस पर लगातार वाद-विवाद होता रहा। नतीजा कुछ नहीं निकला। आपने रिपोर्ट दे दी। उन हम उन रिपोर्टों का विरोध करते रहे और आप उनका पक्ष लेते रहे। नतीजा कुछ नहीं निकला। सब बेकार हो गया।

अनेक वर्षों से पिछड़े और उद्योग में पिछड़े क्षेत्रों की चर्चा चल रही है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार 1982 में इनका चयन किया गया था लेकिन इस क्षेत्र में काम कुछ नहीं हुआ है। पिछले 7-8 वर्षों में इसमें न बराबर काम हुआ है।

मेरा क्षेत्र भोजपुर जिले का आधा भाग और पटना जिले का पश्चिम इलाका है। इन दोनों जिलों में धान की बहुत अच्छी फसल होती हैं। यदि हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दोनों जिले मिलकर पूरे बिहार को भोजन देते हैं। यहां पर धान और गेहूं का इतना उत्पादन होता है। लेकिन इन दोनों जिलों में कोई उद्योग नहीं है। भोजपुर जिले में एक भी उद्योग नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : पेपर मिल है ?

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : एक छोटा सा प्राइवेट कारखाना खोल कर रखा हुआ है। वह भीं चलता नहीं है। वहां पर कागज, तेल और सीमेंट का कारखाना लगाया जा सकता है। वहां पर इतना पुआल पैदा हो रहा है कि ये कारखाने चलाए जा सकते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : राइस मिलें हैं ?

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : आप बीच में मत बोलिए।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : कागज, तेल और सीमेंट के कारखाने खोले जा सकते हैं। इस ओर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आज कागज का बहुत महत्व है।

सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि एक जनवरी 1902 को संगठित क्षेत्र में कागज और गत्ते का उत्पादन करने वाले 159 एकक थे जिनकी कुल क्षमता 18.16 लाख मीट्रिक टन वार्षिक है। जैसा मैंने कहा है कि इसकी क्षमता का प्रतिशत गिर रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ वर्षों में कागज उद्योग की क्षमता उपयोग 85.5 प्रतिशत से गिरकर 74.6 प्रतिशत हो गई है यानी चार-पांच प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष गिर गई। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्षतता का कम उपयोग किए जाने का मुख्य कारण कोयले को प्राथमिकता के आधार पर लाने-ले-जाने के लिए वैगनों का न मिलना है। इसको कौन देखेगा ? यह सामंजस्य तो आपको स्थापित करना है। सामंजस्य स्थापित करके ही इस काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो सका और न हो रहा है।

आज अखबारी कागज की मांग बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। 1982-83 की 3.60 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज की मांग थी। आपने एक लाख 35 हजार मीट्रिक टन अपने उत्पादन से जुटाया और बाकी विदेश से लिया। नयी परियोजनाओं के बारे में आपने कहा है कि वे 1982 में चालू हो गई थीं। लेकिन पता नहीं क्यों रुक गई? केरल अखबारी कागज परियोजना और मैसूर पेपर मिल्स के बारे में भी आपने कहा है कि ये 1981 में चालू हो गई थीं। पता नहीं क्या हुआ, ये भी नहीं चल पायीं? आपने जितनी भी परियोजनाएं बनायी हैं, वे सब खटाई में हैं।

सभापति महोदय (~~श्री चिन्तामणि पाणिग्रही~~) : आपकी बोलने की स्पीड कम है। यह तो किसान की स्पीड है। मंत्री जी गांवों की हालत अच्छी तरह जानते हैं। किसानों के लिए एच० एम० टी० द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन करवा रहे हैं, लेकिन पावर टीलर का नहीं। कोई भी छोटा किसान इतने महंगे ट्रैक्टर को नहीं खरीद सकता। इसकी 80 हजार रुपए से ऊपर कीमत रखी गयी है। पावर टीलर बनाइए जो 10 और 15 हजार रुपयों के बीच हों जिससे किसान उन्हें आसानी से खरीद सकें और उत्पादन भी बढ़ा सकें।

अब मैं आपका ध्यान बिहार की कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स की ओर ले जाना चाहता हूं। 1979 में यह कारखाना बन्द हो गया जिसके कारण 3,000 मजदूर बेकार पड़े हैं और उनके परिवार के लगभग 22,000 लोग भूखों मर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था इसको टेक ओवर करेंगे। मुख्य मन्त्री ने रेडियो से उसकी घोषणा भी कर दी, बिहार विधान सभा में बिल भी स्वीकृत हो गया, लेकिन केन्द्र में वह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है। हजारों लोग भूखों मर रहे हैं अतः मजदूरों का ख्याल करते हुए इस काम को शीघ्र कर दीजिए।

कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। जो रुग्ण औद्योगिक केन्द्र हैं, यूनिट्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। सीमेंट और विद्युत उत्पादन के लिए छोटे-छोटे कारखाने बनाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि औद्योगिक नीति पर यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोचने की जरूरत हो तो जरूरत सोचा जाय।

पटना जिले में बरतन बनाने के कई गांव हैं, जैसे परेव एक गांव है जहां बहुत बड़े पैमाने पर लोग बरतन बनाते हैं। ये तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन पूरे राज्य को सप्लाई करते हैं। इसके विकास के लिए आपको अधिक से अधिक उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, भारत ने अपने औद्योगिक विकास की गति काफी तेज कर दी है और आज विकासशील देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करके देश कतिपय क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। आयात प्रतिस्थापन की सफलता के कारण मुख्य क्षेत्रों में आयात में कमी कर दी गई है। देश के औद्योगिक और आधारभूत ढांचे सम्बन्धी विकास के लिए आवश्यक बहुत से उपकरण आज देश में ही बन रहे हैं। औद्योगिक विकास देश की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप है।

16.59 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन्, 1982-83 का वर्ष औद्योगिक विकास की दृष्टि से अच्छा वर्ष नहीं था। विश्व भर में मन्दी रही है और हमारा देश भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। भयंकर सूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारणों से इस वर्ष में उत्पादन 4.5 प्रतिशत कम हो गया जबकि 1981-82 में यह 8.6 प्रतिशत कम हुआ था और 1980-81 में 4 प्रतिशत कम हुआ था। यह हर्ष की बात है कि कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे कच्चा पेट्रोलियम, कोयला, वनस्पति सीमेंट, चीनी, उर्वरक आदि में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। तापीय बिजली के उत्पादन में सुधार हुआ है और तापीय संयंत्रों के संयंत्र भार में देश में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वस्त्र क्षेत्र में वृद्धि दर में कमी बहुत अधिक रही है। इस क्षेत्र में सबसे लम्बे अर्से तक हड़ताल रही है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। लघु क्षेत्र में कार्य काफी हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ा है। निवेश भी काफी हुआ है और वर्ष के दौरान पूंजी निर्गमों का एक रिकार्ड रहा है। सरकारी क्षेत्र में भी शानदार काम हुआ है। सरकारी क्षेत्र के कारखानों में वर्ष के पहले नौ महीनों में शुद्ध लाभ लगभग 360 करोड़ रुपये था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 134 करोड़ रुपए था। मन्दी और थोड़े समय की विपत्तियों के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में भविष्य के लिए आशा बंधी है

1983-84 के केन्द्रीय बजट में औद्योगिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें बचत को बढ़ाने, निगमित क्षेत्र में वृद्धि करने, फिजूलखर्ची को कम करने तथा लाभांश देने वाली कम्पनियों को और अधिक कर देने के लिए प्रेरित किया गया है। उद्योगों की दृष्टि से कुछ सराहनीय कदम सुझाए गए हैं :

(एक) देश में गैर-निगमित निवेशकों और अप्रवासी भारतीयों के लिए नई रियायतें घोषित की गई हैं।

(दो) भारत के औद्योगिक विकास बैंक में जमा योजना एक नया कदम है।

(तीन) उत्पादन के साथ जुड़े उत्पाद-शुल्क की रियायतें उत्पादन के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है।

(चार) क्रमिक उत्पादन पर करों की रियायतों से निर्यात में वृद्धि होगी।

(पांच) चुनींदा विकासोन्मुख क्षेत्रों को दिए गए वाणिज्यिक ऋणों पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर की अधिकतम सीमा में कमी एक सराहनीय कदम है।

(छः) भूमि और मशीनरी की बिक्री पर पूंजी लाभ में कर की छूट एक स्वागत योग्य कदम है। इससे उद्योग शहरों से हटकर कम भीड़ वाले क्षेत्रों में चले जायेंगे।

केन्द्रीय बजट वास्तक में औद्योगिक विकास की ओर उन्मुख है।

इस वर्ष उद्योग मन्त्रालय ने भी शानदार रिकार्ड स्थापित किए हैं। 1982 में 1981 की अपेक्षा 14 प्रतिशत अधिक आशय पत्र जारी किए गए हैं। 1043 आशय पत्रों में से 5 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों को दिए गए हैं और 159 उन जिलों को दिए गए हैं जहां कोई उद्योग नहीं है। प्रौद्योगिकी की प्रगति, पर्याप्त क्षमता बनाने की आवश्यकता, निर्यात की आवश्यकता, ऊर्जा संरक्षण तथा मध्य दर्जे के

उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मंत्रालय ने अनुसूचित उद्योगों की सूची पुनः तैयार की है। इससे कतिपय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन जिलों पर अधिक बल दिया गया है जहां कोई उद्योग नहीं है।

देश में 87 जिलों को ऐसे जिले घोषित करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया है। इन जिलों में औद्योगिक लाइसेंस देने और डी० जी० टी० के रजिस्ट्रीकरण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके बावजूद मन्त्रालय को उद्योगपतियों को उन जिलों में जाने के लिए राजी करना होगा जहां मूलभूत सुविधायें नहीं हैं अन्यथा क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं होगा। श्रीमन् जब किसी ऐसे जिले के लिए जिसमें कोई उद्योग नहीं हैं, लाइसेंस दे दिया जाता है तो उद्यमियों को किसी और स्थान पर जाकर उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि जब लाइसेंस दे दिया जाता है तो उद्यमी स्थान बदल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जिलों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए।

पिछड़े जिले के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। परन्तु इसे पिछड़े जिले के लिए 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। जो वित्तीय संस्थाएं पिछड़े जिले को रियायती दरों पर ऋण देती हैं उन्हें ऐसे ऋण उन जिलों में भी देने चाहिए, जहां कोई उद्योग नहीं है।

ऐसे जिलों के लिए करों में राहत भी दी जानी चाहिए। इसके बिना ऐसे जिलों का औद्योगिकीकरण करना कठिन होगा। पिछड़े जिलों में भी कुछ कठिनाइयां हैं। मेरे ध्यान मे ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें कम्पनी कार्य विभाग ने बड़े-बड़े औद्योगिक ग्रहों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दीं। प्राकृतिक संसाधनों वाले पिछड़े जिलों में बड़े गृह अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही उद्योग स्थापित कर सकते हैं क्योंकि उनमें भारी पूंजी की जरूरत होती है। जब तक बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक बड़ी धनराशि उद्योगों में नहीं लगाई जा सकेगी। हाल ही के एक मामले में कम्पनी कार्य विभाग ने उड़ीसा में एक पिछड़े जिले में बड़े उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए 20 प्रतिशत की अंशदान के लिए कहा है जबकि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए मानक सिद्धांत केवल 17.5 प्रतिशत है जिसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। मेरे विचार में औद्योगिकीकरण की दृष्टि से ऐसा कड़ा रवैया पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योगविहीन जिलों के हितों के प्रतिकूल होगा।

अब मैं विद्युत के बारे में कुछ कहूंगा जोकि औद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिजली की कमी के कारण देश के कई उद्योगों में क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुझे खुशी है कि उद्योग मन्त्रालय ने कैप्टिव डीजल सेट लगाने वाले यूनिटों के लिए कुछ रियायतें और सुविधाएं दी हैं। परन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं। अब गैर-सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में तापीय बिजली संयंत्रों की इजाजत दे दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। मुझे पता चला है कि कुछ राज्यों ने संयुक्त क्षेत्र में ऐसे तापीय संयंत्रों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इसके अलावा कैप्टिव पावर उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। सभी क्षेत्रों में विद्युत प्रजनन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं भारतीय हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का जिक्र करना चाहूंगा। इस संस्थान द्वारा कुछ नए तापीय संयंत्रों के लिए दिए गए उपकरण संतोषजनक ढंग

से कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह संस्था विद्युत उपकरण सप्लाई करती है इसलिए इसे उनके विकास और अनुसंधान में सुधार करना चाहिए ताकि इसके विद्युत संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर सकें।

श्रीमान, लघु क्षेत्र में मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि बाजार का सर्वेक्षण किये बिना समानान्तर और प्रतिद्वन्द्वी उद्योगों को अन्धाधुन्ध बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े-बड़े उपभोक्ताओं, जैसे रेल, डाक और तार, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को विपणन सम्बन्धी सहायता देनी चाहिए। बड़े-बड़े उद्योगों और उनकी सहायता कंपनियों के बीच सुदृढ़ सम्पर्क स्थापित करना जरूरी है। जिला उद्योग केन्द्र लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उद्योग मन्त्रालय के केन्द्रीय बजट में जिला उद्योग केन्द्रों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों को सहायता देने का उपबन्ध किया जाना चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने की लागत राज्यों पर बड़ा भारी बोझ है।

विभिन्न क्षेत्रों को लेवी सीमेंट सप्लाई करने में भी कठिनाई है। यद्यपि सीमेंट का उत्पादन बढ़ गया है तथापि बहुत से गैर-सरकारी उद्योग सीमेंट नियंत्रक द्वारा आवंटित लेवी सीमेंट के कोटे को विभिन्न क्षेत्रों को सप्लाई करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों को दंड दिया जाना चाहिए।

उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। कोयला बिजली औद्योगिक सम्बन्ध तथा वित्त आदि के सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। इसके लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया कि भारी उद्योग और औद्योगिक विकास मन्त्रालय तथा डी० जी० टी० डी० के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक केन्द्रीय कक्ष होना चाहिए। जो सम्बन्धित कार्यकलापों के सम्बन्ध में जानकारी दे और उनके बीच तालमेल रखे। परन्तु मेरा कहना यह है कि विभागों के बीच तालमेल रहना चाहिए। ताकि जब कभी भी कोई उद्योग रुग्ण हो जाए तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या और उद्योग के विकास की समस्या हल की जा सके।

मैं दो और महत्वपूर्ण मामलों पर उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं एक तो पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी शिवरामन समिति के बारे में सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में है और दूसरा एक औद्योगिक कम्पलैक्स को सम्बन्धित नीति के बारे में है। इन दोनों महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्रीय सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए।

विकसित देशों में अनुसंधान तथा विकास की जिम्मेदारी गैर-सरकारी उद्योगों की होती है परन्तु हमारे देश में गैर-सरकारी उद्योग इस दिशा में बहुत कम कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान और विकास के लिए कुछ रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं परन्तु उनका परिणाम संतोषजनक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इस सम्बन्ध में प्रयास कर रही हैं परन्तु प्रयोगशाला अनुसंधान और उसके परिणामों को उद्योगों में लागू करने के काम में बहुत कुछ करना बाकी है। विश्व में प्रौद्योगिकी

के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। हमारे देश में भी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए अन्यथा हम अन्य देशों के साथ प्रतिद्वन्द्विता में पिछड़ जाएंगे।

मेरा अनुरोध है कि हमारे देश में प्रौद्योगिकी के स्तर को उठाने के लिए उद्योग मन्त्रालय द्वारा एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

***श्री गंगाधर एस० कुचन** (शोलापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपने विचार अपनी मातृभाषा मराठी में व्यक्त करूंगा।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के मामले में उद्योग का स्थान कृषि के बाद आता है। उद्योगविहीन जिलों का पता लगाने तथा वहां पर उद्योग स्थापित करने में उन्हें प्राथमिकता देने की सरकार की नीति सराहनीय है। इस नीति के क्रियान्वयन के कारण उन क्षेत्रों के साथ अन्याय हो सकता है जहां उद्योग स्थापित नहीं किए जाते जबकि वहां पर ऐसे उद्योगों के लिए क्षमता मौजूद है। इससे हमारे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हमारा निर्यात भी रुक जायेगा। निर्यात के गिरने पर व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा। उद्योगों के संतुलित विकास न किए जाने के कारण विदेशी मुद्रा की आय कम हो जाएगी इसलिए सभी ब्लाकों और ताल्लुकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। योजनाबद्ध उद्योगों के लिए जिले के बजाय ताल्लुक को इकाई माना जाना चाहिए। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में रत्नागिरि, चन्द्रापुर और औरंगाबाद जिलों को कुछ वर्ष पहले पिछड़े जिले घोषित किया गया था। यदि इन जिलों में पिछड़े पांच-छह वर्षों की औद्योगिक प्रगति को देखें तो पता चलेगा कि वहां उन जिलों में बीस से पच्चीस किलोमीटर के क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस कारण जिले के अन्य क्षेत्र औद्योगिक विकास से वंचित रह गये हैं। कुछ क्षेत्रों में उद्योगों के जमाव को रोकने के लिए सरकार को उद्योगविहीन ताल्लुक की नीति की घोषणा करनी चाहिए। इससे स्थानीय उद्यमी नए उद्योग आरंभ कर सकेंगे। इससे राज्य सरकारों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को अधिक लाभ होगा। क्योंकि सरकार आयकर और अन्य निगमित कर वसूल करके अधिक राजस्व कमा सकती है।

चन्द्रपुर जिले के विभाजन के बाद गाडचीरोली एक नया जिला बनाया गया है। परन्तु सरकार ने इसे पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया है। सरकार को इसे तुरन्त पिछड़ा जिला घोषित कर देना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन ताल्लुक हैं अर्थात् मंगलवेधा, करमला और अक्कलकोट जहां लघु, मध्यम और बड़े उद्योग नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन ताल्लुकों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करे। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं किए जायेंगे तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी।

हमारे देश में लघु उद्योग अच्छी प्रगति कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि इस क्षेत्र का वार्षिक उत्पादन 32000 करोड़ रुपए का है और हम 2000 करोड़ रुपए का माल निर्यात कर रहे

*मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हैं। लघु उद्योगों में इस क्षेत्र के 75 लाख आदमी काम कर रहे हैं। इन उद्योगों को सरकार का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है। बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योग नहीं पनप पाते। किसी बड़े वृक्ष की छाया में कोई छोटा पौधा नहीं उग सकता। इसी प्रकार बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा में छोटे उद्योग पिछड़ जाते हैं। लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कुछ क्षेत्र आरक्षित किए जाने चाहिए। लघु उद्योग तभी पनप सकते हैं जब बड़े उद्योगों को उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। सरकार को लघु उद्योगों के 50% माल को खरीद लेना चाहिए। इस समय सरकार केवल दो सौ दस करोड़ रुपए का माल लघु उद्योगों से खरीदती है। यह बहुत कम है। सरकार को लघु उद्योगों के विकास के लिए एक निश्चित नीति अपनानी चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग का औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस समय इन उद्योगों में 35 लाख लोग काम कर रहे हैं। यह प्रगति संतोषजनक है। इस क्षेत्र में 840 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन हुआ है। ये उद्योग अशिक्षित नर-नारियों कोरोजगार प्रदान करेंगे। परन्तु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पूरे उत्साह के साथ काम नहीं कर रहा है। यह इस क्षेत्र के उत्पादन की बिक्री की भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। बोर्ड को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गांव में अधिक बिक्री केन्द्र खोलने चाहिए। इससे बेरोजगारी दूर होगी।

औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने में सरकार का इरादा ठीक है। यह आशा की गई थी कि उद्यमियों को भूमि, जल, बिजली और पूंजी जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। परन्तु यह देखा गया है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को दो साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। इससे उनका उत्साह कम हो गया है। जिन उद्यमियों की परियोजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए औद्योगिक केन्द्र के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए अन्यथा इन केन्द्रों का कोई लाभ नहीं होगा जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, ये केन्द्र बन्द भी किये जा सकते हैं। इन केन्द्रों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए।

यद्यपि सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि गैर-सरकारी क्षेत्र की, तथापि सरकारी क्षेत्र भी ठीक कार्य कर रहा है। इसके कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। मैं उद्योग मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सराहनीय कदम उठाये हैं। इस क्षेत्र के प्रबन्ध में प्रशासनिक और तकनीकी लोगों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिये। इससे परियोजनाओं को यह उपक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकेंगे।

नई परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब के कारण राष्ट्र को हानि होती है। उदाहरणार्थ, केरल अखबारी कागज परियोजना की लागत 1973 में 39 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना में विलम्ब हो गया। इसे 1978 में पूरा किया जाना था। यह अभी तक पूरी नहीं की गई है। अब इसकी लागत बढ़कर 157 करोड़ रुपए हो गई है। यदि यह परियोजना समय पर पूरी

हो जाती तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते थे। यह जानने के लिए कि इस परियोजना में विलम्ब क्यों हुआ जांच की जानी चाहिए। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई परियोजनाओं में विलम्ब न हो जिसके कारण परियोजना की लागत बढ़ जाती है।

भारी उद्योग राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। इस क्षेत्र में सफलता संतोषजनक है। इस क्षेत्र में एक लाख 76 हजार से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इसका वार्षिक उत्पादन 2 हजार करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक है। भारी उद्योगों के पास 48 हजार करोड़ रुपये के आर्डर लम्बित पड़े हैं। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी साख बना ली है। उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिए। उनके विस्तार के लिए योजना आयोग को अधिक धन देना चाहिए। उनके विस्तार के बाद देश को विदेशी मुद्रा की अधिक आय होगी। भारी उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। यदि उत्पादों की किस्म को सुधार लिया गया तो यह अन्य उद्योगों के लिए एक उदाहरण होगा। भारी उद्योगों को अपने कैपटिव विद्युत संयंत्र चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि वे राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य विद्युत उत्पादन एजेंसियों पर निर्भर न रहें। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्हें निर्यात के लिए समान बनाने के लिए कहा जाना चाहिए।

उद्योग उत्पादकता बोर्डों की स्थापना करने सम्बन्धी सरकार का निर्णय सराहनीय है। परन्तु उनकी भूमिका सलाह देने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें उद्योगों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए। सरकार राज्यों में ऐसे ही बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है। यह बहुत अच्छी बात है। सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्य सरकारें भी इसी प्रकार के बोर्ड स्थापित करें और यह बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य करें।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो एक आवश्यक संगठन है। इसे निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। परन्तु यह ब्यूरो अपना उद्देश्य किस हद तक पूरा कर रहा है, यह देखना होगा। उदाहरणार्थ गैर-सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन सालों में लागत में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि या तो ब्यूरो लागत पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है या गैर-सरकारी उद्योगपति ब्यूरो के निर्णयों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो को लागत और मूल्यों पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ साल पहले कताई मिल परियोजनाओं की लागत ढाई करोड़ रुपए थी। अब यह 10 करोड़ रुपए हो गई है। यदि मूल्य इसी दर पर बढ़ते रहे तो भविष्य में उद्योग स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा।

सीमेंट की जारी की गई मात्रा और उसके वितरण के बीच भारी अन्तर है। सीमेंट की जारी की गई मात्रा का केवल 60 प्रतिशत ही वितरित किया जा सका है। मैं जानना चाहता हूं कि शेष 40 प्रतिशत सीमेंट वितरित क्यों नहीं किया गया। इससे कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है।

चमड़ा उद्योग निर्यात प्रधान उद्योग है। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 4 या 5 चमड़ा केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में निगरानी रखने की जरूरत है। जो उद्योग अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से कम उपयोग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि उद्योग अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत से अधिक उपयोग करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। प्रतिस्थापित क्षमता के अपेक्षित उपयोग में 5 प्रतिशत का अन्तर हो सकता है। यदि यह इससे कम होता है तो ऐसे एककों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। तभी उत्पादन बढ़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया जिनका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और सदस्यों को भी बोलना है। मेरे विचार में हम आज चर्चा समाप्त कर सकते हैं और मन्त्री परसों अर्थात् शुक्रवार को उत्तर देंगे। जिन सदस्यों के नाम आये हैं और जो बोलना चाहते हैं उन्हें इंतजार करना होगा और उन्हें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका मतलब यह हुआ कि चर्चा 7 बजे तक चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : चार या पांच वक्ता हैं और हम साढ़े छः बजे तक चर्चा समाप्त कर सकते हैं बशर्ते सभी सदस्य सहयोग दें।

श्री० ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि रुग्ण उद्योगों के प्रति स्वस्थ रवैया और नीति अपनायी जानी चाहिए। यदि हम देश में औद्योगिक रुग्णता का विश्लेषण करें तो हमें बहुत सी असंतोषजनक बातें मिलेंगी।

एक बात तो यह है कि उद्योगों में रुग्णता बढ़ रही है। यदि आप इस रुग्णता का इलाज नहीं कर सकते तो आपको इसे कम से कम रोकना तो अवश्य चाहिए। परन्तु उद्योगों में रुग्णता बढ़ती जा रही है।

दूसरी बात तो यह है कि यह रुग्णता किसी श्रमिक आंदोलन के कारण नहीं है। यह केवल दुर्व्यवस्था के कारण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आप श्रमिकों पर एस्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं परन्तु आप प्रबन्ध के उन लोगों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते जो इस दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार हैं और जिनके कारण भारी राष्ट्रीय हानि हो रही है।

तीसरे बात यह है कि यह रुग्णता उन उद्योगों में नहीं है जो विलासिता की वस्तुएं बना रहे हैं। रुग्ण उद्योग वही हैं जो गरीब जनता के लिए सामान बना रहे हैं।

इंजीनियरी उद्योग में रुग्णता है। यह एक कृषि प्रधान देश है। हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियरी उद्योग बड़े बड़े नगरों में ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में पनपे परन्तु हम देखते हैं कि इंजीनियरी उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं।

हम गरीब लोग हैं। हमें मोटा कपड़ा पहनना चाहिए। हमारे पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है। परन्तु मोटा कपड़ा बनाने वाले उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। आवश्यकता की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं परन्तु कार, रेफ्रीजरेटर और रेयन उद्योग प्रगति कर रहे हैं। भारत जैसे देश में मो ा कपड़ा उद्योग रुग्ण हो रहा है। आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं। आपके पांच तारा होटल प्रगति कर रहे हैं। परन्तु आपके कुटीर उद्योग रुग्ण हो रहे हैं।

मैं आपकी औद्योगिक नीति की दिशा के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृषि में सूखा पड़ा हुआ है। हम इसे समझ सकते हैं। परन्तु उद्योग में भी सूखा है। क्या आप इसे बरदाश्त कर सकते हैं। हमारे उद्योग मन्त्री बड़े मेहनती हैं। परन्तु वह विपरीत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में आपका लक्ष्य क्या था। उत्पादन में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि। परन्तु तीन साल के बाद आपने केवल 6 प्रतिशत वृद्धि की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेंगे। 1980-81 में आपकी प्रगति 5.6 प्रतिशत थी। 1981-82 में यह 8.6 प्रतिशत थी और इस वर्ष यह केवल 4.5 प्रतिशत है। विशेषज्ञ आपके इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि प्रगति इससे भी कम है। आप अपनी सभी खामियों के लिए बम्बई कपड़ा मिलों को दोष नहीं दे सकते।

मैं आपकी समस्त नीति में रुग्णता के बारे में रिपोर्ट दे रहा हूं। हमारी औद्योगिक नीति का एक स्तम्भ आत्म-निर्भरता होना चाहिए। परन्तु 1956 के बाद प्रत्येक वर्ष आपकी नीति की घोषणा में आपने अपने मूल उद्देश्य को कम कर दिया है। आपने वचन दिया था कि आप देश को शनैः शनैः समाजवाद की ओर ले जायेंगे परन्तु आपने इसका परित्याग कर दिया है। मेरे अन्य सहयोगियों ने कहा है कि आपके विदेशी मुद्रा विनियम एक धोखा है। आपने एम० आर० टी० पी० को भी उदार बना दिया है। आपके हाथों में देश की बागडोर है। परन्तु आप इसे त्याग रहे हैं। इसी लिए आपके उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं।

आपको पता है कि पिछले 25 वर्षों में हमने 250 सहयोग समझौते किए थे। जनता के समय में ये बढ़कर 300 हो गए थे। ऐसा लगता है कि अब वे 600 हो गये हैं। अन्य देशों के साथ सहयोग और उन पर निर्भरता बढ़ रही है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की शर्तों की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु देश में होने वाले प्रत्येक सहयोग समझौते के कारण स्वदेशी प्रतिभा को धक्का लग रहा है। हमारे देश में सभी कुछ है। मैं योजना मन्त्री को चुनौती देता हूं। हमें अपने तकनीशियनों और वैज्ञानिकों को बुलाकर पूछना चाहिए कि क्या वे अपने देश में विशेषज्ञता कायम रखने की स्थिति में हैं। परन्तु आपके अधिकारी तो अन्य देशों की ओर जा रहे हैं। फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। आप उर्वरकों के लिए ऋण देते हैं। आपका दृष्टिकोण विदेश भागने का है काम करने का नहीं। इसलिये आपके उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। आप इस रुग्णता को विदेशी सहयोग से दूर नहीं कर सकते। आप प्रबन्ध को अधिक लाइसेंस और सुविधायें देकर तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को उदार बनाकर इस रुग्णता को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लोगों को एक नई दिशा देनी होगी। 24051 औद्योगिक एकक 1981 के मध्य तक रुग्ण घोषित कर दिए गये थे जबकि 1980 में वे 22325 थे और 1979 में 20,700 थे। जिससे पता चलता है कि हमारी

वार्षिक वृद्धि 7.5 प्रतिशत रही। उद्योग इस समय 4.5 प्रतिशत प्रगति कर रहे हैं। विकास की दर 4.5 प्रतिशत है। और रुग्ण उद्योगों के बढ़ने की दर 7.5 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 वर्ष बाद हम सभी रुग्ण हो जायेंगे क्योंकि हमारे आगे बढ़ने की गति कम है और पीछे जाने की गति अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय समेत हम सभी पीछे चले जायेंगे।

श्री ए० के० राय : 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक के बैंक ऋणों वाले बड़े रुग्ण एककों को ऋण की कुल राशि 1979 में 345 करोड़ रु० से बढ़कर 1980 में 389 करोड़ रु० हो गई तथा जून, 1981 तक यह बढ़कर 422 करोड़ रुपए हो गई। 1979 में लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एककों की संख्या 20326 थी जो 1980 में बढ़कर 22325 हो गई।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े एककों के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से मालूम होता है कि उनमें से 2% एकक श्रमिक अशांति के कारण रुग्ण हुए और 66% एकक कुप्रबन्ध, दोषपूर्ण योजना और तकनीकी त्रुटियों की कारण रुग्ण हुए। कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें इस रुग्णता के उपचार के तरीके दिए गए हैं। अब वे अजीब डाक्टर बन गए हैं। यदि आपके सिर में दर्द हो जाता है तो वे उपचार के रूप में आपको अपना सिर ही कटवा डालने के लिए कहेंगे। यदि आपके दांत में कोई रोग है तो वह दांत को उखड़वाने की बात कहेंगे। यह एक ऐसा डाक्टर है जिसके पास केवल दांत उखाड़ने का ही एक मात्र उपचार है। लोग उससे भयभीत हैं और कोई भी उसके पास उपचार हेतु जाना नहीं चाहता क्योंकि मुंह के किसी भी रोग के लिए वह दांत उखाड़ने का ही उपचार करता है। उसके पास दो शक्तिशाली सहायक भी हैं जो सब कुछ शीघ्र ही उखाड़ देते हैं उन्होंने 'असाध्य रुग्णता' का एक नया सिद्धान्त खोज निकाला है। क्या किया जाए ? वे उद्योगों की हत्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी औषधि का सुझाव दीजिए।

श्री ए० के० राय : पहली औषधि तो यही है कि आप स्वयं अपना उपचार करें। आप अपनी प्रेरणा और प्रवृत्ति में परिवर्तन लाएं। तब हर व्यक्ति का उपचार ठीक हो जाएगा। सहयोग, दूसरे पर आश्रित होने और आकाश की ओर देखने तथा हवा में उड़ने की प्रवृत्ति में परिवर्तन कीजिए। पहले आप जमीन पर चलना सीखिए तभी आप दौड़ सकेंगे। यदि आप चलना ही नहीं जानते हैं तो आप दौड़ने की आशा कैसे कर सकते हैं ? लेकिन आप तो पैदा होते ही उड़ान भरने की सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, जब सम्पूर्ण विश्व ही उड़ान भर रहा है तो हम अकेले ही पैदल क्यों चलें ?

श्री ए० के० राय : पहले उन्हें चलना सीखना चाहिए और फिर उन्हें उड़ान भरनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो उठते ही, बिना चले, उड़ान भरना चाहते हैं। हम अपने देश में निर्मित राकेटों से उड़ान भर सकते हैं, किन्तु वे अन्तरिक्ष में उड़ान भरने के लिए अन्य देशों के राकेटों को प्राप्त करते हैं। कृपया किसी दूसरे के राकेट में बैठकर न उड़िए।

श्री ईरा अनबारासु : हम तो अपने देश के राकेट भी छोड़ रहे हैं।

श्री ए० के० राय : वह सब आयातित है। प्रौद्योगिकी आयातित है। उसका केवल खोल आपका है। हम सब मदर टैरेसा के बारे में जानते हैं, वह रुग्ण बच्चों का पालन-पोषण करती है। वह निराश्रितों को गले लगाती है। लेकिन दूसरी ओर यह सरकार है—यह मन्त्री हैं—जो मदर टैरेसा जैसा कार्य करने से इनकार करते हैं, रुग्ण उद्योगों और औद्योगिक एककों का पोषण करने से मना करते हैं। उन्हें उद्योगों का हत्यारा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार इन उद्योगों को अपनाने से इनकार करती है तो श्रमिकों को परेशानी होगी। इससे लगभग दस लाख श्रमिक प्रभावित हैं।

मैं इससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं और मुझे कुछ रुग्ण उद्योगों की व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी है। कई माननीय सदस्यों ने पहले ही मैसर्स कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स का उल्लेख किया है। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यहां कोई हड़ताल नहीं हुई किन्तु फिर भी वह कारखाना बन्द पड़ा है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह उद्योग—इन्जीनियरिंग उद्योग—जो रेलवे के उपकरण बनाता है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आता है। वे कोयला खानों में काम आने वाले उपकरण बनाते हैं। वह मूलत: बर्ड एण्ड कम्पनी के अन्तर्गत था। उस कम्पनी का राष्ट्रीकरण किया गया और कुछ जोड़-तोड़ करके उसकी सभी आस्तियां कुमारधुबी ग्रुप की कम्पनियों को, जिसका प्रधान एक पूंजीपति···*है स्थानान्तरित कर दी गयीं।

वह एक बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास बहुत काला धन है। इसके बाद उसने अपना धन और सभी सम्भावनाओं और आस्तियों सहित कम्पनी की पूरी कार्यकारी पूंजी को वहां से निकाल लिया। इस प्रकार से वह उद्योग रुग्ण बन गया और जुलाई, 1979 में उसने काम करना बंद कर दिया। तभी से ही 3000 श्रमिक बेरोजगार हैं। इस मामले को हमने केन्द्रीय सरकार को भेजा था। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम इस पर लागू किया गया। हमने केन्द्रीय सरकार से कहा था कि वह इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करे। इस मामले में सरकार का रवैया जानकर आपको आश्चर्य होगा। फरवरी, 1980 में उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने, जो तकनीकी सलाहकार भी थे, इस कारखाने का निरीक्षण किया और सरकार को अपनी यह रिपोर्ट दी कि यह उद्योग चालू किया जा सकता है तथा सरकार को इसे अपने हाथों में ले लेना चाहिए और चलाना चाहिए। इसके बाद बिहार सरकार को उनसे बातचीत करने के लिए कहा गया। कई बार बातचीत हुई। मैंने यह मामला संसद में दर्जनों बार उठाया और मुझे यह आश्वासन दिया गया कि सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में ले लेगी। वह कम्पनी घाटे में चल रही थी और लगभग 20 करोड़ रुपए की पूंजी वहां ठप्प पड़ी थी। सरकार से उस उद्योग को अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया। इसके बाद ऐसा संकेत दिया गया कि इसे सरकार अपने हाथ में लेगी और बिहार के उसी दल के मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ मिश्र ने घोषणा की कि सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है।

एक माननीय सदस्य : वह अब केवल जगन्नाथ हैं।

श्री ए० के० राय : उनके नाम के साथ अब मिश्र नहीं है। हां, वह अब केवल जगन्नाथ हैं। उन्होंने 7 नवम्बर, 1980 को घोषणा की थी कि सरकार ने उस उद्योग को अपने हाथ में ले लिया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है या यह कि सरकार ने उस कारखाने को अपने हाथ में लेने और चलाने का निर्णय कर लिया है। इसलिए उस कारखाने के सभी श्रमिक यह सोचते हुए इन्तजार करते रहे कि एक न एक दिन शीघ्र वह कारखाना चालू हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई। तब बिहार सरकार ने कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स का राष्ट्रीयकरण करने हेतु एक कानून पास किया। वह कानून जुलाई, 1982 में पारित किया गया था और वह आज तक भी अधिनियम नहीं बन पाया है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उसे स्वीकृति नहीं दी है। उसे अभी तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल पाई है। आज भी मैंने यह प्रश्न पूछा था सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि उनके पास यह विधेयक अगस्त, 1982 में आया था। मैंने पूछा था कि इस मामले में इतना अधिक विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि यह विधेयक बिहार सरकार ने पास किया है और इसके लिए वही उत्तरदायी है। आप कहते हैं कि विधेयक के पुरःस्थापन-चरण में हम विधेयक के बारे में संवैधानिक अनौचित्य और विधायी क्षमता के बारे में ही प्रश्न उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा ही उपबन्ध है।

श्री ए० के० राय : इसी प्रकार जब कोई राज्य विधेयक पास करता है तो केन्द्रीय सरकार नियमों के अनुसार केवल दो बातों—संवैधानिक अनौचित्य और विधायी अक्षमता को देख सकती है। कभी-कभी यहां भी हम इस उपबन्ध का दुरुपयोग करते हैं और विधेयक के गुण-दोष के बारे में भाषण देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही काम केन्द्रीय सरकार ने किया है। केन्द्रीय सरकार यह शंका व्यक्त कर रही है कि इसके लिए वित्त कहां से आएगा? यह तो राज्य सरकार को देखना चाहिए। क्या आप अपने ही दल की राज्य सरकार में भी विश्वास नहीं रखते। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में यह भी एक मुद्दा है। जब राज्य सरकार कोई विधेयक पास करती है और यदि वह संवैधानिक दृष्टि से वैध होता है तो आपको उसके गुण दोष और तत्सम्बन्धी नीति के बारे में संदेह करने और उस पर अनुमति रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर आप इस विधेयक पर अनुमति रोके हुए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कि उस रुग्ण उद्योग, जो अब बन्द पड़ा है और जो चालू किया जा सकता है; श्रमिकों में से 85 व्यक्ति भूखे मर गए हैं और सैकड़ों परिवार भूखे मरने की स्थिति में हैं। इस मामले में जितने दिन का विलम्ब किया जाएगा उतने ही आदमी मौत के घाट उतर जायेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

आपके पास गैर-सरकारी क्षेत्र है और सरकारी क्षेत्र है। परन्तु आपको रुग्ण उद्योगों के मामले में एक श्रमिक क्षेत्र भी बनाना चाहिए। मैंने देखा है कि रुग्ण उद्योग में सरकार और श्रमिकों को देय जो राशि मालिकों की ओर बकाया होती है वह उस उद्योग के मूल्य से कहीं अधिक होती है। इसलिए ऐसे उद्योगों के मामले में कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है। वहां आपको श्रमिकों को देय राशि को शेयरों में परिवर्तित कर देना चाहिए। आप संयुक्त क्षेत्र की बात करते हैं—ऐसे संयुक्त क्षेत्र की, जिसमें राज्य का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ सहयोग होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के साथ संयुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयोग भी करके देखिएगा।

एक माननीय सदस्य : श्रमिकों द्वारा भागीदारी की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

श्री ए० के० राय : मैं श्रमिकों द्वारा भागीदारी की बात नहीं कर रहा हूं। वह एक अलग बात है। मैं तो उनके स्वामित्व की बात कर रहा हूं। ऐसा करने से आपको कोई जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। यदि उद्योग नहीं चल पाता है या उस उद्योग को घाटा होता है तो वह घाटा दोनों को ही होगा। इससे एक नयी प्रेरणा मिलेगी।

श्रमिकों के साथ, कम-से-कम रुग्ण उद्योगों में संयुक्त क्षेत्र के सुझाव के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, असम एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। इस संदर्भ में मैं 13, 18 और 19 अप्रैल, 1983 के अपने लिखित प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मैंने उद्योग मंत्रालय, खाद्य और नागरिक सम्भरण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछे थे। सम्बद्ध मंत्रालयों ने ने उक्त प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं उनके आधार पर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि उनके उत्तर से यह संकेत बिल्कुल भी नहीं मिलना है कि असम के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम या विस्तृत योजना है। हालांकि असम में सरकार कुछ उद्योगों को लगाना चाहती है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों से न केवल मेरी आशाओं पर भी पानी फिर गया है।

आप इस बात का निर्णय अच्छी प्रकार ले सकते हैं कि क्या दो या तीन कागज मिलों या सीमेंट कारखानों की स्थापना करने, एक या दो चीनी मिल लगाने और बोंगईगांव में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने या वहां एक या दो उर्वरक संयंत्र लगा देने मात्र से उद्योगों की स्थापना के मामले में असम को शेष भारत के समकक्ष लाने के केन्द्रीय सरकार के प्रयासों में गंभीरता है या नहीं। जहां तक असम के औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, मुझे तो इसमें दूरदर्शिता और पर्याप्त योजना का अभाव नजर आता है।

यहां इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि कुछ समय पूर्व असम के लोगों को वहां एक तेल शोधन कारखाना लगवाने के लिए और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। इन बातों से पता लगता है कि असम के विकास और प्रगति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कितनी उदासीन है। इसके कारण से असम के लोगों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रति अनास्था पैदा हो गई है और वे निराश हो चुके हैं। उनकी वह निराशा अब विदेशी राष्ट्रिकों के नाम से चल रहे आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। साथ ही कुछ निराश प्रतिक्रियावादी राजनीतिज्ञों और उनके दलों के साथ मिलकर कुछ प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक ताकतों को उपयुक्त वातावरण मिल गया है जो असम में फूट, अलगाव और हिंसा का बीज बो रहे हैं। वहां कुछ विदेशी एजेन्ट भी हैं जो इस स्थिति का अनुचित लाभ, अपने आपको असम और असम के लोगों का दोस्त बताकर, उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साहसपूर्ण और गतिशील नेतृत्व में उनकी सरकार असम और असम की समस्याओं में रुचि ले रही है इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। जहां तक असम के विकास और उसकी विभिन्न समस्याओं का सम्बन्ध है, हाल ही में एक परिवर्तन देखा गया है

इस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों और आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों तथा प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे असम आन्दोलन को एक ऐसे मामले के रूप में लें जिससे एक सबक सीखना चाहिए तथा असम में व्याप्त निराशा एवं अनास्था को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम से शीघ्र उपयुक्त उपाय करना चाहिएं जिससे बिना और अधिक समय खोए वहां के लोगों में यह विश्वास जम जाये कि राज्य का विकास और प्रगति अवश्य होगी। असम के पीछे रह जाने पर भारत ने प्रगति की है ऐसा नहीं माना जा सकता। आज लोग इतने समझदार हो गए हैं वे नेताओं और मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों और वायदों की तुलना उनके द्वारा वास्तव से किए गए कार्य से करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि गम्भीरता से विचार किया जाएगा और सुनियोजित योजनाएं बनायी जाएंगी तथा उनके अनुरूप निष्ठापूर्वक और दूरदर्शिता से कार्य किया जाएगा तो हम असम में आज चल रहे आन्दोलन से अवश्य ही मुक्ति पा सकेंगे।

इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सामने कुछ मांगें पेश करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि अव्यवस्था से सख्ती से निपटा जाये, दूसरी यह कि असम में 1971 के आधार पर विदेशियों का पता लगाया जाए और तीसरी यह कि असम के लिए युद्ध स्तर पर विकास योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की जायें जिससे हाल में बडे पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओ में पीड़ित हुए व्यक्तियों को पुन: बसाया जा सके। विदेशियों के प्रश्न को संविधान, नागरिकता अधि-नियम, राष्ट्रीय वचनबद्धता के उपबन्धों तथा मानववाद के आधार पर शान्तिपूर्ण हल ढूंढने के लिए आन्दोलनकर्ताओं तथा आन्दोलन से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के साथ नए सिरे से बातचीत आरम्भ की जाए। मैं आन्दोलन के नेताओं से भी अपील करता हूं कि वह विदेशियों का मामला सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वह हिंसा और आन्दोलन से उत्पन्न उनकी शंका को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा करे कि वह लोकतंत्रीय अधिकारों विशेषकर असम के धर्म और शिक्षा पर आधारित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनका अनुसरण करने के लिए आबद्ध है।

मैं इस अवसर पर उद्योग मंत्री और अन्य मंत्रियों तथा विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री से भी अपील करता हूं कि वे असम के सभी क्षेत्रों में विकास तथा उनकी प्रगति में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लें और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए यथासम्भव कम से कम समय में उद्योगीकरण करने की कारगर नीति बनायें। मुझे विश्वास है केवल इस तरह से ही असम के लोगों को हिंसा और आन्दोलन के रास्ते से हटाया जा सकेगा और उन्हें कार्यक्रमों और विकास के क्रियाकलापों के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार किया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह असम के विकास कार्यक्रमों में (1) कलाई की घड़ियों, रेडियो सेटों, कैसेटों, टेलीविजन सेटों, संगणकों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एच० एम० टी० के एक कारखाने की गोहाटी महानगर क्षेत्र में स्थापना; (2) गोहाटी तेल शोधक कारखाना क्षेत्र के निकट एक अन्य पैट्रो-कैमिकल उद्योग समूह की स्थापना; (3) गोहाटी में कोल

तार और ऐसे ही उत्पादों पर आधारित कारखानों और उद्योगों की स्थापना; (4) गोहाटी में उद्योगों के लिए संगठित प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना; (5) कामरूप जिले में अमीन गांव में खालों और चमड़ा कमाने के कारखाने की स्थापना; (6) गोलपाड़ा जिले में कपास मिल की स्थापना; (7) कामरूप जिले में वोको में परत वाली को लकड़ी कारखाना की स्थापना; (8) कामरूप जिले में संतल्ली में एक पटसन मिल की स्थापना; (9) गरायमाडू में वनस्पति घी के कारखाने की स्थापना; (10) खाद्य और फलों से डिब्बाबन्द फल, रस, मुरबे आदि तैयार करने के लिए कारखाने की स्थापना; (11) कामरूप जिले में मुकालमुबा में एक चीनी मिल की स्थापना शामिल करें।

इसके अतिरिक्त, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह योजनाबद्ध ढंग से राज्य के सभी वनों, कृषि और खनिज पदार्थों के संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक योजना बनाए।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस बारे में मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि हम 1956 से लेकर अब तक देखें तो हमें औद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं लगता है। प्रति वर्ष हम अपनी औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन करने का प्रयत्न करते रहे हैं। परन्तु इस वर्ष उद्योग मंत्री ने देश में 85 ऐसे जिले चुने हैं जहां गत 30 या 35 वर्षों में कोई भी बड़ा का छोटा उद्योग नहीं लगाया गया है। उन्होंने अब ऐसे जिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। मैं केवल यह कहने का प्रत्यन कर रहा हूं कि नीति का पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष करना पड़ता है और यह देखना होता है कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा।

आपने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 87 जिलों का चयन करके ठीक ही किया है। अब सरकार को उन नगरों का भी अवश्य पता लगाना चाहिए जहां कोई भी उद्योग आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ नगरों के मामले में जरूरत से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। आपको कुछ ऐसे नगरों का पता लगाना चाहिए जहां मध्यम या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मुझे डर है कि कलकत्ता या कानपुर में इतना अधिक उद्योगीकरण हो जायेगा कि वहां पर उद्योगों को बनाए रखा जाना असम्भव हो जायेगा और वहां पर प्रदूषण भी होगा।

तीसरी बात यह है कि उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए। बहुत समय पूर्व योजना आयोग ने कुछ जिलों को पिछड़े हुए जिले और कुछ क्षेत्रों को केन्द्रीय राजसहायता वाले क्षेत्र घोषित किया था। सरकार ने शिवरामन समिति नियुक्त की थी और समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था। प्रश्न यह है कि सरकार ने पिछले दो वर्ष से कोई निर्णय क्यों नहीं किया? इसमें विलम्ब करने का क्या कारण हैं? लगभग 10, 12 वर्ष पहले योजना आयोग का जो भी दृष्टिकोण था, कुछ गलत निर्णय किए गए थे। उदाहरणार्थ, प्रत्येक राज्य में राजधानी के निकट एक स्थान को राज-

सहायता वाला क्षेत्र घोषित किया गया था। यह जानकर बड़ी हैरानी हुई है कि राजधानी के निकट कोई पिछड़ा क्षेत्र कैसे हो सकता है। चाहे कैसे भी, कुछ स्थानों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया था और नई समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित न करने से उद्यमकर्ताओं को भारत सरकार से वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अत: मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस बारे में शीघ्र निर्णय जिससे प्रोत्साहनों के गलत उपयोग को रोका जा सके।

चौथी बात औद्योगिक नीति के बारे में है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे माननीय मंत्री और मंत्रालय क्यों असफल हो रहे हैं। इस सभा में प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रति वर्ष यह कहा जाता है कि उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि बिजली की कमी थी। सीमेंट उद्योग को लीजिए। हम 20 लाख मीटरी टन सीमेंट तैयार नहीं कर सके हैं। क्षमता के होते हुए भी बिजली के अभाव के कारण लगभग 100 करोड़ मूल्य के 20 लाख मीटरी टन सीमेंट का आयात किया गया। मैं मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह नीति में कुछ उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने का उपबन्ध करे। अब उद्गृहीत सीमेंट केवल लघु उद्योगों आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ही दिया जाता है। इसी प्रकार बिजली भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र को मिलनी चाहिए। सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग के मामले में बिजली में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। हमारे देश में वातानुकूलित सिनेमाघरों को बिजली नहीं दी जानी चाहिए जो प्रतिदिन चार बार फिल्म दिखाते हैं। हमारा देश निर्धन है कि हम सीमेंट और उर्वरक के उत्पादन में कमी को सहन नहीं कर सकते। अत: मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस सारी स्थिति का पुनरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी ी स्थिति में चाहे किसी राज्य में बिजली की कितनी भी कमी क्यों न हो, प्राथमिकता निश्चित की जाए। यह घोषित कर दिया जाना चाहिए कि किस उद्योग के मामले में बिजली में कटौती नहीं की जाएगी।

मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि उसने मेरे निर्वाचन क्षेत्र, आदिलाबाद में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। माननीय मंत्री जानते होंगे कि यह उन सरकारी उपक्रमों में से एक है जिन्हें निश्चित समय में स्थापित किया गया है। मैं इस कार्य के भारसाधक सभी अधिकारियों का वास्तव में धन्यवाद करता हूं। परन्तु इसका परिणाम क्या निकला? आंध्र प्रदेश में निःसन्देह बिजली का अभाव नहीं है। वहां पर वोल्ट मात्रा की समस्या है। अब उन्हें अपेक्षित वोल्ट-मात्रा उपलब्ध नहीं है। चूंकि वोल्ट-मात्रा की समस्या है। इसीलिए उत्पादन नहीं हो रहा है।

रामगुंडम स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादन नहीं हो रहा है। यद्यपि आंध्र प्रदेश में बिजली का अभाव नहीं है तथापि वोल्ट-मात्रा की समस्या अवश्य है।

मैं ये सभी बातें आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि जब तक हम प्राथमिकताएं घोषित नहीं करेंगे और यह नहीं कहेंगे कि फलां-फलां उद्योग अत्यावश्यक हैं और इनके मामले में बिजली में कटौती नहीं होगी तब तक पूरा उत्पादन नहीं हो सकेगा। आपको कहना पड़ेगा कि अत्यावश्यक

उद्योगों में पूरा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए देश के लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

दूसरा पहलू उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार के बारे में है। मैं वास्तव में सभी नीति निर्माताओं का आभारी हूं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं का उद्योग आरम्भ करने के लिए राजसहायता और प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है ? यह ठीक है कि आपने राजसहायता दी है। छोटे दर्जे के कई उद्योगपतियों ने पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित किए हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार 15% राजसहायता देती है। जहां केन्द्रीय सरकार राजसहायता नहीं देती है वहां राज्य सरकार लगभग 10 प्रतिशत राजसहायता देती है और ब्याज रहित ऋण, विक्रय कर में छूट जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें लिखा होता है कि जैसे ही उत्पादन आरम्भ हो जाएगा, लगभग एक, दो लाख रुपए की राजसहायता मिलेगी इसे ध्यान में रखते हुए परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है। उद्योग विभाग को राजसहायता के लिए आवेदन किया जाता है। परन्तु राजसहासता नहीं मिलती। क्या भारत सरकार ने कभी इसका पुनर्विलोकन किया है ? मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने आंध्र प्रदेश में देखा है, फाइलें पड़ी हुई हैं जो पूरी हैं। राज्य की राजसहायता, ब्याज सहित ऋण या प्रोत्साहन, जो राज्य सरकार ने नकद देना होता है, की तो बात ही छोड़िए, उन्हें केन्द्रीय सरकार की भी सहायता नहीं मिल रही है। फाइलें लम्बित पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके पास रकम नहीं है। यह कोई कम रकम नहीं है। यह एक करोड़ रुपए से भी अधिक है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह छोटे दर्जे के उद्योगपतियों से धोखा नहीं है ? वे यह सोच कर काम आरम्भ कर देते हैं कि उन्हें राजसहायता मिलेगी। फिर वे कहते हैं कि ठीक है, आप छः मास प्रतीक्षा कीजिए। जैसा कि श्री राय ने कहा, फिर वह उद्योग अलाभप्रद हो जाएगा। अब उद्योगपति किससे मिलें। न्यायालय में तो वह जा नहीं सकता। उसे सरकार से मिलना ही पड़ेगा। आप राज्य सरकार और बैंकों को आदेश दें कि यदि वे राजसहायता प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें खुले आम रह देना चाहिए कि अमुक तारीख से कोई प्रोत्साहन या राजसहायता नहीं दी जाएगी। इनसे उद्यमकर्ता छोटे दर्जे का कोई आरम्भ करने से पूर्व सतर्क हो जाएगा। यदि परियोजना के पूरा होने के पश्चात् उसे प्रोत्साहन या राजसहायता नहीं मिलेगी तो उसका भाग्य तो सो जाएगा। वह बीमार हो जाएगा। अतः आपके माध्यम से मेरी यह अपील है कि हम यह बता दें कि हम क्या दे सकते हैं। अन्यथा आप स्पष्ट कह दीजिए कि हम नहीं देंगे। प्रोत्साहन और रियायतें देने के लिए धनराशि की भी जरूरत होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी समय पर दी जानी चाहिए।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : उद्यमकर्ताओं को विश्वास दिलाना होगा और इसके लिए एक लघु विधि स्थापित करनी होगी जिससे जब भी वे आयें, उन्हें राजसहायता मिल सके।

हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जुलाई, 1980 को नीति सम्बन्धी वक्तव्य में हमने कहा था : उच्च मूल्य और घटिया किस्म से उपभोक्ता को बचाया जाए। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इसका अनुसरण किया जा रहा है ? सीमेंट उद्योग में कीमत निश्चित कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम यह कीमत कैसे निश्चित की गई ? क्या आप जानते हैं कि इस देश में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो सीमेंट

उद्योग की तरह इतना अधिक मुनाफा कमाता हो। इसके बावजूद मैंने इस मास की 18 तारीख के समाचारपत्र में पढ़ा है कि सीमेंट निर्माता संघ के सभापति, श्री बिड़ला ने उद्गृहीत सीमेंट की कीमत में वृद्धि करने की मांग की है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह खुले बाजार में बिकने वाले सीमेंट की कीमत को कम करने की सम्भावनाओं पर अच्छी तरह से विचार करें। यह तो इस देश के के लोगों के साथ धोखा है क्योंकि सीमेंट एक अत्यावश्यक वस्तु है और उन्हें वह कीमत देनी ही पड़ती है जो आप नियत कर देते हैं। सीमेंट की कीमत कम करने की बहुत अधिक सम्भावना है।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं जैसाकि माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा है। तीन, चार वर्ष पूर्व स्थापित किए गए जिला उद्योग केन्द्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इनका उद्देश्य तो बहुत सही था, मैं एक बार फिर सभा को याद दिलाना चाहता हूं। कई सदस्य गत 20, 25 वर्ष से इस सभा में यह कहते रहे हैं कि इस देश में कच्चे माल और श्रमिकों का अभाव नहीं है। हमारे पास श्रमिक इतने अधिक हैं कि हम उनको नियोजित नहीं कर पाते हैं। जहां कहीं भी कुछ उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, हमें वहां पर यह ध्यान में रखना होता है कि हमें अपने श्रम बल का लाभ उठाना है। बड़े उद्योगों और छोटे दर्जे के उद्योगों के बीच अन्तर के बारे में मैं वर्ष 1981-82 के लिए छोटे उद्योगों के बारे में प्रतिवेदन में से उद्धृत करना चाहता हूं।

वर्ष 1981-82 में स्थापित किए गए लघु एककों की संख्या 69,980 थी और उनमें 9.75 लाख व्यक्ति नियोजित थे। 424.38 करोड रुपए के पूंजी निवेश के बदले में 9.75 लाख व्यक्ति नियोजित थे। भारी उद्योगों में कुल मिलाकर 18 उद्योगों और 19 सरकारी उपक्रमों में 31.3.82 को 1231.67 करोड रुपए लगाने से 1 76,708 युवकों को नियोजन मिला। यह प्रतिवेदन के पृष्ठ 62 पर दिया हुआ है. यदि अनुपात को देखें तो लघु उद्योगों में एक लाख के पूंजी निवेश से लगभग 20 लोगों को रोजगार मिलता है। जबकि बड़े उद्योगों में एक लाख रुपए लगाने से किसी को भी रोजगार नहीं मिल सकता है। अत: यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों के अतिरिक्त जो कुछ भी हम लघु उद्योगों में निर्मित कर सकते हैं, हमें लघु क्षेत्र को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम लघु क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो हमारे जिला उद्योग केन्द्रों को सुचारू रूप से कार्य करना होगा क्योंकि लघु उद्यमकर्ता, चाहे वह किसान या व्यापारी या ठेकेदार है, इन केन्द्रों से सहायता प्राप्त करना चाहेगा। वह इन जिला केन्द्रों से हर प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। हम सभी जानते हैं कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमें उनके स्तर को ऊंचा उठाना होगा। इससे लघु उद्योगों का अधिक विकास होगा और रोजगार की समस्या हल हो जाएगी।

श्री विरदा राम फुलवारिया (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे राजस्थान में जालौर और सिरोही जिले बहुत पिछड़े जिले हैं। सिरोही जिला तो आदिवासी एरिया है। जालौर पाकिस्तान में मिला हुआ है। वहां पर खनिज का बहुत भंडार है। उसका सरकार वहां कोई उद्योग लगाए तो वहां के मजदूरों को जो कि बेकार बैठे हैं, उनको काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है।

ये हमारे बहुत पिछड़े हुए जिले हैं। चार-पांच साल से इसमें अकाल पड़ रहा है। इस अकाल

में हमारे यहां के काश्तकारों की खेती में पैदावार भी नहीं हुई है। हमें वहां पानी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जमीन भी पानी से सूखी पड़ी है। हमें वहां बिजली भी नहीं मिल रही है। हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहां बिजली भी सबसे कम आती है। वहां के लिए बिजली का प्रबन्ध होना चाहिए।

सिरोही जिला उद्योगों के माल का भंडार है। वहां बहुत भारी मात्रा में सीमेंट मिलता है, सफेद सीमेंट भी मिलता है, शीशा और कोपर भी वहां निकलता है। सीरोही में टंगेस्टन भी है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदक करता हूं इनके उद्योग वहां लगाये जाएं। इससे वहां की बेकारी दूर होगी। वहां पर आप सीमेंट का, ताम्बे का और टंगेस्टन का कारखाना लगाएं। सीरोही जिले में ग्रेनाइट का भी विपुल भंडार है। जालौर जिले में यदि एक कटिंग मशीन और एक पालिश मशीन लगाई जाए तो वहां के छोटे-मोटे व्यापारी भी उद्योग लगा सकते हैं, गरीब आदमी भी उद्योग लगा सकते हैं। अगर कटिंग की मशीन भी वहां लगी हो तो वहां का आदमी हाथ से पालिश कर सकता है। इससे वहां के गरीब आदमियों को रोजी-रोटी मिलेगी।

मैं सरकार और मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे यह पिछड़े जालौर जिले की तरफ ध्यान दें और ध्यान देकर के वहां पूरा उद्योग लगाने की मेहरबानी करें। मैंने कई दफा उद्योग की मीटिंगों में इस बारे में कहा है कि हमारे यहां उद्योग लगाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। वहां का मजदूर आजकल अकाल पड़ने से पंजाब जाता है, कोई गुजरात जाता है। हमारे यहां के लोग भागकर पंजाब और गुजरात आदि राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। हमारे यहां रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। हमें अगर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए तो हम तीन फसलें ले सकते हैं। अनाज के मामले में हमारा जि~ा पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों को पर्याप्त बिजली दी जानी चाहिए।

ग्रेनाइट का कारखाना जोधपुर में लगाया गया है। इस कारखाने के लिए पत्थर हमारे जिले से जाता है। वहां पर मजदूर भी नहीं मिलते हैं और पत्थर की ढुलाई का खर्चा भी बहुत आता है। इसलिए यह कारखाना जालौर जिले में लगाया जाना चाहिए। इससे कारखाना भी लाभ में चलेगा और यहा की बेरोजगारी भी दूर होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय इंदिरा जी के शासन काल में इस कार्य को अवश्य पूरा किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती विद्या। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे 5 मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि हमने इस वाद विवाद को आज ही पूरा करना है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं। मन्त्री जी को महिलाओं की तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की संख्या देश में 50 प्रतिशत है। इस अनुपात में उद्योगों में महिलाओं का योगदान नहीं है। उनको घर पर काम नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल विशेष बातों का उल्लेख कीजिए। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में कौन से उद्योग चाहती हैं ?

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : ठीक है। मैं मांग का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहती हूं। जो महिलाएं घर में बच्चों की संभालती हैं और पति को देखरेख करती हैं, इसके साथ-साथ काम भी करना चाहती हैं, उनके लिए घर पर काम देना चाहिए। मैंने लुधियाना में, जब मैं पंजाब गई थी, देखा था कि महिलाएं कुछ न कुछ काम घर पर करती हैं और परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। हालांकि वह काम प्राइवेट उद्योगों द्वारा दिया जाता था। सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर्स हैं, वे महिलाओं के लिए काम क्यों नहीं दे सकते ? मैं अनुरोध करती हूं कि डी० ई० सी० के जरिए महिलाओं की मदद की जानी चाहिए। सारे देश की महिलाओं की मदद करने के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं।

मैं आंध्र प्रदेश से आती हूं और मेरी कांस्टीट्वेंसी विजयवाड़ा है। मैंने कई बार इस बारे में कहा है कि आंध्र प्रदेश में बहुत बैकवर्ड एरिया है। बहुत से क्षेत्र बैकवर्ड हैं। आप समझते हैं कि आंध्रप्रदेश फारवर्ड है। वे क्षेत्र फारवर्ड नहीं है। हमारे श्री नरसिम्हा रेड्डी जी ने भी यही कहा है कि वे फारवर्ड नहीं है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और कुछ जिले तो फारवर्ड है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के कुछ क्षेत्रों में में पीने का पानी नहीं हैं और लोगों को काम करने के लिए भी काम नहीं मिलता है। कुछ रॉ-मैटीरीयल वहां होता है, जिसके जरिए उनको कुछ काम मिल जाता है और आमदनी हो जाती है। विजयवाड़ा के पास पब्लिक सैक्टर में कोई इन्डस्ट्री नहीं है। मैं चाहती हूं कि इन्डस्ट्रीज में कुछ-न-कुछ चेंजेस अवश्य आनी चाहिए। इन्डस्ट्री शुरू करने के लिए आपका प्रोसीजर भी बहुत लैंन्थी है। जो भी मदद आपकी ओर से मिलनी चाहिए, वह इस मामले में तुरन्त नहीं मिलती है। मैं यह चाहती हूं कि आपका प्रोसीजर ज्यादा डिफीकल्ट नहीं होना चाहिए। विजयवाड़ा में पानी, बिजली और जगह की कमी नहीं है लेकिन कमी है तो सिर्फ आपकी मदद की। अगर आप इन्डस्ट्री शरू कर दें तो काफी मदद वहां के लोगों को मिल सकती है। मैं कुछ ताल्लुक के नाम आपको बताना चाहती हूं। तिरूबुरू, विस्सलापेटा, जगैयापेटा, नन्दीगाम, कांची कचेरेला और माइलावरम। इनको सेन्ट्रली बैकवर्ड करने के लिए लिखा गया था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। इसलिए, मैं यह चाहती हूं कि आप अवश्य इनको सेन्ट्रली बैकवर्ड करने के लिए हमारी मदद करें। वहां जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें पब्लिक सैक्टर इन्डस्ट्री स्थापित कर दें तो उसके जरिए आम जनता को कुछ-न-कुछ धंधा मिल जायेगा। हमारे क्षेत्र में स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्री की भी आवश्यकता है। अगर चाहें तो मीडियम स्केल इन्डस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं। स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्री अगर घर-घर में शुरू हो जाएं तो उससे महिलाओं को भी मद मिल सकती है। आपका जो डिस्ट्रीक्ट इन्डस्ट्री सेन्टर है, उसमें एक एडवाइजरी बना दीजिए। जो इन्डस्ट्री शुरू करना चाहते हैं उनको बैंक की फैसिलीटी भी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपकी तरफ से तो सैंक्शन मिल जाती है लेकिन बैंक से सैंक्शन आसानी से नहीं हो पाती है। जिस इन्डस्ट्री को शुरू करने के लिए आप लाइसेंस देते हैं उसको बैंक से भी लोन मिलना चाहिए। स्टेट कैपिट्ल्स के पास जो क्षेत्र हैं, उनको आप बैकवर्ड डिक्लेअर कर देते हैं लेकिन जो रीयल बैकवर्ड हैं उनको नहीं करते है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि आप अपने आफिसर्स को भेजकर उन रीयल एरियाज को बैकवर्ड

डिक्लेअर करवाएं। टी० वी०, रेडियो और वॉच का काम ऐसा है, जिसको महिलाएं घर में बैठकर कर सकती हैं। मिडिल क्लास महिलाओं के लिए बाहर जाकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि इलैक्ट्रोनिक्स और दूसरी छोटी इन्डस्ट्रीज शुरू करने के लिए आप हमारी मदद करें। मार्किटिंग की भी बड़ी दिक्कत है। बाहर जाकर मार्किटिंग करने की ताकत महिलाओं में नहीं होती है। मैं चाहती हूं कि अगर आप डी० आई० सी० के जरिए मार्किटिंग सेन्टर शुरू कर दें तो इससे महिलाओं को काफी मदद मिल जायेगी। यदि महिलाएं इकोनामीकली सेल्फ, सफिशियन्ट हो जायेंगी तो जो आजकल अखबारों में डावर डैथ्स वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलता है, वह नहीं मिलेगा। मैं मन्त्री से प्रार्थना कर रही हूं कि वह हमें घर पर कुछ काम करने की अनुमति दें…

उपाध्यक्ष महोदय : आपके क्षेत्र में ऐसे उद्योग चालू किये जायें, जहां केवल महिलाएं ही काम कर सकें।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : मैं मन्त्री से कर रही हूं कि वह हमारे क्षेत्र में कुछ औद्योगिक क्षमता स्थगित करें जिससे हमें रोजगार मिल सके, हम आत्मनिर्भर हो सकें और हममें आत्म विश्वास उत्पन्न हो सके। इससे न केवल महिलाओं को अपितु परिवार को भी सहायता मिलेगी…

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके मामले की सिफारिश कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : अत: मैं मन्त्री से महिलाओं को आर्थिक समर्थन देने के लिए कह रही हूं जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं की आप कुछ मदद करें और खास कर मेरी कांस्टीट्यूऐंसी विजयवाड़ा के आसपास कोई पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्री ऐस्टेबलिश करने की बात अनाउन्स करें। इससे हमारी महिलाओं को काम मिल जायेगा। मेरा महिलाओं और अपनी कांस्टीट्यूऐंसी की तरफ से अनुरोध है कि आप अपने जवाब में कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर अनाउन्स करें।

आपने जो मुझे समय दिया उनके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। में उद्योग मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे क्षेत्र का जहां तक ताल्लुक है, या पहाड़ी क्षेत्रों का जहां तक ताल्लुक है वहां जो उद्योग लगे हैं वह सारे के सारे बोर्डर एरिया पर लगे हैं। चाहे गढ़वाल हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू-कश्मीर हो। हमारे यहां काफी बेरोजगारी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बीच के पहाड़ी क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाये जायें ताकि बोर्डर की प्रौबलम से हम बच सकें। अभी तो बोर्डर पर उद्योग होने से हमारे लिए प्रौबलम हो जाती है क्योंकि हमारा बोर्डर पंजाब और हरियाणा के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। चाहे पांवटा साहब हो, परवानू हो या इन्दौरा हो, यह सब क्षेत्र किसी न किसी राज्य के बोर्डर से लगते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कोटद्वार से लेकर मैदानी क्षेत्र में उद्योग हैं। बीच के पहाड़ी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगे हैं। पंजाब में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमारे यहां बोर्डर पर प्रौबलम हो जाती है क्योंकि हमारे यहां की पुलिस बोर्डर पर लगे उद्योगों की देखभाल में व्यस्त हो जाती है। बोर्डर को सम्हालने का काम हमारे यहां की पुलिस के जिम्मे आ

पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में मैट्रिक से ज्यादा लड़के, लड़कियां नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उद्योग सारे के सारे चूंकि बोर्डर पर लगे हैं तो उन राज्यों के लोगों को ही रोजगार मिलता है और हमारे यहां के बच्चों को नहीं मिलता। जैसे हरियाणा के लोग परवानू में काम करते है, मेहतापुर में कश्मीर के लोगों को काम मिलता है, नालागढ़ में रोपड़ के लोग काम करते हैं। वैसे हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि दूसरे राज्यों के लोगों को काम मिले, लेकिन जिस राज्य में उद्योग लगा है वहां के लोगों को भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए जो बीच के पहाड़ी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगते हैं।

जो हमारे पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं वह घाटे में जा रहे हैं। अभी 4 लाख रु० के लगभग हमको नाहन फाउन्ड्री के मजदूरों को देना पड़ता है। वह इंडस्ट्री महाराजा के समय से लगी हैं, उसको 102 साल हो गए और उसके प्रोडक्शन की कहीं कोई खपत नहीं है मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। सरकार को नुकसान ही हो रहा है। जहां-जहां उद्योग लगे हैं उनमें आई० ए० एस० और आई० पी० एस अफसरों को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। उनको क्या पता है, वह तो एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि टारगेट फिक्स होना चाहिए, उसमें उन आफिसरों की ड्यूटी लगानी चाहिए जो उद्योग चलाने वाले हैं। इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि अगर वह उद्योग घाटे में जायेंगे तो उनकी रैस्पौंसिब्लिटी होगी।

हमारे भाई कह रहे हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं। यह बात नहीं है। हम भी समझते हैं कि अगर मजदूरों को मजदूरी ठीक देना चाहते हैं तो उनको भड़काना नहीं चाहिए। उद्योगों में काम करने की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि मुल्क का सुधार कर सकें और वह अपने बच्चों को पाल सकें। जहां काम ठीक चलता है, वहां एजीटेशन शुरू हो जाता है, सरकारी सैक्टर के कारखाने इसीलिए घाटे की ओर जा रहे हैं। इसके साथ-साथ वहां पर टैक्नोक्रैट्स को लाया जाये, वह लोग समझ सकते हैं कि इन्डस्ट्री कैसे चल सकती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में कई जगह पुलिस के अफसरों को इनमें लगा दिया गया है, उसमे भी घाटा बढ़ता जा रहा है।

हमारे यहां बिजली की कमी नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला से आगे पब्लिक सैक्टर में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने की कृपा करें। हमारे यहां लाखों लड़के-लड़कियां बेकार हैं। मैट्रिक से ज्यादा कालेज की पढ़ाई पढ़नी हो तो उन्हें शिमला जाना पड़ता है। मेरा क्षेत्र कालका से तिब्बत बार्डर तक लगता है। उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं—सोलन शिमला, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और नाहन डिस्ट्रिक्ट। इसमें 17 असेम्बली के हल्के हैं। सोलन का क्षेत्र एक असेम्बली हल्का है। वह बार्डर का इन्डस्ट्री एरिया है। वहां एपल होता है रोड़ू और कोटद्वार में और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में लेकिन एपल-जूस निकालने का कारखाना परवानू में लगा है। अक्सर हिमाचल के इंस्पैक्शन में लोग जाते हैं और वहां से पेटिया लाकर यहां ओब्लाइज करते हैं। वहां इस तरह से घाटा होता है। अगर भारत सरकार यह सोचती है कि गरीबों को ऊपर उठाना है तो जो भी सेब का जूस निकालने का कारखाना लगे वह ऐसी जगह लगना चाहिए जहां माल पैदा होता है ताकि देख-रेख हो सके। ख्वामाख्वाह लोग उनको लूटें तो नहीं।

हमारे उद्योग मंत्री हिमाचल में चले गए। में बड़ा आभारी हूं कि आपने उनको ट्रेन्ड करके

भेजा है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे नेता के रूप में हिमाचल, गढ़वाल और पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। जहां आज तक कोई नेता नहीं पहुंचा है, आप वहां पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को कारखानों का बार-बार दौरा करना चाहिए। आप संसद के एक सदस्य हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : जो घाटा उसमें बढ़ रहा है वह इसलिए कि आयाराम और गयाराम हो रहा है यहां से इन्डस्ट्री के कलोग दिल्ली से पैसा लेकर हरियाणा में चले गए और हरियाणा से सबसीडी मारी हिमाचल प्रदेश में चले गए। हमारे इस तरह के इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनकी तवज्जह हमारी सरकार को तवाह करने की ही है, उस पर रोक होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

सीमेंट के कारखाने के बारे में मैं कहना चाहूंगा हमारे यहां सीमेंट का अभाव है। सीमेंट के लिए हमारे पास चूने के भंडार हैं और हिमाचाल में जो लाइसेंस दिये जा रहे हैं, वह ऐसे लोगों को जो कारखाना नहीं लगाते। उनके पास सिर्फ लाइसेंस ही होगा जो कि ब्लैक मार्केट ही करेंगे। इस तरह की शर्त होनी चाहिए कि जो लाइसेंस प्राप्त करेगा उसको साल, 6 महीने में कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। आज हो यह रहा है कि 3-3 और 4-4 साल तक ये लोग लोगों को एक्सप्लायट करते रहते हैं कि कारखाना लग रहा है, लेबिन लगता कुछ नहीं है। सीमेंट के मामले में आप अच्छी तरह से काम करें। मैदानी क्षेत्र तो हमारे अनाज की प्रोडक्शन पैदा करने लिए काफी अच्छे साधन बन सकते हैं, वहां कारखाना नहीं लगना चाहिए।

फिय़ट और एम्बेसेडर गाड़ियों की डीलरशिप बड़े-बड़े आदमियों को दी जाती है, जिससे वे लाखों रुपयों का कमीशन हासिल करते हैं। मेरा सुझाव है कि ये डीलरशिप कोआपरेटिव सोसायटियों के रूप में गरीब आदमियों को दी जाएं और उनपर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। हिन्दुस्तान के बडे-बड़े कारखानों का प्राडक्शन डीलरों के पास चला जाता है, जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अनाज के भण्डार की तरह इन्डस्ट्रीज के प्राडक्शन पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ तवज्जुह देंगे।

प्रधान मंत्री ने देश में उद्योगों को लगाने और उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी मंत्री महोदय जैसे सुलझे हुए नेता पर डाली है, जो हर बात को समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह सही उद्योग नीति को चलाएंगे और जानबूझकर रास्ते में रुकावट डालने वाले और गड़बड़ पैदा करने वाले लोगों को दंडित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी, श्री एस० टी० के० जक्कयन और श्री इन्द्रजीत यादव परसों बोलेंगे और तब मंत्री उत्तर देंगे।

सभा अब 22 अप्रैल, 1983 को समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.50 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1983/2 वैशाख, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6